खण्ड-06 सत्र -07 (भाग-01) / अंक-69 बुधवार 21 मार्च, 2018 / 30 फाल्गुन 1939 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

सातवां सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-06, सत्र-07 (भाग-01) में अंक 66 के अंक 81 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

fo"k; lph

l=&7 Hkkx ¼1½ c/kokj] 21 ekp] 2018@30 QkYxu 1939 ¼'kd½ vd&69

Øl-	fo"k;	i"B l-
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1—2
2.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (प्रश्न संख्या—41, 42, 45 से 50 एवं 52 से 55)	4—89
3.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न संख्या—43, 44, 51 एवं 56 से 60)	89—116
4.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न संख्या—115 से 187)	117—287
5.	उप मुख्यमंत्री का वक्तव्य	287—292
6.	विशेष उल्लेख (नियम—280)	292—325
7.	उप मुख्यमंत्री का वक्तव्य	
8.	आउटकम बजट का प्रस्तुतीकरण	325—353
9.	ध्यानाकर्षण (नियम—54) 1. कथित रूप से प्रश्न पत्रों के लीक होने तथा कर्मचारी चयन आयाग के कुप्रबंधन; और 2. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के विद्यार्थियों के उत्पीड़न का सामना करने के संबंध में।	353—371

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र–7 भाग (1) बुधवार, 21 मार्च, 2018 / 30 फाल्गुन 1939 (शक) अंक–69

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूचीः

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री रामचंद्र
8. श्री सुखवीर सिंह दलाल
9. श्री ऋतुराज गोविन्द
10. श्री संदीप कुमार
11. श्री रघुविन्द्र शौकीन
12. श्रीमती बंदना कुमारी
13. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
14. श्री राजेश गुप्ता
15. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
16. श्री सोमदत्त
17. सुश्री अलका लाम्बा
18. श्री आसिम अहमद खान
19. श्री विशेष रवि
20. श्री हजारी लाल चौहान
21. श्री शिव चरण गोयल
22. श्री गिरीश सोनी

23. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
24. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
25. श्री राजेश ऋषि
26. श्री महेन्द्र यादव
27. श्री नरेश बाल्यान
28. श्री आदर्श शास्त्री
29. श्री गुलाब सिंह
30. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
31. श्री सुरेन्द्र सिंह
32. श्री विजेन्द्र गर्ग
33. श्री प्रवीण कुमार
34. श्री मदन लाल
35. श्री सोमनाथ भारती
36. श्रीमती प्रमिला टोकस
37. श्री नरेश यादव
38. श्री करतार सिंह तंवर
39. श्री प्रकाश
40. श्री अजय दत्त
41. श्री सौरभ भारद्वाज
42. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
43. श्री सही राम
44. श्री नारायण दत्त शर्मा
45. श्री अमानतुल्लाह खान
46. श्री राजू धिंगान
47. श्री मनोज कुमार
48. श्री नितिन त्यागी
49. श्री एस.के. बग्गा
50. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
51. श्रीमती सरिता सिंह
52. मो. इशराक
53. श्री श्रीदत्त शर्मा
54. चौ. फतेह सिंह
55. श्री जगदीश प्रधान
56. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-7 भाग (1) बुधवार, 21 मार्च, 2018/30 फाल्गुन1939 (शक) अंक-69

सदन अपराह्न 2.09 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

अध्यक्ष महोदयः सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत। सत्र का चौथा दिन। प्रश्नकाल श्री राजू धिंगान जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, आज स्कूल में एक बच्ची के साथ ...(व्यवधान) उस पर प्रकाश डालें और घटना की ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं अभी प्रश्नकाल और इसके बाद बात सुनूँगा आपकी। देखिए मैंने एक नियम बनाया हुआ है शुरू से आज तक। मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ—

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, बात ठीक है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एफआईआर दर्ज हुई है...

अध्यक्ष महोदयः इसको हम बाद में ले लेंगे। मैं ले लूँगा आपने रखा है, मैं मना नहीं...

श्री विजेन्द्र गुप्ता: मंत्री जी कह दें।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, कोई बात...

उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय, मैंने, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर मसला है, मैंने खुद ही अभी डिपार्टमेंट में ऑफीसर्स को कहा है कि मुझे आज ही अभी रिपोर्ट दें, वहाॅं से एक प्राइमा फेसिया रिपोर्ट बना के दें। मुझे विधान सभा में... खुद ही मेरा मन था कि मैं इससे विधान सभा के सदस्यों को अवगत कराऊॅं। नेता, प्रतिपक्ष से सहमत हूॅं। मुझे उम्मीद है कि कुछ देर में मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी। एक बार फैक्टस आ जाएं, मैं उसके बाद में विधान सभा के समक्ष रखूंगा इसको।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। प्रश्न संख्या 41 श्री राजू धिंगान जी।

श्री राजू धिंगान: धन्यवाद, अध्यक्ष जी। प्रश्न सं. 41 प्रस्तुत है:

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली सरकार ने पिछली बार कब नये आटो रिक्शा परमिट जारी किए थे;

(ख) कितने नये परमिट जारी करने का निर्णय लिया गया था;

(ग) विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का वर्षवार स्टेटस क्या है;

(घ) उक्त परियोजना का वर्तमान स्टेटस क्या है; और

(ङ) इस अवधि के दौरान कमिश्नर ट्रांस्पोर्ट के पद पर कौन–कौन से अधिकारी तैनात थे?

परिवहन मंत्री(श्री कैलाश गहलोत): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 41 का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) दिल्ली सरकार ने 17/1/2017 को नए ऑटो रिक्शा परमिट जारी किए;

(ख) 10,000 नए ऑटोरिक्शा परमिट जारी करने का निर्णय लिया गया;

(ग) परिवहन विभाग ने वर्ष 2017 में नए ऑटोरिक्शा परमिट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। यह अभी भी चल रही है और यह 2018 में ही पूरी हो जाएगी;

(घ) 8700 ऑटोरिक्शा परमिट के आशय पत्र (एल.ओ.आई) जारी किये गये हैं और शेष 1300 परमिट के आशय से प्राप्त (एल.ओ.आई) जो आपत्तियों के तहत हैं, आवेदकों से प्राप्त अभ्यावेदन की जांच के बाद जारी किये जाएंगे; और

(ङ) 10,000 नए ऑटोरिक्शा परमिट जारी करने की क्रियान्वयन की प्रक्रिया के दौरान परिवहन आयुक्त श्रीमती वर्षा जोशी हैं।

अध्यक्ष महोदयः हॉ, सप्लीमेंटरी राज कुमार जी। ऐनी सप्लीमैण्टरी? ऐनी सप्लीमेंटरी। हॉ, सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः सर, ये इसके अंदर जो 'ग' भाग था, उसके अंदर ये था कि विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का वर्षवार स्टेट्स क्या है। इसके अंदर वर्षवार स्टेट्स का, अंग्रेजी में ये कि 'इयर वाइज स्टेट्स', तो इयर वाइज स्टेट्स के अंदर ये कहानी लिखने की बजाय ये लिखना

चाहिए था; 2017 में इतने परमिटों की एप्लीकेशन आईं, इतने दिए गए। 2018 में इतनों की आईं, इतने दिए गए, 17 में कितने लम्बित हैं, 18 में कितने लम्बित हैं। ये जो गोलमोल बात करके हर बार विधान सभा का समय नष्ट किया जाता है, इसके लिए मुझे लगता है कि आपकी तरफ से हिदायत होनी चाहिए। ये अफसर का नाम है वर्षा जोशी, आईएएस, सेक्रेटरी कम कमिश्नर। ये मेरे हिसाब से गलत है। ये आरटीआई के अंदर ये गोलमोल तरीका असफर अपनाते हैं, पब्लिक को परेशान करते है, वो बात अलग है, मगर ये अब विधान सभा के साथ भी इस तरह का करेंगे, ये ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री जी।

परिवहन मंत्रीः स्पीकर सर, अगर ये सप्लीमेंटरी इंफोर्मेशन सेपेरेटली...

अध्यक्ष महोदयः कल इसकी पूरी जानकारी ले के सदन पटल पर रखें, प्लीज।

परिवहन मंत्रीः नहीं, अगर इयर वाइज ब्रेकअप चाहिए तो 2012 में 9056 डीएल 1, आरएम सीरीज में दिए गए, 1944 डीएल 1 आरएन सीरीज में दिए गए। दो जो हैं, डीएल 1 आरपी तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 2012 में, 13 में 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में 2018 में इनका टोटल लगभग 38,967 आता है और जो लास्ट जो 10,000 जो नए ऑटो परमिट्स स्पीकर सर, जो अभी, जिसकी अभी लेटेस्ट जो एलओआई डिस्ट्रिब्यूट किए जा रहे हैं, अगर इसका ब्रेकअप अगर सौरभ जी को चाहिए...

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, मुझे नहीं चाहिए। ये हाउस को चाहिए और हाउस में जब क्वेश्चन में ही पूछा गया है, तो क्वेश्चन में ही देना चाहिए। ये सप्लीमेंटरी के तौर पर क्यों दिया जा रहा है? 'ग' में पूछा गया है स्पेसिफिकली।

अध्यक्ष महोदयः 'ग' में क्लीयर ये पूछा गया है, विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का वर्षवार स्टेट्स क्या है।

परिवहन मंत्रीः तो then I think I would request a days' time और कल पूरा इसका जवाब बनाकर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदयः कल तो बजट होगा। परसो रखिए इसको प्लीज।

परिवहन मंत्रीः ठीक है, थैंक यू।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न संख्या 42, राखी बिड़ला जी।

सुश्री राखी बिड़लाः क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंगोलपुरी विधानसभा में खाद्य संरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हॉ, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि बहुत से दुकानदार अपने सामान को एक्सपायरी डेट के बाद भी धड़ल्ले से बेचते हैं;

(घ) यदि हॉ, तो क्या सरकार का इन दुकानदारों की मनमानी रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हॉ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 42 का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा मार्च 2016 में एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में 40 केन्द्रों के माध्यम से 20 हजार स्ट्रीट खाद्य विक्रेताओं का पंजीकरण तथा प्रशिक्षण करना शामिल किया गया। दिवाली पर्व पर समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा सार्वजनिक सूचनाओं से लोगों को संभावित मिलावट के प्रति जागरूक/सावधान किया जाता है। परन्तु केवल मंगोलपुरी विधानसभा में खाद्य सुरक्षा से संबधित जागरूकता अभियान चलाने का अभी कोई अलग से प्रस्ताव नहीं है;

(ख) वर्तमान में विभाग में अधिकारियों की कमी के कारण जागरूकता अभियान चलाने का कार्य नहीं हो पा रहा है। 17 नए खाद्य संरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। भविष्य में इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी;

(ग) दिल्ली में खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा विभिन्न खाद्‌य पदार्थ के दुकान एवं गोदाम का औचक निरीक्षण किया जाता है तथा खाद्य पदार्थो के नमूने नियमित रूप से जांच हेतु लिए जाते हैं। पिछले दो वर्षो में दुकानदारों द्वारा खाद्य पदार्थो के सामान को एक्सपायरी डेट के बाद बेचने का कोई मामला विभाग के संज्ञान में नहीं आया है;

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं; और

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

अध्यक्ष महोदयः हॉ, ऐनी सप्लीमेंटरी।

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, यहॉ पर बिल्कुल क्लीयर दिया गया है कि वर्ष मार्च 2016 के अंदर डिपार्टमेंट की ओर से इस तरह का एक अभियान चलाया गया था, आज 2018 हो गया है। दो साल हो गए, विभाग की ओर से इस तरह का कोई भी अभियान नहीं चलाया जा रहा है। ये बहुत दुःखद है। हर साल गर्मियों के दौरान फूड प्वाइजनिंग में इतने लोग बीमारी का शिकार होते हैं। हॉस्पीटल्स में एडमिट होते हैं और स्पेसिफिक अगर मैं अपनी विधान सभा की बात करूं, गर्मियां ठीक से शुरू भी नहीं हुई हैं और अभी हर एक चौक चौराहे के ऊपर गन्ने के जूस की दुकान का ठेला लगना, ओपन में मीट काटना, मीट बेचने का काम होना, जो है दुकानों पर लगातार ऐसे–ऐसे सामान की बिक्री करना जो कि एक्सपायरी डेट जिनको एक या दो दिन तक...

अध्यक्ष महोदयः राखी जी, क्वेश्चन निकालिए इसमें से।

सुश्री राखी बिड़लाः सर मैं यहीं कह रही हूॅ कि दो साल का मुझे लगता है समय बहुत ज्यादा है और मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगी कि इसको और लम्बा न किया जाए। सिर्फ मेरी विधान सभा नहीं, पूरे 70 विधान सभा क्षेत्रों में इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए।

स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि 2016 के अंदर एक बहुत व्यापक अभियान चलाया गया था। इसी प्रकार से दुबारा से आदरणीय

सदस्या के सुझावानुसार अभियान फिर से चलाया जाएगा। मैं दुबारा से एक चीज बताना चाहूँगा कि इस डिपार्टमेंट में इंसपेक्टर्स की बहुत कमी थी, 17 इंसपेक्टर्स अभी नियुक्त हो चुके हैं, जल्द ही वो ज्वाइन कर लेंगे, ट्रेनिंग चल रह रही है उनकी। जैसे ही वो ज्वाइन कर लेते हैं, तुरंत इसको किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदयः चलिए। स्पलीमेंटरी, पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, ये धन्यवाद राखी बिड़ला जी का, उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया। इस संदर्भ में मुझको, मेरा जो तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र है, माननीय महोदय, उसमें स्थायी आबादी के अलावा डेढ़ लाख–दो लाख स्टूडेंट्स का रोज आने जाने का क्षेत्र है और वहॉ एक हजार से ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें, ये सबका का बहुत सघन क्षेत्र है और वहॉ बड़ी गंभीर शिकायतें आती रही हैं। मैं सदन पटल पर लाना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और और वहॉ के रहने वाले छात्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पेटीशन लगाई भी है इस पूरे प्रकरण में कि उनको खाने की उच्च गुणवता की चीजें नहीं मिल पाती। उसमें दिल्ली सरकार भी पार्टी बनाई गई है। मेरा इसमें निवेदन ये है कि ये जो दीपावली से पहले मैंने, माननीय जो अपने फूड कमिश्नर हैं, उनको फोन करके कुछ ठोस सूचनाएं दी कि देखिए, यहॉ–यहॉ की मुझे शिकायतें हैं और आप कृपया करके दीपावली का अवसर है, इस पर विशेष निगरानी रखें और जो भी इससे परिणाम आएं, उससे मुझे अवगत करवाने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदयः पुष्कर जी, ये देखिए क्वेश्चन ऑवर है, इसमें से क्वेश्चन निकालिए।

श्री पंकज पुष्कर: इसमें प्रश्न ये है कि ये जो 2016 के बाद ना तो अवयेरनेस का कोई कार्यक्रम चला और उसके अलावा जो फूड सेफ्टी के कितने निरीक्षण किए गए, उसके क्या परिणाम निकले। जहाँ मैं स्पेसिफिक केस बता रहा हूँ तिमार पुर विधान सभा क्षेत्र का, उस स्पेसिफिक केस में शिकायत करने के बाद भी कोई परिणाम मेरे सामने नहीं आया। तो मैं समझ सकता हूँ कि पूरी दिल्ली में क्या स्थिति है, जब बिल्कुल विधिवत सूचना देने के बाद। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन ये है, प्रार्थना ये है कि वो इसको सुनिश्चित करवाने के लिए क्या सरकार की योजना है कि फूड सेफ्टी के नियमों के अनुपालन में पूरी पारदर्शिता रखी जाए और जनता और जन प्रतिनिधियों की आने वाली शिकायतों के प्रति समयबद्ध तरीके से कार्रवाई हो?

अध्यक्ष महोदय: हॉ, माननीय मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ डेटा बताना चाहूंगा। 1 अप्रैल, 2016 से लेकर 31 मार्च, 2017 तक डिपार्टमेन्ट के द्वारा 1153 सैंपल्स, डिफरैंट जगह से लिए गए जिनमें से सभी का ऐनालेसिस कर लिया गया और सभी के 1153 के रिजल्ट आ गए हैं जिसमें से 1133 सैंपल ठीक पाए गए थे; चार तरह की वॉयलेशन होती है, एक मिसब्रैंडेड कि ब्रैंडींग लिखित में कुछ गड़बड़ है। तो उस तरह के 54 सैंपल पाए गए थे, सब स्टैंडर्ड हैं कि जिसका स्टैंडर्ड जितना होना चाहिए, न्यूट्रिशियन अगर उससे कम है या स्टैंडर्ड जितना होना चाहिए, जैसे दूध है, दूध के अंदर कहते हैं प्रोटिन तीन परसेंट चाहिए, फैट तीन परसेंट चाहिए, प्रोटिन चार परसेंट चाहिए। अगर उससे क्वालिटी कम है तो उसको

सब स्टैंडर्ड कहते है। चौदह सैंपल सब स्टैंडर्ड थे, अनसेफ जो सैंपल थे, वो 33 थे और अदर जो वॉयलेशंस थे, वो 19 थे। तो इन सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट के अंदर सबके खिलाफ केस किए गए है। इसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि 1 अप्रैल, 2017 से लेकर 20 मार्च, 2018 तक जो कल तक का जो डेटा है, वो इस प्रकार है, टोटल 1236 सैंपल लिए गए हैं जिसमें से ये 43 सैंपलस अभी ऐनालेसिस के लिए पैंडिंग है क्योंकि कल तक का डेटा है, इसमें थोड़ा समय लगता है, लैब डैस्ट वगैरह करने में। 1193 सैंपलस डिक्लेयर हो चुके हैं जिसमें से 1176 सैंपल जैनुइन पाए गए। 53 जो सैंपल थे, मिस ब्रैंडिड है जिसका ब्रैंड लिखित में कि भई इसके अंदर क्वॉटिटी ये होनी चाहिए या उसके अंदर जो–जो चीजें लिखनी चाहिए, लिखने में कुछ गलती है। सब–स्टैंडर्ड, वो 19 सैंपल पाए गए और 34 सैंपलस अनसेफ पाए गए और किसी अदर तरीके का जो वॉयलेशन था, वो 11 था। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मैं पूरे सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसे ये अभी मैंने बताया था कि 17 इंस्पैक्टर्स की ओर भर्ती की गई है, इसको बहुत बड़े स्केल के ऊपर, अभियान के तौर पर चलाया जाएगा।

सभापति महोदयः प्रश्न संख्या– 45 अजय दत्त जी, 43, 44 अनुपस्थित हैं।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, धन्यवाद। प्रश्न संख्या–45 प्रस्तुत हैः

क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की खानपुर(एमबीरोड) पर पुल बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हॉ, तो इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा;

(ग) इस पर कितना खर्च आने का अनुमान है;

(घ) यह पुल कहॉ से कहॉ तक बनाया जाएगा; और

(ङ) इस पुल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का विवरण क्या है?

लोक निर्माण मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रश्न संख्या–45 का उत्तर इस प्रकार देना चाहता हूँः

(क) खानपुर में पुल बनाने की व्यवहार्यता अध्ययन (Feasibility Study) इस कार्यालय द्वारा करवाया गया है तथा स्टेज एक व दो युटीपेक को प्रस्तुत की जा चुकी है। विषयान्तर्गत भाग व्यवहार्यता अध्ययन का हिस्सा है;

(ख) से (घ) यह कार्य अभी यूपीटेक में अनुमोदन हेतु लंम्बित है। इसका विवरण यूटीपेक के अनुमोदन उपरान्त तय होगा; और

(ङ) क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से हैः

लाडो सराय, सैयदुलाजॉब विलेज, साकेत, आरपीएस कॉलोनी, खानपुर, विलेज, मदनगीर, पुष्प विहार, वायुसेनाबाद, तुगलकाबाद, पुल प्रह्लादपुर; और

अध्यक्ष महोदयः इसमें (ख) और (ग) का उत्तर नहीं दिया कि इस पर कितने खर्च आने का अनुमान है।

लोक निर्माण मंत्रीः ये तो है नहीं सर, इसमें।

अध्यक्ष महोदयः हॉ, सप्लीमैंटरी, अजय दत्त जी एक बार।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, इसमें पहले तो ये नहीं बताया गया कि ये हॉ या नहीं है, सीधा बता दिया गया कि ये यूटीपैक को भेज दिया गया है, दूसरा ग) और घ) का इसमें आन्सर नहीं दिया गया है और तीसरा इसमें ये लिखा है; मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के आन्सर पढ़े, इसमें लिखा है, 'यह उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।' ये डिपार्टमेंटस की इसमें क्या जवाबदेही है, ये मंत्री साहब को इन्होंने रैफर कर दिया है तो 2–3 जो क्वेश्चन हैं, उसका जवाब मिले, तो अच्छा है।

लोक निर्माण मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं बता दूॅ ये हॉ है, इसका हॉ का मतलब तभी उसके बाद फिजिबिल्टी स्टॅडी कराई गई है और उसी के बाद ये प्रपोजल यूटीपैक ने सबमिट किया गया है, इसका मतलब है हॉ, कि आपका प्रपोजल सबमिट हो चुका है। यूटीपैक में सबमिट कराया जा चुका है और वहॉ से अप्रूवल के बाद होगा और (ग) और (घ) के बारे में यूटीपैक से प्रपोजल में क्योंकि चेंजिज हो जाते हैं बहुत सारे, कई बारी वो कहते हैं, 'आपने मान लो थ्री लेन बनाई है, वो कहते हैं दो लेन कर दीजिएगा, चार लेन कर दीजिएगा, तो एग्जैक्ट एस्टीमेटस जो बनना है, खर्चे का अनुमान लगाना है, उसके बाद ही सब संभंव होगा, उसके बाद बताया जाएगा, तीसरा जितने भी प्रश्न विधान सभा में इनके उत्तर दिए जाते हैं, वो मंत्री जी की अप्रूवल से ही दिए जाते हैं। वही नीचे लिखा गया है।

अध्यक्ष महोदयः सही राम जी।

श्री सही रामः अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यही जानना चाहता हूॅ कि इसमें पुल प्रहलाद की भी चर्चा हुई तो वहॉ कोई फुट ओवरब्रिज खैरातपुर में या कोई अंडरपास बनाने की भी कोई योजना है, इसके साथ में?

अध्यक्ष महोदयः इसी ब्रिज के साथ?

श्री सही रामः जी–जी।

लोक निर्माण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी ब्रिज बनता है तो ब्रिज के नीचे से सड़क पार करने की सुविधा आराम से हो जाती है आजकल टेबल टॉप जिसे कहते हैं, बनाई जाती है, वो जरूर एक या दो जगह बनाए जाएंगे। फुट ओवरब्रिज उससे अलग, कम से कम ब्रिज खत्म होने के 400–500 मीटर दूर बनाए जाते हैं, वो इसका पार्ट नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न संख्या–46 पवन शर्मा जी।

श्री पवन कुमार शर्माः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–46 प्रस्तुत हैः

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पॉच वर्षों में श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए वेतन का विवरण क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि वेतन को जिस स्थिति पर जारी करने का सरकार ने निर्णय लिया था उस स्थिति पर जारी नहीं किया गया;

(ग) यदि हॉ, तो इसका पिछले पॉच वर्षों का कारणों सहित पदवार विवरण क्या है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि वेतन निर्णित तिथि पर जारी नहीं किया गया तथा उच्च पदस्थ अधिकारियों को निम्न पदस्थ अधिकारियों की तुलना में पहले वेतन जारी किया गया; और

(ङ) यदि हॉ, तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम एवं रोजगार मंत्री (श्री गोपाल राय): माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या–46 प्रस्तुत हैः

(क) पिछले पॉच वर्षो में श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए वेतन का विवरण निम्नलिखित हैः

व्यय (लाख रुपए में)

वित्तीय वर्ष	श्रम विभाग	रोजगार विभाग
2012–2013	1203	546.80
2013–2014	1340	531.68
2014–2015	1306	517.29
2015–2016	1429	534.17
2016–2017	1453	621.06

(ख) जी नहीं;

(ग) लागू नही;

(घ) यह सत्य नहीं है; और

(ङ) लागू नहीं।

अध्यक्ष महोदयः सप्लीमैंटरी।

श्री पवन शर्मा: सर, पिछले पॉच वर्षो में जितने भी सेवानिवृत्ति के कारण पद खाली हुए हैं, तो सरकार उनको भरने के लिए कुछ कोई कदम उठा रही है, भरे हैं या नहीं भरे हैं?

श्रम एवं रोजगार मंत्री: अभी श्रम विभाग में माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्विसेज को हमने बहुत सारी वैकेंसियॉ हैं, जो श्रम विभाग में खाली पड़ी हुई हैं। सर्विसेज को बार–बार, बार–बार लिखने के बावजूद भी सर्विसेज के कान में जॅू नहीं रेंग रही है और सारी वैकेंसियॉ खाली पड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ कुछ जगहों पर काम चलाने के लिए, चूंकि दिल्ली का मजदूर परेशान घूम रहा है, तो कुछ जगहों पर कॉट्रेक्ट पर जो एजेंसियॉ हैं, उनसे लेकर के काम चलाया जा रहा है। लेकिन सदस्य महोदय की बात सही है कि श्रम विभाग में दिल्ली के मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए, उनके हक को संरक्षित करने के लिए वैकेंसियों को तत्काल भरने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है ऐनी सप्लीमैंटरी? प्रश्न संख्या–47 पंकज पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्कर: माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या–47 प्रस्तुत है:

(क) दिल्ली सरकार द्वारा ई–बिज–पोर्टल के साथ समेकित करने हेतु अभी तक स्वीकृत की गई सेवाओं का विवरण क्या है;

(ख) बाकी बची सेवाओं को जिन्हें वर्ष 2017–18 के अंत तक ई–बिज–पोर्टल के साथ समेकित किया जाना था, उनकी दिल्ली सरकार से स्वीकृति के संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) अभी तक स्वीकृत कितनी सेवाएं ई–बिज–पोर्टल के साथ समेकित की गई हैं, उनकी सर्विस उपलब्धता की तिथि और ई–बिज–पोर्टल पर कितने लोग उन सेवाओं को प्राप्त कर रहे हैं;

(घ) कितनी स्वीकृत सेवाओं को अभी तक समेकित नहीं किया गया है; और

(ड़) प्रत्येक सेवा की अप्रूवल की तिथि से प्रत्येक सेवा के क्रियान्वयन में शामिल कार्यालयों के विवरण सहित इस दिशा में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

उद्योग मंत्री: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–47 का उत्तर इस प्रकार है:

(क) ई–बिज–पोर्टल, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा शुरूआत किया गया है। दिल्ली सरकार ने भी ई–बिज–पोर्टल के साथ सेवाएं समेकित करने हेतु सहमति प्रदान की है। वर्तमान में दिल्ली सरकार ने ई–बिज–पोर्टल के साथ समेकित करने हेतु निम्न 08 सेवाएं स्वीकृत की हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

1. कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत योजना का अनुमोदन,
2. कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्टरी लाइसेंस,
3. दुकानें व प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 के तहत पंजीकरण,
4. बॉयलर्स अधिनियम 1923 के अंतर्गत पंजीकरण,

5. जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत काम करने के लिए सहमति

6. जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के तहत स्थापित करने के लिए सहमति

7. लाइन को बदलने कि अनुमति सहित नया बिजली कनेक्शन,

8. दिल्ली फैक्ट्री अधिनियम 1950 के प्रावधान के तहत फैक्ट्री रिटर्न दाखिल करना;

(ख) उपरोक्त आठ सेवाओं को दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई जिसमें से वर्तमान में भारत सरकार ने निम्नलिखित दो सेवाओं को ही ई–बिज–पोर्टल के साथ समेकित किया है;

(ग) दिल्ली फैक्ट्री अधिनियम 1950 के प्रावधान फैक्ट्री रिटर्न दाखिल करना; सर्विसेज क्रम चैक करना है।

(2) नये बिजली कनेक्शन के लिये आवेदन।

यह सेवाएं 1 अक्टूबर 2015 से ई–बिज–पोर्टल के साथ समेकित है। ई–बिज–पोर्टल पर सेवाएं प्राप्त कर रहे व्यक्तियों के बारे में उद्योग विभाग दिल्ली सरकार के पास कोई औपचारिक सूचना नहीं है;

(घ) कुल छः स्वीकृत सेवाओं को अभी तक समेकित नही किया गया है। इन स्वीकृत सेवाओं को समेकित करने का कार्य भारत सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) दिल्ली सरकार के तीन विभाग; क्रमशः श्रम विभाग, डीपीसीसी तथा बीएसईएस यमुना पॉवर लि. कि सेवाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से श्रम विभाग और डीपीसीसी की सेवाओं को ई–बिज–पोर्टल के साथ समेकित करने के क्रियान्वयन का कार्य भारत सरकार देख रही है;

निदेशक (आई.एस.एच) श्रम विभाग ने पत्र सं0 एफ 27 (16)/सी.आई. एफ/लेब/2017/3472 दिनॉक 13/10/2017 के द्वारा निदेशक, ई–बिज, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग को पत्र लिखकर कुछ परिवर्तन के सुझाव दिये जोकि औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, भारत सरकार एवं उनके अनुबन्धित एजेन्सी इन्फोंसिस के द्वारा किया जाना है। लेकिन औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदयः सप्लीमेंटरी।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं माननीय उद्योग मंत्री और पूरी दिल्ली सरकार को धन्यवाद दूंगा कि जो लाइसेंस कोटा रहा है, इससे बाहर आकर काम किया गया है ये और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में बहुत तो ये एक अपने आप में बहुत धन्यवाद की बात है। ये बहुत जगह नहीं हो पा रहा है लेकिन मेरा पूरक प्रश्न ये है कि जैसा कि कहा गया कि ये आठ सेवाएं सम्मिलित की गई हैं। लेकिन उद्योग विभाग दिल्ली सरकार के पास कोई औपचारिक सूचना नहीं है। किस तरह से, क्योंकि एक नई चीज हो रही है तो ये सुनिश्चित करने की क्या योजना है सरकार की कि जो भी नए एप्लीकेंट आते हैं, उनको जो अनुभव होते हैं, उनको दर्ज किया जाए। जो उसमें असावधानी

होती है, जो उनको असुविधा होती है, वो भी दर्ज किया जाए और कितनी शिकायतें दूर की जा रही हैं, इनका भी किया जाए। तो इस तरह की क्या योजना है नंबर वन, नंबर दो सूचना के अधिकार की धारा 4(बी) है वॉलेंटरी सेल्फ डिस्क्लोजर की कि हर विभाग अपने से जुड़े मामलों की वॉलेंटरी सेल्फ डिस्क्लोजर करेगा क्योंकि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, ये विधानसभा प्रतिबद्ध है तो इस दिशा में उद्योग विभाग किस तरीके से अपनी सार्वजनिक सूचना का स्वैच्छिक प्रगतिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकती है? ये दो मेरे पूरक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री जी।

उद्योग मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब दिल्ली सरकार का या केन्द्र के साथ इसका समझौता हुआ था, 12 सर्विसेज के लिए दिल्ली सरकार ने सहमति दी थी कि हम 12 सर्विसेज इसमें जोड़ना चाहते हैं। बाद में 8 सर्विसेज के लिए और अभी तक दो ही सर्विसेज इसके अंदर आ पाई हैं। मैं सदन को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जैसे बिजली का कनेक्शन देने के लिए ई–बिज पोर्टल के ऊपर जाकर भी कर सकते हैं, पर ज्यादातर जो दिल्ली की तीनों कंपनियां हैं, वो अपने पोर्टल के ऊपर भी दे रही हैं। तो लोग सीधा उनके पोर्टल पर जाते हैं और वहॉ सर, अप्लाई करते हैं। या तो वो एप्लीकेशन देते हैं मेन्युअली या वो बिजली कंपनी के पोर्टल पर जाकर देते हैं। तो ऑलरेडी वो सर्विसेज क्योंकि दिल्ली में पहले से चल रही हैं तो लोगों ने ई–बिज पोर्टल पर अलग से जाने की बजाय वो कहते हैं, कंपनी दे ही रही है। इसलिए वो दिल्ली में इसका तो फायदा नहीं उठा पा रहे हैं और जहॉ तक बाकी जो छः सर्विसेज मैंने

बताई हैं, वो अभी केन्द्र सरकार ने स्वीकृत नहीं की है। उसके अंदर जोड़ी नहीं गई है और दिल्ली फैक्ट्री नियम–1950 के प्रावधान; फैक्टरी की रिटर्न दाखिल करना, इसके नंबर्स वगैरह पता करके बता दिया कि जाएगा कितना है। स्वीकृत

अध्यक्ष महोदयः ऐनी सप्लीमेंटरी? प्रश्न संख्या–48 प्रमिला टोकस।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न नं. 48 का उत्तर जानना चाहती हूँः

(क) क्या यह सत्य है कि सभी डीटीसी एवं क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरे व पैनिक अलार्म लगाने की घोषणा सर्वप्रथम दिल्ली सरकार की बजट स्पीच में की गई थी;

(ख) यदि हॉ, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का, अभी तक प्राप्त किए गए लक्ष्यों सहित वर्षवार विवरण;

(ग) इस परियोजना हेतु आबंटित किए गए बजट का, वास्तव में खर्च की गई राशि सहित पिछले पॉच वर्षों का वर्षवार विवरण क्या है;

(घ) इस अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में कौन–कौन से अधिकारी कमिश्नर ट्रांस्पोर्ट के पद पर तैनात रहे; और

(ङ) इस परियोजना हेतु 'निर्भया फंड' में से केन्द्र सरकार द्वारा नियत की गई राशि का वास्तव में खर्च की गई राशि सहित पिछले पॉच वर्षों का वर्षवार विवरण क्या है?

श्री कैलाश गहलोत (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 48 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) दिल्ली सरकार की बजट भाषण (स्पीच) में (2015–16) में डीटीसी बसों एवं कलस्टर बसों में केवल सी.सी.टी.वी कैमरे लगाने की घोषणाा की गई थी;

(ख) मन्त्री परिषद्, दिल्ली सरकार के निर्णय संख्या 2483 दिनांक 20. 6.2017 के अनुसार को सभी डीटीसी व क्लस्टर बस सेवा के अन्तर्गत चलने वाली सभी बसों में भारत सरकार के निर्भया फण्ड के अन्तर्गत प्राप्त राशि द्वारा सीसीटीवी लगाने का निर्णय लिया। मन्त्री परिषद ने अन्य निर्णयों के साथ यह निर्णय भी लिया है कि परिवहन विभाग, दिल्ली, इस कार्य के लिए खुली निविदा द्वारा कन्सलटैंट नियुक्त करेगा। परिवहन विभाग ने कन्सल्टैंट को नियुक्त करेगा। परिवहन विभाग ने कन्सल्टैंट को नियुक्त कर दिया है, जिसने अपना कार्य दिनांक 14/3/2018 से कर दिया है।

(ग) कोई राशि खर्च नहीं की गई है;

(घ) इस अवधि में निम्नलिखित अधिकारी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के पद पर तैनात रहे इसका ब्यौरा निम्न है;

अधिकारी कमिश्नर का नाम	अवधि कब से	अवधि कब तक
श्री ज्ञानेश भारती	7.1.2014	6.2.2015
श्री अश्वनी कुमार	6.2.2015	27.2.2015
श्री गीतांजली गुप्ता	27.2.2015	14.2.2015

अधिकारी कमिश्नर का नाम	अवधि कब से	अवधि कब तक
श्री परिमल राय	14.9.2015	10.3.2016
श्री संजय कुमार	11.3.2016	1.8.2016
श्री संदीप कुमार	02.08.2016	22.11.2016
श्री विक्रम देव दत्त	23.11.2016	28.4.2017
सुश्री वर्षा जोशी	28.4.2017	अभी तक

और

(ङ) परिवहन विभाग,दिल्ली सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा निर्भया फंड से अभी तक कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गयी।

अध्यक्ष महोदयः कोई सप्लीमेंटरी?

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष जी, (क) भाग है, उसका यूँ का यूँ जो था, वहीं आन्सर लिखा हुआ है इसमें। तो मेरा क्वेश्चन ही था ये। हॉ, सीसीटीवी कैमरा ये तो मैंने पूछा ही है तो इसमें क्या जवाब देंगे मंत्री साहब? तो सीसीटीवी कैमरे का भी बताएं।

परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): नहीं, उसमें लिखा है केवल सीसीटीवी। 2015–16 में केवल सीसीटीवी की घोषणा थी लेकिन अभी जो माननीय अध्यक्ष महोदय अभी जो टेंडर और

कन्सलटेण्ट पाइंट हुआ है, उसमें हरेक बस में तीन सीसीटीवी कैमराज हैं, साथ में एक स्क्रीन है, दो पैनिक बटन हैं और उसमें जो डीवीआईएनवीआर है, उसमें हरेक बस में ये तीन–चार चीजें उपलब्ध कराई जायेंगी;

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष महोदय, इसमें कह रहे हैं कि निर्भया फण्ड से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और आगे लिखा हुआ है कि निर्भया फण्ड से कोई हमें फण्ड नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदयः अभी उत्तर में मंत्री जी ने कहीं नहीं दिया कि कैमरे लगे हैं। मंत्री जी ने उत्तर में दिया है।

परिवहन मंत्रीः मैं स्पीकर सर, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूँ कि There is a proposal from government of India कि इतना पैसा दिया जाएगा लेकिन अभी तक despite written two three letters by transpost department, अभी तक न तो केन्द्र सरकार से कोई ऐसा एश्योरेंस आया है कि ये पैसा दिया जाएगा और पैसा तो... एक भी पैसा अभी तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को या दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया है।

श्रीमती प्रमिला टोकसः कोई उम्मीद है कोई, डेट कोई?

परिवहन मंत्रीः 14 मार्च से कन्सलटेंट ने काम करना स्टार्ट कर दिया है और अगर इसका डिटेल्ड इन्फोर्मेशन जो प्रोजेक्ट टाइम लाइन्स हैं, वो इस प्रकार हैः

डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट 14/5/2018 तक, आरएफक्यू प्लस आरएफपी प्लस फॉर सलेक्शन ऑफ सिस्टम इंटीग्रेटर, मतलब जो आप पूछ रहे हैं कि टेंडर कब लगेगा 31/5/2018 with process management and selection of system intergrator 14/8/2018, project management 14/2/2019, capacity building support 14/5/2019. टेंडर जो है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 31/5/2018 तक ये टेंडर फ्लोट हो जाएंगे और

चूंकि ये काफी लेंग्थी और कम्बरसम प्रोसेस होगा क्योंकि सब बसों में जो कैमराज लगाए जाएंगे तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो उम्मीद है कि 2019 के मिडिल तक सभी बसों में सीसीटीवी कैमराज जो है, वो चालू हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदयः आपने पूछना है?

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंटरी सवाल ये है कि केबिनेट ने इसके अंदर 20/6/2017 को डिसीजन ले लिया कि ये लगने हैं और कंसलटेंट की अप्वाइंटमेंट 14/3/2018, मतलब नौ महीने सिर्फ कंसलटेंट को अप्वाइंट करने में अगर सरकार को लग गए तो इस देरी के लिए कौन अफसर या मंत्री जिम्मेदार हैं?

परिवहन मंत्रीः इसमें अध्यक्ष महोदय, डिले किन कारण से हुआ, इसका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनसे इंफोर्मेषन लेकर सदन के पटल पर रखा जाएगा।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, केबिनेट में अप्रूवल के बाद ये फाइल एलजी के पास गई थी?

श्री कैलाश गहलोत (परिवहन मंत्री): बिल्कुल।

अध्यक्ष महोदयः कब एप्रूवल आया, वो बता दीजिए।

परिवहन मंत्रीः नहीं उसका इंफार्मेशन फिलहाल नहीं है, इसमें तो इसका एग्जेक्टली कैबिनेट डिसिजन के बाद एग्जेक्टली क्या प्रोसेस रहा और क्यों इतना समय लगा, इसकी जानकारी पूरे सदन के सामने...

अध्यक्ष महोदयः ये, परसों रखिये इसको।

परिवहन मंत्रीः परसों रखी जाएगी।

अध्यक्ष महोदयः एक सेकेंड, एक सेकेंड गुलाब जी। सिरसा जी का एक पहले हाथ उठा हुआ है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः धन्यवाद जी। मेरा पहला सवाल तो सप्लीमेंटरी भारद्वाज जी ने ही पूछ लिया, वो जवाब आ गया। नौ महीने में अगर कंसलटेंट की अप्वाइंटमेंट हुई है तो फिर इसकी समय सीमा देखने के लिए होता है कि अगले डेढ़ साल तक क्या लग पायेंगे! दूसरा मेरी सवाल इसमें ये था कि दिल्ली सरकार के बजट भाषण स्पीच में 2015–16 में डीटीसी की बसों एवं कलस्टर बसों में केवल सीसीटीवी कैमरा लगाने की घोषणा की गयी थी, तो घोषणा तो दिल्ली सरकार ने 15–16 में की और निर्भया का जो बजट है, वो केन्द्र सरकार के इंतजार कर रहे हैं। जब आपकी घोषणा है, प्रोजेक्ट आपका है, तो आप अपने ही काम को खुद ही नहीं कर पाते और फिर आप कहते कि केन्द्र सरकार से पैसा नहीं आया, चिट्ठी लिखिए।

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, देखिए ।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मेरा इसमें एक सिम्पल कहना है।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, नहीं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः इसमें सर, सुनिए।

अध्यक्ष महोदयः आप एक सेकेंड। भई सौरभ जी, नहीं प्लीज

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः जब 15–16 में आपने भाषण दिया, तो आपकी तैयारी नहीं थी कि आपने पैसा कैसे खर्च करना है, आपके पास तो फण्ड नहीं थे।

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, ऐसे नहीं, प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं तो...

अध्यक्ष महोदयः उनका क्वेश्चन ये है कि क्या निर्भया...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैटर में यही तो सवाल है कि 2015–16 में जब आपने यहॉ पे बजट की अनाउंसमेंट की तो आपके पास क्या इसकी राशि–धनराशि नहीं थी? आप निर्भया में केन्द्र सरकार पे आज तक निर्भर हैं और ये ब्लेम लगा रहे हैं कि केन्द्र सरकार की तीन चिट्ठियॉ लिखने को, पैसे नहीं हैं, तो बोल तो आप रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः बोल तो आप रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, आप मेन क्वेश्चन तो देखिए, क्या है उनका।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः तो यही है तो उनका सवाल।

अध्यक्ष महोदयः उनका मेन क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें निर्भया कांड से कोई पैसा हमने खर्च किया।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः नहीं, इनका कहना ये है कि निर्भया को आप देखिए। आप पढ़ दीजिए न।

अध्यक्ष महोदयः मैंने पढ़ लिया पूरा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः कहा गया, इस परियोजना हेतु निर्भया फण्ड से केन्द्र सरकार द्वारा नियत की गयी राशि का प्रस्ताव, खर्च की ये राशि, पिछले पांच वर्षों का निर्भया फण्ड का विवरण प्रस्तुत करें, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि परिवहन विभाग को, दिल्ली सरकार को, केन्द्र सरकार द्वारा निर्भया फंड में अभी तक कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गयी, तो मेरा कहना भी तो यही है कि 2014–15–16, भाषण तो आप देते हैं और आप ठीकरा फोड़ते बस, केन्द्र सरकार तक पहुंच जाते हैं, तो जब आप भाषण दे रहे थे तो आप अपने बजट का प्रावधान रखके भाषण देते और तीन सालों में आज तक आप पहला स्टेप नहीं पार कर पाये, फिर... आपका तीन साल बाद आज हो रहा है।

अध्यक्ष महोदयः एक सेकेंड, सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आप कैसे कंप्लीट करेंगे? धन्यवाद, आपने जवाब दिया तो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः पुष्कर जी, एक सेकेंड, नहीं ऐसे नहीं, पुष्कर जी। ऐसे आप गुमराह नहीं करेंगे सदन को।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैंने क्या गुमराह किया?

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न का (ङ) भाग पढ़िए, क्या है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः पढ़ लेता हूँ। पता नहीं कहॉ है।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न का (ङ) भाग पढ़िए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः पढ़ाएं, पढ़ाएं।

अध्यक्ष महोदयः पढ़िए इसको, प्रश्न का भाग (ङ)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः इस अवधि के दौरान हॉ जी।

अध्यक्ष महोदयः इस परियोजना हेतु निर्भया फण्ड में से केन्द्र सरकार द्वारा नियत की गयी राशि का वास्तव में खर्च की गयी राशि सहित पिछले पांच वर्षों का वर्षवार विवरण क्या है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः तो मंत्री जी ने जो जवाब दिया, मैं उसपे बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैंकृ

अध्यक्ष महोदयः जब क्वेश्चन ये है, तो वो जवाब देंगे नहीं क्या?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हॉ तो उन्होंने यह भी तो कहा, मैं ये तो पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः यही तो कह रहे हैं कि वो निर्भया फण्ड से पैसा नहीं आया।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः सवाल आपका ये है कि 2015–16 में आपने जो बजट स्पीच दी थी,

अध्यक्ष महोदयः उसमें उन्होंने बता दिया पहले, सारी डिटेल दे दी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः तो मेरा भी सवाल यही है कि आपका ये बजट कैमरे लगे नहीं, 2015 से लेकर के 2016 तक, तीन साल तक आपने...

अध्यक्ष महोदयः भई क्वेश्चन निर्भया कांड से वो पूछ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, आप उसको ट्विस्ट कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः गुलाब सिंह जी, गुलाब सिंह जी। नहीं, ठीक नहीं। नहीं, ये ठीक नहीं है। बैठिए। प्रश्न संख्या 49 ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, ये हो गया।

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि केन्द्र सरकार ने पैसा नहीं दिया अभी तक, डिस्पाइट कमिटमेंट, उससे इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः इसलिए हो रहा है कि...

परिवहन मंत्रीः नहीं, क्यों हो रहा है? तो आप केन्द्र सरकार से पूछिए जाके, नहीं, आपका वुमेन्स सेक्युरिटी, नहीं, आपका महिला सुरक्षा के लिए यही है। नहीं टेंडर लगाकर जवाब आता है। केन्द्र सरकार का कमिटमेंट है। होम मिनिस्टर की कमेटी का गठन होती है। वूमेन्स चाइल्ड, चाइल्ड डिपार्टमेंट...

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, मेरी बात...

परिवहन मंत्रीः मेरे पास अप्रूवल है।

अध्यक्ष महोदयः आप क्वेश्चन को, जो वास्तविक क्वेश्चन है महिला का, एक महिला का जो वास्तविक क्वेश्चन है, उसको आप ट्विस्ट कर रहे हैं। नहीं, इसमें क्लीयर उन्होंने लिखा है कि निर्भया काण्ड से उसमें... नहीं, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। आप राजनीति में लेके जा रहे हैं उसको। मैं उसमें टिप्पणी नहीं करूँगा। बैठ जाइए, कौन? कौन? राजनीति कर रहे हैं, आप।

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे एक, मुझे...

अध्यक्ष महोदयः हर बात को, हर बात को केन्द्र सरकार को बचा रहे हैं आप। नहीं बैठ जाइए आप, बैठिए प्लीज, बैठिए।

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि निर्भया काण्ड के बाद केन्द्र सरकार की होम सेक्रेटरी के लेबल पे ये मीटिंग होती है, उसके बाद ये कमिटमेंट दिया जाता है कि फण्ड मिलेगा। वूमेन्स चाइल्ड वेलफेयर की एम्पॉवर्ड कमेटी का अप्रूवल आता है तो आज तक एक भी पैसा दिल्ली सरकार के पास नहीं आया। उसका तो कोई जवाब नहीं है इनके पास।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः बिल्कुल मैं जवाब दूँगा।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, सिरसा जी, बैठ जाइए। मैं नहीं... ये डिस्कसन नहीं है। This is no discussion. आपने क्वेश्चन किया, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

परिवहन मंत्रीः उसके बारे में कोई जवाब नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए प्लीज।

परिवहन मंत्रीः कौन सी के अंदर?

...(व्यवधान)

परिवहन मंत्रीः लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं। आपको लगा के देंगे। आप अभी आए, आप को कुछ पता नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः बैठिए आप, बैठिए अब। बैठिए। भई सिरसा जी।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः 15 लाख कैमरे कहॉ है?

अध्यक्ष महोदयः बैठिए जरा, बैठिए प्लीज, बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं झा साहब बैठिए, झा साहब बैठिए। प्लीज। झा साहब, गुलाब जी, गुलाब जी का। नहीं अब नहीं। अब नहीं है सारा गड़बड़ हो जायेगा। वो चाहते हैं अगले क्वेच्शन न आयें। वो अगले क्वेच्शन आपका डिस्टर्ब होंगे, बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं इस क्वेश्चन को अब ड्रॉप कर रहा हूँ प्लीज। इसका पूरा उत्तर सोमनाथ जी, वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ट्रैप हो रहे हैं। वो ट्रैप कर रहे हैं, आप ट्रैप हो रहे हैं। झा साहब, बैठिए प्लीज। झा साहब, बैठिए। बैठिए प्लीज, बैठिए। हॉ, गुलाब सिंह जी। इस क्वेश्चन पे माननीय मंत्री जी, परसों इसको पूरा लेंगे। परसों तेईस तारीख को।

श्री गुलाब सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें, अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की...

अध्यक्ष महोदयः दो मिनट, दो मिनट, प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें ख) का जो जवाब दिया गया है, उसको पढ़ना चाहता हूँ और जो ये विवाद यहॉ पर खड़ा हुआ, ये अपने आप में जो जवाब है, ये जवाब नहीं, इसी विवाद को खड़ा किया है। एक तरफ इसके जवाब में कहा गया है कि मंत्री परिषद, दिल्ली सरकार के निर्णय संख्या 2483 दिनांक इतना 24/6/2017 के अनुसार सभी डीटीसी व कलस्टर बस की सेवा के अंतर्गत चलने वाली सभी बसों में... ये ध्यान देने की बात है कि भारत सरकार के निर्भया फण्ड के अंतर्गत प्राप्त राशि... ये यहॉ लिखा गया है, प्राप्त राशि और जब कि इसके आप देखेंगे (ड.) भाग के... एक मिनट।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अरे भई, उनको अपनी बात... विजेन्द्र जी, आप मेरे से बात करेंगे।

श्री गुलाब सिंहः ये मेरा सवाल है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी।

श्री गुलाब सिंहः एक मिनट सर। ये मेरा सवाल है क्योंकि ये इसके अंतर्गत लिखा गया है।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी।

...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंहः गुप्ता जी, ये इसमें लिखा गया है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, बैठिए प्लीज।

श्री गुलाब सिंहः ये इसमें लिखा गया है।

अध्यक्ष महोदयः हॉ।

श्री गुलाब सिंहः अध्यक्ष महोदय, एक तरफ ये लिखा गया है कि अगर केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि और दूसरी तरफ है साफ साफ लिखा गया है कि कोई फण्ड केन्द्र सरकार प्राप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब जो ये जवाब दिया गया है इसके अंदर, ये अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है, इसलिए ये विवाद यहॉ पर हो रहा है।

अध्यक्ष महोदयः चलिए।

श्री गुलाब सिंहः ये आप देखियेगा। दो तरह के जवाब दिये गये हैं। एक तरफ से केन्द्र सरकार का फण्ड इसमें दिखाया गया है, एक तरफ से नहीं दिखाया गया है, तो ऐसा क्यों है? जवाब ही गलत दिया गया है।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न संख्या 49 बंदना कुमारी जी।

श्रीमती बंदना कुमारीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 49 प्रस्तुत हैः

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले 10 वर्षों में हुई कुल सड़क दुर्घटनाओं का उन दुर्घटनाओं में हुई मौतों सहित वर्षवार विवरण क्या है;

(ख) दिल्ली सरकार ने सर्वप्रथम कब दिल्ली के लिए सड़क सुरक्षा नीति बनाने का निर्णय लिया था;

(ग) क्या इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट अथवा सुप्रीमकोर्ट द्वारा कोई आदेश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हॉ, तो कब;

(ङ) दिल्ली के लिए सड़क सुरक्षा नीति (संशोधित/असंशोधित) की वर्तमान स्थिति क्या है एवं अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ इसका तुलनात्मक विवरण क्या है;

(च) इन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कमिश्नर ट्रांस्पोर्ट और स्पेशल कमिश्नर ट्रांस्पोर्ट के पद पर तैनात रहे अधिकारियों के नाम सहित इन वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए लक्ष्यों का विवरण क्या है;

(छ) पिछले 5 वर्षों में दिल्ली में चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट्स की संख्या का वर्षवार विवरण क्या है;

(ज) क्या परिवहन विभाग द्वारा इन ब्लैक स्पॉट्स पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई;

(झ) यदि हॉं, तो उसका वर्षवार विवरण क्या है; और

(ञ) पिछले 5 वर्षों में परिवहन विभाग के जिन अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से सड़क सुरक्षा के संबंध में आयोजित ट्रेनिंग वर्कशॉप में भाग लिया गया, उन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों के नाम, ली गई ट्रेनिंगों के दिनों की संख्या, ट्रेनिंग एजेंसी का नाम तथा यदि कोई विशेष प्रमाणपत्र दिया गया है, उसके सहित वर्षवार विवरण क्या है?

परिवहन मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के (क) भाग का जवाब, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से प्राप्त सूचना के आधार पर पिछले 10 वर्षों में कुल सड़क दुर्घटनाओं का वर्षवार विवरण निम्नलिखित हैं:

(क) दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से प्राप्त सूचना के आधार पर पिछले 10 वर्षो में कुल सड़क दुर्घटनाओं का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	कुल दुर्घटनाएं	दुर्घटना से हुई मोतों की संख्या
1	2	3
2008	8435	2093
2009	7516	2325
2010	7260	2153

1	2	3
2011	7280	2110
2012	6937	1866
2013	7566	1820
2014	8623	1671
2015	8085	1622
2016	7375	1591
2017	6673	1584

(ख) दिल्ली सरकार ने सर्वप्रथम दिल्ली के लिए सड़क सुरक्षा नीति बनाने का निर्णय दिनांक 28/9/2017 को लिया था;

(ग) इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा की कमिटी द्वारा दिनांक 8/9/2017 को पत्र संख्या फाईल न0 10/2014/सीओआरएस निर्देश दिए गये थे। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस सम्बन्ध में रिट पैटिशन (सिविल) संख्या 295/12 दिनांक 30/11/2017 के द्वारा आदेश जारी किया है;

(घ) उपरोक्त (ग) में लिखित;

(ङ) दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा नीति का प्रारूप सभी स्टेक होल्डर के सुझाव देने हेतु भेजा गया है। सड़क सुरक्षा नीति को अंतिम स्वरूप देते समय इसका अन्य राज्यों से तुलानात्मक अध्ययन किया जायेगा;

(च) इस अवधि में निम्नलिखित अधिकारी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट और स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के पद पर तैनात रहे इसका ब्यौरा निम्न है:

कमिश्नर का नाम	अवधि कब से	अवधि कब तक
श्री आर.के. वर्मा	18.2.2008	1.7.2011
श्री एम.एम.कुट्टी	2.7.2011	11.8.2011
श्री चन्द्र मोहन	12.8.2011	31.10.2012
श्री राजेन्द्र कुमार	1.11.2012	31.1.2013
श्री पुनीत कुमार गोयल	31.1.2013	30.12.2013
श्री अरविन्द रे	30.12.2013	07.01.2014
श्री ज्ञानेश भारती	07.01.2014	06.02.2015
श्री अश्वनी कुमार	06.02.2015	26.02.2015
श्रीमती गीतांजलि गुप्ता	27.02.2015	14.09.2015
श्री परिमल राय	14.09.2015	10.03.2016
श्री संजय कुमार	11.03.2016	01.08.2016
श्री संदीप कुमार	02.08.2016	22.11.2016
श्री विक्रम देव दत्त	23.11.2016	28.04.2017
सुश्री वर्षा जोशी	28.04.2017	अभी तक

स्पेशल कमिश्नर का नाम	अवधि कब से	अवधि कब तक
श्री कुलदीप सिंह गांगर	12.12.2014	02.02.2016
श्री के.के. दहिया	02.02.2016	03.05.2016

स्पेशल कमिश्नर का नाम	अवधि कब से	अवधि कब तक
श्री इन्दु शेखर	03.05.2016	09.08.2016
श्री अनिल बंका	09.08.2016	08.0602017
श्री के.के दहिया	08.06.2017	अभी तक

कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए;

(छ) ब्लैक स्पॉटस दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा चिन्हित किया जाता है। दिल्ली पुलिस से प्राप्त पिछले पांच वर्षो का विवरण संलग्न[1] 'क' पर दिया गया है;

(ज) ब्लैक स्पॉटस दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा चिन्हित किये जाते हैं और उसकी सुधारात्मक कार्रवाई पीडब्लूडी और अन्य सिविक एजेंसीज द्वारा की जाती है;

(झ) पीडब्लूडी और अन्य सिविक एजेंसीज से संबंधित है; और

(ञ) परिवहन विभाग के श्री एस.के.बाली सहायक अभियंता, (पीडब्लूडी) जो इस समय परिवहन विभाग की लीड एजेन्सी जो सड़क सुरक्षा पर बनी है, में कार्यरत है, ने आईआरटीई द्वारा रोड एक्सीडेंट इन्वेस्टीगेशन ट्रेनिंग जो कि 5–9 मार्च 2018 के दौरान आयोजित की गई थी, में सम्मिलित हुए थे।

BLACK SPOTS OF THE YEAR, 2013

Sl. No.	Black Spot	Non-injury Accidents	Simple Accidents	Fatal Accidents	Total Accidents	Persons Injured	Persons Killed
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ISBT Kashmiri Gate	0	20	13	33	38	14
2.	Mukharba Chowk	0	8	13	21	16	14
3.	Mukhand Pur Chowk	0	10	12	22	14	12
4.	Nangloi DTC Depot	0	7	12	19	11	12
5.	Jahangir Puri Bus Stand	0	7	12	19	11	12
6.	CNG Pump (SGT Nagar)	0	5	12	17	6	12
7.	Azadpur Sabzi Mandi	0	11	11	22	13	11
8.	Punjabi Bagh Chowk	0	10	11	21	14	12
9.	Nigam Bodh Ghat	1	20	10	31	21	10
10.	Shyam Lal College	0	12	9	21	16	9

1	2	3	4	5	6	7	8
2014							
11.	Sarai Kale Khan	3	33	9	45	38	9
12.	Kashmiri Gate Chowk (Mori Gate)	0	16	9	25	19	9
13.	Nigam Bodh Ghat	0	12	9	21	13	9
14.	Mukhand Pur Chowk	0	9	9	18	12	11
15.	DR. Bhabha Marg Crossing	1	16	8	25	22	9
16.	Punjabi Bagh Chowk	0	6	8	14	7	8
17.	ISBT Kashmiri Gate	0	22	7	29	24	7
18.	Mahipalpur Flyover	0	20	7	27	26	7
19.	Shani Mandir	0	16	7	23	30	8
20.	Shahdara Flyover	0	11	7	18	12	7

2015							
1.	Shastri Park/IT Park	0	21	10	31	32	10
2.	Near Nitesh Kunj Hotel (NH-8)	0	7	9	16	17	9
3.	Peeragarhi Chowk	0	12	8	20	17	9
4.	ISBT Kashmiri Gate	0	12	8	20	29	8
5.	Madhuban Chowk	0	11	7	18	15	7
6.	Pujabi Bagh Chowk	0	11	7	18	14	7
7.	Majnu Ka Tila	0	8	7	15	9	7
8.	Budhpur Ganda Nalah/ Hanuman Mandir	0	7	7	14	15	9
9.	Shanti Van	2	15	6	23	27	6
10.	Sanjay T Point	0	15	6	21	26	6
2016							
1.	Shastri Nagar Metro Station	0	18	10	28	26	10

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Jahangirpuri Bus Stand	0	13	10	23	18	10
3.	Libas Pur Bus Stand	0	6	10	16	8	10
4.	Rajoukari Flyover	1	9	8	18	13	8
5.	Shani Mandir	0	9	8	17	19	10
6.	Majnu Ka Tila	0	6	8	14	7	8
7.	ISBT Kashmiri Gate	0	11	7	18	28	7
8.	Sanjay Gandhi Transport Nagar	0	6	7	13	8	7
9.	Burari Chowk	0	22	6	28	33	6
10.	Bhalswa Chowk	0	16	6	22	24	7
2017							
1.	Mukundpur Chowk	1	15	10	26	25	11
2.	Jahangirpuri Bus Stand	0	9	10	19	20	10
3.	Azad pur Chowk	1	9	9	19	12	9

4.	Bhalswa Chowk	0	6	9	15	15	9
5.	Burari Chowk	0	15	8	23	20	8
6.	Britannia Chowk	0	5	8	13	8	8
7.	Siraspur	0	5	8	13	7	8
8.	Shani Mandir NH-1	0	1	8	9	4	8
9.	Delhi Gate	1	11	7	19	14	8
10.	Shahdara Flyover	0	6	7	13	6	7

अध्यक्ष महोदयः हा बंदना जी सप्लीमेंट्री।

श्रीमती बन्दना कुमारीः मंत्री जी से मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सड़क सुरक्षा नीति सरकार ने खुद बनाई थी या कोर्ट के आदेशानुसार हमने बनायी थी।

परिवहन मंत्रीः रोड सेफ्टी जो पालिसी है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत रोड सेफ्टी काउन्सिल... अध्यक्ष महोदय इसका गठन हुआ और जैसा कि बताया कि इसकी पहली मीटिंग 28/9/2017 को मैंने ली थी और उसके बाद ही ये पूरी पालिसी का सब स्टेक होल्डर से डिस्कसन के बाद ये पालिसी बनाई जा रही है।

श्रीमती बन्दना कुमारीः तो ये कब तक पूरा हो जाएगा। इम्प्लीमेन्ट कब तक हो जाएगी।

परिवहन मंत्रीः ये बिल्कुल अध्यक्ष महोदय फाईनल स्टेजेज में है और मुझे उम्मीद है कि नेक्सट कपल ऑफ मन्थस, मे बीए टू ऑर थ्री मन्थस में ये पूरी पॉलिसी फाइनल होने के बाद इसके अप्रूवल के लिए इसको सर्कुलेट किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदयः हां जी, सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय (ग) भाग जो है, वो ये है दिल्ली के लिए सड़क सुरक्षा नीति की वर्तमान स्थिति क्या है एवं अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ इसका तुलनात्मक विवरण कीजिए। इसके अन्दर कहने का मकसद ये था कि हमारी जो पालिसी है, वो बनी है या नहीं बनी है, उसकी स्थिति और बाकी जो राज्यों में है, वहॉ बनी है या नहीं

बनी है, उसकी स्थिति का विवरण मांगा गया था इसके अन्दर। जो मंत्री जी दें दें?

परिवहन मंत्रीः दिल्ली की जो रोड सेफ्टी पॉलिसी है, जैसे कि मैंने बताया कि it is almost in the final stages. जो दूसरे राज्यों की केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ इसका तुलनात्मक विवरण क्या है, इसकी इन्फार्मेशन आई थिंक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट के आफिसर से लेके परसों सदन के पटल पर रखी जाएगी।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है। अभी और रह गया।

श्रीमती बन्दना कुमारीः इससे अलग क्वेश्चन है। मेरा बहुत इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन है। 2014 से लगातार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट से, परिवहन मंत्री जी से मेरा प्रश्न है। जो 2014 से लगातार बस शेल्टर, बस क्यू शेल्टर के लिए हम लोग लगातार कॉरसपॉन्डेन्स कर रहे हैं और उस समय गांगड़ जी थे जब यहॉ पर हाउस... चार कमिश्नर जा चुके हैं...

अध्यक्ष महोदयः बन्दना जी, इससे ये प्रश्न जुड़ेगा नहीं।

श्रीमती बन्दना कुमारीः सर, नहीं जुड़ेगा लेकिन इसके रिलेटेड जो प्रश्न मैं लगा चुकी हूॅ। जो नहीं आ पाया। देखिए, ये बहुत ही इम्पार्टेन्ट है। हमारे सीनियर सिटीजन जितने भी हैं, वो लोग रोड पर खड़े होते हैं और बस क्यू शेल्टर लगभग 5–6 साल, पॉच साल से तो लगभग मैं कॉरसपॉन्डेन्स कर रही हूॅ, इसके लिए। और वो बस क्यू शेल्टर आज तक नहीं बना। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है?

अध्यक्ष महोदयः बस शेल्टर के लिए क्या नीति हैं, ये बताएं जरा अगर कुछ है तो?

परिवहन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जबसे परिवहन मंत्री मैं बना, ये पूरा बस क्यू शेल्टर, मैं भी एक ग्रामीण विधान सभा से आता हूँ और जितनी भी आउटर दिल्ली की विधान सभा हैं, उसमें ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जो बस शेल्टर पहले बने थे, वो काफी खराब हालत में हैं। दो बार ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट ने टैन्डर फ्लोट किये लेकिन किसी कारण से उसमें वो दोनों बार टैन्डर फेल हुए।

श्रीमती बन्दना कुमारीः सर तो इसके छोटे–छोटे टैन्डर क्यों नहीं हुए?

परिवहन मंत्रीः इस बार लास्ट टाईम जो...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जगदीप जी, ये क्वेश्चन नहीं है। देखिए, इसी क्वेश्चन में अटक जाएंगे। समय हो जाएगा। दो मिनट रुक जाइए।

परिवहन मंत्रीः तीन–चार महीने पहले अध्यक्ष महोदय, दुबारा जो आउटर दिल्ली में जितने भी बस क्यू शेल्टर हैं, उनकी दुबारा रि–ग्रुपिंग करके उसमें मेन जो प्राब्लम आ रही है कि वहॉ जो अर्बन एरियाज हैं, वहॉ पर जो बस क्यू शेल्टर हैं, वहॉ से ऐड के द्वारा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। so that was the scheme which was adopted in the urban areas. लेकिन जो हमारे बाहरी दिल्ली के जो विधान सभा हैं, वहॉ से प्रॉबेबली रेवेन्यू जनरेट करने का कोई स्कोप नहीं है और मेरे ख्याल से मॉडल नहीं है।

लास्ट टाइम दुबारा ये जितने बस क्यू शेल्टर हैं, इनको दूबारा रि–ग्रूपिंग करकर फिर टेन्डर फ्लोट किया गया और बड़े दुःख की बात है कि...

अध्यक्ष महोदयः अब टेन्डर आ गये है या नहीं आ गये हैं?

परिवहन मंत्रीः ये टेन्डर अभी भी नहीं है अध्यक्ष महोदय और अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट। मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। आई एम कमिंग टू दैट। आई एम आन्सरिंग योर क्वेश्चन । तो रेवेन्यू तो अभी कुछ दिन पहले ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट से दुबारा इसके बारे में पूछा गया कि भई अगर रेवेन्यू शेयरिंग वाले मॉडल में अगर टैन्डर नहीं आ रहे हैं और कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो उसका दूसरा उपाय क्या है। तो दो–तीन जो दूसरे मॉडल्स हैं, उनको दोबारा हम चर्चा करके बहुत जल्द दोबारा टेंडर लगाए जाएंगे। अगर रेवेन्यू मॉडल नहीं...

...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः सर, इसमें एक प्रार्थना है, अजय जी ने लगाया है, सुन लीजिए, क्योंकि यह पूरी दिल्ली का इश्यू हैकृ

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः तोमर जी, बहुत सदस्यों के हाथ खड़े हैं।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः सर, काम तो कुछ हो जाये। देखिये, इसमें इन्होंने लिखा है कि नवंबर, 2013, जून, 2014, फरवरी, 2015, दिसंबर, 2017 पीपीपी मॉडल पर अगर नहीं सफल हो पा रहा है तो कोई और तरीका बता दीजिए। तीन साल निकल गए हैं, पूरी दिल्ली को शेड चाहिए। अगर 1397 लगाए हैं. ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः वो मैं कर रहा हूँ अभी।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः जरूरत है उसकी और कोई तरीका निकाल दीजिए उसका। पूरी दिल्ली की बात है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः देखिए, मंत्री जी, इस पर सीधा... एक सेकेंड तोमर जी।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः विधायक फंड से नहीं लग रहा ना।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः तोमर जी, बैठिए। बंदना जी, दो मिनट बैठिए। देखिए, मंत्री जी मुझे भी अपने क्षेत्र में एक बस शेल्टर बनवाने के लिए एमएलए हैड से पैसा देना पड़ा... एक सेकेंड, ऐसे नहीं। मैं आप ही की बात रख रहा हूँ। मुझे लगता है, कई विधायकों ने दिया है। मुझे अपने एमएलए फंड से पैसा देकर बस शेल्टर लगवाना पड़ा। मेरा यह कहना है इसमें कि एक टेंडर... बंदना जी, दो मिनट रुक जाइए। अगर ये टेंडर फेल हो रहे हैं, क्या सिंगल टेंडर भी नहीं आए?

परिवहन मंत्रीः सिंगल टेंडर भी नहीं आए।

अध्यक्ष महोदयः फिर इसकी कोई और पॉलिसी बनाइए।

परिवहन मंत्रीः उसकी दूसरी पॉलिसी बना रहे हैं कि जो भी गैप है, वो दिल्ली सरकार उस गैप को दे और टेंडर...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी, मेरे यहॉ... एक सेकेंड जगदीप जी, मेरे यहॉ जो लगा, एक शेल्टर लगा। उसका बाकायदा टेंडर करके लगा है। टेंडर हुआ उसका, उसकी कॉस्ट जो भी आई टेंडर में, वो टेंडर करके लगा। वो सिंगल का टेंडर आ गया और बल्क का टेंडर नहीं आ रहा है तो इसमें कहीं न कहीं देखिए क्या मामला है।

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा में मैंने खुद अपने एमएलए फंड से छह बस क्यू शेल्टर लगवाये थे तो वहॉ पर क्या कारण है और...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपके यहॉ लग गए, टेंडर आ गया?

परिवहन मंत्रीः एमएलए फंड से लगे।

अध्यक्ष महोदयः हॉ, लगे ना। मैं यही कह रहा हूॅ, इस बात को आप देखिए एक बार कि एमएलए हैड से टेंडर अगर लग रहे हैं पांच, छह, आठ, दस उनके लिए तो कोटेशन आ रही है और बल्क में नहीं आ रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः उसे छोटा करके लगवाइये।

श्री सोमनाथ भारतीः आप एसेम्बली वाइज कर दीजिए इसको। अच्छा रहेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः वो पीपीपी मॉडल पर है ना? मैं वही कहलवाना चाह रहा हूॅं। उनको कहने दीजिए। देखिये, आप क्लीयर बोलिए, पीपीपी मॉडल पर अगर टेंडर नहीं आ रहे हैं तो इसको सरकार अपने फण्ड से टेंडरिंग करे।

श्री सोमनाथ भारतीः मंत्री जी, इसको स्पिलिट करके असेम्बली वाइज...

...(व्यवधान)

परिवहन मंत्रीः सर, उसमें जो मेन प्रोब्लम मुझे समझ में आ रही है, वो मेन्टेनेंस का है। हम जो एमएलए फंड से लगाते हैं, उसमें मेन्टेनेंस वाला इश्यू नहीं आता है। यही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लिखकर आया है। जो भी बस क्यू शेल्टरकृ

...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम सेकृ

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः तोमर जी, बात हो गई अब।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः 1397 लगने हैं अगर पीपीपी मॉडल पर नहीं लग रहे हैं तो मेहरबानी करके कोई अलग से इसका प्रावधान कर दीजिए बजट का।

अध्यक्ष महोदयः वही, मैंने कहा है उनसे, बार—बार रिपीट करेंगे समय गड़बड़ होगा।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः सर, 1397 लगने हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैंने कहा है उनको, जवाब तो देने दो।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः मेरे यहाँ 20 लगने हैं, मैं कैसे लगवा लूं एमएलए फंड से? बताइए, चार करोड़ एमएलए फंड है।

...(व्यवधान)

श्रीमती बंदना कुमारीः जोन वाइज, डिस्ट्रिक्टवाइज भी कहा था, डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दें। सर, यह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारतीः असेम्बली वाइज कर दें, अच्छा रहेगा

...(व्यवधान)

श्रीमती बंदना कुमारीः सर, यह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको इस बारे में आगाह कर रहा हूँ। अधिकारी किसी भी कीमत पर लगाने देना नहीं चाहते। आप पीपीपी मॉडल से बाहर आइये, अगर नहीं लग रहे हैं। सरकार के फंड से कुछ भी है, उसको करके एक बार इस पर स्टेप लेकर आगे बढ़िए।

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आप....

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारतीः स्पिलिट कर दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः स्पिलिट करें, जो भी रास्ता निकालना है, निकालें।

परिवहन मंत्रीः आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और रेवेन्यू मॉडल में दो बार टेंडर होने के बाद भी अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो then we have to leave the revenue model. रेवेन्यू शेयरिंग वाला मॉडल हमें छोड़ना पड़ेगा। बस क्यू शेल्टर जो है, it is not a luxury item.

श्रीमती बंदना कुमारीः इस मुद्दे पर बहुत पार्टिसिपेटिंग हो चुकी है...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैंने सारी बात रख दी है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, कम से कम इतना कर दिया जाए अगर 1397 को छोड़कर... हम 1397 की फिगर न पकड़े। हम विध ाान सभा वाइज, अगर कम से कम पॉच–पॉच जो हैं, वही एक बार हमारे पीपीपी मॉडल से बाहर निकल कर, क्योंकि 1397 का बजट लाना, शायद सरकार के पास इतना पैसा होगा नहीं, तो कम से कम इतना हो जाए कि पॉच–पॉच जो है, सभी एमएलएज का हो जाए।

...(व्यवधान)

श्रीमती बंदना कुमारीः अध्यक्ष जी, चार साल से लगातार...

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, एक मिनट, मेरी बात खत्म हो जाए। अगर हम लोगों को...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः एक सेकेंड।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः एक मिनट बात खत्म हो जाए।

अध्यक्ष महोदयः एक सेकेंड प्लीज। क्या यह सम्भव है, बंदना जी, दो मिनट, मैंने दस लाख रुपया दिया है, अगर दस–दस बस शेल्टर एक विधान सभा में दें, एक करोड़ आएगा, कुल 70 करोड़ रुपया सरकार का खर्चा होगा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः क्या बात है बहुत बढ़िया!

अध्यक्ष महोदयः क्या यह सम्भव है?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः यह करा दो जी।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी उत्तर दें, बात खत्म करिए पीपीपी मॉडल की।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मंत्री जी, दस–दस दे दीजिए। कम से कम एक साथ लगने से दिल्ली की दिक्कत...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः उसके बाद पीपीपी मॉडल देख लीजिएगा, बैठिए अब। अब मैंने इस पर निर्णय निकलवा दिया है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः 70 करोड़ से काम भी हो जाएगा और फाइनेंस मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे भी हैं, अप्रूवल भी दे देंगे।

अध्यक्ष महोदयः एक ही प्रश्न पर अटके रहेंगे?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः यह हो सकता है। मंत्री जी दस–दस दे दें।

अध्यक्ष महोदयः आप भी बताइये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः 1397 बहुत बड़ा एमाउंट हो जाएगा और दस–दस से हमारा भी काम बन जाएगा।

श्रीमती बंदना कुमारीः कमिटमेंट लेनी होगी, इस पर कमिटमेंट ले लीजिए अभी मंत्री जी से।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अजेय जी, बैठिए प्लीज। जगदीप जी, नाराज हो रहे हैं, जरा उनका क्वेश्चन सुन लूँ। सारी बात आ गई। इसी में सभी लगेंगे क्या?

श्री अजेय यादवः अध्यक्ष जी, एक मिनट, मैं इतनी देर से खड़ा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः अजेय जी, एक बार मंत्री जी दस–दस पर एग्री करते हैं, अभी बजट पेश होगा, संशोधन हो जाएगा। अगर मंत्री जी एग्री करते हैं। कुल 70 करोड़ रुपया लगेगा।

श्री जगदीप सिंहः सर, 70 करोड़ रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं है। सर, मेरा एक सुझाव सुन लीजिए। दिल्ली कैंट में तीन लाख रुपये का बस स्टॉप लगा है, एक बार मंत्री जी उसको फिजिकली देख लें, तीन लाख रुपये में एक बस स्टॉप बन जाता है, सिर्फ तीन लाख रुपये में और सारे गोपीनाथ बाजार में, दिल्ली कैंट में वो लगे हुए हैं और हमने उसका प्रपोजल भी बनाकर भेजा है, फोटोग्राफ भी बनाकर भेजी है लेकिन डिपार्टमेंट कह रहा है कि एक कैबिनेट नोट पास हो जाए, तो हम वो बना देंगे। सिर्फ एड वाली आप वहॉ लगाएं।

...(व्यवधान)

श्री जगदीप सिंहः एक मिनट सर, एड वाली हम वहॉ लगाएं जहॉ पर एड की जरूरत है, जो बाहरी दिल्ली है, जो बुजुर्गों के लिए सिर्फ खड़े होने की जगह चाहिए, वहॉ वो तीन लाख रुपये के लग सकते हैं। उसका एक कैबिनेट नोट पास कराना है, बस।

अध्यक्ष महोदयः अब जरा बहुत हो गया, इसको बंद करिए। अजेय जी, अब बंद करिए। बैठिए, जगदीप जी प्लीज। अजेय जी, बैठिए अब। अब मुझे इसको आगे बढ़ाने दीजिए प्लीज।

श्री अजेय यादवः सर, आईएसबीटी बस अड्डे से ज्यादा सवारी खड़ी होती हैं, बाइपास जीटी करनाल रोड पर।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अगर एक–एक विधान सभा की चर्चा करेंगे तो बात नहीं बनेगी।

श्री अजेय यादवः वहाॅ पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। आईएसबीटी से ज्यादा लोग मुकरबा बाइपास पर खड़े होते हैं। अगर कुछ हो दिल्ली का तो उसका भी सोच लें, मैं तो यह कह रहा हूॅ।

अध्यक्ष महोदयः चलिए, बैठिए अब। अब नहीं, बैठ जाइए प्लीज। मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा अब।

श्रीमती प्रमिला टोकसः सर, मेरा क्वेश्चन है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब केवल मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं बस। आप बैठ जाइए, प्लीज। हो गया।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष जी, एक...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठ जाइए। मैंने कह दिया, तो बैठ जाइए प्लीज।

परिवहन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं अब नहीं सुनूॅंगा। बैठिए। जगदीप जी, इसको रोक दीजिए मामले को। अब बैठिए। सारे सदन का समय खराब हो रहा है। आप बैठिए प्लीज। कमांडो जी, बैठिए। खाली मंत्री जी उत्तर दे दीजिए, बस।

परिवहन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, बस क्यू शेल्टर मेरे ख्याल से कोई लग्जरी आइटम नहीं है। हरेक व्यक्ति जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करता है उसको धूप में, बरसात में, सर्दी में, मैं समझता हूँ कि बस क्यू शेल्टर हरेक व्यक्ति का वो राइट है और उसका एक तरह से फंडामेंटल राइट है कि हर जगह जहॉ भी बस स्टॉप है, वहॉ बस क्यू शेल्टर है और दिल्ली सरकार मेरे ख्याल से चूंकि मैं एक रूरल विधान सभा से आता हूँ, मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार ने कभी भी किसी भी चीज के लिए दिल्ली देहात या जो बाहरी हमारी विधान सभाएं हैं, उनके लिए पैसे के लिए कभी कोई स्कीम या प्रपोजल कभी ठुकराया नहीं है और न उसके लिए न की है। यहॉ बात पैसे की नहीं है। बात यह है कि जिस स्कीम या मॉडल के तहत् जो आप स्टेनलैस स्टील के बस क्यू शेल्टर देख रहे हैं, उसमें एक रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल चला आ रहा है। पिछले लगभग दस महीने में दो बार टेंडर्स लगे, दोनों बार फेल हुए। लास्ट टाइम हमने जो बस क्यू शेल्टर्स की ग्रुपिंग थी, उसको दोबारा रि–ग्रुपिंग करके हमने उसकी कोशिश की। /310/कुछ लोग पार्टिसिपेट करें उसमें, लेकिन इस पूरे सदन में और I think as a Transport Minister I am giving the commitment. Transport officers are all here, Commissioner here, Special Commissioner here कि टेंडर इस बार फ्लोट करेंगे। उसमें अगर कोई पार्टीसिपेट करेगा तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार से वो पैसा लगाकर बस क्यू शेल्टर्स लगाने चाहिए हमको।

अध्यक्ष महोदयः नहीं मंत्री जी, देखिए, मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ। बंदना जी, दो मिनट रुक जाइए, मुझे निर्णय करवा लेने दीजिए। मेरा यह कहना है कि तीन साल हो गये, टेंडर नहीं आ रहे हैं पीपी मॉडल में।

अब इसको लास्ट स्टेज पर फाइनलकृ वो ले लीजिए ताकि बारिशों के आने से पहले गर्मियां आ रही हैं, काम शुरू हो। आप फिर वेट करेंगे, फिर वेट करेंगे पीपी मॉडल में नहीं आएंगे।

परिवहन मंत्रीः नहीं, नहीं, स्पीकर सर, यही मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो टेंडर लगाएंगे, उसमें जो भी अगर वॉएबिल्टी... गैप जो भी गैप आता है दिल्ली सरकार उसको देगी क्योंकि इसमें मेन प्रॉब्लम जैसे हम एमएलए फण्ड से जो बस क्यू शेल्टर्स लगा रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम मेन्टेन्स की है, उसमें मेन्टेन कोई नहीं कर रहा उसको। अगर हम बस क्यू शेल्टर्स या एक सेकेंड मुझे बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद मैं...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय मंत्री जी बड़े दुःख के साथ ये बात कह रहा हूँ, ये भाषा मैं फिर ये दोहरा रहा हूँ, अधिकारियों की, हम बोल रहे हैं। इसमें हमको सीधा निर्णय लेना चाहिए। तीन बार आप टेंडर निकाल चुके हैं। तीनों बार नहीं आए, चौथी बार फिर आप वेट करेंगे। आपको जो भी डिसीजन लेना है, उसको सीधा डिसीजन लेकर काम करें।

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यही मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः सदस्यों की भावनाओं को समझिए। हमारे पास लोग आते हैं, कपड़े फाड़ने, इसको समझिये आप।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः तोमर जी मैंने कह दिया, इससे ज्यादा नहीं कह सकता। मैंने कह दिया।

श्रीमती बंदना कुमारीः सर, ये आज तो कमिटमेंट चाहिए, ये कैसे लगेगा।

अध्यक्ष महोदयः महेन्द्र जी, अब बैठिए। इसको लेने दीजिए आप। इसको निर्णय लीजिए आप। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना कर रहा हूँ, ये बस शेल्टर्स की समस्या...

श्रीमती बंदना कुमारीः सरकार को बहुत उम्मीद के साथ रिपोर्ट करना था। बहुत कमिटमेंट थी।

अध्यक्ष महोदयः बंदना जी, मैं बोल रहा हूँ ना। देखिए, माननीय वित्तमंत्री से भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ये दिल्ली के एमएलऐज की। बार बार मेरे पास आते हैं, बहुत बड़ी शिकायत है और ये बारिशें और गर्मी आ रही है। इससे पहले अगर हम नहीं दे सकते तो ये उचित नहीं रहेगा। इसको किसी भी ढ़ंग से, एक बार इस समस्या का निदान करिए। आगे टेंडर का वेट मत करिये।

श्रीमती बंदना कुमारीः आप एक टाइम फिक्स करिए। सर एक महीना या दो महीना। एक टाइम फिक्स हो जाए, उस टाइम में लग जाए। आज टाइम फिक्स हो जाना चाहिए। हर बार डेट पर डेट 40 लेटर लिख चुकी हूँ डिपार्टमेंट को और जा चुकी हूँ, हर आफिसर के पास। मंत्री के पास भी जा चुकी हूँ।

अध्यक्ष महोदयः सदन की भावना को समझकर इसको करवाइए।

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सामने आपके माध्यम से ये बात रख रहा हूँ कि मुझे एक दिन का समय दिया जाए।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, परसों करिए इसको।

परिवहन मंत्रीः मुख्यमंत्री जी से एक बार डिस्कस करके और जो भी...

अध्यक्ष महोदयः हॉ, परसों देंगे, मैं लूॅगा, परसों लेंगे।

परिवहन मंत्रीः धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, धन्यवाद। प्रश्न संख्या 50 श्री सहीराम जी।

श्री सहीरामः अध्यक्ष महोदय जी, प्रश्न संख्या 50 प्रस्तुत हैः

क्या **श्रम मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्डक्लास स्किल सेंटर स्कीम के अंतर्गत कितने युवकों ने ट्रेनिंग ली;

(ख) इस विशेष ट्रेनिंग के ट्रेनर का नाम तथा इस योजना के अंतर्गत ट्रेनर को चुनने का क्या मानदंड है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग पूरी होने के तीन महीनों के भीतर कितने प्रतिशत युवकों को पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त हुआ;

(घ) इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को प्राप्त हुए रोजगार का विवरण क्या है;

(ङ) इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग लेने के बाद प्राप्त हुए वार्षिक पे पैकेज का विवरण क्या है;

(च) इस योजना के लिए प्रकाशित विज्ञापन का, यदि प्रकाशित हुआ तो, विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि, न्यूज पेपर का नाम, जिस दर पर विज्ञापन प्रकाशित होने के लिए दिया गया था तथा उन अधिकारियों के नाम जिन्होंने इसके लिए राशि की स्वीकृति दी थी, सहित पूर्ण विवरण?

छ) यदि विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुए, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस योजना की फाइल का, उस अधिकारी के नाम व पदनाम सहित जिसकी टेबल पर यह फाइल लंबित पड़ी रही, समय विवरण (क्लॉक आवर्स)?

उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय ये प्रश्न वर्ल्ड स्किल सेंटर से संबंधित था इसलिए टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को फारवर्ड किया गया था, श्रम मंत्री के कार्यालय से। प्रश्न संख्या 50 का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) वर्ल्ड स्किल सेंटर के अंतर्गत अब तक 963 युवाओं ने ट्रेनिंग ली हैं;

(ख) इस विशेष ट्रेनिग के ट्रेनर के नाम तथा इस योजना के अंतर्गत ट्रेनर को चुनने के मानदंड संलग्नक–'क' पर उपलब्ध है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिग पूरी होने के तीन महीनों के भीतर 88 प्रतिशत युवाओं को पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त हुआ। चूंकि पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात रोजगार प्राप्त करना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः तीन माह के पश्चात शेष बच्चों को रोजगार प्राप्त हो जाता है। साथ ही कुछ बच्चे स्वरोजगार, कुछ उद्यमिता एवं कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं;

(घ) इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को सामान्यतः रिटेल आउटलेट, होटल इण्ड्रटीज, बैंक्स एवं स्टॉक ब्रोकर एवं आईटी सॉफ्टवेयर कम्पनियों में रोजगार मिलता है;

(ङ) इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग लेने के बाद सामान्यतः वार्षिक पे पैकेज 1.68 लाख से 3.5 लाख वार्षिक तक है। कई प्रशिक्षार्थी इस से अधिक पैकेज भी प्राप्त कर चुके है;

(च), (छ) एवं ज) इस योजना के लिए 04 फरवरी, 2018 को एक विज्ञापन निम्नलिखित अखबारों में डीएवीपी (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार) की स्वीकृति दरों से प्रकाशित किया गया;

अंग्रेजीः हिन्दुस्तान टाईम्स, टाईम्स ऑफ इण्डिया, इन्डियन एक्सप्रेस, मेल टूडे, पाइनियर, द हिन्दू;

हिन्दीः हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, अमर उजाला, हरि भूमि

उर्दूः हमारा समाज, सलार–ए–हिन्द, जदीद रास्ता

पंजाबीः तेगिया टाइम्स

संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी के द्वारा विज्ञापन प्रकाशन की स्वीकृति दी गई।

संलग्नक 'क'

List of the Master Trainers available at World Class Skill Centre, Vivek Vihar, Delhi

Sl. No.	Sector	Name of the Master Trainer
1.	Hospitality Operations	Mr. Pawan Singh
2.		Ms. Gargi Datta
3.		Mr. Rakesh Razdan
4.		Ms. Kirty S. Shergill
5.		Mr. Pawan Kumar Sharma
6.	Retail Services	Ms. Neeru Kalher
7.		Dr. Seema Ghanghas
8.		Ms. Maneesha Shharma
9.		Mr. Jasprit Singh
10.		Ms. Preeti Kaushik
11.	Finance Executive	Mr. Saroj Mishra
12.		Ms. Devyani Parmanand
13.	Web Developer	Ms. Anita Mahajan
14.		Ms. Gurjapna Kaur Anand

Eligibility Criteria and Terms and Conditions for Engagement as Master Trainers

A. For candidates applying in Retail Services

I	Qualification	:	MBA in Sales & Marketing/Sales/ Marketing/ Retail Management from a Recognised University
II	Experience	:	Minimum Five (05) years of experience in Retail Services (Operations & Merchandising) out of which one year in teaching/ training.
III	Age	:	Minimum 27 (Twenty Seven) years and Maximum 50 (Fifty Years) as on closing date of receipt of application (Relaxation for SC/ST/OBC/PD etc. as per rule GNCTD)
IV	Desirable	:	i. Able to communicate in English (both written & Spoken) ii. Comfortable with all modern teaching aids, Audio-Visual (proficient in MS-Office)

B. For candidates applying in Hospitality Operations

I	Qualification	:	Graduation in Hotel Management from recognised University
II	Experience	:	Minimum Seven (07) years of experience in Hospitality out of which preferably at least two year in teaching/training.
III	Age	:	Minimum 27 (Twenty Seven) years and Maximum 50 (Fifty Years) as on closing date of receipt of application (Relaxation for SC/ST/OBC/PD etc. as per rule GNCTD)

IV	Desirable	:	i. Able to communicate in English (both written & Spoken) ii. Comfortable with all modern teaching aids, Audio-Visual (proficient in MS-Office) iii. Well versed with the Hotel Management System (Software)

C. For candidates applying in Information Technology & IT Enabled Services

I	Qualification	:	BE/B. Tech in computer Science/ Information Technology from Recognised university
II	Experience	:	Minimum Five (5) years of experience in Software Industry out of which one year in teaching/training
III	Age	:	Minimum 27 (Twenty Seven) years and Maximum 50 (Fifty Years) as on closing date of receipt of application (Relaxation for SC/ST/OBC/PD etc. as per rule GNCTD)
IV	Desirable	:	i. Able to communicate in English (both written & Spoken) ii. Comfortable with all modern teaching aids, Audio-Visual (proficient in MS-Office)

D. For candidates applying in Accounting, Banking & Finance

I	Qualification	:	Bachelor degree plus MBA in Finance from RecognisedUniversityORBachelor degree plus CA from ICAI
II	Experience	:	Minimum Five (5) years of experience in Accounting, Banking & Finance out of which one year in teaching/training.

III	Age	:	Minimum 27 (Twenty Seven) years and Maximum 50 (Fifty Years) as on closing date of receipt of application (Relaxation for SC/ST/OBC/PD etc. as per rule GNCTD)
IV	Desirable	:	i. Able to communicate in English (both written & Spoken) ii. Comfortable with all modern teaching aids, Audio-Visual (proficient in MS-Office) iii. Certification holder from NISM/NCFM/ Indian Institute of Insurance (III)

अध्यक्ष महोदयः सप्लीमेंटरी? नहीं, क्वेश्चन जिनका है, उनसे तो पूछ लूॅं। सहीराम जी का सप्लीमेंटरी है, फिर उसके बाद आपका देंगे। क्वेश्चन उनका है।

श्री सहीरामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहूॅंगा कि इस ट्रेनिंग के बाद कितने बच्चों को और कहॉं कहॉं रोजगार मिला है अगर उसकी सूचीबद्ध लिस्ट देने की कृपा करेंगे।

अध्यक्ष महोदयः ये तो...

उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अब वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर जो है वो 3 साल पहले इसने काम करना शुरू किया था। शुरू में इसमें जो इनटेक सीट्स थी, लगभग 200 थी। फिर इसको हमने और बढ़ाया अभी और बढ़ाया है। अब लगभग 1000 का इनटेक है वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर जो विवेक विहार में चल रहा है और इससे निकले हुए छात्रों को, मतलब उन छात्रों का पता लगाना कि इस वक्त वो कहॉं नौकरी कर रहे हैं, हमारे

लिए मुश्किल है लेकिन जो पहली नौकरियॉ इन कैम्पस प्लेसमेंट में हुई, उसकी सूचना हमारे पास रहती है। उसकी सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है लेकिन अब वो कहॉ नौकरी कर रहे हैं, वो कितने महीने कहॉ नौकरी करके कहॉ गये, इसका ट्रैक रिकॉर्ड मुझे नहीं लगा कि विभाग के पास या उसके पास संभव भी होगा। तो मैं कोशिश करूॅगा कि जितनी भी सूचना पिछले तीन साल की है, आपको उपलब्ध करा दी जाएगी।

दूसरा, इसी के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय, क्योंकि स्किल सेंटर का मसला है। परसों शायद स्किल सेंटर के संदर्भ में सहीराम जी ने या किसी अन्य साथी ने, ऋतुराज जी ने पूछा था कि जो स्किल सेंटर बनाये जा रहे हैं; 25 नये वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर बनाये जा रहे हैं, वो कहॉ कहॉ बनाये जा रहे हैं, तो उसमें मैंने आश्वासन दिया था इस सदन को कि मैं उनकी लिस्ट सदन के समक्ष रख दूॅगा। तो मैं आज लेकर आया हॅू मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हॅू, धन्यवाद।

श्री ऋतुराज गोविंदः अध्यक्ष जी, मैं उसमें एक सवाल पूछ रहा हॅू कि जैसा कि हमारा क्षेत्र जहॉ पर आपको बताया था कि जमीन की उपलब्ध ाता नहीं है, तो हमने ये पूछा था कि क्या हम किराये की जगह पर भी बना सकते हैं स्किल सेंटर जिससे कि...

उप मुख्य मंत्रीः अभी मैं पेपर ले करूॅगा, उसके बाद।

अध्यक्ष महोदयः उत्तर दिया था न माननीय मंत्री जी ने। कल ही दिया था, परसों भी दिया था।

उप–मुख्य मंत्रीः उसका उत्तर मैं दे चुका हॅू।

अध्यक्ष महोदयः इसकी फोटोकापी सब मेंबरों को उपलब्ध करा दो। ठीक है, धन्यवाद। हॉ सप्लीमेंटरी है कोई? हॉ, जगदीप जी।

श्री जगदीप सिंहः सर, इस पर 14 नंबर पर जेल रोड लिखा हुआ है जहॉ पर ये... तो इसमें सर, ये जेल रोड हरिनगर वाला है, तो बढ़िया हो जाएगा, नही? तो हमारे यहॉ पर जगह जेलरोड पर ही बहुत बड़ी जगह खाली है। आईटीआई में जहॉ पर ये बन सकता है।

उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न से संदर्भ नहीं है। अलग से सदस्य बता सकते हैं।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न संख्या 51, भावना जी, नहीं हैं। 52 सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः प्रश्न संख्या 52 प्रस्तुत हैः

क्या **परिवहन मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मालवीया नगर विधानसभा के आंतरिक भाग में स्थित कालोनियों को तीन मेट्रो स्टेशनों से जोड़ने के लिए मिनी बसों की वर्तमान स्थिति व विवरण क्या है;

(ख) मालवीया नगर विधानसभा में चालू बस रूटों का पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) कृष्णा नगर, हूमायूॅ पुर, अर्जुन नगर एवं सफदरजंग इन्क्लेव के रूटों पर बसें बढ़ाने के लिए की गई प्रार्थना की वर्तमान स्थिति क्या है?

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 52 का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) मालवीय नगर विधानसभा के आंतरिक भाग में स्थित कालोनियों में निम्नलिखित मिनी बसें प्रचालन में है;

1. एम.एल. 75, साकेत मैट्रो स्टेशन से संगम बिहार—09 बसें,
2. एम.एल.104, मालवीया नगर मैट्रो स्टेशन से नेहरू प्लेसस मैट्रो स्टेशन —02 बसें,
3. एफ 504 सफदरजंग से खानपुर .01 बस,

(ख) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र से दि.प.नि. की होकर गुजरने वाली बस सेवा का अनुसूचित विवरण परिशिष्ट —'क' पर है,

(ग) कृष्णा नगर, हुमायूंपुर, अर्जुन नगर एवं सफदरजंग इनक्लेव के किलए निम्नलिखित रूट/फेरे सफदरजंग इन्कलेव क्षेत्र से अलग—अलग वाया से अनुसूचित हैंः—

रूट संख्या	गंतव्य से	गंतव्य तक	ब्सों की संख्या
1	2	3	4
544ए	आर.के.पुरम सै. 1 (समय प्रातः 8.15 से 9.15 बजे)	नेहरू प्लेस (समय 17.30 ,—19.30 बजे)	4 फेरे
610ए	आर.के.पुरमसै.—1	आनंद पर्वत	2 बजे

1	2	3	4
611	धौंला कुऑ	मयूर बिहार फेज–3,	21 बसें (इस रूट पर डिम्ट्स की बसें भी चल रही हैं, जिनकी जानकारी डिम्ट्स/एस.टी.ए. से ली जा सकती है।)
621	पूर्वांचल अस्पताल	मेरी गेट टर्मिनल	4 बसें

कृष्णा नगर, ुहमायूँ पुर, अर्जुन नगर एवं सफरजंग इन्कलेव के रूटों का वाया बदलाव के संदर्भ में प्रार्थना प्राप्त हुई थी, जिसका जवाब पत्र दिनांक 29/8/2016 व 22/9/2016 के माध्यम से दे दिया गया है;...

दि.प.नि. के बेड़े में बसों की संख्या में वृद्धि होने पर जॉच उपरांत उक्त क्षेत्र के रूटों पर बसें बढ़ाने की कार्रवाई की जा सकती है।

परिशिष्ट 'क'

Details of Bus route in Malviya Nagar Vidhan Sabha constituency

Route No.	From	To	No. of Buses/ Trips
1	2	3	4
335	Hauz Khas (T)	Nand Nagri (T)	1
344	Hauz Khas (T)	Kalyan Puri	1
413	Niznmuddin Rly. Station	Mehrauli	12
418	Punjabi Bagh (T)	Hamdard Nagar	15
448A	West Enclave	Hamdard Nagar	2
448B	Ambedkar Nagar Trml.	Madi Pur JJ Colony	2
493	Mehrauli Terminal	Mayur Vihar Phase III	10
500	N.D. Rly. Station Gate No. 2	Saket	6
502	Old Delhi Rly. Station	Mehrauli	35
503	Mori Gate (T)	Malviya Nagar F-Blk.	2
505	Kamla Market	Mehrauli	6
507	Dhaula Kuan	Okhla Extn. Ab.Fazal End.	18
511	Badar Pur Border	Dhaula Kuan	
511 A	Badar Pur Border	Dhaula Kuan	29
512	R.K.Puram Sec-1	Ambedkar Ngr Sec. IV (Virat Cinema)	8

1	2	3	4
516	S.J.Terminal	Dera Village	9
517	Ayyn Nagar	S.J. Terminal	2
519	S.J. Terminal	Mandi Village	8
520	Super Bazar	Malviya Nagar F-Blk.	2
522A	R-Block Rajinder Nagar (Rattan Puri)	Hamdard Nagar	18
522A Spl.	Inder Puri	Hamdard Nagar	3
523	DhaulajKuan	Bhati Mines (Sanjay Colony)	13
534	Anand Vihar ISBT	Mehrauli	32
534A	Anand Vihar ISBT	I.G.I. Air port Terminal -II	38
536	R.K.Puram Sec-1	Chhatter Pur Ext.	1
540	Kendriya Terminal	Tara Appartment GK-II	8
542	New Secma Puri	Malviya Nagar F-Block / Hauz Khas (T)	2
544	R.K. Puram Sec-1	Badar Pur Border	36
544A	R.K. Puram Sec-1	Nehru Place (1)	4 Trips
548	Minto Road (T)	Hamdard Nagar	1
580	Kendriya Terminal	Ambedkar Ngr Scc-IV	1
505	Vasant Kunj Sec-C/9	Mori Gate (T)	5
610A	Anand Parvat	R.K. Puram Sec-1	2

1	2	3	4
611	Mayur Vihar Ph-3	Dhaula Kuan	21
620	Hauz Khas (T)	Shivaji Stadium	9
621	Mori Gate (T)	Poorvanchal Elostel	4
680	Kendriya Terminal	Ambedkar Ngr Sec.IV (Virat Cinema)	8
724C	Uttam Nagar (T)	DDA Flats Kalkaji (Alakhnanda)	3
725	Mehrauli	Inder Puri JJ Cly.	6
764	Najafgarh (Sai Baba Mandir)	Nehru Place (T)	43
765	Hauz Khas (T)	Bakar Wala JJ Cly.	1
OMS (+)	Anand Vihar ISBI	Anand Vihar ISBT	33
OMS (–)	Anand Vihar ISBT	Anand Vihar ISBI	49
	Total		508 Buses 44 Trips
Spl. Trips from Malviya Nagar			
419 Ext	Malviya Nagar F-Block	Old Delhi Rly. Station	0903
419 Ext	Old Delhi Rly. Station	Malviya Nagar F-Block	1858
522 Ext	Malviya Nagar F-Block	Arya Samaj Road	0835, 0950
522 Ext	Arya Samaj Road	Malviya Nagar F-Block	1800, 1900
	Total		6 Trips
	Grand Total		508 Buses 10 Trips

अध्यक्ष महोदयः हॉ, सप्लीमेंटरी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, ये इसका जवाब बिल्कुल घिसा पिटा, पिछली बार की तरह ही है। पिछली बार मंत्री जी ने प्रॉमिस किया था कि हम जो लास्ट माइल कनैक्टिविटी की बसें हैं, उसको बढा कर देंगे। न तो इसका रूट है, न इसके स्टॉपेज बताए गए हैं। इस सवाल का मतलब ये था कि मेरी विधान सभा के अंदर, जो अंदर कालोनियॉ हैं, वहॉ से बसें बिल्कुल उपलब्ध नहीं हैं। आम आदमी को बहुत पैदल चलना पडता है। मुझे प्रॉमिस किया गया था कि हम बसेज आपको देंगे जो कि लास्ट माइल कनैक्टिविटी की नीडस को पूरा करेगा। उस की कोई जानकारी नहीं है। और जो बसें, जिसमें नौ बसें या दो बसें बताया गया है, उसके कितने स्टॉप्स हैं और क्या रूट है, नम्बर वन। नम्बर–दो, ये जो यहॉ बताया गया है कि इस रूट पर डिम्स की बसें भी चल रही हैं, जिनकी जानकारी ली जा सकती है, कौन लेगा, ये तो बड़ा इन्ट्रेस्टिंग सा जवाब है ये। कौन देगा ये? पर डिम्स भी आपका है, एसटीए भी आपका है, तो कौन लेगा जा करके जवाब उसका? ये तो बहुत एवेसिव आन्सर है। इस तरह के आन्सर्स कंडेम किए जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः क्वेश्चन सोमनाथ जी, जल्दी करिए।

श्री सोमनाथ भारतीः यही तो सवाल है। सवाल पहला ये है कि जो पहले सवाल का जवाब दिया गया, उसमें न तो रूट्स हैं, न स्टॉप्स हैं। एवेसिव आन्सर है। नम्बर वन, तो अगर उसका बता सकें कि भई क्या स्टॉप्स हैं, क्या रूट हैं? दूसरा, ये जो 'ग' का आपने जवाब दिया है, उसमें कौन लेकर देगा जवाब, कब लेकर देगा जवाब एसटीए से और डिम्स से?

अध्यक्ष महोदयः हॉ, माननीय मंत्री जी।

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अगर सोमनाथ जी चाहते हैं तो डिटेल रिस्पॉन्स परसों सदन में दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदयः बस हो गया, आगे बढने दीजिए प्लीज। रवि जी, मैं चाह रहा हूॅं साढे तीन तक दो क्वेश्चन और आ जाएं। दस तो कम से कम पूरे हों।

श्री जगदीश प्रधान जी। प्रश्न संख्या 53 ।

श्री जगदीश प्रधानः अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूॅंगा कि प्रश्न संख्या 53 का जवाब दें:

क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या खजूरी चौक से भोपुरा बार्डर तक जाने वाले मंगलपांडे मार्ग को सिग्नल फ्री बनाने की कोई योजना है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि यह योजना वर्ष 2015 से ही सरकार के विचाराधीन है परन्तु ढ़ाई साल बीत जाने के उपरांत भी इस पर काम शुरू नहीं हुआ है; और

(ग) क्या कारण है कि सरकार द्वारा सदन में दिनांक 24/08/2016 को इस मार्ग पर दो तीन फ्लाईओवर बनाने, दो तीन अंडरपास बनाने और इस रोड को पूरी तरह सिग्नल फ्री करने का आश्वासन देने के बाद भी इस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 53 का जवाब प्रस्तुत हैः

(क) जी हॉ,

(ख) जी हॉ, इस कार्य का अनुमोदन यूटीपेक द्वारा 23/11/2016 में किया था। दिल्ली

नगर कला आयोग ने इन नक्शों की अनुमोदन 4/7/2017 को दिया। यूटीलिटी विभाग द्वारा यूटीलिटी स्थानान्तरित करने का प्राक्कलन 6/11/2017 को दिया गया। लो.नि.वि. ने इस कार्य का प्राक्कलन 29/11/2017 को लो.नि.वि. सचिवालय को भेज दिया गया। लो.नि.वि. सचिवालय के सुझाव के साथ प्राक्कलन को 2/1/2018 ने पुनः प्रेषित किया। वित्त एवं योजना विभाग की टिप्पणी 23/2/2018 को प्राप्त हुई। इस प्राकलन के लिए वित्त सचिव के साथ मार्च के पहले सप्ताह में मींटिग हुई है तथा प्राक्कलन को पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। स्वीकृति मिलने के पश्चात छः माह में कार्य शुरू करवा दिया जायेगा।

(ग) इस कार्य का प्राक्कलन दिल्ली सरकार के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। स्वीकृति के छः महीने के बाद कार्य को शुरू करवा दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदयः सप्लीमैंट्री।

श्री जगदीश प्रधानः अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय के जवाब से सन्तुष्ट नहीं हूॅ। ढ़ाई वर्ष बीत जाने के बाद जो आज इसमें लिखा जा रहा है

कि इस कार्य का प्राक्कलन दिल्ली सरकार के पास है। जो सरकार ढ़ाई साल में ये भी नहीं बता रही कि इस कार्य की दिल्ली सरकार से कब तक स्वीकृति मिल जाएगी। तो आप सोच सकते हो कि जो ढ़ाई साल में इतना भी काम नहीं कर पा रही सरकार, तीन साल बीत गए हैं वैसे सरकार को। अध्यक्ष जी आपने अभी डीडीसी पर शोर मचाया। और मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, अगर आप सुनें तो...

अध्यक्ष महोदयः भई अब इस प्रश्न को रखिए। इसी पर रखिए प्लीज। जब जगदीश जी, ऐसे सदन नहीं चल सकता।

श्री जगदीश प्रधानः सर, वजीराबाद ब्रिज के ऊपर ढ़ाई–ढ़ाई घंटे लोग धूप में जाम में तडपते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदयः अब बोलते रहिए आप। कोई फायदा नहीं है उस चीज का। जगदीश जी, आप समझदार हैं। इस प्रश्न को तो ले लीजिए।

श्री जगदीश प्रधानः तो सर, मैं वो ही कह रहा हूँ कि सरकार ये नहीं बता पा रही है। सरकार से स्वीकृति मिलने में क्या दिक्कत है? कितने समय में स्वीकृति मिल जाएगी, ये तो बताएं? महीने में, दो महीने में, साल में, दो साल में?

अध्यक्ष महोदयः इसमें क्या क्वेश्चन है आपका? क्रॉस क्वेश्चन है कोई?

श्री जगदीश प्रधानः सर, मैं ये कह रहा हूँ इसकी स्वीकृति कोई डेट, डेड लाइन तय की जाए, स्वीकृति कब तक मिल जाएगी? डेड लाइन तो दिलवा दें आप।

अध्यक्ष महोदयः देखिए, इसमें क्लीयर उन्होंने लिखा है। आप एक बार उत्तर, समझा नहीं या तो पढ लीजिए। 23/11/2016 में किया गया था अनुमोदन यूटीपेक द्वारा। 4/07/2017 को नक्शों का अनुमोदन दिया गया। अब ये फाइनल स्टेज 23/02/2018 को वित्त एवं योजना विभाग की टिप्पणी 23/02/2018 को प्राप्त हुई।

श्री जगदीश प्रधानः सर, मैं ये पूछा रहा हूँ सरकार से स्वीकृति कितने दिन में मिल जाएगी?

अध्यक्ष महोदयः आप बता दीजिए।

लोक निर्माण मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो ये यूटीपेक डिपार्टमेंट है, जिसके द्वारा ये जितने भी प्रपोजल पास किये जाते हैं, ये माननीय उप–राज्यपाल इसके अध्यक्ष हैं और यूटीपैक डीडीए की संस्था है। उनकी अप्रूवल के बाद ही बाकी चीजें होती हैं। ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ढाई साल नहीं, तीन साल, साढ़े तीन साल लगाए उन्होंने पास करने में। तो मुझे लगता है कि इनको जाकर कहना चाहिए कि इतने साल न लगाएं। अगर तीन–तीन साल में सिर्फ उसका डिजाइन अप्रूव कर रहे हैं, बेसिक डिजाइन। उसके बाद उसके डिटेल,इन्जीनियरिंग डिजाइन बनती है, एस्टीमेट बनते हैं, वो सारा काम किया जाता है। और मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि लगभग जो स्वीकृति के अंदर प्रोसिजर्स हैं, पहले फाईनेंस में जाते हैं, एम्पावर्ड फाईनेंस कमेटी में लगते हैं, फिर कैबिनेट में जाता है। तो ये सारी जो स्वीकृति हैं, अगले तीन महीने में पूरी कर ली जाएगी। उसका टेंडर करके अलग छः महीने में उसका काम स्टार्ट कर दिया जाएगा।

श्री जगदीश प्रधानः सर, मैं इजाजत चाहूॅगा। अभी जो मंत्री जी ने कहा कि आपको एलजी साहब के पास जाना चाहिए। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूॅ कि आपने ढ़ाई साल में हमें एक बार भी ये नहीं कहा कि आपका कार्य फ्लाई ओवर बनने का एलजी के पास पेंडिग है। मैं अकेला नहीं हूॅ, पूरी दिल्ली उस रास्ते से गुजरती है।

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगाकृ

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जगदीश जी, सच्चाई आप जानते हैं। आपको सच्चाई मालूम है। फिर राजनीति में ले रहे हैं आप। फिर राजनीति में ले रहे हैं।

श्री जगदीश प्रधानः सर, 25 मार्च से वजीराबाद पुल का रिपेयर का काम शुरू होने जा रहा है नौ महीने लगेंगे। तब तक लोग कहॉ से जाएगे, उसके बारे में बता दें?

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

लोक निर्माण मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यूटीपैक एक ऐसी संस्था है जिसमें मुझे समझ नहीं आता कि वो काम कैसे करते हैं। और भी बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, एक प्रपोजल नहीं है। दिल्ली सरकार के बीसियों प्रपोजल वहॉ पर पैंडिग हैं। मैं विपक्ष के सभी सदस्यों से कहूॅगा ि कवे तो वैसे मिलते ही रहते हैं, उनको तो आधे घंटे में, पौने घंटे में मिल जाते हैं। उससे हाथ जोड़कर विनती करें कि जितने भी प्रोपोजल हैं, उन्हें पास कर दें। एक प्रपोजल है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए मैं

एलजी साहब से खुद मिल चुका हूॅ कई बार। मुख्य मंत्री जी ने जाकर बातचीत की है। परन्तु ये सारी योजनाएं वहॉ पर लम्बित हैं और लम्बित रहेंगी, मुझे ऐसा लगता है। जाइएगा, कह दीजिएगा, करवा दीजिएगा। बीस, कम से कम योजनाएं पड़ी हुई हैं यूटीपैक के पास।

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री जी, अगर सम्भव हो, परसों उसकी सूची जो यूटीपैक की है, वह सदन के सामने आ जाए। इनके सामने भी आ जाएगी। हॉ, सभी टोटल, मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूॅ।

श्री विशेष रविः जितनी पैंडिंग फाइलें एलजी साहब के ऑफिस में हैं, जितनी भी हैं, चाहे किसी भी स्कीम के लिए हैं, उसका ब्यौरा आ जाए सर, एक।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, आना चाहिए ठीक बात है। घिरना चाहिए। आएगी, सूची देगी, मैं मंगवाऊॅगा। पुष्कर जी, बैठिए प्लीज।

श्री विशेष रविः जितनी भी पेंडिंग हैं जो एलजी हाउस में पेंडिंग हैं, उन सब का ब्यौरा, वो कल तक यहॉ पर सब के सामने लेकर आएं।

अध्यक्ष महोदयः अन्तिम, श्री नरेश बाल्यान जी।

श्री नरेश बाल्यानः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी प्रश्न संख्या 54 का उत्तर देने कष्ट करें।

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की बिंदापुर में हॉस्पिटल बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हॉ, तो उस पर कब तक काम शुरू हो जाएगा;

(ग) क्या यह सत्य है कि उत्तम नगर के बिंदापुर एरिया में एक डिस्पेंसरी बनकर तैयार है;

(घ) यदि हॉ, तो यह कब तक जनता के लिए काम करना शुरू कर देगी;

(ङ) क्या मोहन गार्डन में अस्पताल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हॉ, तो कहॉ और कब तक इस पर काम शुरू हो जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 54 का जवाब प्रस्तुत है:

(क) जी हां,

(ख) दादा देव मातृ अस्पताल की तर्ज पर मातृ और बाल अस्पताल का निर्माण करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन दिनांक 15/2/2018 को पीडब्लूडी को दिया गया है;

(ग) जी नहीं, लेकिन सरकार द्वारा बिंदापुर पॉकेट–3, द्वारका स्थित, दिल्ली सरकार के औषधालय की इमारत में पॉलिक्लीनिक खोला जाना है जिसके संदर्भ में विभिन्न विभागों/संस्थानों जैसे; लोक निर्माण विभाग, दिल्ली स्टेट इंडटस्ट्रियल एवं इंफ्रास्ट्रकचर कारपोरेशन लिमिटिड, फॉरेंसिक साईस लेब और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से जरूरी विभागीय कार्रवाई जारी है;

(घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार;

(ङ) जी नहीं, मोहन गार्डन में अस्पताल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है;

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदयः हॉ, बाल्यान जी,

श्री नरेश बाल्यानः अध्यक्ष जी, इसमें जो प्रश्न नं. 54 का 'क' है, इसमें एक टाइम लिमिट कि कब तक इसके टेंडर हो जाएंगे, कब काम शुरू हो जायेगा?

स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की रिक्वेस्ट के उपर ये प्रोजेक्ट सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। इसका पूरा प्रोसिजर है कि सबसे पहले इसका कंसल्टेंट एप्वाइंट होगा, ड्राइंग्स बनेंगी, उसको बहुत सारे डिपार्टमेंटों से पास होना होता है; एमसीडी से, अर्बन डेवलपमेंट कमीशन से, सब जगह से पास होगा, उसके बाद टेंडरिंग का समय बताया जा सकेगा।

श्री सोम नाथ भारतीः कितना समय लग जाएगा मंत्री जी, इसमें, कोई टाईम लिमिट?

स्वास्थ्य मं्त्रीः अध्यक्ष महोदय, एक्पीरिएंस तो बुरा ही है। सब जगह से कहते हैं, जो अप्रूवल्स मिलती हैं, सालों लगते हैं। और मुझे लगता है अगर कोई ऐसा कोई तरीका हो कि जैसे आरटीआई का जवाब एक महीने में आ जाता है या किसी भी प्रश्न का जवाब इस डेट तक आता है,

अधिकारियों को भी ऐसे बॉधा जा सके। जैसे कि इतने दिन में ये काम हो जाए, इतने दिन में ये काम हो जाए, तभी कुछ हो पाएगा। अलग–अलग डिपार्टमेंट हैं, इसमें एक डिपार्टमेंट नहीं है। एमसीडी से नक्शे पास होने हैं, डीयूएसबी से होने हैं। तो उसके लिए समय सीमा निर्धारित करना मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदयः 280 नरेश बाल्यान। नारायण दत्त जी, प्लीज, अंतिम है ये, प्रश्न संख्या 55 हॉ, नारायण दत्त जी। बस हो गया अब बैठिए प्लीज।

श्री सत्येन्द्र जैनः अध्यक्ष महोदय, जो बिंदापुर के अंदर पॉलिक्लिनिक बनाने का, उसको जल्दी स्टार्ट कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदयः भई इसमें कोई सप्लीमेंटरी अलाउ नहीं करूंगा समय हो गया है मुझे अभी आधा घंटे में 280 कंप्लीट करने हैं बात को समझिए थोड़ा सा सभी। हॉ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नारायण दत्त जी, बैठ जाइए। दो मिनट बैठ जाइए। हॉ नारायण जी...

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, दूसरा पूरक प्रश्न है, उसके बारे में मैं ये चाहता हूॅ...

अध्यक्ष महोदयः मैं दे रहा हूॅ, समय। सोम दत्त जी, हम टोकाटाकी में बहुत समय खराब कर रहे हैं। सोम नाथ जी, प्लीज।

स्वास्थ्य मंत्रीः दूसरा, पूरक प्रश्न के बारे में मेरा ये कहना है कि जो पहले डिस्पेंसरी बनाई गयी थी, आदरणीय एमएलए साहब की रिक्वेस्ट पर उसको पोलीक्लिनिक में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो थोड़े बहुत उसमें काम करने होंगे, कुछ मशीनें लगानी होंगी, अधिकतम छः महीने के अंदर शुरू कर दिया जायेगा। कोशिश होगी, इससे जल्दी कर दिया जाए। अधिकतम छः महीने के अंदर शुरू कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदयः चलिए, बहुत बढ़िया। हॉ, अब नहीं प्लीज, नहीं, और नहीं, अब नहीं। अब कोई भई देखिए...

श्री नरेश बाल्यानः अध्यक्ष महोदय, मोहन गार्डन में जो हॉस्पिटल बनना था, उसकी फाइल भी आप लोगों ने भेजी है बनाके और आप लोग कह रहे है कि बनाने का कोई प्रपोजल ही नहीं है। आपके यहॉ भी, मुख्यमंत्री जी के यहॉ भी मीटिंग हुई है। उसको अप्रूवल दी थी उसमें। आप ये कह रहे हैं कि कोई मोहन गार्डन में हस्पताल बनाने का प्रपोजल है ही नहीं।

अध्यक्ष महोदयः क्या मोहन गार्डन में अस्पताल बनाने का कोई प्रस्ताव है?

श्री सत्येन्द्र जैनः जो ये बिल्डिंग वाला बताना है, जो बिल्डिंग बनी हुई है ? अध्यक्ष महोदय, जो बिल्डिंग है, वो अभी तक हैल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं हुई है, मेरी माननीय...

अध्यक्ष महोदयः बिल्डिंग किस डिपार्टमेंट की है?

श्री सत्येन्द्र जैनः ये अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रॉसफर होनी है। अभी तक ट्रॉसफर नहीं हो पाई है इसके ट्रॉसफर होने के बाद ही इसपे कोई कार्रवाई चालू की जा सकेगी।

अध्यक्ष महोदयः नारायण दत्त जी।

श्री नारायण दत्तः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करना है कि वह प्रश्न संख्या 55 का उत्तर देने की कृपा करें?

(क) क्या यह सत्य है कि बदरपुर विधानसभा में एक छोटा अस्पताल बनाने के लिए स्वीकृति दी गई थी; और

(ख) यदि हॉ, तो उसकी वर्तमान स्थिति सहित पूर्ण विवरण क्या है?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न सं. 55 का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) जी हां; और

(ख) माननीय नेशनल ग्रीन ट्ब्यिूनल के आदेशानुसार जोन ''ओ'' में कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा सकता, जिसके कारण मोड़बंद बदरपुर, दिल्ली में मातृ एवं शिशु अस्पताल का निर्माण कार्य स्वीकार नहीं किया जा सका।

श्री नारायण दत्तः मैं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूॅ कि इसी ओ जोन के 50 मी. के दायरे में 4–4 मंजिल के स्कूल बनाए हैं पीडब्ल्यूडी ने, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, इसी ओ जोन के बीच में ही ग्रिड बनाई है, जैन साहब ने उदघाटन किया है। इसमें लिखा हुआ है, 'माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार ओ जोन के अंदर कोई

विकास कार्य नहीं किया जा सकता।' उसके अंदर बारात घर भी बन रहे हैं, उसके अंदर स्कूल भी बन रहे हैं, उसके अंदर 55 करोड़ रुपये की लागत से ग्रिड भी बन रही है। और मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, तीन साल पहले भी ये क्वेश्चन मैंने लगाया था। इस ओ जोन में छः लाख लोग, रहने वालों को इलाज का अधिकार नहीं है क्या? और कोई आइडिया नहीं है आपके पास इसमें पालीक्लिनिक ही बन जाए? भई 100 बेड का बनना था, फिर छोटा बनेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलीक्लिनिक तो बन सकता है ओ जोन में?

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसको देखा जाएगा कि क्या तरीका है, बिल्कुल सही बात है कि ओ जोन के अंदर बहुत सारे... मैं खुद गया था इनके इलाके में। हजारों घर बने हुए हैं, वहॉ पर हजारों घर बने हुए हैं और जहॉ तक इलैक्ट्रिक सबडिवीजन की बात है, इलैक्ट्रिक लाईंस और सब स्टेशंस ओ जोन के अंदर एलाउड है, उसमें मतलब दिक्कत नहीं है। पर इसके बारे में देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। क्योंकि घर तो हैं ही, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं देना जरूरी है और मैं सहमत हूँ आदरणीय सदस्य के साथ। तो इसके बारे में विचार किया जाएगा, क्या हो सकता है।

श्री नारायण दत्तः लेकिन विचार जल्दी कर लेना जी। तीन साल निकल गए, विचार करते करते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः 280 नहीं, अब नहीं। देखो अमानतुल्लाह जी, माननीय मंत्री जी खड़े हैं, अब अमानतुल्लाह जी, प्लीज अभी उसका उत्तर भी नहीं

होगा उनके पास। पुष्कर जी बैठिए। न बैठ जाइए प्लीज। प्लीज अमानतुल्लाह जी, रिक्वेस्ट मानिए, बैठिए प्लीज। अमानतुल्लाह जी। माननीय मंत्री जी, अभी विजेन्द्र गुप्ता जी ने जो आरंभ में एक क्वेश्चन उठाया था एल्कॉन पब्लिक स्कूल का, उसका उत्तर दे रहे हैं।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

43. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी : क्या **सामान्य प्रशासन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के मंत्रियों और विधायकों के विदेशी दोरों के संबंध में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं;

(ख) पिछले 20 वर्षों में दिल्ली सरकार के मंत्रियों और विधायकों के विदेशी दोरों का विवरण क्या है;

(ग) दिल्ली सरकार के मंत्रियों और विधायकों के विदेशी दोरों का मंत्रियों, विधायकों और उनके साथ जाने वाले अधिकारियों के नाम, विदेशी दोरें से वापस आने की तिथि, जिन शहरों एवं देशों का दौरा किया गया उनके नाम सहित वर्षवार क्या है; और

(घ) पिछले 20 वर्षों में प्रत्येक दौरे पर कुल कितना खर्चा किया गया?

सामान्य प्रशासन मंत्री : (क) से (घ) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है/सूचना एकत्रित होने पर सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

44. श्री ओमप्रकाश शर्मा : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हेडगेवार अस्पताल में पीपीपी मॉडल पर स्थापित किए गए डायलसिस सेंटर का वर्तमान स्टेटस क्या है;

(ख) इस सेंटर पर कौन–कौन से उपकरण लगाये गये है;

(ग) इस सेंटर की कितने मरीजों का डायलसिस करने की क्षमता है;

(घ) मरीजों को अपनी बारी आने के लिए कितने समय प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ङ) इस सेंटर पर कितने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ लगाये गये हैं; और

(च) क्या इस सेंटर पर समुचित संख्या में स्टाफ उपलब्ध है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) वर्तमान में डायलसिस सेंटर पूरी तरह से काम कर रहा है।

(ख) हेमाडयलेसिस मशीनें और संबंधित उपकरण।

(ग) प्रतिदिन 60 मरीज।

(घ) पंजीकरण के 1 से 3 महीने बाद।

(ङ) वेन्डर द्वारा भर्ती, 2 डॉक्टर एम.बी.बी.एस. (2 पाली के लिए प्रत्येक 8 घंटे की), 1. विजिटिंग नेफ्रोलॉजिस्ट (सप्ताह में तीन दिन) 15 पैरामेडिकल स्टाफ (2 पाली के लिए, प्रत्येक 8 घंटे की)

(च) जी हां।

51. सुश्री भावना गौड : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार द्वारा यात्रियों को बस आने के वास्तविक समय की सूचना देने हेतु बस स्टाप्स/सेल्टर्स पर इलेक्ट्रानिक पैसेंजर इन्फार्मेशन सिस्टम (पीआईएस) लगाने का निर्णय सर्वप्रथम कब लिया गया;

(ख) इस परियोजना के लिए कितने बस क्यू शेल्टर्स चुने गए;

(ग) उपरोक्त वर्ष के पश्चात, परियोजना के लिए आवंटित वार्षिक बजट, इस परियोजना के लिए हुए वार्षिक खर्च, जिन बस शेल्टर्स पर यह सिस्टम लगाया गया उनकी संख्या, जिन बस शेल्टर्स पर ये सिस्टम चालू है और बसों के आने के संबंध में सही सूचना दे रहा है, सहित वर्षवार विवरण क्या है; और

(घ) यह पता लगाने के लिए की क्या ये इलेक्ट्रॉनिक पीआईएस बोर्ड्स चालू हालत में है और सही सूचना दे रहे हैं कितनी बार इसका ऑडिट किया गया, वर्षवार विवरण दें;

परिवहन मंत्री : (क) परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 06.05.2011 को डिम्ट्स (DIMTS) और एक प्राईवेट एजेन्सी के साथ इस कार्य के लिए 5 वर्षों के लिए समझौता किया गया।

(ख) इस योजना में 500 बस क्यू शैल्टर्स पर पीआईएस बोर्ड लगाने का प्रावधान था।

(ग) इस परियोजना के लिए विशेष रूप से बजट राशि आबंटित नहीं की गई थी। 160 बस क्यू शैल्टर्स पर पीआईएस बोर्ड को लगाया गया है। पीआईएस बोर्ड पर आने वाली सूचना पीआईएस की तकनीकी गुणवत्ता एवं जीपीएस सिस्टम द्वारा प्राप्त सिगन्लों की वास्तविक स्थिति पर निर्भर करता है। परिवहन विभाग और डिम्ट्स के अंतर्गत जीपीएस/एवीएलएस सिस्टम के सुचारू रूप से न चलने के कारण पीआईएस बोर्ड पर आने वाली सूचना की गुणवत्ता प्रभावित हुई जिसके कारण अन्य बीक्यूएस पर नहीं लगाया जा सका। पीआईएस को लगाने वाली कम्पनी को जनवरी, 2013 तक समझौते के अनुसार निम्न भुगतान किया गया हैः—

1. वर्ष 2011—12 में दिनांक 28.03.2012 को 6,17,228/— रुपए का भुगतान किया गया।

2. वर्ष 2012—13 में दिनांक 06.11.2012 को 12,73,401/— रुपए का भुगतान किया गया। एवं 26.03.2013 को 11,49,736/— रुपए का भुगतान किया गया।

(घ) कोई ऑडिट नहीं किया गया।

56. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों के कल्याण हेतु दिल्ली भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पास कितना फंड उपलब्ध है।;

(ख) वर्तमान वित्त वर्ष में किए गए चार्च सहित योजनानुसार पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) प्रशासनिक कार्यों पर कितनी राशि खर्च की गई एवं वह कुल खर्च का कितना प्रतिशत है;

(घ) वर्तमान वर्ष में कितने श्रमिक पंजीकृत किए गए;

(ङ) इस बोर्ड के गठन से लेकर अब तक कितने श्रमिकों को मातृत्व लाभ दिया गया;

(च) पेंशन दिये जा रहे जीवित श्रमिकों की संख्या;

(छ) श्रमिकों के आश्रितों की संख्या जिन्हें पेंशन दी जा रही है;

(ज) उपकरणों को खरीदने हेतु कितने श्रमिकों को और कितनी राशि दी गई।

(झ) कितने श्रमिकों को विक्लांगता पेंशन दी जा रही है।

(ञ) पिछले तीन वर्षों में कितने श्रमिकों को साईकिल वितरित की गई; और

(ट) वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान प्रशासनिक कार्यों एवं श्रमिक कल्याण में प्रत्येक पर कितनी राशि खर्च की गई;

उपमुख्यमंत्री : (क) दिल्ली भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पास 31 जनवरी, 2018 तक के ब्यौरा अनुसार रु. 23,32,60,83,337/– की राशि उपलब्ध है।

(ख) वर्तमान वित्त वर्ष में 31 जनवरी, 2018 तक किए गए खर्च का विवरण इस प्रकार है:–

कुल खर्च की गई धन राशि – रु. 73,49,22,625/–

प्रशासनिक कार्यों पर किया गया खर्च – रु. 3,48,19,359/–

कल्याणकारी योजनाओं पर किया गया खर्च – रु. 70,01,03,266/–

मृत्यु लाभ – 2,52,15,000/–

अंतोष्टि लाभ – 25,03,840/–

छात्रवित्त लाभ (बोर्ड द्वारा) – 1,08,47,930/–

छात्रवित्त लाभ (शिक्षा निदेशालय द्वारा) – 61,00,000/–

विवाह लाभ – 2,16,49,000/–

पेंशन लाभ – 84,97,636/–

चिकित्सा लाभ – 9,860/–

प्रसूति लाभ – 2,13,80,000/–

(ग) बोर्ड द्वारा वर्ष 2017–18 में 31 जनवरी, 2018 तक प्रशासनिक कार्यों पर कुल रु. 3,48,19,359/– खर्च किया गया। जो कि प्रशासनिक कार्यों एवं कल्याणकारी योजनाओं पर किए गए खर्च रु. 73,49,22,625 (रुपये तिहत्तर करोड़ उन्नचास लाख बाईस हजार छः सौ पच्चीस) का 04.76 प्रतिशत है

(घ) वर्तमान वर्ष 2017–18 (जनवरी, 2018 तक) 62,663 श्रमिक पंजीकृत किए गए है।

(ङ) बोर्ड के गठन से लेकर अब तक 1,783 श्रमिकों को मातृत्व लाभ दिया गया है।

(च) पेंशन दिये जा रहे जीवित श्रमिकों की संख्या 146 है।

(छ) दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों नियम 2002 के अंतर्गत आजतक किसी भी श्रमिकों के आश्रितों द्वारा कोई भी आवेदन नहीं किया गया। अतः किसी को भी आश्रित को पेंशन नहीं दी जा रही है।

(ज) बोर्ड द्वारा 31 जनवरी, 2018 तक 4 श्रमिकों को उपकरण खरीदने हेतु कुल रु. 20,000/– राशि दी गई है।

(झ) बोर्ड द्वारा 31 जनवरी, 2018 तक 2 श्रमिकों को विक्लांगता पेंशन दी जा रही है।

(ञ) बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों में किसी भी श्रमिक को साईकिल वितरित वितरित नहीं की गई है।

(ट) बोर्ड द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान प्रशासनिक कार्यों पर कुल रु. 3.01 करोड़ एवं श्रमिक कल्याण पर कुल रु. 19.41 करोड़ खर्च किया गया। एवं वर्ष 2017–18 (31 जनवरी, 2018 तक) प्रशासनिक कार्यों पर कुल रु. 3.48 करोड़ एवं श्रमिक कल्याण पर कुल रु. 70.01 करोड़ खर्च किया गया।

Monthly Expenditure Statement For the Year 2017-18

Admin Expenditure as on 31/01/2018

Sl. No.	Month	Apr-17	May-17	|un-17	Iul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Total
1	Printing Press		1,16,500	20,56,916	2,64,989		3,31,580					27,69,985
2	Incentive (Union)	2,37,700		10,83,950	11,03,750							24,25,400
3	Salary	28,46,031	23,38,052	28,58,424	27,75,754	26,77,077	30,22,435	27,91,085	27,66,774	24,40,107	24,81,933	2,69,97,672
4	Vehicle (Repair)	36,745	20,021	45,892		42,140	53,457	1,500		20,304		2,20,059
5	Stationary	71,122	15,186	2,38,734	82,844	1,659	16,236	11,630			1,994	4,39,405
6	Legal Fee/ Audit Fee		3,45,613	3,51,400		85,150		10,540			3,800	7,96,503
7	Telephone Exp.	18,583	19,128	15,454	34,444	30,170	27,466	32,511	31,025	29,119	32,722	2,70,622
8	Meeting Exp.		12,850	1,241			11,714				300	26,105
9	Petrol			68,665		53,281					32,391	1,54,337
10	Postage & Telegram								20,000			20,000
11	Printer Repair & Maintenance/ Toner Refilling					13,394		2,36,300			16,740	2,66,434
12	Office Exp.	1,291			1,978		8,875	2,320		9,150	3,822	27,436
13	Conveyance	21,388	14,300	24,600	14,233		12,520	10,465	10,674	15,650	12,960	1,36,790
14	Advt.											-

15	Fixed Assets/ computer Purch.			38,800		50,689						89,489
16	Others (Carriage Exp.)				6,465	1,559	1,500	1,200				10,724
17	Bank Charges					4,484		1,433	2,351	1,4 66	1,680	11,419
18	Water Bill		4,320	2,170	3,220	1,050						10,760
19	Reimb. to Officers										1,36,764	1,36,764
20	Appeal Filling Fees										2,000	2,000
21	Books & Periodicals									7,455		7,455
Total		32,32,860	28,85,970	67,86,246	42,87,677	29,60,653	34,85,783	30,98,989	28,30,824	25,23,251	27,27,106	3,48,19,359
Payment of Income Tax Penalty/Demand											20,16,60,625	20,16,60,625

Monthly Expenditure Statement For the Year 2017-18

Welfare Expenditure as on 31/01/2018

Sl. No.	Month	Apr-17	Mar-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Advance to DOE	52,00,00,000									9,00,00,000	61,00,00,000
2	Educational Assistance	4,40,371	5,24,147	12,80,172	17,89,504	5,74,218	7,99,659	3,26,248	97,562	36,85,639	13,30,410	1,08,47,930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Death Benefit	19,00,000	15,50,000	24,50,000	19,50,000	38,15,000	15,00,000	24,50,000	14,00,000	54,00,000	28,00,000	2,52,15,000
4	Funeral Benefit	1,91,520	1,55,820	2,45,000	1,76,080	3,83,380	1,50,920	2,46,300	1,40,940	5,32,460	2,81,420	25,03,840
5	Marriage Benefit	22,34,000	11,09,000	18,07,000	34,88,000	31,59,000	17,02,000	26,87,000	18,71,000	15,46,000	20,46,000	2,16,49,000
6	Pension Benefit	4,59,807	5,10,614	5,38,106	8,22,371	10,53,436	8,67,954	16,59,898	8,34,828	5,71,014	11,79,608	84,97,636
7	Medical Benefit	3,000		2,000			4,600		260			9,860
8	Maternity Benefit	8,90,000	10,70,000	19,50,000	32,30,000	33,40,000	19,00,000	15,00,000	10,90,000	48,00,000	16,10,000	2,13,80,000
	Total	52,61,18,698	49,19,581	82,72,278	1,14,55,955	1,23,25,034	69,25,133	88,69,446	54,34,590	1,65,35,113	9,92,47,438	70,01,03,266

57. श्री ऋतुराज गोविंद : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक निर्माण विभाग, किराडी विधान सभा में रेलवें क्रासिंग पर अंडरपास बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है;

लोक निर्माण मंत्री : (क) यह कार्य लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नहीं आता है।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

58. श्री जगदीप सिंह : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वित्त में लोक निर्माण विभाग द्वारा एसी/28 में लिए गये सिविल वर्क्स का विवरण क्या है;

(ख) पिछले दो वित्त वर्षों 2016–17 व 2017–18 के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों का उनकी संख्या नाम और वर्कआर्डर सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान जिन कामों के इस्टीमेंट सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए गए और जो टेन्डर प्रक्रिया होने की प्रतिक्षा कर रहें हैं उनके नंवर व नाम सहित विवरण क्या है;

(घ) पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान जिन कामों के टेन्डर आमंत्रित कर दिए गये हैं परन्तु जिन पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है उनकी संख्या व नाम का उनके पूर्ण होने की संभावित तिथि व वर्कआर्डर सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ङ) पिछले वित्त वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा एसी/28 में लिए गये इलेक्ट्रिकल वर्क्स का विवरण क्या है;

(च) पिछले दो वित्त वर्षों 2016–17 व 2017–18 के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों का उनकी संख्या नाम और वर्कआर्डर सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(छ) पिछले 2 वित्त वर्षों के दौरान जिन कामों में इस्टीमेंट सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए गए और जो टेन्डर प्रक्रिया होने की प्रतिक्षा कर रहें हैं उनके नंवर व नाम सहित विवरण क्या है;

(ज) पिछले 2 वित्त वर्षों के दौरान जिन कामों के टेन्डर आमंत्रित कर दिए गये हैं परन्तु जिन पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है उनकी संख्या व नाम का उनके पूर्ण होनें की संभावित तिथि व वर्कआर्डर सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(झ) पिछले दो वित्त वर्षों 2016–17 व 2017–18 के दौरान लोक निर्माण विभाग की वागवानी साखा द्वारा एसी–28 में किए गए कार्यों का वहां किए गये पौधा रोपण, वहां दिए गए पानी के टेंकर्स, पौधों को जीवित रखने के लिए की गयी कार्यवाई व इन सभी कार्यों के वर्कआर्डर सहित पूर्ण विवरण क्या है;

लोक निर्माण मंत्री : (क) सिविल वर्क्स कार्यों का विवरण संलग्न–I में दिया गया है।

(ख) पूर्ण किए गए कार्यों का विरण संलग्नक–II में दिया गया है।

(ग) रिपोर्ट शून्य समझी जाये।

(घ) रिपोर्ट शून्य समझी जाये।

(ङ) वैद्युत कार्यों का विवरण संलग्न–A में दिया गया है।

(च) वैद्युत कार्यों का विवरण संलग्न–B में दिया गया है।

(छ) वैद्युत कार्यों का विवरण संलग्न–C में दिया गया है।

(ज) वैद्युत कार्यों का विवरण संलग्न–D में दिया गया है।

(झ) **2016–17 में टेंडर द्वारा**

1. पौधारोपण पर – 5.00 लाख
2. पानी के टैंकर – 3.00 लाख
3. पौधों को जीवित रखना – 1.50 लाख

2017–18 में टेंडर द्वारा

1. पौद्यारोपण पर – 9.50 लाख
2. पानी के टैंकर – 0.30 लाख
3. लाजवन्ती फ्लाईओवर – 2.00 लाख
4. पौधों को जीवित रखना – 2.00 लाख

Total Works

2016-17 **Annexure-I**

Sl. No.	Agmt. No.	Name of work	Agency
1	2	3	4
1	9	A/R & M/G Various roads under PWD West Road Division 1, New Delhi dg. 2016-17. (SH: Desilting of storm water drains under Subhash Nagar and Hari Nagar West Road Sub Division-11 (Sec. II).	M/s Sanjay Kaura
2	15	A/R & M/O Various roads under PWD West Rond Division 1, New Delhi dg. 2015-17. (SH: Desilting of storm water drains under Janakpurl B Block and Hari Nagar West Road Sub Divlsion-11 (Sec. I).	M/s Ramesh Chander
3	21	A/R & M/O various roads under West Road Division-I, New Delhi during 2016-17. (SHs: Repair of drain & berms Shadley Public School, H.No. 13/100-101 to H.N0. 14/42 Subhash Nagar under West Road Sub Division-11)	M/s Globe Builders
4	34	A/R & M/O various roads under Sub Division WR-11, West Road Division-1, New Delhi dg. 2016-17. (SH: Repair of footpath at DA-DB Block Hari Nagar.)	Jeetender Kumar Verma
5	51	A/R & M/O Various roads under PWD Division WR-1, New Delhi dg. 2016-17. (SH: Cleaning and chockage of pipe drain/culverts under Sub Division West Road-11 (Sec I & II)	Ram Charan Bansal
6	55	A/R & M/o Various roads under PWD Division WR-I, New Delhi during 2016-17. (SHs: Providing & Installation of signage on various roads under Sub Division WR-11.)	Upender Singh

1	2	3	4
7	78	A/R & M/O various roads under PWD Division West Road-I, New Delhi dg. 2016-17. SH: Repair of footpath, central verge & drains etc. on various roads under West Road Sub Dlvlsfon-I11	Kulwant Singh
8	84	A/R & M/O various roads under PWD Division West Road-I, New Delhi dg, 2016-17. SH: Patch Repair & Filling of Pot holes on various roads under West Road Sub Dlvlsion-11,	Sanjay Kaura
9	101	A/R & M/o various roads under PWD Division West Road-1 New Delhi dyrlng 2016-17. SH: Painting Kerb Stones and Central Verge including railings on the occasion of Deepawali Festival under West Road sub Division-11.	Sh. Gurpreet Singh
10	103	A/R & M/O various roads under PWD Division West Road-1, New Delhi dg, 2016-17, (SH: Providing speed breaker & thermoplastic paint on various roads under sub division-11, New Delhi.)	Sh. Ramesh Chander
7	84	A/R & M/0 various roads under PWD, West Road Division-1, New Delhi dg. 2017-18. (SH: Misc. Repair works of Jail Road under West Road Sub Division-11.)	Sh. Sanjay Kaura
8	87	A/R & M/O various reads under PWD Division West Road-1, New Delhi dg. 2017-18 (SH: Remodeling of drain at Vedie Marg from Tandoor Chowk to Mukund Lal Katyal Marg. Under Sub-Division WR-11.)	M/s Nand Kishore Yadav
9	91	A/R & M/O various roads under PWD Division West Road-1, New Delhi dg. 2017-18. (SH: Repair of drain at Major Rajeev Lal Marg under Sub Division WR-11).	Sh. Rajpal Sehgal

1	2	3	4
10	93	A/R &. M/O various roads under PWD Division West Road-1 New Delhi during 2017-18. (SH: Repair of footpath & drain at Sardar Kulwant Singh Sethi Marg under Sub Division WR-11).	M/s. R.S. Builders
11	96	A/R & M/o Various roads under Division WR-1, New Delhi during 2017-18. (SH: Repair of drain at Shaheed Mangal Pandey Marg from Hari Nagar Clock Tower to Beriwala Bagh under Sub Division WR-11).	Shri Kishan Singhal
12	110	A/R & M/O various roads under PWD Division WR-1 New Delhi during 2017-18 (SH: Repair of footpath & drain near Sport Complex Hari Nagar & Goswami Tulsi Dass Marg under Sub Division WR-11).	M/s C.D. Enterprises
12	151	Providing and fixing Outdoor fitness equipment at Kesho Park DDA Park, Subhash Nagar, Block No. 17 in Hari Nagar Constituency, New Delhi.	M/s V.K. Associates
13	155	A/R & M/O Various roads under PWD Division WR-1, New Delhi during 2016-17. (SH: Providing and fixing road furniture on various roads under Sub Division WR-11.)	Sh. Rajpal Sehgal
2017-18			
1	4	A/R & M/O Various roads under PWD Division West Road-1, New Delhi during 2016-17. (SH: Painting Kerb Stones and Central Verge including railings on the various occasions under West Road Sub Division-11.)	Sh. Bhupinder Singh
2	10	A/R & M/O Various roads under Division West Road-1, New Delhi during 2016-17, (SH: Repair of footpath, central verge and drain near B2 Black Jawakpurl at Bharam Marg under Sub Division WR-11)	M/s Shree Vishnu Steel Works

1	2	3	4
3	31	A/R & M/O Various Road under PWD West Road Division 1, New Delhi during 2017-18. (SH: Desilting of storm water drains under West Road Sub Division-11.)	M/s Shree Vishnu Steel Works
4	47	A/R & M/O Various roads under Sub Division, WR-11 Division West Road-1 New Delhi during 2017-18. (SH: improvement and Beautiftcation work of area under Lajwanti Flyover on Jail Road, Sub Division WR-11).	M/s Globe Builders
5	49	A/R & M/O Various roads under PWD Division West Road-1 New Delhi during 2017-18. (SH: Providing & Fixing M.S. Grill and C/o footpath from Janak Setu to Toe of Lajwanti Flyover.) under sub division WR-11.	Sh. Deepanshu Sharma
6	70	A/R & M/O various roads under PWD Division West Road-1, New Delhi dg, 2017-18. (SH: Providing and installation of signage's on various roads under Sub Division WR-11).	M/s Sethi Constructions
7	84	A/R St M/O various roads under PWD, West Road Division-1, New Delhi dg. 2017-18. (SH: Misc. Repair works of Jail Road under West Road Sub Division-11.)	Sh, Sanjay Kaura
8	87	A/R &. M/O various roads under PWD Division West Road-1, New Delhi dg. 2017-18 (SH: Remodeling of drain at Vedic Marg from Tandoor Ghowk to Mukund Lal Katyal Marg. Under Sub-Division WR-11.)	M/s Nand Kishore Yadav
9	93	A/R & M/O; various roads under PWD Division West Road-1 New Delhi during 2017-18. (SH: Repair of footpath & drain at Sardar Kulwant Singh Sethi Marg under Sub Division WR-11).	M/s. R.S. Builders

(ङ) पिछले 2 वित्त वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा एसी–28 में लिए गए इलेक्ट्रिकल वर्क्स का वर्क ऑर्डर सहित विवरण क्या है।

Annexure-A

Sl. No.	Name of Work	Agency	
2016-17			
1	Running operation swimming pool L-Block, School, Hari Nagar	M/s N.K. Engg. Works	Completed
2	MOEI & Fans (SH: Repairing of El Works by SBV Subhash Nagar L-Block Hari Nagar)	M/s R.S. Electric Co.	Completed
3	Renovation of School Building at RPBVV B-Block, Hari Nagar (SH: Repairing & Replacement of El & Fans)	M/s Krishna Electricals	Completed
4	MOEI & Fans Street lights in 252 DA Flat Hari Nagar New Delhi (SH providing El and Fans Newly Const., balcony)	M/s Laxmi Electricals	Completed
5	Improvement of Illumination and improvement of El in Admn. Building at ITI Jail Road, New Delhi (SH providing El work and Fire Fighting Work)	M/s Rajasthan Decorators	Work Likely to be Completed 30-04-2018
6	Providing & Fixing LED fittings and Split AC in MP Hall at GGSSS School No. 1, Subhash Nagar, New Delhi (School ID 1515029)	M/s Saboor India	Work Completed
7	MOEI & fans Street light/security light at 252 DA flat Hari Nagar, New Delhi (SH: Electical Maintenance)	M/s Shashank Electricals	Work likely to be Completed 30-04-2018

Sl. No.	Name of Work	Agency	
8	Maintenance of El & fans including stree light & Security light, RMO pump set, ITI at Jail Road, Hari Nagar, New Delhi (SH: Maintenance of El & fans & operation of Pump set and Sub-station)	M/s Sumer Enterprises	Work in progress
9	EOR to ITI Jail Road Hari Nagar New Delhi construction of SPS type 5 rooms in GF and 5 rooms in FF (Electrical Works)	M/s Krishna Electrical	Completed
10	Providing, installation of decorative lighting poles at two round about near Shadley Public School, Subhash Nagar under Hari Nagar Constituency, New Delhi	M/s Electro Mech Engineers	Completed
2017-18			
1	Running operation swimming pool at L-Block Hari Nagar	M/s Geeta Enterprises	Completed
2	Renovation of Works Shop No. 1 & 2 at ITI Hari Nagar, New Delhi	M/s Sigma Radio & Elect. Corp.	Work likely to be completed 30-04-2018
3	Up gradation of lighting system in 6 No. Labs at ITI Hari Nagar, New Delhi	M/s Shashank Enterprises	Work likely to be completed 30-04-2018
4	Providing & Fixing Split AC & MP Hall & Conference room at RPBV BE Block Hari Nagar, New Delhi	M/s Electro Mech Engineers	Completed

Sl. No.	Name of Work	Agency	
5	Renovation of Works Shop No. 1 & 2 at ITI Hari Nagar, New Delhi. (SH SITC of Fans & Fittings)	M/s Nidhi Enterprises	Work likely to be completed 30-04-2018
6	MOEI & Fans including Security lights & street lights pumps sets at ITI Hari Nagar, New Delhi. (SH: Proving El in Work Shops)	M/s R.S. Electric Co.	Work likely to be completed 30-04-2018
7	Providing & Fixing Split AC & Proper Lighting in MP Hall at SBV Ashok Nagar, New Delhi (School ID: 1515002)	M/s Electro Mech Engineers	Completed
8	SITC of 125 KVA DG Set with AMF Panel, Distribution board and cabling at ITI Jail Road, New Delhi (SH: Electical Work)	M/s Electro Mech Engineers	Completed
9	STC of voice communication server (EPBAX System) in ITI Jail Road, Hari Nagar, New Delhi-110064	M/s Image Communication System	Work likely to be completed 15-05-2018
10	Operation and Maintenance of 200 LPH RO Plant Installed at GGSSS No. 1, Subhash Nagar	M/s A to Z Engineers	Work in process date of completion 15-03-2019
11	Supplying, Installation, Testing & Commissi-oning of one No. 500 LPH RO System with water cooler, Ex., Fan and rewiring in coridor Govt. Girl Sr. Sec. School, Ashok Nagar, Delhi (Wiring Work)	M/s Krishna Electrical	PG Letter Issued (Work likely to be competed up to 15-05-2018)

Sl. No.	Name of Work	Agency	
12	Supplying, Installation, Testing & Commissi-oning of one No. 500 LPH RO System with water cooler, Ex., Fan and rewiring in coridor Govt. Girl Sr. Sec. School, Ashok Nagar, Delhi (RO Work)		Tender Uploaded (Work likely to be competed up to 15-05-2018)
13	Provision of El and fans i/c PA system in Conference Room, Principal Room, Toilet and Corridor etc. in Sarvodaya Bal Vidyalaya, Subhash Nagar, New Delhi (School ID: 1515003)		Tender in process (Work likely to be completed up to 31-05-2018)
	Total - 13 Nos.		
	G. Total (2016-17 + 2017-18) 23 Nos.		

(च) पिछले 2 वित्त वर्षों 2016—17 व 2017—18 के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों का उनकी संख्या नाम और वर्क ऑर्डर सहित पूर्ण विवरण क्या है।

Annexure-B

Sl. No.	Name of Work	Agency	
2016-17			
1	Running operation swimming pool L-Block, School, Hari Nagar	M/s N.K. Engg. Works	Completed
2	MOEI & Fans (SH: Repairing of El Works by SBV Subhash Nagar L-Block Hari Nagar)	M/s R.S. Electric Co.	Completed

Sl. No.	Name of Work	Agency	
3	Renovation of School Building at RPBVV B-Block, Hari Nagar (SH: Repairing & Replacement of El & Fans)	M/s Krishna Electricals	Completed
4	MOEI & Fans Street lights in 252 DA Flat Hari Nagar New Delhi (SH providing El and Fans Newly Const., balcony)	M/s Laxmi Electricals	Completed
5	Providing & Fixing LED fittings and Split AC in MP Hall at GGSSS School No. 1, Subhash Nagar, New Delhi (School ID 1515029)	M/s Saboor India	Work Completed
6	EOR to ITI Jail Road Hari Nagar New Delhi construction of SPS type 5 rooms in GF and 5 Rooms in FF (Electrical Works)	M/s Krishna Electrical	Completed
7	Providing, installation of decorative lighting poles at two round about near Shadley Public School, Subhash Nagar under Hari Nagar Constituency, New Delhi	M/s Electro Mech Engineers	Completed
	Total - 7 Nos.		
2017-18			
1	Running operation swimming pool at L-Block Hari Nagar	M/s Geeta Enterprises	Completed
2	Providing & Fixing Split AC & MP Hall & Conference room at RPBV BE Block Hari Nagar, New Delhi	M/s Electro Mech Engineers	Completed
3	Providing & Fixing Split AC & Proper Lighting in MP Hall at SBV Ashok Nagar, New Delhi (School ID: 1515002)	M/s Electro Mech Engineers	Completed
4	SITC of 125 KVA DG Set with AMF Panel, Distribution board and cabling at ITI Jail Road, New Delhi (SH: Electical Work)	M/s Electro Mech Engineers	Completed

Annexure-C

(छ) पिछले 2 वित्त वर्षों के दौरान जिन कामों के इस्ट्रीमेंट सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए गए और जो टेण्डर प्रक्रिया होने की प्रतीक्षा कर रहें हैं उनके नंबर व नाम सहित विवरण क्या है।

Sl. No.	Name of Work	Agency
2016-17		
	--- Nil ---	
2017-18		
1	Provision of El and fans i/c PA system in Conference Room, Principal Room, Toilet and Corridor etc. in Sarvodaya Bal Vidyalaya, Subhash Nagar, New Delhi (School ID: 1515003)	DE in Progress
	Total - 1 No.	
	G. Total (2016-17 + 2017-18) - 1 No.	

Annexure - D

(छ) पिछले 2 वित्त वर्षों के दौरान जिन कामों के टेण्डर आमंत्रित कर दिए गए परन्तु जिन पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है उनकी संख्या व नाम का उनके पूर्ण होने की सम्भावित तिथि व वर्क ऑर्डर सहित पूर्ण विवरण क्या है।

Sl. No.	Name of Work	Agency
2016-17		
	--- Nil ---	
2017-18		
	--- Nil ---	

59. श्री महेन्द्र गोयलः क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिठाला विधानसभा में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कब तक काम शुरू हो जाएगा;

(ग) वहां कितने सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने हैं; और

(घ) यदि ऐसी कोई योजना नहीं है तो उसके क्या कारण है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां, रिठाला विधानसभा एवं दिल्ली के अन्य सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आर.डब्ल्यू.ए. व मार्केट एसोसिएशन में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की योजना है।

(ख) 15 जून, 2018 तक काम शुरू हो जाने की संभावना है।

(ग) हर विधानसभा क्षेत्र में 2000 सी.सी.टी.वी कैमरे लगाने का प्रावधान है।

(घ) शून्य, जैसा कि प्रश्न संख्या 'क' से स्पष्ट है।

60. श्री महेंद्र यादव : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय सहायता हेतु बोर्ड को कितने आवेदन प्राप्त हुए है;

(ख) वित्तीय सहायता हेतु कितने आवेदन स्वीकृत हुए;

(ग) कितने आवेदकों को अभी तक कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई;

(घ) क्या ऐसे कोई आवेदनकर्ता हैं, जिनके आवेदन स्वीकृत हुए परंतु जिन्हें अभी तक वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे मामलों की स्वीकृति की तिथि सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(च) ऐसे मामलों के प्रत्येक आवेदन को कब तक वित्तीय सहायता प्राप्त हो जाएगी? और

(छ) इस योजना के लाभार्थियों की रोजगार के संदर्भ में लाभार्थियों और उनके परिजनों सहित संख्या क्या है?

उद्योग मंत्री : (क) से (छ)

राजीव गांधी स्वाबलंबन रोजगार योजना 2017–18	प्रधनमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2017–18
1	2
53	13225
13	144
13 रु. 34.08 लाख	56 रु. 72.19 लाख
जी नहीं	जी हां

1	2
उपरोक्तानुसार	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की मानीटरिंग क्षेत्रीय कार्यालय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा की जाती है। संबंधित विभाग की बेवसाइट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में बैंक को फारवर्ड किए गए आवेदनों में से बैंक ने केवल 144 प्रकरणों में ऋण दिया जा चुका है। जबकि 88 मामले अभी तक बैंक में लंबित है। ऐसे मामलों की जिलावार विवरण संलग्न है।
ऋण स्वीकृति के लिए बोर्ड प्रत्येक प्रकरण में दस्तावेज पूरे करने के बाद ऋण स्वीकृत करता है।	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में ऋण स्वीकृति का अंतिम अधिकार बैंक के अधीन है। बैंक ऋण स्वीकृति और उसके बाद आवश्यक प्रक्रिया के बाद ऋण प्रदान करता है।
250 अनुमानित	755 अनुमानित

PMEGP Performance Bank Detail

PMEGP e-Tracking System

Agency KVIB KVIC Zone North State/Office Delhi (All) District All From Date 01-APR-2G17 To Date 14-MAR-2018

Row ID	Name	Forwarded to Bank		Sanctioned by Bank		Margin Money Claimed		Disbursement Made by Nodal Branches		No of Applications Rejected by Bank		Pending at Bank		Pending for MM Disbursement	
		No. of Prj.	MM Involve (In Lakh)	No. of Prj.	MM Involve (In Lakh)	No. of Prj.	MM Involve (In Lakh)	No. of Prj.	MM Involve (In Lakh)	No. of Prj.	MM Involve (In Lakh)	No. of Prj.	MM Involve (In Lakh)	No. of Prj.	MM Involve (In Lakh)
(A)	(B)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)	(U)
1)	Delhi Central	159	179.19	19	20.3	6	4.93	6	5.18	69	76.74	71	79.95	1	0.5
2)	Delhi East	175	176.98	19	18.18	14	13.28	11	9.63	79	74.76	81	83.67	3	3.65
3)	Delhi North	263	367.75	11	16.93	6	8.31	4	5.35	123	169.63	133	184.69	2	2.96
4)	Delhi North-East	215	257.86	12	16.91	6	8.72	4	8.05	143	177.23	60	62.3	2	0.67
5)	Delhi North-West	190	215.26	13	15.8	10	12.45	6	6.45	73	74.88	112	132.38	4	6
6)	Delhi South	139	132.38	14	15.7	6	6.24	4	3.49	58	53.13	70	67.5	2	2.75

(A)	(B)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)	(U)
7)	Delhi South West	190	220.44	12	15.11	3	5.38	4	7.38	77	92.91	103	117.8	0	0
8)	Delhi South East	91	109.4	9	10.7	3	4.9	3	4.9	32	28.7	50	70.05	0	0
9)	Delhi West	158	178.27	21	19.92	7	5.25	3	2.41	71	88.8	72	74.07	4	2.84
10)	New Delhi	30	28.27	4	5.14	1	1.18	1	1.18	15	10.32	14	15.95	0	0
11)	Shahdara	63	77.84	10	18.17	10	18.17	10	18.17	35	39.64	24	31.7	0	0
12)	Total	1673	1943.64	144	172.86	72	88.81	56	72.19	775	886.74	790	920.06	18	19.37

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

115. श्री अजय दत्त : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर नगर में मेट्रो का प्रस्तावित रूट क्या होगा, इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) इस रूट पर कार्य कब से शुरू किया जायेगा;

(ग) कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(घ) कुल कितने मेट्रो स्टेशन अम्बेडकर नगर में बनाए जायेंगे; और

(ङ) मेट्रो कहां–कहां पर जमीन के नीचे से और कहां पर जमीन के ऊपर से गुजरेगी?

परिवहन मंत्री : (क) दिल्ली मेट्रो के अनुसार एसोसिटी से तुगलकाबाद तक का कॉरीडोर, फेस–IV की योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। इस रूट पर एक एलिवेटेड मैट्रो स्टेशन, अर्थात् अम्बेडकर नगर बनाने की योजना बनाई गई है। इंडेक्स प्लान इसके साथ संलग्न है। हालांकि, इस प्रस्ताव का अनुमोदन अभी नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) दिल्ली मैट्रो के फेस–IV प्रोजेक्ट का डिटेलड प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिल्ली सरकार तथा भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है। चूंकि इस प्रस्ताव का अनुमोदन अभी तक नहीं किया गया है, इसलिए इसके आरंभ तथा अंतिम तिथि की जानकारी केवल दोनों सरकारों की स्वीकृति के बाद ही निर्धारित की जाएगी।

(घ) एरोसिटी से तुगलकाबाद तक के मैट्रो कॉरीडोर पर एक एलिवेटेड मैट्रो स्टेशन, अर्थात् अम्बेडकर नगर स्टेशन प्रस्तावित है।

(ङ) एरोसिटी से तुगलकाबाद तक के मैट्रो कॉरीडोर रूट का संरेक्षण (अंडर ग्राउंड/एलिवेटेड) इस प्रकार हैः—

क्र.सं.	संरखण के खंड	संरेखण के प्रकार (एनिवेटेड/अंडर—ग्राउंड)	स्टेशन के नाम
1.	एरोसिटी—लाड़ो सराय (सहित)	अंडर—ग्राउंड	दिल्ली एसोसिटी, महीपालपुर, वंसत कुंज सैक्टर—डी, मसूदपुर, किसान गृह, महरौली लाड़ो सराय
2.	लाड़ो सराय (छोड़कर) —संगम विहार/टिगरी (सहित)	एलिवेटेड	साकेत, साकेत जी ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, खानपुर, संगम विहार/टिगरी
3.	टिगरी (छोड़कर)— तुगलकाबाद (सहित)	अंडर—ग्राउंड	आनंदमयी मार्ग जंक्शन, तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी तुगलकाबाद

116. श्री अजय दत्त : क्या **परिहवन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में दिर्ली में नए बस क्यू शेल्टर बनाने के लिए कितनी बार निविदाएं जारी की गई है;

(ख) इन निविदाओं का मुख्य ब्यौरा क्या था और इनका परिणाम क्या रहा;

(ग) कितने नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाने की योजना था;

(घ) क्या ये निविदाएं सफल रहीं;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त सभी निविदाए प्रक्रियाओं के दौरान सचिव/आयुक्त परिवहन तथा डीटीआईडीसीएल के प्रबंधन निदेशक कौन थे?

परिवहन मंत्री : (क) विगत पांच वर्षों में दिल्ली में नए बस क्यू शेल्टर बनाने के लिए निविदाएं चार बार जारी की गई हैं।

(ख) आधुनिक बस क्यू शेल्टर्स (सरकारी निजी कंपनी भागीदारी द्वारा) बनाने हेतु निविदाएं नवम्बर, 2013, जून, 2014, फरवरी, 2015 व दिसम्बर, 2017 में भी आमंत्रित की गई थी, परन्तु इन निविदाओं के द्वारा कोई भी सफल आवेदन नहीं मिला।

(ग) 1397 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाने की योजना थी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) इन निविदाओं के द्वारा कोई भी सफल आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(च)

निविदा का समय	सचिव/आयुक्त परिवहन	प्रबंधक निदेशक डी.टी.आई.डी.सी.एल.
नवम्बर, 2013	श्री पी.के. गोयल	श्री पी.के. गोयल
जून, 2014	श्री ज्ञानेश भारती	श्री ज्ञानेश भारती
फरवरी, 2015	श्रीमती गीतान्जली गुप्ता	श्रीमती गीतान्जली गुप्ता
दिसम्बर, 2017	श्रीमती वर्षा जोशी	श्री के. के. दहिया

117. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सेन्टर फॉर साइंस एन्ड एन्वायरमेंट द्वारा डीटीसी के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसमें डीटीसी के प्रबन्धन की आलोचना की गई है;

(ख) इस रिपोर्ट के मुख्य पहलुओं का विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि रिपोर्ट के अनुसार गत चार वर्षों में डीटीसी के यात्रियों में 35 प्रतिशत की कमी आई है;

(घ) गत चार वर्षों में डीटीसी में यात्रियों की वर्ष वार कितनी संख्या रही है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि सरकार ने चुनाव पूर्व 5000 डीटीसी की गई बसें खरीदनें का वायदा किया था;

(च) यदि हां तो तीन वर्षों के कार्यकाल में अब तक सरकार ने कितनी बसें खरीदी हैं;

(छ) हर रोज़ कितनी बसें डीटीसी डिपों में बेकार खड़ी रहती हैं; और

(ज) सड़क पर बस खराब होने की स्थिति में उसको ठीक करने की सरकार की क्या व्यवस्था है?

परिवहन मंत्री : (क) जी हां।

(ख) इस रिपोर्ट के मुख्य पहलुओं का विवरण निम्न प्रकार है:—

1. दि.प.नि. के प्रतिदिन यात्रीभार में भारी कमी।
2. यात्री भार को अधिक अनुमानित किया जाना।
3. बसों की भारी कमी।
4. गैरभरोसेमंद बस सेवा।
5. बसों के बेड़े के सदुपयोंग में कमी।
6. कलस्टर बसों की संख्या कम होने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन।
7. कष्टदायक लागत भार।
8. बसों पर लगने वाला टैक्स कारों से भी अधिक।
9. बसों पर लगने वाली टैक्स मेट्रों से भी अधिक।
10. बसों के 'अग्रिगेटर मॉडल का एक अच्छा विकल्प बनकर उभरना।

(ग) जी नहीं, दि.प.नि. की प्रकाशित सांख्यकी आकडों के अनुसार गत चार वर्षों में डीटीसी के यात्रियों में 24.37 प्रतिशत की कमी पाई गई है।

(घ) दि.प.नि. की प्रकाशित सांख्यकी आकड़ों के अनुसार गत चार वर्षों में डीटीसी में यात्रियों की वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार हैः–

वर्ष	दि.प.नि. औसत यात्री भार प्रतिदिन (लाख में)
2012–13	46.77
2013–14	43.47
2014–15	38.87
2015–16	35.37

(ङ) जी नहीं।

(च) तीन वर्षों के कार्यकाल में अब तक दिल्ली परिवहन निगम ने काई भी नई बस नहीं खरीदी है।

(छ) दिल्ली परिवहन निगम के डिपों में कोई भी बस बेकार खड़ी नहीं रहती है बल्कि बसों को अनुसूची मरम्मत एवं रख रखाव के कार्य के लिए बस को वर्कशॉप में रोका जाता है इसके अतिरिक्त कभी–कभी सांय पारी में चालकों एवं संवाहकों द्वारा अकस्मात डयूटी पर न आने के कारण बस परिचालित नहीं हो पाती है।

(ज) बस को सड़क पर खराब होने की स्थिति में दि.प.नि. के द्वारा एक विशेष कार्य योजना बनाई गई है जिससे सर्विस प्रोवाइडर द्वारा उस बस को तुरन्त मरम्मत करने के निर्देश दिए गये है अतः उनके द्वारा बस

को तुरन्त मरम्मत किया जाता है या बस को स्थान से हटाया जाता है ताकि यातायात बाधित न हो।

118. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है, इनका विस्तृत विवरण क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार ने सार्वजनिक परिवहन की बसों में सुरक्षा गार्ड तैनात करने का वायदा किया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक डीटीसी की बसों में कितने गार्ड तैनात किये गये हैं?

परिवहन मंत्री : (क)

1. महिलाओं की सुरक्षा हेतु दिल्ली परिवहन निगम की बसों में होम गार्ड, सिविल डिफेन्स तथा दिल्ली परिवहन निगकम के मार्शल तैनात किये गये है।
2. दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है।
3. सभी महिला यात्रियों को किसी भी परेशानी से बचने के लिए उन्हें बस में अगले द्वार से चढ़ने की सुविधा प्रदान की गई है।

4. महिलाओं की सुविधा हेतु कुछ रूटों पर महिला विशेष बसों पर परिचालन किया गया है।

5. दिल्ली परिवहन निगम की सभी लो–फ्लोर बसों में उपलब्ध इलैक्ट्रोनिक डिस्प्ले बोर्ड पर वूमैन हैल्प लाइन नम्बर का प्रसारण लगातार बस परिचालन के दौरान किया जाता है।

6. दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अपने सभी चालक, संवाहक, सुपरवाईजरी स्टाफ तथा बसों में तैनात सभी मार्शलों को यह निर्देश दिये गये हैं कि बस में ड्यूटी के दौरान यदि किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी जैसी घटना घटित होती है तो पुलिस सहायता लेने हेतु बस को तुरंत निकटवर्ती पी.सी.आर. वैन/पुलिस असिस्टैन्स बूथ या निकटवर्ती पुलिस स्टेशन ले जायें।

(ख) जी हां।

(ग) दिनांक 13.02.2018 के अनुसार दिल्ली परिहवन निगम की बसों में 463 होमगार्ड मार्शल, 1600 सिविल डिफेन्स मार्शल तथा 90 दिल्ली परिवहन निगम मार्शल तैनात हैं।

119. श्री ऋतुराज गोविन्द : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य हे कि किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में बहुत कम बस शेल्टर्स हैं और वे भी अत्यंत ही दयनीय स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस क्षेत्र में आवश्यकतानुसार नये बस शेल्टर्स बनाने पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसका पूर्ण क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

परिवहन मंत्री : (क) जी हां, दिल्ली परिवहन निगम द्वारा पूव्र में किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए बस क्यू शेल्टर्स के पुनःनिर्माण की आवश्यकता है।

(ख) जी हां।

(ग) आधुनिक बस क्यू शेल्टर्स (सरकारी निजी कंपनी भागीदारी द्वारा) बनाने हेतु निविदाएं नवम्बर, 2013, जून, 2014, फरवरी, 2015 व दिसम्बर, 2017 में भी आमंत्रित की गई थी, परन्तु इन निविदाओं के द्वारा कोई भी सफल आवेदक नहीं मिला। किराड़ी विधान सभा के बस क्यू शेल्टर्स के पुनःनिर्माण करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

120. श्री ऋतुराज गोविन्द : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किराड़ी विधानसभा में डी.टी.सी. के किन–किन रूटों पर कितनी बसें चल रही हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि पहले की तुलना में वर्तमान में बसों की संख्या में कमी आयी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए बसों की संख्या में वृद्धि करने पर क्या विचार कर रही है?

परिवहन मंत्री : (क) वर्तमान में किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में रूटों पर 15 बसे व 6 विशेष फेरे (2 रात्री फेरे व 4 अतिरिक्त फेर) अनुसूचित हैं। जिनका रूट के अनुसार विवरण परिशिष्ट—क पर है।

(ख) जी हां, निगम के बेडें में साधारण फ्लोर बसों के स्क्रैप होने के कारण इस क्षेत्र के रूटों में बसों की संख्या में कमी आयी है।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम के बेडें में बसों की वृद्धि होने पर किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी सर्वे के उपरान्त बसों में वृद्धि करने पर विचार किया जायेगा।

परिशिष्ट क

Details of Bus Routes in kirari Vidhan Sabha Constituency

Route Originating & Passing through Kirari Vidhan Sabha Constituency

Route No.	From	To	No. of Buses
1	2	3	4
921 Ext	Mubarak pur Dabas	ISBT	3
979	Mubarak Pur Dabas	Narela Terminal	2
991	Mubarak Pur Dabas	Shivaji Stadium/Karam Pura Terminal	10

1	2	3	4
0929	Old Delhi Railway Stn.	Mubarak Pur Dabas	2 Trip (2305,0020)
	Total		15

Spl. Trips

567 Ext.	Mubarak Pur Dabas	Nehru Place	0650,0735
567 Ext.	Nehru Place Terminal	Mubarak Dabas	1700,1810

Summary:

No. of Buses	15
No. of Night Trip	2
No. of Spl. Trips	4

121. श्री महेंद्र गोयल : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिनांक 24/08/2016 को सरकार द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के खंड (ग) के जवाब में रिठाला विधानसभा में 40 बस क्यू शैल्टर लगाने के लिये चार माह का समय लगने की बात कही गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या ये सभी बस क्यू शैल्टर लग गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

परिवहन मंत्री : (क) दिनांक 24.08.2016 को सरकार द्वारा अतांराकित प्रश्न संख्या 51 के खण्ड ग में निम्नलिखित उत्तर दिया गया था।

''निविदाए आमन्त्रित करने की प्रक्रिया विचाराधीन है व निविदाए प्राप्त होने के 3–4 माह के भीतर शेल्टर लगा दिए जाएगें।''

(ख) निविदाएं सफल न होने के कारण ये बस क्यू शैल्टर्स अभी तक नहीं लगे है।

(ग) आधुनिक बस क्यू शेल्टर्स (सरकारी निजी कंपनी भागीदारी द्वारा) बनाने हेतु निविदाएं नवम्बर, 2013 जून, 2014 फरवरी, 2015 व दिसम्बर, 2017 में भी आमंत्रित की गई थी, परन्तु इन निविदाओं के द्वारा कोई भी सफल आवेदक नहीं मिला।

(घ) निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् सफल आवेदक निश्चित होने पर ही समय सीमा बताई जा सकती है।

122. श्री महेंद्र गोयल : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिनांक 22.01.2018 को डिपो प्रबंधक रोहिणी डिपो–3 द्वारा रिठाला विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर–16, सेक्टर–11 व मंगोलपुरी वाई ब्लाक से बुध विहार के रूट का सर्वे किया गया है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उस सर्वे की रिपोर्ट डिपो प्रबंधक रोहिणी डिपो–3 द्वारा आर.एम. (उत्तर) को भेज दी गई थी; और

(ग) वर्तमान में रिपोर्ट के अनुसार सभी रूटों को चालू करने पर की जा रही कार्रवाई का विस्तृत विवरण क्या है?

परिवहन मंत्री : (क) जी हां, इस विषय में डिपों प्रबन्धक रोहिणी डिपो–3 द्वारा सर्वे करवाया गया था।

(ख) जी हां, यह रिर्पोट क्षेत्रीय प्रबन्धक (उत्तर) के माध्यम से यातायात विभाग, सिन्धिया हाउस को प्राप्त हुई थी।

(ग) इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने से पहले मामले को क्षेत्रीय प्रबन्धक (उत्तर) के पास दिनांक 15.02.2018 को लो–फलोर बस के द्वारा रूट के परिचालन की संभावना हेतु पुनः जांच के लिए भेजा गया है, जैसे ही जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी, इस विषय पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

123. श्री राम चन्द्र : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिठाला से बवाना तक मैट्रो रूट का कार्य बंद होने का क्या कारण है; और

(ख) इस रूट की मैट्रो का निर्माण कार्य कब तक शुरू और कब तक पूरा होना प्रस्तावित है?

परिवहन मंत्री : (क) रिठाला से बवाना होते हुए नरेला तक का मैट्रो कॉरीडोर की योजना दिल्ली मैट्रो फेस–IV के अंतर्गत है।

दिल्ली मैट्रो के फेज–IV प्रोजेक्ट का डिटेलड़ प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिल्ली सरकार तथा भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है। जिसका अनुमोदन करना अभी बाकी है।

(ख) फेस–IV की आरंभिक तथा अंतिम तिथि की जानकारी केवल सरकार की स्वीकृति के बाद ही निर्धारित की जाएगी।

124. श्री राम चंद्र : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवहन विभाग में स्टाफ के कुल कितने स्वीकृत पद हैं;

(ख) आज की तारीख में इनमें से किनते पद भरे हुए हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों में परिवहन विभाग द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए कितने प्रस्ताव लाए गए हैं;

(घ) इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव में कितने–कितने पद भरे जाने अपेक्षित थे; और

(ङ) इन वर्षों में सचिव/आयुक्त परिवहन निदेशक कौन थे?

परिवहन मंत्री : (क) परिवहन विभाग में स्टाफ के कुल 1492 पद स्वीकृत है।

(ख) आज की तारीख में इनमें से नियमित रूप से 515 पद भरे हुए है।

अनुबंध के आधार पर भरे हुए पदः–

1.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	90
2.	असिस्टेंट प्रोग्रामर	02
3.	पैदल सिपाई	269
	कुल	361

कुल भरे हुए पद : 515+361=876

(ग) विगत वर्षों में परिवहन विभाग द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए भेजे गए सूची संलग्न है।

सीधी भर्ती	:	350
प्रतिनियुक्ति	:	68
कैडर	:	150

(ङ) सूची संलग्न है। संलग्न है। संलग्नक ख।

संलग्नक क

सीधी भर्ती के प्रस्ताव

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	प्रस्तावक विवरण
1.	पैदल सिपाई	200	F.No. 4(253)/09/Admn/Tpt/10501 dated 20.12.2012
2.	प्रधान सिपाई	99	F.No. 1(108)/DSSSB/P&P2009/170-7210501 dated 01.03.2018
3.	मोटर वाहन निरीक्षक	34	F9(39)/ADmn/Tpt/7223-24dated 28.08.2009 &
			F9(39)/ADmn/Tpt/10342-24dated 21.12.2012 .08.2009 &
4.	प्रदूषण स्तर परीक्षण निरीक्षक	17	F No. 4 (140)/ADmn/Tpt/2018/514-515 dated 19.01.2018

प्रति नियुक्ति के प्रस्ताव

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	प्रस्तावका विवरण
1.	प्रवर्तन अधिकारी	68	F.G/CC/Enf/Tpt/06/4126-28 dated 25.06.2008
2.	निरीक्षक (प्रवर्तन)		F. N. 2(37)/09Admn/Tpt/7762-64 /dated-10.09.2009
3.	उप निरीक्षक		F. No. 2(36)/09Admn/Tpt/780-790/ dated-12.02.2016

दास कैडर के खाली पदों को भरने के लिये निम्नलिखित प्रस्ताव सेवा विभाग को भेजे गये

क्र सं.	प्रस्ताव का विवरण	पदों की संख्या
1.	F. No. 4(632)/Tpt/Admn/2014/4371 dated - 10.08.2015	करीब 150
2.	F. No. 1(32)/2008/Admn/Tpt/Voll. III/Seccctpt/ 208 dated - 07.09.2015	करीब 150
3.	F. No. 1(32)/2008/Admn/Tpt/Voll. III/Seccctpt/ 253 dated - 05.10.015	करीब 150
4.	F. No. 4(71)/Admn/Tpt/2016/Seccc/455 dated - 02.09.2016	करीब 150
5.	F. No. 4(129)/Admn/Tpt/2016/736 dated - 25.01.2018	28 नये स्वीकृत पद

संलग्न ख

सचिव व आयुक्त की सूची (परिवहन विभाग)
01.01.2008 से

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	सचिव व आयुक्त के पद पर कार्य अवधि 01.01.2008 से
1	2	3
1.	श्री आर.के. वर्मा	18.02.208 से 01.07.2011
2.	श्री एम.एम. कुट्टी	02.07.2011 से 11.08.2011
3.	श्री चंदर मोहन	12.08.2011 से 31.10.2013
4.	श्री राजेन्द्र कुमार	01.011.012 से 31.01.2013
5.	श्री पुनीत कुमार गोयल	31.01.2013 से 30.12.2013
6.	श्री अरविंद राय	30.12.2013 से 07.01.2014
7.	श्री ज्ञानेश भारती	07.01.2014 से 06.02.2015
8.	श्री अश्वनी कुमार	06.02.2015 से 26.02.2015
9.	श्रीमती गीतांजली गुप्ता	27.02.2015 से 14.01.2015
10.	श्री परिमल राय	14.01.2015 से 10.03.2016
11.	श्री संजय कुमार	11.02.2016 से 01.08.2016

1	2	3
12.	श्री संदीप कुमार	02.08.2016 से 22.11.2016
13.	श्री विक्रम देव दत्त	23.11.2016 से 28.04.2017
14.	श्रीमती वर्षा जोशी	28.04.2017 से अभी तक

125. श्री एस के बग्गा : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में बस टर्मिनलों और अंजर्राज्यीय बस अड्डों की स्थिति बहुत खराब है;

(ख) इस समय दिल्ली में कितने बस टर्मिनल और अंतर्राज्यीय बस अड्डे चल रहे हें और वहां आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सचिव/आयुक्त परिवहन, विशेष सचिव परिवहन तथा मुख्य प्रबंध निदेशक डीटीसी ने प्रत्येक वर्ष में कितनी बार बस टर्मिनलों और अंतर्राज्यीय बस अड्डों का दौरा किया;

(घ) क्या उक्त दौरों के दौरान प्रत्येक दौरे की निरीक्षण रिपोर्टों और कार्रवाई रिपोर्टों का रिकॉर्ड रखा गया;

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(च) इन वर्षों के दौरान सचिव/आयुक्त परिवहन, विशेष आयुक्त परिवहन तथा मुख्य प्रबंध निदेशक डीटीसी के पदों पर कार्यरत अधिकारियों के नाम क्या हैं व उनका सेवाकाल कब से कब तक था;

(छ) विगत पांच वर्षों में डीटीसी बस टर्मिनलों के नवीकरण तथा पुनर्विकास के कितने प्रस्ताव लाए गए और कब लाए गए;

(ज) इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव की आजकी स्थिति क्या है;

(झ) विगत पांच वर्षों में अंतर्राज्यीय बस अड्डों के नवीकरण तथा पुनर्विकास के कितने प्रस्ताव लाए गए और कब लाए गए, और

(ञ) इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव की आज की स्थिति क्या है?

परिवहन मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) वर्तमान, दिल्ली में तीन अंतर्राज्जीय बस अड्डें परिचालन में हैं। इनमें से महाराणा प्रताप बस अड्डे (कश्मीरी गेट) में लगभग 1 लाख, स्वामी विवेकानन्द बस अड्डे (आनन्द विहार) में लगभग 1 लाख और वीर हकीकत राय बस अड्डे (सराय काले खां) में लगभग 30 हजार यात्री प्रतिदिन आते हैं।

(ग)

1. अध्यक्ष/मुख्य प्रबंध निदेशक कार्यालय रिकार्ड के अनुसार विगत पांच वर्षों में अध्यक्ष/मुख्य प्रबंध निदेशक डीटीसी द्वारा बस टर्मिनलों/आगार तथा सचिव/आयुक्त परिवहन, विशेष आयुक्त द्वारा किए गए दौरे का ब्यौरा निम्नलिखित हैः—

वर्ष	डीटीसी के दौरों की संख्या	बस अड्डों के दौरों की संख्या
1	2	3
2014	09	उपलब्ध नहीं।
2015	01	उपलब्ध नहीं।

1	2	3
2016	उपलब्ध नहीं	04
2017	24	05
2018	04	01

2. इसके अतिरिक्त समय—समय पर सचिव/आयुक्त परिवहन, विशेष सचिव परिवहन द्वारा अनौपचारिक रूप से अंतर्राज्जीय बस अड्डों का दौरा किया जाता है।

(घ) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार उपरोक्त प्रत्येक दौरे कि निरीक्षण रिपोर्ट का रिकार्ड इस कार्यलय में उपलब्ध हैं। कार्यवाही रिपोर्ट का रिकाउ्र इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि कार्यवाही रिपोर्ट को अध्यक्ष/मुख्य प्रबंध निदेशक द्वारा अवलोकन करने के बाद पुनः सम्बन्धित मु.म. प्रबन्धक को वापस भेज दिया जाता हैं।

बस अड्डों पर किये गये दौरों की निरीक्षण रिर्पोट कार्यवाही रिर्पोटों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ङ) दिल्ली परिवहन निगम से सम्बन्धित बस टर्मिलनों के दौरों का ब्यौरा परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

बस अड्डो के बारे में उपरोक्त (घ) में दिए उत्तर के अनुसार है।

उपरोक्त 'घ' के पैरा 2 के अनुसार।

(च) इस अवधि में परिवहन विभाग में निम्नलिखित अधिकारी कमिश्नर ट्रास्पोर्ट के पद पर तैनात रहेः—

कमिश्नर का नाम	अवधि कब से	अवधि कब तक
श्री आर. के. वर्मा	18.02.2008	01.07.2011
श्री एम. एम. कुट्टी	02.07.2011	11.08.2011
श्री चंद्र मोहन	12.08.2011	31.10.2012
श्री राजेन्द्र कुमार	01.11.2012	31.01.2013
श्री पुनीत कुमार गोयल	31.01.2013	30.12.2013
श्री अरविंद रे	30.12.2013	07.01.2014
श्री ज्ञानेश भारती	07.01.2014	06.02.2015
श्री अश्वनी कुमार	06.02.2015	26.02.2015
श्रीमती गीतांजली गुप्ता	27.02.2015	14.09.2015
श्री परिमल राय	14.09.2015	10.03.2016
श्री संजय कुमार	11.03.2016	01.08.2016
श्री संदीप कुमार	02.08.2016	22.11.2016
श्री विक्रम देव दत्त	23.11.2016	28.04.2017
सुश्री वर्षा जोशी	28.04.2017	अभी तक
स्पेशल कमिश्नर का नाम	अवधि कब से	अवधि कब तक
श्री एन. बालचन्द्रन	04.01.2006	23.05.2007
श्री ए. के. सिंह	25.05.2010	01.05.2011

स्पेशल कमिश्नर का नाम	अवधि कब से	अवधि कब तक
श्री पी. के. गुप्ता	29.08.2011	30.04.2012
श्री गामली पादू	26.12.2012	19.09.2013
श्री सतीश माथूर	13.09.2013	31.12.2014
श्री एस.के. सक्सैना	02.01.2015	15.01.2016
श्री के. के. दहिया	26.11.2015	अभी तक
श्री एस. बी. शशांक	31.11.2015	24.08.2016
श्री अंकुर गर्ग	29.12.2015	12.03.2016
श्री इन्दु शेखर मिश्रा	07.01.2016	03.08.2016
श्री संजय कुमार	15.03.2016	2016

दिल्ली परिवहन निगम में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पद पर कार्यरत रहें अधिकारियों के नाम व कार्यकाल का ब्यौरा इस प्रकार है।

नाम	से	तक
श्री राजीव वर्मा	24.01.2012	10.11.2013
श्री विजय कुमार	11.11.2013	31.12.2013
श्रीमती देबाश्री मुखर्जी	30.12.2013	30.03.2015
श्रीमती गीतान्जली गुप्ता	30.03.2015	15.06.2015
श्री सी. आर. गर्ग	16.06.2015	21.09.2016
श्री संदीप कुमार	22.09.2016	वर्तमान तक

(छ) बस टर्मिनलों के नवीनिकरण के दो प्रस्ताव लाऐ गये। ये प्रस्ताव 2013 व 2014 में लाए गये।

(ज) दो प्रस्तावों पर बस टर्मिनलों का नवीनीकरण कर दिया गया है।

(झ) विगत पांच वर्षों में अंतर्राज्यीय बस अड्डा कश्मीरी गेट, सराय काले खां और आनन्द विहार के नवीकरण तथा पुर्नविकास के नए प्रस्ताव नहीं लाए गए हलाकि वर्ष 2016 में कैबिनेट निर्णय संख्या 2416, दिनांक 30.08.2016 के अनुसार बस अड्उों के नवीकरण तथा पुर्नविकास का कार्य लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया।

(ञ) वर्ष 2016 में, कैबिनेट निर्णय संख्या 2416, दिनांक 30.08.2016 के अनुसार बस अड्डों के नवीकरण तथा पुर्नविकास का कार्य लोक निर्णय विभाग को स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में सरकार से उपर्युक्त आदेश लेने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

OFFICE OF THE COMMISSIONER (TRANSPORT)
TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF DELHI
5/9, UNDER HILL ROAD, DELHI-110054

Report on field visit for the week ending 18th August 2017

This is with reference to the circular dated 19.06.2017 of the Administrative Reforms Department on the issue of conducting field visits. The Anand Vihar ISBT was inspected by the undersigned on 18.08.2017. My observations are as under:

1. Ongoing civil works were found to be progressing as per given timelines.
2. It was noted that certain necessary improvement works have been left out of scope of work in the existing work order. ED (DTIDC) was asked to explore the possibility of including additional improvement works of emergent nature in the present running tender, to the extent permissible under rules.
3. The sweeping and sanitation arrangements had shown improvements since my last visit on 19.06.2017. ED (DTIDC) was directed to include strict cleanliness norms in the next tender for outsourcing of the sanitation arrangements at all the ISBTs including Anand Vihar.
4. The dust, pollution in the entire ISBT area was found to be severe. ED I (DTIDC) was instructed to procure mechanical vacuum cleaners and litter picker expeditiously.
5. It was observed that the area around the ambient air quality monitoring station of DPCC was unusually dusty. Directions were given to undertake I necessary improvements/civil works to control the dust around the centre.

(Varsha Joshi)
Secy-cum-Commissioner (Tpt.)

Chief Secretary
F. No. Seccctpt/1315-1316 Dated: 21.08.2017

NOO

1. MD (DTIDC)
2. ED (DTIDC)

126. श्री एस. के. बग्गा : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक परिवहन विभाग से संबंधित 3634 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 127 शिकायतें अभी भी लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 81 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित है, यदि हां तो इसका कारण क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि 1634 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्यवाही को संतोषजनक नहीं पाया गया है, यदि हां, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए;

(ङ) इन शिकायतों का समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं;

(च) निवारण के लिए ये शिकायतें किन–किन अधिकारियों के पास और कब–कब भेजी गईं, इसका विवरण प्रदान करें;

(छ) संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका विवरण प्रदान करें; और

(ज) इन शिकायतों का निवारण कितने समय में हो जाएगा?

खाद्य एवं सम्भरण मंत्री : (क) जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 27.02.2018 तक 3637 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 3558 शिकायतों का निर्वाण कर दिया गया जो कि कुल शिकायतों का 98 प्रतिशत है। दिनांक 27.02.2018 को कुल 79 शिकायते लम्बित थी।

(ख) दिनांक 27.02.2018 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार निर्धारित समय–सीमा से अधिक 75 शिकायतें लम्बित है। जिनके मुख्य कारण निम्नलिखित हैः–

1. कुल 28 शिकायतें ई–रिक्शा सब्सिडी से सम्बन्धित है। ई–रिक्शा सब्सिडी को प्रदान करने में 15 दिन से अधिक का समय लगता है अथवा शिकायतकर्ता के द्वारा पूर्ण जानकारी उपलब्ध न कराने के कारण भी विलम्ब होता है।

2. 12 शिकायतें नीतिगत मुद्दे है जिनका निवारण जन शिकयत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) पर निर्धारित समय द्वारा नहीं किया जा सकता।

3. 03 शिकायतें, सुझाव अथवा निवेदन है। जिनका निदान जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) द्वारा नहीं किया जा सकता।

4. 04 प्रशासनिक मामले।

5. 03 मामलों में 15 दिनों के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।

6. ऑटो रिक्शा यूनिट से संबंधित 5 मामले डिम्ट्स को भेज दिए गये है, अनुरोध की प्रतीक्षा है।

7. अन्य शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही है, और इन्हें जल्द से जल्द निपटा दिया जाएगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

(ङ) विभाग द्वारा नियमित तौर पर सभी शिकायतों को जांच (मॉनिटर) किया जाता है तथा उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर ज्ञापन देकर सभी शिकायतों को निर्धारित समय में निपटाने का आदेश दिया जाता है।

(च) निवरण के लिए शिकायतों को उसी प्रणाली के अंतर्गत ऑन–लाइन भेजा जाता है।

(छ) संबंधित अधिकारियों द्वारा शिकायतों के निवारण के लिए उचित कार्यवाही की जाती है।

(ज) अधिकाश शिकायतेां का निवारण कर दिया गया है।

127. श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने डीटीसी के प्रयोग के लिए डीडीए से भूमि का कब्जा ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन स्थलों पर कितने क्षेत्र का कब्जा लिया है;

(ग) सरकार को प्रत्येक भूखण्ड का कितना पैसा डीडीए को देना है;

(घ) इस समय सरकार के पास कितने डिपो हैं और इनमें कितनी बसों को स्थान दिया जा सकता है;

(ङ) सरकार कितनी नई बसें आगामी वित्तीय वर्ष में डीटीसी के बेड़े में जोड़ने जा रही है;

(च) इनके लिए किन–किन स्थानों पर नए डिपो बनाए जाने की योजना हैं; और

(छ) इनकी कितनी–कितनी क्षमता होगी?

परिवहन मंत्री : (क) रोहिणी सैक्टर 32 में डीडीए द्वारा बस डिपो के लियें एवं विकास पुरी में बस टर्मिनल के लिए आवंटित भूमि का परिवहन विभाग द्वारा कब्जा लेना शेष है।

(ख) वर्ष 2017 में रोहिणी सैक्टर 37 में डीडीए द्वारा दिनांक 19.03. 2012 को 49000 Squre Meter. आवंटित की गई भूमि का कब्जा परिवहन विभाग दिनांक 04.10.2017 को ले लिया गया है।

(ग) परिवहन विभाग द्वारा डीडीए के आबंटन पत्र के अनुसार किसी भी राशि का भुगतान नहीं करना हैं।

(घ) दिल्ली परिवहन निगम के पास इस समय 40 डिपो है। इन डिपो में 4361 बसों का स्थान है। कलस्टर बस सेवा के अर्न्तगत 11 बस डिपों प्रचालन में है जिसमें 1864 कलस्टर बसें पार्क की जाती है।

(ङ) डीटीसी के बेड़े में आगामी वित्तीय वर्ष में 1000 नई स्टैण्डर्ड साइज की बसें जोड़ने की योजना है।

(च) धुम्मनहेड़ा व मुडेला कलां में नए डिपो बनाने की योजना है।

(छ) धुम्मनहेड़ा डिपो में 345 बसें व मुडेला कला डिपो में 115 बसों की क्षमता होगी।

128. मो. इशराक : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में डीटीसी में विभिन्न ग्रेडों/स्तरों पर स्टाफ की स्वीकृत क्षमता कितनी रही, और इनमें से कितने पद भरे थे, वर्षवार तथा स्तरवार संख्या बताएं;

(ख) इन वर्षों में दिल्ली सरकार या डीटीसी की ओर से क्या रिक्तियों को भरने के लिए कोई प्रस्ताव लाया गया;

(ग) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन वर्षों के दौरान सचिव/आयुक्त परिवहन तथा मुख्य प्रबंध निदेशक डीटीसी के पदों पर कार्यरत अधिकारियों के नाम क्या हैं?

परिवहन मंत्री : (क) ग्रुप ए और बी के स्वीकृत पदों का विवरण इस प्रकार हैः—

वर्ष	स्वीकृत क्षमता (ग्रुप—ए एवं बी)	भरे पद
2013	424	192
2014	440	210
2015	438	197
2016	438	172
2017	437	145

ग्रुप सी और डीः—

वर्ष	स्वीकृत क्षमता (ग्रुप—सी एवं डी)	भरे पद
2013	39085	38783
2014	37453	34350
2015	34015	33494
2016	30679	30793
2017	33216	28260

(ख) रिक्त पदों को भरने के लिए की गई कार्यवाही की स्थिति इस प्रकार हैः—

1. डीएसएसएसबी के द्वारा 1005 खाली पदों को सीधी भर्ती के लिऐ दिल्ली सरकार से स्वीकृति मांगी गयी। सरकार ने 20 प्रतिशत

रिक्त पदों (201) को डीएसएसबी भरने के लिऐ स्वीकृति प्रदान की। इस सम्बन्ध में दिनांक 07.11.2014 की डीएसएसएसबी को भर्ती हेतु मांग भेजी गयी।

2. वर्ष 2017 में 783 रिक्त पदों की सीधी भर्ती के लिऐ दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी उनमें से 535 रिक्त पदों को भरने के लिए डीएसएसएसबी को दिनांक 27.11.2017 को प्रस्ताव भेज दिया गया। ग्रुप ए के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में प्रतिनियुक्ति (डेपुटेषन) के आधार पर भरने के प्रयास किए जा रहे है।

3. ग्रुप डी वर्ग में रिक्त पदों को भरने के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में आईसीएसआईएल (ICSIL) के साथ कार्यवाही की जा रही है।

4. ग्रुप डी वर्ग में (वर्कशॉप) रिक्त पदों को भरने के लिए मामला दिल्ली सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा हुआ है।

(ग) ग्रुप बी और सी के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में वर्तमान में डीएसएसएसबी के द्वारा कार्यवाही की जानी है।

(घ) इस अवधि में निम्नलिखित अधिकारी कमिश्नर ट्रांस्पोर्ट के पद पर तैनात रहे इसका ब्यौरा निम्न हैः–

कमिश्नर का नाम	अवधि कब से	अवधि कब तक
श्री पुनीत कुमार गोयल	31.01.2013	30.12.2013
श्री अरविंद रे	30.12.2013	07.01.2014

कमिश्नर का नाम	अवधि कब से	अवधि कब तक
श्री ज्ञानेश भारती	07.01.2014	06.02.2015
श्री अश्वनी कुमार	06.02.2015	26.02.2015
श्रीमती गीतांजली गुप्ता	27.02.2015	14.09.2015
श्री परिमल राय	14.09.2015	10.03.2016
श्री संजय कुमार	11.03.2016	01.08.2016
श्री संदीप कुमार	02.08.2016	22.11.2016
श्री विक्रम देव दत्त	23.11.2016	28.04.2017
सुश्री वर्षा जोशी	28.04.2017	अभी तक

विगत पांच वर्षों के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पदों पर कार्यरत अधिकारियों के नाम इस प्रकार से हैं:—

क्र.सं.	नाम	पद संज्ञा	से	तक
1.	श्री राजीव वर्मा	आईएएस, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	27.01.2012	10.11.2013
2.	श्री विजय कुमार	आईएएस, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	11.11.2013	31.12.2013
3.	श्रीमती देबाश्री मुखर्जी	आईएएस, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	30.12.2013	30.03.2015

क्र.सं.	नाम	पद संज्ञा	से	तक
4.	श्रीमती गीतान्जली गुप्ता	आईएएस, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	30.03.2015	15.06.2015
5.	श्री सीआर गर्ग	दानिक्स, प्रबन्ध निदेशक	16.06.2015	21.09.2016
6.	श्री संदीप कुमार	आईएएस, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेषक	23.09.2016	अब तक

129. श्री रघुविंद्र शौकीन : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में परिवहन विभाग द्वारा केवल सड़क सुरक्षा के मुद्दों पर कितनी राशि खर्च की गई है, वर्षवार ब्यौरा दें;

(ख) दिल्ली सकरार ने दिल्ली में लैप्स न होने वाली सड़क सुरक्षा निधि बनाने का निर्णय कब किया;

(ग) क्या इस संबंध में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई आदेश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा व उनके जारी होने की तिथि क्या है;

(ङ) क्या लैप्स न होने वाली सड़क सुरक्षा निधि बनाई गई है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) अन्य राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है;

(छ) इन वर्षों के दौरान प्रमुख उपलब्धियां क्या रहीं; और

(ज) इस दौरान सचिव/आयुक्त परिवहन तथा विशेष आयुक्त परिवहन के पद पर वर्षवार आसीन अधिकारियों के नाम क्या थे?

परिवहन मंत्री : (क) विगत 5 वर्षों में परिवहन विभाग द्वारा सड़क के मुद्दों पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्न हैः—

क्र.सं.	वर्ष	व्यय राशि
1.	2012—13	शून्य
2.	2013—14	18,868/—
3.	2014—15	19,840/—
4.	2015—16	3,62,659/—
5.	2016—17	3,91,979/—
	कुल योग	7,93,346/—

(ख) दिल्ली सरकार ने लैप्स न होने वाली सड़क सुरक्षा निधि बनाने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा कमिटी के निर्देश पत्र संख्या F. No 05/CoRS/2014 दिनांक 23.12.2014 का अनुपालन करनते हुए 08.07.2015 को लिया।

(ग) इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा की कमिटी द्वारा दिनांक 08.09.2017 को पत्र संख्या F. No 10/2014/CoRS निर्देश दिए गये थे सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस सम्बन्ध में रिट पैटिशन (सिविल) संख्या 295/12 दिनांक 30.11.2017 के द्वारा आदेश जारी किया है।

(घ) उपरोक्त (ग) में लिखित।

(ङ) दिल्ली सरकार ने लैप्स न होने वाले सड़क सुरक्षा निधि का मसौदा नियम तैयार कर दिया गया है और उसके मसौदा नियम का निरीक्षण योजना विभाग व वित्त विभाग, दिल्ली सचिवालय द्वारा करवाया गया।

(च) विचाराधीन है।

(छ) दिल्ली की सड़क सुरक्षा निधि के मसौदा नियम का निरीक्षण योजना विभाग व वित्त विभाग, दिल्ली सचिवालय द्वारा करवाया गया।

(ज) इस अवधि में निम्नलिखित अधिकारी कमिश्नर ट्रांस्पोर्ट और स्पेशल कमिश्नर ट्रांस्पोर्ट के पद पर तैनात रहे इसका ब्यौरा निम्न हैः—

कमिश्नर का नाम	अवधि कब से	अवधि कब तक
श्री आर. के. वर्मा	18.02.2008	01.07.2011
श्री एम. एम. कुट्टी	02.07.2011	11.08.2011
श्री चंद्र मोहन	12.08.2011	31.10.2012
श्री राजेन्द्र कुमार	01.11.2012	31.01.2013
श्री पुनीत कुमार गोयल	31.01.2013	30.12.2013
श्री अरविंद रे	30.12.2013	07.01.2014
श्री ज्ञानेश भारती	07.01.2014	06.02.2015
श्री अश्वनी कुमार	06.02.2015	26.02.2015
श्रीमती गीतांजली गुप्ता	27.02.2015	14.09.2015

कमिश्नर का नाम	अवधि कब से	अवधि कब तक
श्री परिमल राय	14.09.2015	10.03.2016
श्री संजय कुमार	11.03.2016	01.08.2016
श्री संदीप कुमार	02.08.2016	22.11.2016
श्री विक्रम देव दत्त	23.11.2016	28.04.2017
सुश्री वर्षा जोशी	28.04.2017	अभी तक

स्पेशल कमिश्नर का नाम	अवधि कब से	अवधि कब तक
श्री कुलदीप सिंह गांगर	12.12.2014	02.02.2016
श्री के. के. दहिया	02.02.2016	03.05.2016
श्री इन्दु शेखर	03.05.2016	09.08.2016
श्री अनिल बंका	09.08.2016	08.06.2017
श्री के. के. दहिया	08.06.2017	अभी तक

130. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने परिवहन विभाग की बुराड़ी इकाई में सीसीटीवी लगाने के लिए कोई निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये निदेश पहली बार कब दिए गए थे;

(ग) इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

परिवहन मंत्री : (क) जी हां।

(ख) दिनांक 16.06.2017 को माननीय परिवहन मंत्री महोदय, ने परिवहन कार्यालय, बुराड़ी का दौरा किया जिसमें उन्होंने वीआईयू, बुराड़ी में सीसीटीवी लगावानें हेतु निर्देश दिये।

(ग) सीसीटीवी कैमरें वीआईयू, बुराड़ी के कार्यालय परिसर में लगा दिये गये है तथा वे कार्यरत है।

(घ) यह कार्य पहले से ही पूरा कर दिया गया है।

131. श्री गुलाब सिंह : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में डीटीसी की प्रति बस प्रति किलोमीटर कुल राजस्व प्राप्ति के वर्षवार रुझान क्या रहे हैं;

(ख) उक्त का ब्यौरे की वर्षवार औसत स्टैंडर्ड फ्लोर बसों, लो फ्लोर गैरवातानुकुलित बसों, व लो फ्लोर वातानुकूलित बसों के संदभ्र में क्या रही है;

(ग) विगत पांच वर्षों में डीटीसी का प्रतिवर्ष प्रतिकिलोमीटर टिकिट (पास सहित) राजस्व के वर्षवार रुझान क्या रहे हैं;

(घ) उक्त का ब्यौरे की वर्षवार औसत स्टैंडर्ड फ्लोर बसों, लो फ्लोर गैरवातानुकुलित बसों, व लो फ्लोर वातानुकूलित बसों के संदर्भ में क्या रही है;

(ङ) इन वर्षों में डीटीसी के मुख्य प्रबंध निदेशक के पद पर आसीन अधिकारियों के नाम व उनका कार्यकाल बताएं?

परिवहन मंत्री : (क)

वर्ष	प्रति बस प्रति कि.मी. कुल राजस्व (रुपऐ में)
2012—13	37.46
2013—14	38.81
2014—15	38.62
2015—16	37.59
2016—17	35.63

नोट—उपरोक्त राजस्व में सरकार द्वारा रियायती पासों की अदायगी किराया वसूल, पुरानी गाड़ियों व अन्य सामानों की बिक्री, ब्याज व जुर्माना आदि सम्मिलित है।

(ख)

वर्ष	स्टैंडर्ड फ्लोर (रुपऐ में)	लो फ्लोर गैर वातानूकुलित (रुपये में)	लो फ्लोर वातानूकुलित (रुपये में)
1	2	3	4
2012—13	33.99	37.28	40.94
2013—14	34.51	38.62	42.73
2014—15	37.42	38.06	37.09

1	2	3	4
2015—16	39.89	37.15	37.09
2016—17	40.85	35.18	35.14

(ग)

वर्ष	प्रति बस प्रति किलोमीटर टिकट (पास सहित) राजस्व (रुपए में)
2012—13	32.36
2013—14	32.44
2014—15	31.25
2015—16	30.31
2016—17	29.75

वर्ष	स्टैंडर्ड फ्लोर (रुपऐ में)	गैर वातानूकुलित बसें (रुपये में)	वातानूकुलित बसें (रुपये में)
2012—13	27.40	32.72	36.14
2013—14	27.31	32.20	37.23
2014—15	27.66	30.72	34.41
2015—16	26.72	31.03	30.29
2016—17	24.89	30.17	29.53

(ङ) दिल्ली परिवहन निगम में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पद पर कार्यरत रहें अधिकारियों के नाम व कार्यकाल का ब्यौरा इस प्रकार है।

नाम	से	तक
श्री राजीव वर्मा	24.01.2012	10.11.13
श्री विजय कुमार	11.11.2013	31.12.2013
श्रीमती देबाश्री मुखर्जी	30.12.2013	30.03.2015
श्रीमती गीतान्जली गुप्ता	30.03.2015	15.06.2015
श्री सी. आर. गर्ग	16.06.2015	21.09.2016
श्री संदीप कुमार	22.09.2016	वर्तमान तक

132. श्री गिरीश सोनी : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने सभी डीटीसी बसों में जीपीएस इकाइयां लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब किया गया और सभी बसों में जीपीएस इकाइयां लगने की संभावित तिथि क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो कब और उनमें जीपीएस लगाने की अंतिम समय–सीमा क्या निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या जीपीएस को अनिवार्य रूप से सभी बसों में लगाने के संबंध में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भी कोई आदेश जारी किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो ये आदेश कब जारी किए गए थे;

(छ) इन आदेशों में जीपीएस लगाने की अंतिम समयसीमा क्या निर्धारित की गई है;

(ज) जिस वर्ष से दिल्ली सरकार ने बसों में जीपीएस लगाने का निर्णय किया है तब से कितनी बसों में जीपीएस इकाइयां कार्यरत हैं, वर्षवार ब्यौरा दें;

(झ) चालू हालत में डीटीसी बसों की संख्या व कार्यरत जीपीएस वाली बसों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ञ) इन वर्षों में सचिव/आयुक्त परिवहन, विशेष आयुक्त परिवहन तथा डीटीसी के मुख्य प्रबंध निदेशक के पदों पर कार्यरत अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ट) कार्यरत जीपीएस वाली बसों में गतिसीमा उल्लंघन के वर्षवार कितने मामले संज्ञान में आए हैं;

(ठ) इस मामलों में विभाग ने क्या कार्रवाई की है; और

(ड) गतिसीमा उल्लंघन के मामलों में कितने चालकों को 'कारण बताओं नोटिस' दिया गया और कितने चालकों को निलंबित किया गया?

परिवहन मंत्री : (क) जी हां, यह सत्य है कि डीटीसी बोर्ड ने सभी डीटीसी में जीपीएस इकाईयां लगाने का निर्णय किया है।

(ख) डीटीसी बसों में जीपीएस लगाने के निर्देष डीटीसी बोर्ड द्वारा दिनांक 27.03.2018 की बोर्ड मीटिंग में पारित किये गए। डीटीसी बोर्ड के

निर्देशों के अनुसार ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित वाहन ट्रेकिंग और यात्री सूचना प्रणाली (वीटी और पीआईएस) लागू करने के लिए आरएफपी दस्तावेज दिनांक 12.03.2018 है। आरपीएफपी दस्तावेज के अनुसार निविदा खुलने की तिथि 23.04.2018 है। इसलिए डीटीसी बसों में जीपीएस लगाने की संभावित तिथि दिसम्बर, 2018 है।

(ग) हां, इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी किये गए है।

(घ) इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने रिट पेटिशन (सिविल) न. 295 के निर्णय में दिनांक 30.11.2017 को पारित किये निर्देषो द्वारा सभी पब्लिक सर्विस वाहनों में लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस लगाने के आदेश दिए। इन आदेशों में भारत का राजपत्र GSR 1095(E) के के तहत समयसीमा अप्रैल, 2018 निर्धारित की गयी है।

(ङ) हां, जीपीएस को अनिवार्य रूप से सभी बसों में लगाने के संबंध में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा GSR 1095 (E) अधिसूचना में जीपीएस लगाने के आदेश जारी किए गए।

(च) ये आदेश 28 नवम्बर, 2016 को भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए।

(छ) इस आदेश में अन्तिम समयसीमा अप्रैल, 2018 निर्धारित है।

(ज) परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार और डिमटस के बीच 03.03.2010 के एक समझौते के माध्यम से डीटीसी बसों में जीपीएस डिवाइसों का उपयोग करते हुए स्वचालित वाहन स्थान प्रणाली (AVLS) लागू किया गया।

सिस्टम में कमियों को लेकर डिमटस को समझौते की शुरूआत से सूचित किया गया था। लेकिन डीटीसी द्वारा अंकित कमियों को डिमटस और परिवहन विभाग समेत उच्चतम स्तर पर जोरदार अनुवर्ती होने के वावजूद हटाया नहीं जा सका। इसी संदर्भ में परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार ने पहले ही 31.10.2013 को डिमटस को एवीएलएस परियोजना बन्द करने के लिए एक प्रारंभिक नोटिस जारी किया। तत्पश्चात परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार ने पत्र सं. F.51/STA/DTC Call/07/02/326 दिनांक 22/09/2017 द्वारा डिमटस का समाप्ति नोटिस सं. F.51/STA/DTC Call/07/02/323 दिनांक 21/09/2017 भेजा। उपरोक्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में डीटीसी की किसी भी बस में जीपीएस कार्यरत नहीं है।

(झ) उपरोक्त पैरा 'ज' में जवाब दे दिया गया है।

(ञ) इस अवधि में परिवहन विभाग में निम्नलिखित अधिकारी कमिश्नर ट्रास्पोर्ट के पद पर तैयार रहे।

कमिश्नर का नाम	अवधि कब से	अवधि कब तक
श्री आर. के. वर्मा	18.02.2008	01.07.2011
श्री एम. एम. कुट्टी	02.07.2011	11.08.2011
श्री चंद्र मोहन	12.08.2011	31.10.2012
श्री राजेन्द्र कुमार	01.11.2012	31.01.2013
श्री पुनीत कुमार गोयल	31.01.2013	30.12.2013
श्री अरविंद रे	30.12.2013	07.01.2014
श्री ज्ञानेश भारती	07.01.2014	06.02.2015

कमिश्नर का नाम	अवधि कब से	अवधि कब तक
श्री अश्वनी कुमार	06.02.2015	26.02.2015
श्रीमती गीतांजली गुप्ता	27.02.2015	14.09.2015
श्री परिमल राय	14.09.2015	10.03.2016
श्री संजय कुमार	11.03.2016	01.08.2016
श्री संदीप कुमार	02.08.2016	22.11.2016
श्री विक्रम देव दत्त	23.11.2016	28.04.2017
सुश्री वर्षा जोशी	28.04.2017	अभी तक
स्पेशल कमिश्नर का नाम	**अवधि कब से**	**अवधि कब तक**
श्री एन. बालचन्द्रन	04.01.2006	23.05.2007
श्री ए. के. सिंह	25.05.2010	01.05.2011
श्री पी. के. गुप्ता	29.08.2011	30.04.2012
श्री गामली पादू	26.12.2012	19.09.2013
श्री सतीश माथूर	13.09.2013	31.12.2014
श्री एस.के. सक्सैना	02.01.2015	15.01.2016
श्री के. के. दहिया	26.11.2015	अभी तक
श्री एस. बी. शशांक	31.11.2015	24.08.2016
श्री अंकुर गर्ग	29.12.2015	12.03.2016
श्री इन्दु शेखर मिश्रा	07.01.2016	03.08.2016
श्री संजय कुमार	15.03.2016	2016

दिल्ली परिवहन निगम में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पद पर कार्यरत रहें अधिकारियों का ब्यौरा इस प्रकार है।

नाम	से	तक
श्री राजीव वर्मा	24.01.2012	10.11.2013
श्री विजय कुमार	11.11.2013	31.12.2013
श्रीमती देबाश्री मुखर्जी	30.12.2013	30.03.2015
श्रीमती गीतान्जली गुप्ता	30.03.2015	15.06.2015
श्री सी. आर. गर्ग	16.06.2015	21.09.2016
श्री संदीप कुमार	22.09.2016	वर्तमान तक

(ट) से (ड) उपरोक्त पैरा 'ज' में जवाब दे दिया गया है।

133. श्री जितेंद्र सिंह तोमर : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में 20 से अधिक बस क्यू शेल्टर्स या तो टूट कर गायब हो चुके हैं या फिर बहुत बुरी अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बस क्यू शेल्टर्स लगाने की सरकार की कोई योजना शेल्टर्स लगाने की सरकार की कोई योजना है;

(ग) मेरी त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में उपरोक्त 20 अल्ट्रा मॉडर्न बस शेल्टर्स कब तक लगा दिये जाएंगे?

परिवहन मंत्री : (क) त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा पूर्व में बनाये गये बस स्टैण्ड के पुर्ननिर्माण की आवश्यकाता है।

(ख) जी हां।

(ग) आधुनिक बस क्यू शेल्टर्स (सरकारी निजी कंपनी भागीदारी द्वारा) बनाने हेतु निविदाएं नवम्बर 2013, जनू 2014, फरवरी 2015 व दिसम्बर 2017 में भी आमंत्रित की गई थी, परन्तु इन निविदाओं के द्वारा कोई भी सफल आवेदक नहीं मिला। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् सफल आवेदक निश्चित होने पर ही समय सीमा बताई जाएगी।

134. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा सन् 2012 में सीबी नारायणा गांव में यमुना विहार में मुकुंदपुर (लाईन 07) प्रोजेक्ट फेज–3 का कार्य करने के लिए कुछ जमीन इस्तेमाल के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग से ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भूमि वापस पीडब्ल्युडी को हैण्ड ओवर कर दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो यह जमीन वर्तमान में किसके स्वामित्व में है;

(घ) क्या इस जमीन का कुछ किराया लिया गया है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि इस भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो सरकार इस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(छ) क्या यह भी सत्य है कि इस जमीन पर दिल्ली सरकार द्वारा बारात घर, पार्क व तालाब का निर्माण व सौदंर्यीकरण किया जाना प्रस्तावित था; और

(ज) यदि हां, तो ये कार्य कब तक शुरू कर दिए जायेंगे?

परिवहन मंत्री : (क) से (ग) डीएमआरसी ने अस्थायी रूप से आई. एफ.सी.डी. (इरीगेशन एवं फल्ड कंट्रोल विभाग) द्वारा एनओसी प्राप्त करने के बाद निर्माण कार्यो के लिए कथित भूमि को ग्रहण किया था, यह भूमि पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा आई.एफ.सी.डी. को सौपी गई थी। अब काम पूरा हो गया है और उक्त भूमि तीन महीने के भीतर आई.एफ.सी.डी. को सौंप दी जाएगी।

(घ) कथित भूमि के लिए डीएमआरसी द्वारा कोई किराया नहीं दिया गया है।

(ङ) जो भूमि डीएमआरसी के पास है उसमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

(च) से (ज) सूचना लोक निर्माण विभाग से संबन्धित है इसलिए सूचना उनसे एकत्रित की जा रही है।

135. श्री पवन शर्मा : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बजट भाषण में पहली बार बस मार्शलों की नियुक्ति की घोषणा कब की गई थी;

(ख) उसके बाद से इस संबंध में किए गए बजट प्रावधानों व वार्षिक खर्च का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने बस मार्शलों को तैनात किया गया और उनसे कितनी बसों में सुरक्षा प्राप्त हुई;

(घ) जिन बसों में मार्शलों की तैनाती की गई उनमें पिछले तीन वर्षों में महिला सुरसक्षा से संबंधित कितनी घटनाएं प्रकाश में आई हैं और मार्शलों की तैनाती के पहले कितनी घटनाएं प्रकाश में आईं थीं;

(ङ) इन घटनाओं के संबंध में कितनी बार मार्शलों ने सीधी कार्रवाई की और कितनी प्राथमिकियां दर्ज कराई गईं;

(च) क्या दिल्ली की सभी बसों व क्लस्टर बसों में मार्शल तैनात किए गए हैं;

(छ) यदि नहीं, तो कुछ बसों को क्यों छोड़ दिया गया है;

(ज) क्या बसों में मार्शलों की तैनाती हर समय रहती है; और

(झ) यदि नहीं, तो क्या यह जानने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया था कि बसों में मार्शलों की तैनाती किस समय की जानी चाहिए?

परिवहन मंत्री : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बजट भाषण 2015–16 में पहली बार बस मार्शलों की नियुक्ति की घोषणा की गई थी।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा मार्शलों का वर्षवार ब्यौरा टीडीएस रहित निम्न प्रकार है।

वर्ष	रकम (रुपये में)
2012—13	23,29,000/—
2013—14	82,67,937/—
2014—15	1,81,58,464/—
2015—16	16,54,60,428/—
2016—17	40,37,12,186/—
2017—18	35,83,28,911/— फरवरी—18 तक

(ग) दिनांक 13/03/2018 के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम की बसों में 463 होमगार्ड मार्शल, 1600 सिविल डिफैन्स मार्शल तथा 90 दि. प.नि. मार्शल तैनात है।

(घ) मार्शलों की तैनाती के पश्चात् महिला सुरक्षा से सम्बन्धित 01 घटना प्रकाश में आई तथा तैनाती से पहले भी 01 घटना प्रकाश में आई।

(ङ) मार्शलों द्वारा कोई सीधी कार्यवाही नहीं की गई और 01 प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

(च) डीटीसी की बसों में सांय तथा रात्रि पारी में मार्शल तैनात किये गये है।

(छ) मार्शलों की कमी के कारण सभी बसों में मार्शल नहीं लगाए जा सके।

(ज) डीटीसी की बसों में सांय तथा रात्रि पारी में मार्शल तैनात रहते है।

(झ) जी नहीं।

136. सुश्री राखी बिड़ला : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम की कुल कितनी बसें किन–किन रूटों पर चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार रूट नं.–808, 568, 939, 966 व 231 के फेरे बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो कब तक;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि इन रूटों की बसों का तय रूटों पर न चलने की शिकायतें मिल रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

परिवहन मंत्री : (क) मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम की 320 बसें सेवा प्रदान कर रही है। जिनका रूट के अनुसार विवरण **परिशिष्ट–क** पर हैं।

(ख) वर्तमान में इस तरह की कोई योजना विचाराधीन नहीं है, लेकिन भविष्य में निगम के बेडें में बसों की संख्या में वृद्धि होने पर इन रूटों पर बसों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार किया जायेगा।

(ग) उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

(घ) जी हां, इस क्षेत्र के कुछ यात्रियों द्वारा कुछ रूटों के निर्धारित वाया से न होकर चलने की शिकायत की गई थी।

(ङ) इस संदर्भ में क्षेत्रीय प्रबन्धक (उत्तर) को इन रूटों को निर्धारित वाया से चलवाने के लिए आवश्यक आदेश जारी कर दिये गए है।

परिशिष्ट क

Rakhi Birla MLA (Mangol Puri AC-12)
Detail of Bus Routes in Mangol Puri Vidhan Sabha Constituency
Route Originating From Mangol Puri Terminal

Route No.	From	To	No. of Buses
231	Mangoal Puri Q-Blk.	Old Delhi Rly. Station	1
568	Mangoal Puri Q-Blk.	S.J. Terminal	7
808	Mangoal Puri Q-Blk.	Tilak Nagar	4
901	Mangoal Puri Y-Blk.	Kamla Market	26
939	Mangoal Puri Q-Blk.	Anand Vihar ISBT	9
940	Mangoal Puri Q-Blk.	Inder Puri JJ Colony Krishi Kunj	2
953	Mangoal Puri Q-Blk.	Karol Bagh Terminal	1
966 EXT	Mangoal Puri Q-Blk.	Nizamuddin Rly. Station	8
	Total	64	

Route Passing Through Mangola Puri

Route No.	From	To	No. of Buses
1	2	3	4
144	Old Delhi Rly. Station	Qutabgarh Border	17
114A	Azad Pur Ternimal	Auchandi Border	4
114B	Azad Pur Ternimal	Katewara Village	1
144 EXT	Azad Pur (T)	Jat Khore	1
174 STL	Azad Pur (T)	Jyonti Border	2
182A	ISBT K. Gate	Sukhbir Nagar	7
569	S.J. Terminal	Sultan Puri D-Blk.	14
741A	Uttam Nagar Terminal	Katewara Village	1
908	Karampura (T)	Sultan Puri	4
921	Old Delhi Rly. Station	Rani Khera	2
921 EXT	ISBT Kashmere Gate	Mubarakpur Dabas	3
937A	Old Delhi Rly. Station	Sultan Puri	23
943	Anand Vihar ISBT	Sultan Puri Terminal	4
944	Kendriya Terminal	Sultan Puri	8

1	2	3	4
954	Ambadkar Stadium (Tr)	Sultan Puri Tarminal	15
957	Shivaji Stadium	Rohini Sec-22 Terminal	34
962	Kendriya Terminal	Kanjhawala Village	1
962A	Shivaji Stadium	Majra Dabas	2
970	J.L. Nehru Stadium	Rohini Sec-1 Avantika	10
971	Anand Vihar ISBT	Rohini Sec-1 Avantika	40
472	Harewali Village	Uttam Nagar (T)	11
972A	Bawana	Uttam Nagar (T)	16
982	New Seema Puri	Sultal Puri	13
Gramin Mudrika (+)	Azad Pur Terminal	Azad Pur Terminal	6
Gramin Mudrika (+)	Azad Pur Terminal	Azad Pur Terminal	6
	Total		256

137. श्री ऋतुराज गोविन्द : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली सरकार द्वारा किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में सरकारी अस्पताल खोलने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) भूमि उपलब्ध नहीं है। किराड़ी में सरकारी अस्पताल खोलने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को दिनांक 05.09.2017 को पत्राचार किया गया किसके विषय में दिनांक 07.09.2017 को लिखित पत्र डीडीए से प्राप्त हुआ जिसका मसौदा इस प्रकार है– मामले की जांच की गई है और यह पाया गया है कि उल्लेखित भूमि क्षेत्रीय विकास योजना, जोन–एम खतौनी के द्वारा नहीं पहचानी जा रही है। क्षेत्रीय विकास योजना में वह भूमि प्रदर्शित (निशानदेही) करने के बाद डीडीए को दी जायेगी। वर्तमान में इस विषय में मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी उत्तर पश्चिम के कार्यालय से लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित कार्यालयों से इस संबंध में पत्राचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह यह कहना भी गलत नहीं होगा कि उपयुक्त जमीन की उपलब्धता नहीं होने एवं अस्पताल खोलने के लिए भारी व्यय के कारण दिल्ली के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक अस्पताल खोलना संभव नहीं है, लेकिन प्रयास जारी है।

(ग) जी हां।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण से भूमि आवंटित होने के उपरान्त किराड़ी में सरकारी अस्पताल खोलने की योजना बनाई जाएगीं। किराड़ी सुलेमान नगर में एक मातृ एवं शिशु अस्पताल सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा निर्माणाधीन है।

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

138. श्री ऋतुराज गोविन्द : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कुल किनते मोहल्ला क्लीनिक चल रहे हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र में और मोहल्ला क्लिनिक खोलने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 03 मौहल्ला क्लीनिक चल रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) 10 जगह प्रक्रिया के अंतर्गत है। जिसमें 8 स्थान दिल्ली विकास प्राधिकरण के तथा, दो स्थान दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित है।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

139. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उप–मुख्यमंत्री ने अपने वर्ष 2015 के बजट भाषण में घोषणा की थी कि दिल्ली सरकार विद्यमान स्वास्थ्य सुविधाओं के अतिरिक्त चैरिटेबल क्लीनिकों और डिस्पेंसरियों के माध्यम से भी निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराएगी;

(ख) सरकार ने इस विषय में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) सरकार ने इस काम के लिए कितना बजट आवंटित किया है;

(घ) यह योजना कब तक लागू हो जाने की आशा है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए कोई सर्वे कराया है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जब भी कोई चैरिटेबल डिस्पेंसरी महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं से संपर्क करती है तो स्टॉफ की उपलब्धता के आधार पर दवाईयां उपलब्ध कराते हैं।

(ग) बजट 2017–18 में एक लाख रुपये है, लेकिन महानिदेशालय दिल्ली स्वास्थ्य सेवाएं एवं सी.पी.ए. के द्वारा जो भी दवाई मौहल्ला क्लीनिक में दी जाती है उनमें से उपलब्धता के आधार पर दे दी जाती है।

(घ) अभी भी दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही है।

(ङ) जी नहीं।

140. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 दिल्ली में कब तक लागू हो जाएगा;

(ख) मानसिक चुनौतियों से ग्रस्त नागरिकों की बेहतर देखभाल और इलाज हो सके, इसके लिए इस योजना को यथाशीघ्र लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ग) दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त लोग हैं; और

(घ) इनके इलाज और देखभाल के लिए इस समय क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना (दिनांक 02.01.2018) के अनुसार 7 जुलाई, 2018 को लागू होगा।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिसूचना/पत्र–व्यवहार के अनुसार इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें निम्न शामिल हैं:–

1. राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना/सुदृढ़ीकरण

2. राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण निधि

3. मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा का संविधान

4. राज्य सरकार द्वारा नियमों का निर्धारण इत्यादि।

(ग) वैज्ञानिक अध्ययनों/सर्वेक्षणों के मुताबिक लगभग 8–10 प्रतिशत सामान्य जनसंख्या में मानसिक स्वास्थ्य की बीमारी पायी जाती है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015–16) के मुताबिक 10.6 प्रतिशत जनसंख्या मानसिक रोग से ग्रसित है।

(घ)

* दिल्ली सरकार मानसिक रूप से बीमार रोगियों के इलाज और देखभाल के लिए सर्वोत्तम संभव मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है।

* इहबास (IHBAS) राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के अलावा, RML, LHMC, GB Pant, AIIMS सहित कई केन्द्रीय और राज्य सरकार के अन्तर्गत अस्पताल है, जहां पर मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। इनके अलावा निजी क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त नर्सिंग होम एवं अस्पताल में भी यह सुविधा दी जा रही है।

इहबास दिल्ली में NMHP के तहत दिल्ली के 5 जिलों में समुदाय आउटरीच क्लिनिक (DMHP) के साथ–साथ मोबाइल मानसिक स्वास्थ्य इकाई (MMHU) और मानसिक रूप से बेघर बीमार लोगों के लिए जामा मस्जिद में सेवाएं चला रहा है।

141. श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गुरू गोविंद सिंह अस्पताल में अस्पताल की दुर्दशा के चलते मरीजों को अत्यंत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सत्य है कि इस अस्पताल में कम्प्यूटर प्रणाली सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है;

(ग) यदि नहीं तो कब से और इसे कब तक ठीक कर दिया जायेगा;

(घ) इस अस्पताल में विभिन्न संवर्गों के कितने पद कब–कब से खाली पड़े हैं;

(ङ) इन्हें भरने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है;

(च) क्या यह सत्य है कि अस्पताल में 400 बिस्तर वाला नया विंग खोले जाने की घोषणा की गई थी;

(छ) क्या यह भी सत्य है कि इसके लिए 160 करोड़ रुपया आवंटित किये गये थे;

(ज) यदि हां, तो इस कार्य के अभी तक शुरू न होने के क्या कारण हैं; और

(झ) ये कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी नहीं। अस्पताल की सभी सेवाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं।

(ख) सीडेक कम्पनी के द्वारा मांगी गए बढ़े हुए रेट स्वीकृत न होने के कारण कम्प्यूट्रीकृत सेवाएं बंद कर दी है। वर्तमान में चिकित्सालय में उपलब्ध कर्मचारियों द्वारा मैनुअल पंजिकरण किया जा रहा है। चिकित्सालय कम्प्यूट्रीकृत पंजिकरण करने के लिए प्रक्रियारत है।

(ग) इस अस्पताल में दिनांक 01.08.2017 से कम्प्यूट्रीकृत पंजिकरण की सेवा बंद है। यह प्रयास किया जा रहा है कि करीब तीन–चार माह में इसे फिर से प्रारम्भ किया जा सके।

(घ) इस अस्पताल में 31 विभिन्न संवर्गों के पद खाली है। जिसकी सूची संलग्न है।

(ङ) सरकार इस विषय में यथोचित कदम उठा रही है।

(च) जी हां।

(छ) यह कार्य ई.एफ.सी. द्वारा 07.02.2018 को स्वीकृत किया गया है। चूंकि इस प्रोजेक्ट की लागत 172.03 करोड़ है अतः कैबिनेट द्वारा संस्तुति हेतु प्रक्रियारत है।

(ज) उपरोक्तानुसार।

(झ) कैबिनेट से संस्तुति पश्चात् लगभग तीन माह में कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

Office of the Medical Superintendent
Guru Gobind Singh Govt Hospital, GNCTD
Raghubhir Nagar, New Delhi
(Phone:25988532, 25984548 e-mail:
(msggsgh(S)gmail.com)

No. 1.(6-A)/97/GGSGH/Pt. File/188 Dated: 19-03-2018

To

Shri Amit Kumar Pamasi,
Deputy Secretary (Question Cell),
Department of Health and Family Weltare
Delhi Secretariat, Delhi
(email: deputysecretaryqc@gmail.com)

Subject : **Vidhan Sabha Unstarred Question No. 141 asked by Shri Manjinder Singh Sirsa (Reply in continuation in respect of Point No. 4)**

Sir,

This is in continuation of revised reply sent vide letter No. l(6A)/97/GGSGH/Pt.File/180 dated 16/03/2018 regarding Vidhan Sabha Unstarred Question No. 141. Vacancy position sought in point No. 4 with details of its being vacant since, is as under:

Sl. No.	Name of post	No. of Posts	Vacant since	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Specialist	Total 09		
	Radiology	01	09/02/2008	One Specialist ENT (Regular) is drawing salary against this post

1	2	3	4	5
	Medicine	02	24/03/2008 05/12/2018	One Specialist Pathology (Contract) is drawing salary against this post.
	Skin	01	31/01/2015	
	Orthopedic	01	02/02/2016	
	Anesthesia	02	15/02/2016 09/11/2017	
	Surgery	01	19/04/2016	
	Forensic Medicine	01	27/06/2017	No Mortuary in the Hospital.
2.	Medical Officer	05	16/12/2014 01/03/2016 28/04/2017 04/05/2017 21/02/2018	Administrative Officer is drawing salary against 6th vacant post of MOs in addition to these 05 vacant posts of Medical Officer.
3.	Dental Surgeon	01	21/11/2008	
	Senior Resident	03		
	Forensic Medicine Anesthesia		13/01/2010 31/10/2017	These posts are filled by the SR of other Departments as per the need of dlospital depending on the workload.
	Radiology		13/01/2010	
5	ANS	01	01/10/2015	
6.	Nursing Sister	05	01/05/2014 03/04/2014 05/04/2014	

1	2	3	4	5
			01/07/2017 01/02/2018	
7.	Staff Nurse	01	23/11/2017	
8.	ECG Technician	02	23/01/2016 28/12/2017	
9.	JuniorRadiographer	01	05/06/2015	
10.	OT Assistant	01	31/03/2016	
11.	Asstt. Accounts Officer	01	01/01/2018	
12.	Head Clerk	01	01/01/2017	
13.	Statistical Officer	01	01/02/2017	
14	IDC	01	04/10/2016	
15.	Nursing Orderly	01	03/03/2017	

Vice order No. F.11/92/H&FW/2017/H-Med/688-92 dated 17/07/2017 the vacant posts of Specialists and Medical Officers are filled by SRs & JRs respectively on adhoc basis.

Submitted for your kind perusal please.

Thanking you

(Dr. S.C. Chetal)

Medical Superintendent

142. श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार का क्लीनिक एस्टैबलिशमेंट एक्ट 2010 लागू करने का इरादा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार अस्पतालों के निरिक्षण करने का नियम पुनः लागू करने का इरादा रखती है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) इस समय कौन से अधिनियम के अन्तर्गत अस्पताल व नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं; और

(छ) क्या वर्तमान नियम व कायदे अस्पतालों व नर्सिंग होम्स की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

(ग) कई हितधारकों को क्लीनिकल एस्टैबलिशमेंट एक्ट 2010 की कुछ धाराओं से आपत्ति है, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार को अवगत करवा दिया गया था। इसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि एक ऐसे अधिनियम का गठन होना चाहिए जिसमें उपरोक्त त्रुटियां ना

हो, फलस्वरूप दिल्ली हेल्थ बिल, 2016 का प्रारूप तैयार किया गया है जिसे एक कमेटी द्वारा समयबद्ध तरीके से फाईनल किया जा रहा है।

(घ) दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1953 की धारा 9 के तहत किसी भी निजी अस्पताल तथा नर्सिंग होम का नियमित तथा औचक निरीक्षण किया जा रहा है। सरकार किसी भी अस्पताल का नियमित तथा औचक निरीक्षक करती है।

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

(च) इस समय दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1953 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियम तथा इसके बाद समय, समय पर किये गये संशोधन के आधार पर प्राइवेट अस्पताल तथा नर्सिंग होम चलाये जा रहे है।

(छ) जी नहीं।

143. श्री अजेश यादव : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बादली विधानसभा क्षेत्र के सिरसपुर में अस्पताल का निर्माण किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ न होने का क्या कारण है;

(ग) इस अस्पताल के निर्माण का कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?

(घ) बादली विधानसभा के अंतर्गत कितने मोहल्ला–क्लीनिक बनाये जाने प्रस्तावित हैं;

(ङ) उनका निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा;

(च) क्या यह सत्य है कि अभी तक बादली विधानसभा में एक भी मोहल्ला–क्लीनिक नहीं बनाया गया है; और

(छ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) अधिकतम फर्श क्षेत्र अनुपात का उपयोग करके, बिस्तर संख्या में वृद्धि के कारण तथा मेडिकल फंक्शन प्रोग्राम, (विभागवार स्वास्थ्य सेवा का विवरण) तैयार करके लोक निर्माण विभाग में दिनांक 27.01.2016 को भेज दिया गया है। सम्भावित समयरेखा अनुबंध 'अ' में वर्णित है। (प्रतिलिपि संलग्न है।)

(ग) लोक निर्माण विभाग द्वारा सलाहकार की नियुक्ति के बाद अस्पताल निर्माण शुरू करने की तारीख का निर्णय लिया जाएगा।

(घ) बादली विधानसभा के अंतर्गत 06 मोहल्ला क्लीनिक नये बनाये जाने का प्रस्ताव है। एक महीने में उपयुक्त जमीन लोक निर्माण विभाग को दे दी जाएगी।

(ङ) उपरोक्त मोहल्ला क्लीनिक प्रक्रिया के अंतर्गत है।

(च) जी नहीं, एक मोहल्ला क्लीनिक भलस्वा डेयरी, बादली में चल रहा है।

(छ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

ANNEXURE

इस अस्पताल परियोजना को शुरू करने की संभावित समयरेखा निम्नानुसार हो सकती हैः–

– सलाहकार की नियुक्ति – 3 महीने

– योजना और डिजाइन की मंजूरी – 6 महीने

– ईएफसी अनुमोदन – 3 महीने

– कैबिनेट की मंजूरी – 1 महीने

– निर्माण कार्य पूरा करना – 24 से 36 महीने

144. हाजी मो. इशराक : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से संबंधित 9315 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 345 शिकायतें अभी भी लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 179 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो इसका कारण क्या है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि 2647 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्यवाही को संतोषजनक नहीं पाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये;

(छ) इन शिकायतों के समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं;

(ज) निवरण के लिए ये शिकायतें किन–किन अधिकारियों के पास और कब–कब भेजी गईं इसका विवरण प्रदान करें;

(झ) संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए इसका विवरण प्रदान करें; और

(ञ) इन शिकायतों का निवारण कब तक हो जायेगा?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) यह असत्य है कि उपलब्ध रिपोर्ट/रिकार्ड के अनुसार 27.02.2018 तक स्वास्थ्य सेवायें निदेशालय से संबंधित कुल 3227 शिकायतें दर्ज की गई है। इसमें से 138 शिकायतें लम्बित हैं।

(ख) 65 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित हैं।

(ग) पी.जी.एम.एस. में दर्ज की गई शिकायतों में ज्यादातर प्राइवेट नर्सिंग होम या अस्पतालों से संबंधित होती है, उन अस्पतालों को हमारे नर्सिंग होम सेल द्वारा निवारण हेतु उत्तर देने के लिए भेजा जाता है। उनसे उत्तर मिलने पर ही शिकायत कर्ता को उत्तर दिया जाता है। विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही एवं विभाग के अधिकार नर्सिंग होम एक्ट के द्वारा निर्धारित एवं सीमित होते हैं। प्राइवेट अस्पतालों एवं नर्सिंग होम द्वारा उत्तर दिए जाने में विलंब होने से समाधान करने में विलंब होता है।

(घ) यह सत्य नहीं है क्योंकि 3227 शिकायतों में से 3089 शिकायतों का संतोषजनक रूप से निवरण कर दिया गया है।

(ङ) शिकायतकर्ता के संतुष्ट नहीं होने पर वो शिकायत विभाग द्वारा फिर से खोल दी जाती है और उसके बाद संबंधित विभाग को भेजी जाती है ताकि वो उस पर फिर से कार्यवाही कर के शिकायतकर्ता को संतुष्ट कर सकें। शिकायतकर्ता को बुलाकर या दूरभाष के द्वारा भी उसका मंतव्य समझ कर उसकी समस्या का समाधान किया जाता है शिकायत तब तक बंद नहीं की जाती है जब तक कि शिकायतकर्ता विभागीय कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हो जाता।

(च) जी हां, यह सत्य है।

(छ) स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ग्यारह जिलों के सी.डी.एम.ओ. और उनके द्वारा निर्धारित क्षेत्रों की एलोपैथिक डिस्पेंसरी, मौहल्ला क्लीनिक, तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न सार्वजनिक योजाओं के अधिकारियों द्वारा सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा एवं मुख्य सचिव द्वारा प्राप्त निर्देशों को आवश्यक कार्यवाही हेतु उन सभी संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया जाता है। प्रति सप्ताह उन सभी को उनके विभाग में लम्बित मामलों को ईमेल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा सूचित एवं कार्यवाही के लिए निर्देशित किया जाता है। जिन अधिकारियों के ज्यादा मामले लंबित होते हैं उन्हें दूरभाष द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही में तेजी लाने के लिए कहा जाता है। प्रतिमाह एक बार सभी विभागीय अधिकारियों की मीटिंग बुलाई जाती है तथा डी. जी.एच.एस. स्थिति का अवलोकन एवं सभी को उचित कार्यवाही के लिए निर्देश दिए जाते हैं।

(ज) यह शिकायतें डी.जी.एच.एस. के अन्तर्गत आने वाले सी.डी.एम.ओ. तथा संबंधित अधिकारियों के पास भेजी जाती हैं जिनकी सूची संलग्न है। (लगभग 40)

(झ) शिकायतकर्ता को बुलाकर या दूरभाष के द्वारा भी उसका मंतव्य समझ कर उसकी समस्या का समाधान किया जाता है।

(ञ) जन शिकायत निगरानी प्रणाली एक अनवरत प्रक्रिया है तथा इसमें प्रतिदिन पुरानी शिकायतों का निवारण किया जाता है तथा नई शिकायतें का निराकरण करने का हमारा प्रयास है।

145. चौ. फतेह सिंह : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत एमबीबीएस डॉक्टरों के भरे हुए तथा रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराएं;

(ख) सभी रिक्त पदों को भरने के लिए विभाग ने क्या योजनाएं निध ाारित की हैं;

(ग) सचिव/प्रधान सचिव स्वास्थ्य द्वारा सरकारी अस्पतालों के कितने दौरे;

(घ) इन मुद्दों के संबंध में कार्रवाई रिपोर्टों की सूची उपलब्ध कराए?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) यह 'सर्विस' का मामला है लेकिन स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अंतर्गत एम.बी.बी.एस. डॉक्टरों के भरे हुए तथा रिक्त पदों की सूची निम्न है:

स्वीकृत पद	नियमित रूप से भरा	भरा अनुबंध	रिक्त पद
1319	962	62	295

(ख) यह सर्विस मामला जो भर्ती नियमों के अनुसार सभी एम.बी.बी.एस. डॉक्टर की भर्ती UPSC की सलाह के अनुसार की जाती है, जो समय समय पर रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया सीधी भर्ती एवं पदोन्नित के द्वारा भरी जाती है।

(ग) समय–समय पर प्रधान सचिव सरकारी अस्पतालों का दौरा करते हैं, इन दौरों के दौरान जो मुद्दे उठाये जाते एवं कोई कार्यप्रणाली में खामी पायी जाती है तो तुरन्त संबंधित अधिकारी को उचित निर्देश दिये जाते हैं। संबंधित अधिकारी संबंधित फाइल में उचित उन सभी खामियों एवं मुद्दों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका निस्तारण करता है। इसके सभी मामले प्रत्येक गुरूवार समीक्षा बैठक में रिव्यू किये जाते हैं।

(घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार अलग सूची उपलब्ध नहीं है।

146. सुश्री भावना गौड़ : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा क्षेत्र में कुछ नए मोहल्ला–क्लीनिक बनाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने नए मोहल्ला–क्लीनिक खोले जाएंगे;

(ग) क्या उन नए मोहल्ला–क्लीनिक के स्थान निर्धारित कर लिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो ये नए मोहल्ला–क्लीनिक किन–किन स्थानों पर खोले जाएंगे; और

(ङ) ये नए मोहल्ला–क्लीनिक कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे और इस कार्य में कितनी धनराशि चार्च होने का अनुमान है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) 03 संभावित जगह हैं।

(ग) जी हां।

(घ) 1. दिल्ली जल बोर्ड स्टोर, टयूबेल–4 पालम गांव

2. जाट चौपाल, टयूबेल–3 पालम गांव

3. टयूबेल–1 पालम गांव

(ङ) ये मौहल्ला क्लीनिक 8 महीने में तैयार हो जाऐंगे। एक मौहल्ला क्लीनिक के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 20 लाख तक है जोकि कम भी हो सकती है।

147. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने 1000 मोहल्ला क्लीनिक खोलने का लक्ष्य रक्षा था;

(ख) यदि हां तो इनमें से कितने क्लीनिक इस समय कार्य कर रहे हैं;

(ग) कितने ऐसे क्लीनिक हैं, जो बनकर तैयार खड़े हैं, परन्तु अभी तक उनमें सेवाएं उपलब्ध नहीं कारवाई गई हैं;

(घ) ऐसे क्लीनिक कब से तैयार खड़े हैं तथा कहां–कहां स्थित हैं; और

(ङ) इनमें सेवाएं शुरू न कर पाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) 164 मौहल्ला क्लीनिक कार्य कर रहे है।

(ग) 49 मौहल्ला क्लीनिक तैयार है। 25 मौहल्ला क्लीनिक का अधिकार मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी ने ले लिया है। 24 मौहल्ला क्लीनिक में कुछ काम बाकी है जोकि एक महीने में पूरा हो जाएगा और ये अधिकार में ले लिए जाएंगें।

(घ) सूची संलग्न है।

(ङ) डॉक्टर, एन.एम. फार्मासिस्ट तथा मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है जिसके समाप्त होते ही सेवाएं प्रारम्भ हो जाएंगी।

List of AAM AADMI MOHALLA CLINICS in rented premises

Sl. No.	District	Name of Aam Aadmi Molalla Clinic	Date of opening	Owner-ship of
1	2	3	4	5
1	North	H.No.467 D Near Budh Mandir Village Azadpur	23-03-16	Rented
2	North	I26, Ishwar Colony Ext. 3	23-03-16	Rented
3	North	Sant Kirpal Singh Public Trust	23-03-16	Rented
4	North	811,GT Road Aluipur Delhi 36	23-03-16	Rented
5	North	A-215,Bhalaswa Dairy Near Police Station	20-02-17	Rented
6	South East	House No-81, Gali No-54-V/l, Near Bal Vaishali Public School, Molarband Extn.	Mar-16	Rented
7	South East	J-2-B/75, Gali No-2, Gupta Colony, Sangam Vihar	Mar-16	Rented
8	South East	195-A, Hari Nagar Ashram, New Delhi-14	Mar-16	Rented
9	South East	S-10/D-15 Jogabai Ext. Zakir Nagar, Okhla, New Delhi	Mar-16	Rented
10	South East	C-5 Behind Masjid Noor Jogabai Ext. Khazuri Road, Okhla, New Delhi	Mar-16	Rented
11	South	D-24, Bhati Mines, AAMC	23-03-16	Rented
12	South	E-224, Bhati Mines, AAMC	23-03-16	Rented
13	South	Panchsheel Vihar, AAMC	29-03-16	Rented
14	South	Rajpur Khurd, AAMC	23-03-16	Rented
15	South	Holi Chowk, Sangam Vihar, AAMC	26-03-16	Rented

1	2	3	4	5
16	South West	RZF-1120, Iiohia Marg, Pandit Chowk. Raj Nagar-II, Palam Colony, New Delhi	23/03/2016	Rented
17	South West	RZ-269/396, Gali No-10-C, Indra Park, New Delhi	26/03/2016	Rented
18	South West	Khasra No-161/162. B-Block, Qutub Vihar, New Delhi	23/03/2016	Rented
19	South West	B-38, Banwarilal Complex, 25 Feet road, Shyam Vihar Phase-1, New Delhi	23/03/2016	Rented
20	South West	C-92, Sahyog Vihar, Near Masjid, New Delhi	23/03/2016	Rented
21	South West	Pochanpur, Near Harijan Chopal, Sector-23, Dwarka, New Delhi	28/03/2016	Rented
22	South West	RZ-247A, Gali no 18, A jay Park, Najatgarh New Delhi-110043	23/03/2016	Rented
23	South West	RZ-38, A-block, Main Gopal Nagar, Najatgarh New Delhi-43	23/03/2016	Rented
24	South West	100-A, Dwarka Vihar Colony Phase-1, Najatgarh, New delhi	23/03/2016	Rented
25	South West	RZ-D-87, A/I, Dabri Ext., Gali. No. 9, New Delhi, (632 Sq.ft.)	23/03/2016	Rented
26	South West	G-70/4, Mandir Marg Mahavir Enclave New Delhi-1 10045	26/03/2016	Rented
27	North East	K6/4B, Street No. 22, West Ghonda, Delhi	29/03/2016	Rented
28	North East	B-l. Kartar Nagar, 3.5 Pusta, Street No. 2, Near Hero Showroom, Delhi	29/03/2016	Rented

1	2	3	4	5
29	North East	D-29, Gokalpuri, Delhi	23/03/2016	Rented
30	North East	B-18/1, Ganga Vihar, Delhi-94	23/03/2016	Rented
31	North East	455, Street No. 8, MVonga Nagar, Karawal Nagar Road, Delhi	23/03/2016	Rented
32	North East	C-45, Gali No. 03, Ambika Vihar, Shiv Vihar, Delhi-94	23/03/2016	Rented
33	North East	B-90, BG/F, House No-36/17, Gali No-14, Main 25Feet Road, Phase-10, Shiv Vihar,-Delhi	29/03/2016	Rented
34	North East	H, No. 200, Gali No. 06, Phase-9. Shiv Vihar, Delhi-94	23/03/2016	Rented
35	North East	930, Gali No. 30/7, Jaferabad, Delhi	23/03/2016	Rented
30	North Fast	H.No. 42/1 Puri Street No. 1, Maujpur Near JM Convent School, Delhi	26/03/2016	Rented
37	Shahdara	HoustNO 1/1616-17 Gali No. 6, Subhash Park Ext. Shahdara, Delhi-1 10032	23.3.2016	Rented
38	Shahdara	House No. D-44, Gali No. 9, Sattar Gali, Main Mohan puri, Maujpuri. Delhi-110053	26.3.2016	Rented
39	Shahdara	House No. C-2/I2-B Meet Nagar Khasra 336, Saboli Village, Delhi 110094	26.3.2016	Rented
40	Shahdara	House No.58, Street No.3. North Chhajupur, Shahdara, Delhi-110053	28.3.2016	Rented
41	Shahdara	House No. B2/4A, Street 4, East Azad Nagar, Krishna Nagar, Delhi-110051	28.3.2016	Rented

1	2	3	4	5
42	Shahdara	House No B-10(1/11805), Plot No A-28, Panchsheel Garden, Naveen Shahdara, Delhi-110032	28.3.2016	Rented
43	Shahdara	House No. A-170, Dilshad Colony, Delhi-110095	28.3.2016	Rented
44	Shahdara	House No. 312, Gali No-6, Gautam Gali, Jwala Nagar, Delhi-110032	28.3.2016	Rented
45	Shahdara	House No C-l 1/96, Yamuna Vihar, Delhi-110053	23.3.2016	Rented
46	Shahdara	Flat No 193 A, Satyam Enclave, Delhi-110095	12.4.2016	Rented
47	Shahdara	House No D-233, School Block Nathu Colony, Delhi-110093	12.4.2016	Rented
48	Shahdara	House No 7/376, Jwala Nagar, Main Road Shahdara, Delhi-110032	16.4.2016	Rented
49	West	AAMC Plot No. 3 & 4, D Block, Jai Vihar-1, Najafgarh	28-03-16	Rented
50	West	AAMC A-32/33 A Ext. Mohan Garden	22-03-16	Rented
5	West	AAMC H.No. L-2/D, 69A, Mohan Garden, Uttam Nagar	22-03-16	Rented
52	West	AAMC C-62, ADHYAPAK NAGAR, NANGLOl, NEW DELHI	22-03-16	Rented
53	West	AAMC Gali No-9, Kh. No. 79/20 Chanchal Park, Bakkaewalla, Vikas Puri	29-03-16	Rented
54	West	AAMC HO.NO. 9, GALI NO. 3, LEKH RAM PARK, TIKRIK.AL.AN	30-03-16	Rented
55	West	AAMC 69 Hastsal Village, Near DDA Park, Vikas Puri	22-03-16	Rented

1	2	3	4	5
56	West	AAMC House No. 112, Lions Enclave, Ranholla Raod, Vikas Nagar	22-03-16	Rented
57	West	AAMC B-43, AS/F, Vikas Nagar	22-03-16	Rented
58	West	AAMC Plot No. B-340 Vikas Nagar, Vikas Vihar	22-03-16	Rented
59	West	AAMC E-115, Raghuvir Nagar	26-03-16	Rented
60	West	AAMC B-32/A, New Slum Quarter, Paschim Puri	25-03-16	Rented
61	West	AAMC A2/254, LIG Flats, Pratik Apartment, Paschim Vihar	01-04-16	Rented
62	West	AAMC 150-A, GALI NO. 4, NATHAN VIHAR, RANHOLLA. NANGLOl	22-03-16	Rented
63	West	AAMC B-5, Shiv Vihar, Col Bhatia Road, Tyagi Chowk	22-03-16	Rented
64	West	AAMC RZ-22, Khushiram Park, Om Vihar Ext	30-03-16	Rented
65	West	AAMC E-159, A MANSARAM PARK, UTTAM NAGAR, NEW DELHI	23-03-16	Rented
66	West	AAMC Plot No. 324 Aryan Garden Raod, Om Vihar Uttam Nagar	26-03-16	Rented
67	West	AAMC E-3/62, Shiv Ram Park, Nangloi	22-03-16	Rented
68	West	AAMC RZ B/149, Nihal Vihar	24-03-16	Rented
69	West	AAMC RZ-E-244, Thanewali Road, Nihal Vihar	28-03-16	Rented
70	West	AAMC RZ-O-57, Gurudwara road, 500 Gaj Nangloi	28-03-16	Rented
71	North-West	H.No. 23 1-32, Kh. No.28/19, Mange Ram Park, Budh Vihar Phase-2, Delhi-86	26.3.2016	Rented

1	2	3	4	5
72	North-Wast	H.No. A-4/291, Sector-4, Rohini, Delhi - 85	29.3.2016	Rented
73	North-West	kh no:65/IO,Q-44, Budh Vihar, Phase-1, Opp.Surya Market, Delhi. 10086	26.3.2016	Rented
74	North-West	P 2/652, Sultanpuri J.J.colony, Delhi-110086	26.3.2016	Rented
75	North-West	Hno: 271 pole no 521-1/2/7/5 Village Sultanpur Dabas Neemwali gali,delhi 39	26.3.2016	Rented
76	North-West	Kno: 102/10 H.No.E-31, Rajiv Nagar, Begumpur, Opp.Sector-22, Rohini, Delhi. 1 10086	26.3.2016	Rented
77	North-West	Shiv Mandir, Sewa Samiti, Wazirpur Village, Delhi-52	13.4.2016	Rented
78	North-West	Kh no: 193 Shish Mahal enclave, prem nagar 3, Delhi 86	26.3.2016	Rented
79	North-West	A-2/131, Keshavpurm, Delhi. 1 10035	29.3.2016	Rented
80	North-West	H.No. C-441, Khasra No. 42/3, Inder Enclave, Phase-1, Delhi-86	23.3.2016	Rented
81	North-West	BH Block, 700 A, East Shalimar Bagh, Janta Flat, Delhi-88	14.4.2016	Rented
82	North-West	F4/6, Sector 16 Rohini, Delhi 85	26.3.2016	Rented
83	North-West	H.NO. 66, Block-E, Pocket-18, Sector-3, Rohini, Delhi - 85	26.3.2016	Rented
84	North-West	H.no.E 7/84, Near Sani Bazar Road, Sultanpuri, Delhi. 110086	26x3.2016	Rented

1	2	3	4	5
85	North-West	Kno:25,H.No.l3 A, Rajiv Nagar, Begumpur, Opp.Sector-22,Rohini, Delhi. 110086	26.3.2016	Rented
86	North-West	C-3/76 Keshavpuram Delhi 35	30.3.2016	Rented
87	New Delhi	H NO-159 Shop,NANAKPURA Motibagh, Near Punjab National Bank, New Delhi -110021	22-03-16	Rented
88	New Delhi	80 -A/4, G/F, Near Canara Bank., Village Munirka, New Delhi-110067	23-03-16	Rented
89	New Delhi	WZ-115A, Todapur village LA.R.I Delhi 110012	22-03-16	Rented
90	New Delhi	V-l 1, Old Nangal, Delhi cannt, Muradabad pahari, Delhi cannt, South west Delhi-110010	29-03-16	Rented
91	New Delhi	R-4C, R-Series, East Mehram Nagar Delhi Cantt Delhi-110037	29-03-16	Rented
92	EAST	AAMC Trilokpuri 6 Block :- Block 6/233 Trilokpuri Delhi -91	26.03.2016	Rented
93	EAST	AAMC Trilokpuri 25 Block: Block 25/446 Trilokpuri DELHI-91	26.03.2016	Rented
94	EAST	AAMC GANESH NAGAR:c-95A Ganesh nagar Complex, Delhi 92	12.04.2016	Rented
95	EAST	AAMC Pratap Chowk: Pratap Chowk Dallupura Kondli, Delhi	28.03.2016	Rented
96	EAST	AAMC Dallupura: Near Samuday Bhawan, Harijan Basti Dallupura Village Kondli DELHI	26.03.2016	Rented
97	EAST	AAMC West Vinod Nagar: D-55 Gali no. 11 West Vinod Nagar, Delhi	29.03.2016	Rented

1	2	3	4	5
98	EAST	AAMC old Anarkali: House no. 52 Old Anarkali, Krishna Nagar Delhi	26.03.2016	Rented
99	Central	AAMC Wazirabad Khasara No-120, Gali No-17, Main Road, Wazirabad, Delhi.	28.03.16	Rented
100	Central	AAMC Shashtri Nagar L-74, Shiv Watika Chowk, Shastri Nagar, Delhi-52	28.03.16	Rented
101	Central	AAMC Aruna Nagar E-28, Aruna Nagar, Majnu KaTila, Delhi.	28.03.16	Rented
102	Central	Takia Chowk Chopat, Burari Village, Delhi	28.03.16	Gram Sabha Land
	102	AAMC (Rented)1 (AAMC Nanakpura closed)		

List of AAM AADMI MOHALLA CLINICS in porta cabins

Sl. No.	District	Name of Aam Aadmi Molalla Clinic	Date of opening	Owner-ship of
1	2	3	4	5
1	South East	Rain Basera, Sarai Kale khan - -	02.12.2016	Porta Cabin
2	South East	Bus Stand PulPrahladpur MB Road	14.03.2017	Porta Cabin
3	South East	AAMC In front of Mandir, Ring Road Kilokari, Close	14.03.2017	Porta Cabin
4	South East	AAMC Flood Control land AbulFazal Enclave	14.03.2017	Porta Cabin
5	South East	AAMC Flood Control land ShaheenBagh	14.03.2017	Porta Cabin

1	2	3	4	5
6	South East	AAMC Under Footover Bridge Batra Hospital near Sant Narayan Mandir Bus Stand	14.03.2017	Porta Cabin
7	South East	AAMC MB Road Sri MaaAnandmayi Marg Prem Nagar	14.03.2017	Porta Cabin
8	North East	New A-118, MS Market, Second Pusta Main Road, New Usmanpur, Delhi	16/03/2017	Porta Cabin
9	North East	Infront of Galaxy Salon Centre, Gali No. 2, Pusta-3, Usmanpur, Delhi	16/03/2017	Porta Cabin
10	Shahdara	AAMC Porta Cabin:- Road no. 65 in front of Janta colony	9.3.2017	Porta Cabin
11	Shahdara	AAMC Porta Cabin:- Road no. 66, along drain no. 1 in front of EDMC Court	9.3.2017	Porta Cabin
12	Shahdara	AAMC Porta Cabin:- Near Jama masjid.behind MCD Primary School,Old Seema puri	15.3.2017	Porta Cabin
13	Shahdara	AAMC Porta Cabin:- Road No. 69, Gagan crossing to Tahirpur, Near Anand Gram Ashram Bus stand.	15.3.2017	Porta Cabin
14	Shahdara	AAMC Porta Cabin:- Gagan Cinema Xing towards Sunder Nagri	17.3.2017	Porta Cabin
15	Shahdara	AAMC Porta Cabin:- Near Bus Depot of DTC.Seemapuri,Delhi	17.3.2017	Porta Cabin
16	Shahdara	AAMC Porta Cabin:- Below GT Road Flyover, Near Mansarover Park,Metro Station infront of Friends colony, Jwala Nagar	17.3.2017	Porta Cabin
17	Shahdara	AAMC Porta Cabin:- AAMC, Basti Vikas Kendra, Kailash Nagar, Chander Puri Railway Line, Old Seelam Pur, Delhi-	4.11.2016	DUSIB Building

1	2	3	4	5
18	west	AAMC 12 Block Tilak nagar DUSIBLand	18-03-17	Porta Cabin
19	west	AAMC DUSIB Land EWS Flat Baprola (AC-31 Vikashpuri)	15-03-17	Porta Cabin
20	west	AAMC School ID : 1720014Sarvodya Sr. Secondary SKV Janakpuri D Block No.-I (AC-30 Janakpuri)	01-04-17	Porta Cabin
21	west	AAMC Peeragarhi Near PWD office (AC-11 Nangloi Jat)	15-03-17	Porta Cabin
22	west	AAMC J J Cluster colony,Meera bagh (AC-15 Shakur Basti)	15-03-17	Porta Cabin
23	west	AAMC Mohalla Clinic Peeragarhi, Peeragarhi relief camp	08-07-15	Porta Cabin
24	North-West	Vacant Land opposite House no 83 lBlock-G, Shakurpur, Ranjeet nagar DGD Shakurpur (North West) AC-16 Tri Nagar	11.3.2017	Porta Cabin
25	North-West	Adj. Delhi grant. Library MCD Sulabh Shauchalaya, Opp. Dusib sulabh toilet, Wazirpur, JJ Colony, Ranjeet Nagar AC 17 Wazirpur	11.3.2017	Porta Cabin
26	North-West	Vacant land of Dusib, In front of house no.-307, Block -I,Shakurpur, Ranjeet Nagar DGD Shakurpur AC-16, Tri Nagar	11.3.2017	Porta Cabin
27	North-West	Along Railway wall kela godan road opposite BC block Shalimar Bagh AC-14 Shalimar Bagh Delhi.	11.3.2017	Porta Cabin

1	2	3	4	5
28	North-West	Outside Govt. SR. Secondary School, Mangolpuri khurd delhi. AC-12 Mangolpuri	11.3.2017	Porta Cabin
29	North-West	On the bank of nala,Rithala village, Rithala, Delhi.	11.3.2017	Porta Cabin
30	North-West	In front of Amrit Enclave Shahid Bismil Marg Deepali Chowk, AC-13. Pitampura	11.3.2017	Porta Cabin
31	North-West	Near Ran Basera, Cement siding, Shakur Basti Railway station	26.12.16	Porta Cabin
32	North West	B-125. Pratap Vihar-3, Suleman Nagar, Delhi-86	01-12-17	Porta Cabin
33	North West	Sec-16, near Sukdev Management College Rohini	17-02-18	Porta Cabin
34	North West	Sec-17, Near TPDDL Office, Rohini	17-02-18	Porta Cabin
35	North West	Village Ghevra, Munka	17-02-18	Porta Cabin
36	North West	Village Nizam Pur, Mundka	17-02-18	Porta Cabin
37	EAST	AAMC TALAB CHOWK: Talab Chowk Mandawali Fazalpur, Delhi -92	17.04.2016	Porta Cabin
38	EAST	AAMC Vasundhara Enclave: in front on Persona Elite Gym, Vasundhara Enclave Delhi	14.03.2017	Porta Cabin
39	EAST	AAMC Kondli Gharoli : Shiv Mandir Kondli Gharoli Dairy Farm Delhi	14.03.2017	Porta Cabin

1	2	3	4	5
40	EAST	AAMC Khichripur: Block 5 Khichripur Delhi	14.03.2017	Porta Cabin
41	EAST	AAMC Kalyanpuri: Block no. 19 Kalyanpuri Delhi	14.03.2017	Porta Cabin
42	EAST	AAMC Shashi Garden: Shastri Mohalla Shashi Garden Delhi	10.03.2017	Porta Cabin
43	EAST	AAMC, CPA Building, Shakarpur	14.03.2017	Porta Cabin
44	EAST	AAMC Prachin Shiv Mandir, Mayur Vihar phase-3, Pragati Marg Near Bharti Public School	14.03.2017	Porta Cabin
45	Central	Mohalla Clinic Nathupura: - Budh Bazar Road, Nathupura, Burari, Delhi	28.03.2016	Porta Cabin
46	Central	AAMC Sindorakalan Opposite nav bharti school sindorakalan, Delhi	14.03.17	Porta Cabin
47	Central	AAMC Kamla Nagar Oppsite Primary School Madavaliya School, Kamla Nagar, Delhi 07	14.03.17	Porta Cabin
48	Central	AAMC Yamuna Pushta Rain Basera Yamuna pusta AC-20 Chandi chowk	25.11.16	Porta Cabin
49	Central	AAMC Hanuman Mandir Rain Basera, Hanuman Mandir, ISBT, Delhi.	14.03.17	Porta Cabin
50	Central	AAMC Multani Dhanda Plot no.9857-59, gali no.5/6, Mutani Dhanda, Paharganj	15.02.17	Porta Cabin
51	Central	AAMC Aram Bagh Near Centeral Park Aaram Bagh Road, Delhi-05	21.01.17	Porta Cabin
52	South	Block-E-7, Dakshinpuri	14-03-17	Porta Cabin

1	2	3	4	5
53	South	E-5, Dakshinpuri (only innaugrated)	14-03-17	Porta Cabin
54	South	Mahila Vikas Kendra. Tigri, Sangam Vihar	14-03-17	Porta Cabin
55	South	Lndo Sarai, M B Road	14-03-17	Porta Cabin
56	South	JJ Cluster tigri, Near MLA Offcie	14-03-17	Porta Cabin
57	South	M G Road Sultanpur (only innaugrated)	14-03-17	Porta Cabin
58	South West	Govt. Girls school Dwarka Sec-3 school ID-1821203	14-03-17	Porta Cabin
59	South West	Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalay Sec-10 Dwarka School 1D-1821137	14-03-17	Porta Cabin
60	South West	Rain Basera, Punarwas Colony, Dwarka Sec-1	14-03-17	Porta Cabin
61	South West	School ID-1821026. SKV Chhawla	14-03-17	Porta Cabin
62	South West	School ID-1821036, GBSSS, Chhawla	1,4-03-17	Porta Cabin
63	South West	School ID-1821034, Govt coed S.Sec School, kanganheri	14-03-17	Porta Cabin
64	South West	School ID-1822012, GBSSS, Kair	14-03-17	Porta Cabin
		65 Porta Cabins 2 porta cabins (South District only innaugrated)		

Total 164 AAMCs are functional (101 Rented and 63 Porta Cabins) as on 15/03/2018

List of 25 Porta Cabins taken over by CDMO

Sl. No.	Name of District	Handover Site by PWD with Full Site Address	Ready for Possession	Taken over by CDMO
1	2	3	4	5
1	Central	BELOW METRO NEAR SAI MANDIR AC-19 SADAR BAZAR	yes	yes
2	Central	karol bagh	yes	yes
3	North	AZADPUR SABZI MANDI	yes	yes
4	North	AZADPUR FRUIT MANDI	yes	yes
5	North West	NIZAMPUR AC-8 MUNDKA-GRAM SABHA	yes	hold by HM
6	North West	BANK OF NALA, BACK SIDE OF FIRE STATION SECTOR-16, ROHINI	yes	yes
7	North West	B-125, KHASARA NO.-447, PRATAP VIHAR, KIRARI DELHI	yes	yes
8	North West	BANK OF NALA, Near TPDDL office, SECTOR-17, ROHINI	yes	yes
9	North West	Kanjhawala	yes	dispute court order
10	North West	Ghewara	yes	yes
11	Shahdara	A-3, NANAD NAGRI NEAR DEV MEDICAL (AC-63, SEEMAPURI)	yes	yes
12	Shahdara	OPPOSITE SIDHARTH INTERNATION SCHOOL ON WAZIRABAD ROAD (AC-64 ROHTASNAGAR)	yes	yes

1	2	3	4	5
13	Shahdara	ON ROAD NO. 57 NEAR BIHARI COLONY, BESIDE METRO LINE OPPOSITE OF AZAD NAGAR (AC-62 SHAHDARA)	yes	yes
14	Shahdara	BALABIR NAGAR, BABARPUR (AC-67)	yes	yes
15	Shahdara	ON LEFT BANK SIDE ALONG WITH BOUNDARY WALL TOWARDS DRAIN SIDE NEAR RD NO. 8280M OF TRUNK DRAIN NO. 1 (AC-67)	yes	yes
16	Shahdara	SHAHADRA FLY OVER, NEAR DTC QEPOT SHAHADRA (AC-64 ROHTASNAGAR)	yes	
17	Shahdara	Yamuna Vihar Bus Terminal	YES	yes
18	South	E.5 DAKSHINPURI, (AC 47 DEOLI)	yes	yes
19	south	MG ROADSULTANPUR (AC-46 CHHATERPUR)	yes	yes
20	South	E2-10, DUSIB PREMISIS, DAKSHINPURI, NEW DELHI (AC-47 DEOLI)	yes	yes
21	South East	TEJPUR PAHARI SCHOOL AC-53 BADARPUR	yes	yes
22	South West	SCHOOL ID: 1822055, GOVT. CO-ED SARVODYA SENIOR SECONDARY SCHOOL, JAFARPUR KALA (AC-35 NAJAFGARH)	yes	yes

1	2	3	4	5
23	West	DUSIB LAND, SRC COLONY BARKARWALA (AC-31 VIKASHPURI)	YES	YES
24	West	chandra vihar	YES	YES
25	West	subhash nagar	YES	YES

AAM AADMI MOHALLA CLINICS

(West & South-West) Dwarka Delhi

Dated : 15.03.2018

Ready for Handover

Sl.No.	Site Name & Address	CDMO Name
1	Near Govt Sarvodya Bal Vidyalaya Shadrapuri, Boundary Wall (AC-25 Moti Nagar)	Dr. S Prasad
2	Ranhoola Extn. Najafgarj-Nagloi Road (AC-11 Nangloi Jat)	
3	School ID: 1514005, SARVODYA SR. SECONDARY SCHOOL GURUDWARA ROAD TILAK NAGAR (AC-29 Tilak Nagar)	
1	In front of Khushiya Party hall, site for govt hospital Binda Pur	Dr. Rajesh Gilani
2	Sarvodya Sr. Secondary School PAPRAWAT (AC-35 Najafgarh)	
3	School ID : 1515022 Govt co-ed sr. sec. school Panwal kalan	

Sl.No.	Site Name & Address	CDMO Name
4	School ID : Govt co-ed sr.sec.schhol Rawata	
5	Govt.Coed sec school Dwarka sector 16 school ID:1821242 (AC-33 Dwarka)	
6	Govt.Co-ed Senior Sec school Pochan Pur Dist. South West school ID: 1821037 (AC-34Matiala)	
7	School ID : 1822010, GOVT. BOYS SENIOR SECONDARY SCHOOL Ghumanhera (AC-34 Matiala)	
8	School ID : 1821282 Sarvodya co. ed Sr. Secondary School sector-22, Dwarka (AC-33 Dwarka)	

AAM ADM I MOHALLA CLINICS (Porta Cabin)
EAST & NORTH -EAST ZONE

Dated : 15.03.2018

Ready for Handover

Sl. No.	Detail of sites	CDMO Name	Remarks
1	2	3	
1	Shaeed Shukhdev Business Collage, Near satyam Enclave(AC-62 Shahdara)	Dr. Rajesh, Mob.No. 8745011363	
2	Red Cross Hospital, dilshad garden (AC-62 Shahdara)		
3	Below ROB Wazfeabad Road Ashok Nagar Side (AC-66 Ghonda)		
4	Road No. 68. Near ROB Towards Nand Nagri (AC-68 Gokalpur)		

1	2	3
5	On drain No.l in front of Kabir Nagar (at corner of culvert)	
6	Below loop at stating point of Geeta colony Fly over (Kailash Nagar side) AC-61 Gandhinagar	
7	Below Flyover on wazirabad Voad, Khajoori Chowk (AC-66 Ghonda)	DR. Sheghal, Mob.No.
8	Ghari Gaon, Pusta road, New Delhi (AC-66 Ghonda)	08745011360
9	Gokulpuri Road no. 59, Near Police station building (AC-68 Gokalpur)	

AAM AADMI MOHALLA CLINIC (Porta Cabin) Dated : 15.03.2018

DISTT: Central, New Delhi, South and South-East of Delhi.

Ready for handover

Sl. No.	Site Name with Address	CDMO Name	Remarks
1	Plot No. 223, Khasra No. 630 Min, Ghitorani AC-46 Chhaterpur	Dr. A K Jhamrani	
2	AAM container office, Jwalaheri	Dr.Reeta	
3	AAM Pharmacy, lnfront of Applo hospital. Sarita vihar(AC-54 OKHLA)	Dr. Geeta (8745011371)	
4	Andheria Mor, Mahrauli	Dr. G.C.Malik (8745011335)	

148. श्री रघुविद्र शौकीन : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के प्रबंधन वाले अस्पतालों की सूची तथा पिछले दस वर्षों में इनमें से प्रत्येक अस्पताल में बढ़ाए गए बिस्तारों की संख्या क्या है;

(ख) 1031 हेल्पलाइन की निगरानी के लिए कुल कितनी बैठकें हुईं और उनमें उठाए गए मुद्दे व उन पर हुई कार्रवाई रिपोर्टों का विवरण क्या है;

(ग) 1031 हेल्पलाइन पर कुल कितनी शिकायतें दर्ज की गईं और उनमें से कितनों का निवरण किया गया, पूरी सूची उपलब्ध कराएं;

(घ) शिकायतों को दर्ज़ करने के मामले में कौन से नीति या प्रबंधन संबंधी परिवर्तन किए गए हैं; और

(ङ) ऐसे सभी निर्णयों की सूची उपलब्ध कराएं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) सूची संलग्न है।

(ख) 1031 हेल्पलाइन का प्रबंधन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित नहीं है।

(ग) सूची संलग्न है।

(घ) उपरोक्त 'ख' के अनुसार लागू नहीं है।

(ङ) उपरोक्त 'ख' के अनुसार लागू नहीं है।

क्र.सं.	हॉस्पिटल्स	पिछले 10 वर्षों में बढ़ाये गये बिस्तारों की संख्या
1	2	3
1.	अरुणा आसफ अली सरकारी अस्पताल राजपुरा रोड, नई दिल्ली	50
2.	आचार्य री भिक्शू सरकारी अस्पताल, मोती नगर, नई दिल्ली	50
3.	अत्तर सैन जैन आई और जनरल हॉस्पिटल, लॉरेंस रोड, नई दिल्ली	कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।
4.	ए और यू तिब्बिया कॉलेज और अस्पताल, करोल बाग, दिल्ली	कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।
5.	भगवान महावीर अस्पताल, पीतमपुरा, दिल्ली	195
6.	बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल, जहांगीर पुरी, दिल्ली	कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।
7.	डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, रोहिणी, दिल्ली	कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।
8.	चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, गीता कॉलोनी, दिल्ली	05
9.	चो. ब्राह्मण प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान, खेड़ा डाबर, दिल्ली	कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।
10.	दी दयाल उपाध्याय अस्पताल, हरि नगर, दिल्ली	140
11.	डा. हेडगेवार आरोग्य संस्थान, करकरडूमा, दिल्ली	कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

1	2	3
12.	दादा देव मेत्री एवं शिशु चिकित्सालय, डाबरी, दिल्ली	42
13.	दीप चंद बन्धु अस्पताल, अशोक विहार, चरण–4, दिल्ली	वर्तमान में 200 विस्तर हैं 400 बिस्तर प्रस्तावित है।
14.	दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली	82
15.	डॉ. बी.आर. सुर होमो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, नानकपुरा, नई दिल्ली	कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।
16.	गुरु नानक नेत्र केन्द्र, महाराजा रणजीत सिंह मार्ग, दिल्ली	28
17.	गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दिलशाद गार्डन, दिल्ली	605
18.	गोबिंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल, जेएल नेहरू मार्ग, दिल्ली	134
19.	गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल, रघुबीर नगर, दिल्ली	100
20.	इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज, दिलशाद गार्डन, दिल्ली	111
21.	इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस, वसंत कुंज, नई दिल्ली	217
22.	जगप्रवेश चंद्र अस्पताल, शास्त्री पार्क, दिल्ली	कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।
23.	स्वास्थ्य केन्द्र–सह–मातृत्व अस्पताल, कांती नगर, दिल्ली	कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।
24.	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, खिचड़ीपुर, दिल्ली	कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

1	2	3
25.	लोक नायक अस्पताल, जेएल नेहरू मार्ग, दिल्ली	377
26.	महर्षि वाल्मीकि अस्पताल, पुथ खुर्द, दिल्ली	50
27.	पं. मदन मोहन मालवीय अस्पताल, मालवीय नगर, दिल्ली	100
28.	मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, बीएसएजी मार्ग, नई दिल्ली	कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।
29.	डॉ. एनसी जोशी मेमोरियल अस्पताल, करोल बाग, दिल्ली	30
30.	नेहरू होमो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली	कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।
31.	प. राव तुला राम मेमोरियल अस्पताल, जाफरपुर, नई दिल्ली	कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।
32.	राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ताहिरपुर, दिल्ली	कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।
33.	संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, ताहिरपुर, दिल्ली	कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।
34.	सत्यावादी राजा हरीश चंद्र अस्पताल, नरेला, नई दिल्ली	कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।
35.	सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल, पटेल नगर, दिल्ली	कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।
36.	जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जनकपुरी, दिल्ली	50
37.	मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज	लागू नहीं है।

Complainant Feedback Received							Pending Faedback	
Sl. No.	Department	Total (1+2+3+4)	Satisfactory (1)	Partially Satisfactory (2)	Not Satisfactory (3)	Not Contactable (P1)	Incorrect Number (P2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	G B Pant Hospital	1120	315	6	799	437	37	3
2	Baba Saheb Ambedkar Hosptial	825	255	8	452	323	42	2
3	Guru Tegh Bahadur Hospital	824	325	12	477	376	35	2
4	Lok Nayak Hospital	771	247	8	516	281	34	1
5	Deen Dayal Upadhyay Hospital	530	181	5	344	217	19	10
6	Bhagwan Mahavir Hospital	293	59	1	233	93	7	5
7	Sanjay Gandhi Memorial Hospital	268	169	6	93	115	12	6
8	Lal Bahadur Shastri Hospital	232	122	3	107	103	11	4
9	Jag Pravesh Chandra Hospital	190	90	2	98	75	6	6
10	Guru Nanak Eye Centre	185	89	1	95	105	5	8
11	Rao Tula Ram Memorial Hospital	168	91	1	76	50	7	3
12	Guru Gobind Singh Govt. Hospital	164	120	3	41	59	7	5

13	Deep Chand Bandhu Hospital	163	77	1	85	59	7	5
14	Acharyashri Bhikshu Govt. Hospital	159	102	2	55	66	7	4
15	Hedgewar Arogya Sansthan, Hospital	113	90	4	19	98	5	6
16	Pt. Madam Mohan Malviya Hospital	107	45	4	58	41	6	3
17	Janakpuri Super Speciality Hospital	105	29	02	76	51	2	2
18	Maharishi Balmiki Hospital	91	38	1	52	42	9	3
19	Babu Jagjiwan Ram Memorial Hospital	83	23	0	60	60	3	27
20	Shri Dada Dev Maitri and Shishu Chikitsalya	77	35	1	41	20	3	21
21	Sardar Vallabh Bhai Patel Hospital	76	34	2	40	22	7	22
22	Aruna Asaf Ali Government Hospital	74	51	0	23	25	0	22
23	Satyavati Raja Harish Chander Hospital	66	44	1	21	36	1	16
24	Delhi State Cancer Institute	49	20	1	28	12	0	12
25	A And U Tibbia College	41	26	0	15	25	3	9
26	Maulana Azad Medical College	38	13	0	25	23	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Chacha Nehru Bal Chikitsalaya, Hospital	34	7	1	26	9	1	
28	CDMO North	33	5	2	26	4	0	
29	N. C Joshi Memorial Hospital	33	18	0	15	23	2	
30	Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital	26	7	1	18	14	0	
31	CDMO East	23	9	1	13	8	1	
32	Nehru Homeopathic Medical College and Hospital	16	4	0	12	5	0	
33	CDMO South	12	6	0	6	3	0	
34	Institute of Human Behaviour and Allied Sciences	12	8	1	3	2	0	
35	Ch Brahm Prakash Ayurvedic Charak Sansthan	10	3	0	7	9	0	
36	CDMO SW	8	5	0	3	1	0	
37	Attar Sain Jain Eye and General Hospital	7	6	0	1	0	1	
38	CDMO NWD	7	6	0	1	5	0	

39	B.R. Sur Homeopathic Medical College Hospital and Research Centre	2	1	0	1	0	0	
40	CDMO Central	2	0	0	2	1	0	
41	Institute of Liver and Billary Sciences	2	1	0	1	2	0	
42	CDMO NDD	0	0	0	0	0	0	
43	CDMO NED	0	0	0	0	2	0	
44	CDMO Shahdara	0	0	0	0	0	0	
45	CDMO South East	0	0	0	0	0	0	
46	CDMO West	0	0	0	0	0	0	
	Total	7039	2896	79	4064	2906	280	1958

149. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा के विजय विहार लाल फ्लैट के समीप स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा भू–भाग खाली पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उस भूमि को लेकर सरकार की क्या योजना हैं;

(ग) क्या सरकार की इस स्थान पर पोली क्लिलिक खोलने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां, दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 14.11.2012 को 1000 वर्ग गज का भूखण्ड दिल्ली सरकार को औषधालय के निर्माण हेतु आबंटित किया गया था जिसकी कब्जा कार्यवाही दिनांक 19.06.2014 को हो गई थी और दिनांक 19.06.2014 को ही उक्त भूखण्ड लोक निर्माण विभाग को आगे निर्माण से संबंधित कार्यवाही हेतु दे दिया गया था।

(ख) आबंटित खाली भूमि पर नई पॉलिक्लीनिक खोलने की योजना विचाराधीन है।

(ग) जी हां।

(घ) नई पॉलिक्लीनिक खोलने के लिए नीति के निर्माण के लिए विचाराधीन है।

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

150. श्री अजय दत्त : क्या **उपमुख्यमंत्री/मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दिल्ली में कितने मौहल्ला क्लीनिक कहां–कहां पर बनाऐ जा रहे हैं; और

(ख) ये मोहल्ला क्लिनिक कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे?

उपमुख्यमंत्री/मंत्री : (क) 139 संभावित जगह पर मौहल्ला क्लीनिक बनाये जा रहे है (सूची संलग्न है)*

(ख) कार्य प्रक्रिया के अंतर्गत है। आठ महीने में कार्य शुरू हो जागए। 4 महीने निर्माण में, 2 महीने पानी बिजली कनैक्शन आदि और 2 महीने स्टॉफ, दवाइयां आदि पूरा करने में। इसके अलावा 471 अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) मिल चुके हैं।

151. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकास मार्ग से आनन्द विहार तक डिवाइडर पर ग्रीनरी के रखरखाव का दायित्व किसका है;

(ख) इस कार्य के लिए कितना और कौन–कौन सा स्टाफ तैनात किया गया है;

---

* www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

(ग) सरकार इसके रखरखाव के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(घ) क्या सरकार का स स्थाल पर घास एवं पेड़–पौधे आदि लगाने का प्रस्ताव है;

लोक निर्माण मंत्री : (क) ग्रीनरी के रखरखाव का कार्य इस अंचल के अंतर्गत उप–निदेशक (उद्यान) (पूर्व)/एम–214 के अंतर्गत आता है।

(ख) इस ग्रीनरी के रखरखाव हेतु निम्नलिखित स्टाफ जवाबदेह है।

1. श्री यू.के. शर्मा, उप–निदेशक (उद्यान)
2. श्री श्याम लाल मीणा, सहा. निदेशक (उद्यान)
3. श्री त्रिलोक चन्द, अनुभाग अधिकारी (उद्यान)

(ग) लोक निर्माण विभाग द्वारा लगातार इस ग्रीनरी की रखरखाव किया जा रहा है।

(घ) जी हां।

152. **श्री ओम प्रकाश शर्मा** : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विकास मार्ग चौक पर स्थित डिवाइडर पर अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इनको हटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) विकास मार्ग चौक कब तक अनधिकृत कब्जों से मुक्त कर दिया जायेगा;

(घ) क्या यह सत्य है कि विकास मार्ग और विकास मार्ग चौक पर सड़क की हालक बहुत ही खराब है;

(ङ) यदि हां, तो इस मार्ग की मरम्मत और रखरखाव के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है;

(च) इस मार्ग का रखरखाव और देखरेख कब तक सामान्य हो जाएगी;

(छ) क्या इसके लिए अलग से धनराशि की आवश्यकता होगा या विद्यमान बजट में से ही यह कार्य करवा लिया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क) फिलहाल, इस डिवाईडर पर कोई स्थाई अतिक्रमण नहीं है।

(ख) एस.टी.एफ. द्वारा गठित कमेठी द्वारा अस्थायी अतिक्रमण समय–समय पर हटाया जाता है।

(ग) सभी तरह के अनधिकृत कब्जों को हटाने की जिम्मेवारी इ.डी.एम.सी. की है। लो.नि.वि. केवल logistic support जैसे कि लेबर, जे.सी.बी. इत्यादि उपलब्ध कराता है।

(घ) सड़क की मरम्मत के लिए आवश्यक प्राशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त हो गई है व एन.आई.टी. प्रक्रिया में है।

(ङ) टेंडर अवार्ड के बाद कार्य सम्पन्न किया जाएगा। दिन प्रतिदिन की मरम्मत का कार्य विभाग द्वारा लगातार किया जा रहा है। ट्रैफिक मूवमेंट में किसी तरह की कोई अडचन नहीं है।

(च) सभी कार्य सम्पन्न कराने का लक्ष्य 30.06.2018 है।

(छ) अलग से बजट की आवश्यकता नहीं है।

153. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अभी तक इस ब्रिज का कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो पाया है, निर्माण के विभिन्न चरणों का विस्तृत विवरण क्या है;

(ग) इसके निर्माण में देरी के क्या कारण हैं;

(घ) इसके निर्माण के लिए इस वर्ष आबंटित बजट, उसमें से व्यय राशि और वर्ष 2018–19 में व्यय के अनुमान का विवरण क्या है;

(ङ) इस ब्रिज को कब तक जनता के लिए खोल दिये जाने की आशा है;

(च) क्या इस पुल के निर्माण में फरवरी मार्च में राशि उपलब्ध न होने के कारण कोई बाधा आई; और

(छ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

लोक निर्माण मंत्री : (क) डी.टी.टी.डी.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण प्रगति पर है वर्तमान प्रगति 96 प्रतिशत है।

(ख) डी.टी.टी.डी.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लगभग 96 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। बुनियादें, सब सट्रक्चर का कार्य पूर्ण हो चुका है

पायलन इरेक्शन, केवलों के लगाने का कार्य, लिफ्ट व सुन्दरीकरण का कार्य चल रहा है।

(ग) डी.टी.टी.डी.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसारः

i. जंगल हटाने को देरी से अनुमति मिलना।

ii. बैक स्टे फांउडेशन में दोनों दिशाओं में डिपिंग राक मिलने के उपरान्त उसका तकनीकी व सुचारु रूप से समाधान निकालना।

(घ) आबंटित बजट (2017—18) — रु. 170 करोड़

व्यय राशि (2017—18) — रु. 100 करोड़

अनुमानित बजट (2017—18) — रु. 100 करोड़

(ङ) डी.टी.टी.डी.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस ब्रिज को ट्रायल रन हेतु जून, 2018 तक खोल दिये जाने की कोशिश है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध होना अनिवाय्र है।

(च) डी.टी.टी.डी.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार समुचित बजट न मिलने से कार्य प्रगति में बाधा आने की संभावना है।

(छ) डी.टी.टी.डी.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संशोधित प्राक्कलन की संस्तुति न होने के कारण समय से संशोधित बजट का उपलब्ध न होना।

154. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गांव पुरानी नांगल, प्रहलादपुर, मेहराम नगर, ऐयर फोर्स और मान ज्योति स्कूल पालम के पास फुटओवर ब्रिज बनवाने के लिए प्रस्ताव दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो अभी तक इस फुटओवर ब्रिज का कार्य शुरू नहीं किये जाने के क्या कारण है;

(ग) उक्त सभी स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज बनवाने के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस फुट ओवर ब्रिज का कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क)

1. गांव पुरानी नागल के पास प्रस्ताव मिला था। परन्तु यह रोड़ लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है।

2. प्रहलादपुर लोक निर्माण विभाग के अर्न्तगत नहीं आता है।

3. मेहराम नगर लोक निर्माण विभाग के अर्न्तगत नहीं आता है।

4. ऐयर फोर्स और मान ज्योति स्कूल लोक निर्माण विभाग के अर्न्तगत नहीं आता है।

(ख) उपरोक्त क के अनुसार सम्बन्धित नहीं है।

(ग) उपरोक्त क के अनुसार सम्बन्धित नहीं है।

(घ) उपरोक्त क के अनुसार सम्बन्धित नहीं है।

155. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि नारायणा गांव के सामने रिंग रोड पर स्थित पुल के नीचे लगभग 1 किलोमीटर की खाली जगह है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इस जगह को विकसित कर उसके सौन्दर्यीकरण की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां, खाली जगह उपलब्ध है।

(ख) उक्त स्थान दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सौन्दर्यीकरण हेतु सुपुर्द किया जा चुका है।

(ग) चूंकि उक्त स्थान सौन्द्रींकरण हेतु दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सुपुर्द किया जा चुका है। अतः इस विभाग के पास इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

156. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सीबी नारायणा औद्योगिक एरिया के पास अवार्ड संख्या 1024 के अंतर्गत 16.527 एकड़ भूमि का आबंटन दिनांक 23.06.1960 को किया गया था;

(ख) इस जमीन का क्या उपयोग किया गया और इस पर कितना बजट खर्च किया गया;

(ग) यह भूमि वर्तमान में किसके स्वामित्व में है और कब से;

(घ) इस भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां, आबंटन किया गया था।

(ख) इस जमीन पर डीएसआईआईडीसी द्वारा 4.579 एकड़ जमीन पर 216 एमएलडी का एसटीपी प्लान्ट बनाया गया है। 0.82 एकड़ डीएमआरसी को अस्थायी तौर पर कन्क्रीट प्लान्ट लगाने हेतु दिया गया है। दिल्ली कैन्टोमेन्ट बोर्ड द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण कर 5 पोर्टा केबिन बनाये गये है एवं 1 एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा खर्चा शून्य है।

(ग) यह स्थान अगस्त, 2016 में लोक निर्माण विभाग (प्रोजेक्ट) को हस्तान्तारित हुआ है। यह स्थान लोक निर्माण विभाग एवं दिल्ली कैन्टोमेन्ट बोर्ड के मध्य स्वामित्व का मामला लम्बित है।

(घ) यह स्थान विवादित है तथा लोक निर्माण विभाग एवं दिल्ली कैन्टोमेन्ट बोर्ड के मध्य स्वामित्व का मामला लम्बित है। इसकी सूचना पुलिस को दिनांक 24.01.2018 को एफआईआर दर्ज करा दिया गया है जिसका संदर्भ डीडी नंबर 368 दिनांक 24.01.2018 एवं ऑनलाईन शिकायत का संदर्भ संख्या ई 2018/490 है।

157. श्री चौ. फतेह सिंह : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्लान एवं नॉन–प्लान हैड के अंतर्गत वर्ष 2015 से लेकर 2017–18 तक कौन–कौन से कार्य किए गए है;

(ख) संबंधित विभाग द्वारा इन कार्यों पर कितनी–कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) इसका सिलसिलेवार पूरा ब्यौरा क्या है;

(घ) आगामी वित्त–वर्ष में गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्लान एवं नॉन–प्लान हैड के अंतर्गत कौन–कौन से कार्य किये जाने की योजना है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में प्लान हैड के अंतर्गत वर्ष 2015 से लेकर 2017–18 तक निम्नलिखित कार्य कराए गएः–

1. एक मोहल्ला क्लीनिक बनाया गया है जिसमें अब तक लगभग 11.75 लाख रुपये खर्च किए हुये।

2. Construction of Box type culvert on Road No. 59, Mandoli Jail Road No. 63, Widening of Jail Road western side of Jail Complex, Bank Colony Road, Remodeling of drain = 275 Lacs

गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा नॉन–प्लान हैड के अंतर्गत 2015 से लेकर 2017–18 के कार्य निम्नलिखित प्रकार से हैः–

(i) Patch repair/Portholes Repair, Desilting day to day maintenance, clean ing, painting etc.=160 lacs.

(ख)

(i) प्लान = 286.75 लाख (11.75+275)

(ii) नान–प्लान = 160 लाख

(ग) उपरोक्त (क) के अनुसार

(घ) वजीराबाद रोड, मुख्य सड़क, रोड़ सं. 59(partly), 63(partly) के सुधारीकरण की योजना है। तथा आगामी वित्त–वर्ष में गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में प्लान हैड में तीन मोहल्ला क्लीनिक बनाने का कार्य प्रस्तावित है।

158. श्री चौ. फतेह सिंह : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के वजीराबाद पुल पर कई सालों से निर्माणाधीन सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण कार्य कब पूरा हो जाएगा;

(ख) इस पुल के निर्माण कार्य को आरम्भ करने से पूर्व इस सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण पर कितना धनराशि व्यय होने का अनुमान लगाया गया था;

(ग) अब तक इस पुल के निर्माण कार्य पर कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है;

(घ) सम्बन्धित ठेकेदार/कम्पनी द्वारा इस पुल के निर्माण कार्य करने की क्या समय–सीमा दी गई है तथा उसका पूरा विवरण क्या है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) डी.टी.टी.डी.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस ब्रिज को ट्रायल रन हेतु जून, 2018 तक खोल दिये जाने की कोशिश है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध होना अनिवार्य है।

(ख) डी.टी.टी.डी.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रु. 1131 करोड़ के व्यय का अनुमान लगाया गया था।

(ग) रु. 1344 करोड़

(घ) डी.टी.टी.डी.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार करार से सिग्नेचर ब्रिज के कार्य समापन करने की समय सीमा दिसम्बर, 2013 तक थी। अब यह कार्य जून, 2018 तक समाप्त कर लिया जाएगा।

159. श्री चौ. फतेह सिंह : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में लोक निर्माण विभागों के नालों की सफाई के सम्बन्ध में दिल्ली सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इन नालों की डिसील्टिंग के बाद सिल्ट डालने के लिए भूमि उपलब्ध न होने के कारण दिल्ली नगर निगमों से जो विवाद चल रहा था, क्या उसका समाधान हो गया है;

(ग) सिल्ट डालने के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या यह भूमि लैण्डफिल के लिए उपलब्ध हो चुकी है;

(ङ) इन नालों के सफाई के कार्य की पूर्णता कब तक सुनिश्चित कर दी जाएगी तथा उसका पूरा ब्यौरा क्या है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत समस्त नालों की डिसील्टिंग वार्षिक रूप में की जाती है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली नालों की सफाई हेतु निविदायें/सभी मंडल कार्यालयों में आमंत्रित की जा रही हैं। कार्य का आरम्भ 15.04.2018 तक करने का लक्ष्य है।

(ख) उत्तरी अंचल के अन्तर्गत डिसील्टिंग सामग्री को भलस्वा लैण्डफिल क्षेत्र में डाला जाता है तथा इस सम्बन्ध में वर्तमान में उत्तरी दिल्ली नगर निगम से कोई विवाद नहीं है।

पूर्वी अंचल के अधीन क्षेत्र में यह विवाद चल रहा है जिसका दिनांक 14.03.2018 तक कोई समाधान नहीं हो पाया है।

(ग) इस मामले को आयुक्त पूर्वी दिल्ली नगर निगम एवं उच्च अधिकारियों की जानकारी में लाया गया है कि डिस्लटिंग का मलबा डालने हेतु भूमी उपलब्ध कराई जाए।

(घ) डी.डी.ए. ने अपने पत्र सं. F.27(26)/IK/11/286 दिनांक 01.03.2018 के द्वारा ई.डी.एम.सी. को गीता कॉलोनी के पास लैण्ड फिल हेतु जगह दी है।

(ङ) बरसात से पहले नालों की सफाई का कार्य पूरा कर लिया जाता है। इस बार भी 15 जून, 2018 से पहले सफाई का कार्य पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

160. श्री अजेश यादव : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बादली विधानसभा का 66 फुटा रोड पिछले तीन साल से नहीं बनाया गया है;

(ख) इसे अब तक न बनाने का क्या कारण है;

(ग) बादली विधानसभा में विगत 2 वर्षों में कितने डार्क स्पॉट्स पर लाइटें लगायी गयी हैं;

(घ) मुकरबा चौक बाइपास पर कितनी हाई मास्ट लाइट लगी हुई हैं और उनमें से कितनी काम करती हैं;

(ङ) क्या यह सत्य है कि बादली विधानसभा के मुकरबा चौक बाइपास पर बस शेड नहीं बना है और न ही पीने के पानी की व्यवस्था है;

(च) उक्त स्थान पर ये सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) Utilitiy Service Agencies TPDDL, DJB, MTNL etc. द्वारा सडक को services डालने के लिए लगातार काटा जाता रहा है तथा अभी तक services डालने के कार्य का समापन प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया है जिसके कारण

यह कार्य करने में देरी हो रही है। हालांकी इस कार्य की A/A & E/S सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के लिए प्राक्कलन under process है।

(ग) बादली विधानसभा के अन्तर्गत मंगल बाजार रोड, जहांगी पुरी में डार्क स्पॉट्स पर लाइटें लगाने हेतु निविदाएं आमंत्रित कर ली गई है तथा कार्य का समापन लगभग 3 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(घ) मुकरबा चौक बाईपास पर 6 हाईमास्ट लाईट लगी हुई है और सभी कार्यात्मक स्थिति में है।

(ङ) DIMTS से संबंधित है।

(च) DIMTS से संबंधित है।

161. **श्री मनजिन्दर सिंह** : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीडब्ल्यूडी और केन्द्र सरकार के सहयोग से कौन–कौन सी योजनाएं चल रही हैं, आबंटन राशि सहित विस्तृत जानकारी दें;

(ख) इनके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है;

(ग) इसमें व्यय शेयरिंग किस आधार पर की जा रही है;

(घ) दिल्ली सरकार ने इस परियोजनाओं के लिए वर्ष 2017–18 में कितनी राशि आबंटित की थी और इसमें से कितनी राशि व्यय हो चुकी है;

(ङ) भविष्य में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं सहित इस संबंध में हुए पत्राचार का विवरण क्या है;

लोक निर्माण मंत्री : (क)

1. लोक निर्माण आई.टी.ओ. स्वाइवॉक का कार्य चल रहा है और राशि रु. 11 करोड़ दिल्ली सरकार व रु. 44 करोड़ UDF में आवंटित की है।

2. Barapullah (Phase-II) एवं Corridor improvement plan in and around Maidan की दोनों योजनाएं केन्द्र सरकार के सहयोग से चल रही है।

(ख)

1. कार्य प्रगति पर है और जून माह 2018 तक कार्य को पूर्ण करने की संभावना है।

2. इससे बारापुल्ला (फेस–2) का कार्य अप्रैल तक समाप्त होने वाला है एवं प्रगति मैदान कार्य अभी शुरु हुआ है।

(ग)

1. कुल A/A & E/S से प्राप्त 20% लो.नि.वि. द्वारा एवं 80% UDF द्वारा है।

2. इसमें बारापुल्ला (फेस–2) के लिए Funding JUNURM द्वारा 100 प्रतिशत दी जा रही है एवं प्रगति मैदान के कार्य के लिए केन्द्र सरकार 80 प्रतिशत एवं आई.टी.पी.ओ. प्रगति मैदान द्वारा 20 प्रतिशत राशि दी जा रही है।

(घ)

1. इस परियोजना के लिए वर्ष 2017–18 में राशि रु. 11 करोड़ राशि आबंटित की थी तथा पूर्ण राशि व्यय हो चुकी है।

2. Barapullah (Phase-II) एवं Corridor improvement plan in and around Pragati Maidan के लिए दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 में शुन्य राशि आवंटित की है।

(ङ) भविष्य में होने वाली योजनाओं में सिर्फ आश्रम चौक के अण्डरपास की योजना हेतु केन्द्र सरकार के UDF के अंतर्गत 80 प्रतिशत राशि हेतु प्राक्कलन भेजा गया है।

162. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के रामपुरा वार्ड के शकूरपुर गांव में रिंग रोड क्रॉस करने के लिए एक फुट ओवर ब्रिज वर्ष 2016 में यूटीपेक द्वारा स्वीकृत किया गया था;

(ख) इस फुट ओवर ब्रिज के यूटीपेक द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद इस पर एफओबी बनाने के बारे में शुरू से आज तक क्या कार्यवाही हुई और किस तारीख को हुई, इसका पूरा विवरण और सभी दस्तावेचों की फोटोकापी उपलब्ध कराई जाए;

(ग) इस फुट ओवर ब्रिज के टेंडर कब तक हो जाएंगे और यह फुट ओवर ब्रिज बनाने का कार्य कब तक शुरू हो पाएगा, पूर्ण विवरण क्या है; और

(घ) त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के शकूरपुर जे.जे. कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी की सड़कें पिछली बार कब बनी थीं, उनके टेंडर की तिथि तथा इन सड़कों को बनाने के वर्क अवार्ड की तिथि का विवरण सहित टेंडर और वर्क आर्डर की फोटो कापियां उपलब्ध कराई जाएं;

लोक निर्माण मंत्री : (क) सबवे उप–समिति की बैठक दिनांक 25.08.2016 को हुई थी आंतरिक रिंग रोड को शकूरपुर गांव से जोडने के लिए उस पर एफ.ओ.बी. (फुट ओवर ब्रिज) को औचित्य पाया गया है (बैठक के कार्यवृत की प्रतिलिपि संलग्न)

(ख) बैठक का कार्यवृत कार्यपालक अभियन्ता, उत्तर–पश्चिम सडक मंडल–1 द्वारा मुख्य सचिव (लो.नि.वि.) को उनके कार्यालय पत्र सं. 23 (एफ.ओ.बी.) ई.ई. (सिविल)/एम–311/लो.नि.वि./डी.एस./3551–हि. दिनांक 27.08.2016 द्वारा अग्रशित किया गया है।

(ग) सबवे/एफ.ओ.बी. समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, एफ.ओ.बी. का अनुमान प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा। प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही टेंडरों को आमंत्रित किया जाएगा।

(घ) शकूरपुर सडकों की Strengthenting/Recarpeting का कार्य वर्ष 2013–14 के दौरान उत्तर–पश्चिम सड़क मंडल–2 द्वारा किया गया था। टेंडर की तिथि का विवरण संलग्न है।

163. श्री महेंन्द्र गोयल : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अवंतिका से कंझावला जाने वाली सड़क के जगत चौक पर भारी जाम लगता है;

(ख) यदि हां, तो जाम लगने के क्या कारण हैं;

(ग) इन सभी कारणों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि इस जगह पर कोई फ्लाई ओवर बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(च) यदि नहीं, तो निरंतर बढ़ते यातायात के कारण भविष्य में जाम की भयावह स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जगत चौक पर सड़क के साथ झुग्गी झोपड़ियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। फुटपाथ पर रेहडी, ठेलों वालों द्वारा कब्जा किया गया है, इसके अतिरिक्त इस जगह पर बुध विहार नाले पर एक ब्रिज बना हुआ है जिसके कारण जगत चौक पर रास्ता सकरा हो जाता है। इसके कारण जगत चौक पर जाम लग जाता है।

(ग) इस जगह पर झुग्गी झोपडीं एवं रेहडी, ठेलों वालों द्वारा किए गये अबैध कब्जों को हटाने के लिए एसटीएफ को अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त फलड कन्ट्रोल विभाग को नाले पर बने ब्रिज को चौडा करने का अनुरोध किया गया है।

(घ) नहीं

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

(च) जैसा कि प्रश्न ग में दर्शाया गया है।

164. श्री नारायण दत्त शर्मा : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बदरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जैतपुर खड्डा कॉलोनी से पुस्ता वाले रोड को चौड़ा करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह काय कब तक पूरा हो जाएगा;

लोक निर्माण मंत्री : (क) यह रोड लो.नि.वि. के अधीन क्षेत्र में नहीं है।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

165. श्री नरेश वाल्यान : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की नजफगढ रोड (उत्तम नगर टर्मिनल से द्वारका मोड तक) को चौड़ा करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यकब तक शुरू हो पायेगा;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि ककराले मोड से केशोपुर तक एलिवेटेड रोड बनाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो इस पर कब तक कोई शुरू होने की सम्भावना है;

(ङ) क्या सरकार की कोई योकजना उत्तम नगर टर्मिनल से द्वारका मोड तक कोई एलिवेटेड रोड या अंडरपास बनाने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो यह कब तक शुरू हो पायेगी

लोक निर्माण मंत्री : (क) इस कार्य के व्यवहार्यता अध्ययन (Feasibility Study) के लिए निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।

(ख) इसका उत्तर अध्ययन तथा युटीपेक अनुमोदन होने के उपरान्त प्राप्त होगा।

(ग) ककरोला मोड से केशोपुर तक, नजफगढ ड्रेन के दोनो तरफ तीन–तीन लेन की सड़क बनाने का प्रस्ताव यूटीपेक में विचाराधीन है।

(घ) यूटीपेक द्वारा प्रस्तावित परियोजना के अनुमोदन के बाद की कार्य शुरू करने की समय सीमा के बारे में बताया जा सकता है।

(ङ) क्रम सं. क व ख के अनुसार।

(च) उपरोक्तानुसार।

166. श्री जगदीश प्रधान : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की वजीराबाद रोड़ पर खजूरी फ्लाईओवर के नीचे अन्डरपास बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कार्य कब से प्रारम्भ होने का अनुमान है; और

(ग) इस योजना के लिए कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है;

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां, है।

(ख) इस योजा के लिए यूटीपेक की सैदान्तिक स्वीकृति मिल चुकी है यूटीपके से नक्शों की विस्तृत स्वीकृति होने के बाद प्राक्कलन बना कर स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा। अनुमान की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य शुरु हो जाएगा।

(ग) इस कार्य पर लगभग 100 करोड़ की लागत आयेगी।

167. श्री सोमनाथ भारती : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के संबंध में स्थानीय विधायक द्वारा माननीय मंत्री, इंजीनियर इन चीफ, चीफ इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को दिये गए पत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन अनुरोधों के संबंध में अब तक उठाए कदमों या की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मूल चौड़ाई बनाए रखने के संबंध में स्थानीय विधायक के अनेक अनुरोधों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) ये सडकें किन तिथियों में लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित की गईं;

(ङ) हस्तांतरण के समय इन पर अतिक्रमण की स्थिति क्या थी और आज कितना अतिक्रमण है;

(च) मालवीयनगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाली सड़कों की रिकॉर्ड में दर्ज मूल चौड़ाई क्या थी, लोनिवि को हस्तातंरण के समय उनकी चौड़ाई क्या थी और आज उनकी कितनी चौड़ाई है; और

(छ) इन सड़कों को उनकी मूल चौड़ाई पर लाने हेतु उठाए जाने वाले वाछित कदमों की सूची उपलब्ध कराएं?

लोक निर्माण मंत्री : (क) माननीय विधायक महोदय द्वारा लिखे गए सभी पत्रों की स्थिति समय–समय पर पत्रों द्वारा, बैठकों के वृतांत एवं निरीक्षण रिपोर्ट के द्वारा दी गई है।

(ख) इस संबंध में दिनांक 04.09.2017 एवं 13.10.2017 को माननीय विधायक महोदय को भेजी गई Action Taken Report की प्रति संलग्ल है। **संलग्न–ए**

(ग) यह अतिक्रमण से संबंधित विषय है जो SDMC की जिम्मेदारी है।

(घ) सड़कें वर्ष 2012 एवं 2014 में हस्तांतरित हुई थी।

(ङ) यथास्थिति है। सभी सड़कों पर अतिक्रमण का विवरण, SDMC एवं Task Force को भेज दिया गया है।

(च) मालवीय नगर विधानसभा के अन्तर्गत आने वाली एवं दक्षिण नगर निगम द्वारा हस्तांतरित सड़कों का रिकार्ड के अनुसार ROW, 18 मीटर से 24 मीटर है कुछ सड़कों पर दक्षिण नगर निगम से हस्तांतरण के समय

से ही अतिक्रमण है, जिसको दूर करने के लिए बार–बार नगर निगम से अनुरोध किया जाता है।

(छ) इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही SDMC द्वारा की जानी है।

168. श्रीमती बंदना कुमारी : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि शालीमार बाग विधान सभा क्षेत्र में पीडब्लूडी के दायरे में आने वालीसड़कों की हालत बहुत ही खस्ता है;

(ख) यदि हां, तो इनके रखरखाव, मरम्मत और इन्हें सुचारू स्वरूप में लाने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है;

(ग) पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर डिवाईडर पर प्लानटेशन और पीडब्ल्यूडी के मेन बड़े नालों के सम्बन्ध में उनकी डिसील्टिंग, उनकी सुचारू सफाई, पेड़ों का रखरखाव और उन्हें पानी देने का कार्य कितने–कितने समय में किया जाता है, इसका पूर्ण विवरण क्या हैं;

(घ) पीडब्ल्यूडी के नालों और सड़कों पर जो अनाधिकृत कब्जा और निर्माण हो रखा है और अभी भी हो रहा है, उससे निपटने के लिए सरकार की क्या पॉलिसी है;

(ङ) इस नीति का वस्तुतः पालन करवाने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है;

(च) क्या यह सत्य है कि शालीमार बाग विधान सभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर सभी स्ट्रीटलाईटस को एलईडी लाईट में बदलने की योजना है; और

(छ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क) शालीमार बाग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों की स्थिति आम–तौर पर संताषजनक है। हालांकि कुछ सड़कों पर पैच कार्य की आवश्यकता है, जो कि प्रगति पर है।

(ख) शालीमार बाग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सभी सड़कों पर माइक्रोसर्फेसिंग कार्य हेतु निविदायें प्रदान की गई है। इन सभी सडकों पर कार्य जून, 2018 तक पूर्ण हो जायेगा।

(ग) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत समस्त नालों की डिसील्टिंग वार्षिक रूप से की जाती है तथा इसका पहला चरण मानसून के आने से पूर्व ही समाप्त कर दिया जाता है। डिसील्टिंग का कार्य मानसून के दौरान तथा वर्षा ऋतु के बीत जाने के बाद भी किया जाता है जिससे की स्ट्रोम वाटर सिल्ट मुक्त रह सकें।

पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों पर डिवाईडर पर प्लांटेशन, पेडों का रखरखाव नियमित रूप से किया जा रहा है एवं पानी देने का कार्य आवश्यकतानुसार समय–समय पर किया जाता है।

(घ) सभी सड़कों के अतिक्रमण हटाने का कार्य एम.सी.डी. (उत्तर) द्वारा किया जाना है। अतः अतिक्रमण से संबंधित सभी शिकायतों को तुरन्त एम. सी.डी. (उत्तर) को स्थानान्तरित कर दी जाती हैं।

(ङ) अतिक्रमण की रिशकायतों को आवश्यक कार्रवाई हेतु एम.सी.डी. को भेज दिया गया है।

(च) लोक निर्माण विभाग द्वारा विभाग के अंतर्गत सभी स्ट्रीट लाईटों को एलईडी लाईट में बदलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है जो कि अनुमोदन हेतु प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग को दिनांक 07.02.2018 को निर्णय हेतु भेजा गया है।

(छ) स्वीकृति आने पर ही यह सूचना दी जा सकती है।

169. श्री राजू धिंगान : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक लोक निर्माण विभाग से संबंधित बहुत सी शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 742 शिकयतें अभी तक लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 457 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित है, यदि हां, तो इसका कारण क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि 3341 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्यवाही को संतोषजनक नहीं पाया गया है, यदि हां, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवरण के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए;

(ङ) इन शिकायतों का समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं;

(च) निवारण के लिए ये शिकायतें किन–किन अधिकारियों के पास और कब–कब भेजी गईं, इसका विवरण प्रदान करें।

(छ) संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका विवरण प्रदान करें; और

(ज) इन शिकायतों का निवारण कितने समय में हो जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी हां, यह सत्य है।

(ख) जी हां, यह सत्य है कि इनमें से 457 शिकायतें निवरण समय स भी अधिक समय से लंबित थी। कुछ समस्याएं नए कार्यों के आवेदन तथा मेजर रिपेयर के होने के कारण, अनुमोदन, व्यय स्वीकृति, टेण्डर प्रक्रिया, कार्य करने की अवधि कारण लंबित रह जाती हैं।

(ग) कुछ शिकायतों पर विभाग का जबाव/कार्यवाही संतोषजनक न होने के कारण विभाग द्वारा दोबारा निवारण के लिए संबंधित कार्यालय को शिकायत भेजी जाती है।

(घ) जी हां, जारी किए जाते हैं।

(ङ) शिकायतों का समयबद्ध निवारण के लिए विभाग के अधीन कार्यालयों को दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं, इस संबंध में पीजीएमएस कार्यालय में भी बैठकों का आयोजन भी होता है।

(च) शिकायत इस कार्यालय द्वारा सभी अधीनस्थ्य अंचल कार्यालयों को तथा उनके द्वारा संबंधित परिमंडल कार्यालयों को भेजी जाती हैं। परिमंडल कार्यालयों द्वारा मंडल कार्यालयों को व मंडल कार्यालय से उप–मंडल में

अधीन कर्मचारियों के द्वारा शिकायत का निवारण किया जाता है। यह प्रतिदिन की अविरल प्रक्रिया है।

(छ) संबंधित अधिकारी शिकायत के निवारण के लिए शिकायत की प्रकृति का अवलोकन कर, उचित कार्यवाही करते हैं। इन कदमों की वजह से लंबित एवं समय से लंबित शिकायतों में कमी आयी है एवं दिनांक 15. 03.2018 को कुल लम्बित शिकायतें 494 हैं एवं समय से लंबित शिकायतें 280 हैं।

(ज) कार्यस्थल से संबंधित शिकायतों का निवारण 15 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।

170. श्री गुलाब सिंह : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक श्रम विभाग से संबंधित 6861 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 335 शिकायतें अभी भी लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 17 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित है, यदि हां तो इसका कारण क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि 1580 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्यवाही को संतोषजनक नहीं पाया गया है, यदि हां, तो इन शिकायातों पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए;

(ङ) इन शिकायतों पर समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं;

(च) निवारण के लिए ये शिकायतें किन–किन अधिकारियों के पास और कब–कब भेजी गईं, इसका विवरण प्रदान करें;

(छ) संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका विवरण प्रदान करें; और

(ज) इन शिकायतों का निवारण कितने समय में हो जाएगा?

श्रम मंत्री : (क) जी नहीं, दिनांक 27.02.2018 तक कुल 6876 शिकायतें श्रम विभाग से पीजीएमएस द्वारा प्राप्त की गयी थीं, जिसमें से दिनांक 27.02.2018 तक 286 शिकायतें लंबित थीं।

(ख) जी हां, दिनांक 27.02.2018 तक 26 शिकायतें निर्धारित समय से अधिक लंबित थीं, सभी शिकायतों में श्रम विभाग के भिन्न–भिन्न जिला अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है और प्रबंधक पक्ष को भी सुनने हेतु अवसर प्रदान किये जाते हैं, इस कारण से भी शिकायत के निपटान हेतु कुछ अधिक समय लगता है।

(ग) जी हां, ऐसी सभी शिकायतों में शिकायतकर्ताओं को जानकारी/सलाह दी जाती है कि वह जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को सम्पर्क करें

ताकि उनकी शिकायतों का निवारण श्रम प्रावधानों के अनुसार किया जा सके।

(घ) जी हां। इस संबंध में जिले में तैनात सभी श्रम अधिकारियों को मुस्तैदी से समयवद्ध सीमा में कार्य करने हेतु निर्देश दिये गये हैं, शिकायतों का निपटान ऑन लाईन भी किया जाता है।

(ङ) इन शिकायतों का समय पर निवारण करने के लिए विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों को समय–समय पर निर्देश जारी किये गये हैं, इसके अतिरिक्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी अपने स्तर पर इन शिकायतों की निगरानी करते हैं।

(च) निवारण के लिए शिकायतें जिन अधिकारियों को अग्रसारित की गयी, उनकी जानकारी पी.जी.एम.एस. पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

(छ) ये जानकारी भी पी.जी.एम.एस. पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

(ज) प्रयास किया जाता है कि सभी शिकायतों का निवारण समयवद्ध सीमा में श्रम प्रावधानों के अंतर्गत किया जाए एवं निपटाने की निरंतर प्रक्रिया जारी रहती है। शिकायतों का निपटान प्रतिदिन किया जाता है व नयी शिकायतें भी प्रतिदिन प्राप्त की जाती हैं।

171. श्री महेन्द्र यादव : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेक्नीकल एजुकेशन कम्युनिटी आउटरीच स्कीम (टीईसीओएस) के अंतर्गत कितने युवाओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया;

(ख) टेक्नीकल एजुकेशन कम्युनिटी आउटरीच स्कीम में प्रशिक्षण कौन था और प्रशिक्षक के चयन के लिए क्या मानदंड रखे गए हैं;

(ग) इस योजना के तहत जिन प्रशिक्षुओं को रोजगार प्राप्त हो चुका है उनके रोजगार की प्रकृति क्या है;

(घ) इस योजना के तहत प्रशिक्षुओं को रोजगार प्राप्ति के बाद मिलने वाले वार्षिक पैकेज क्या है;

(ङ) क्या इस योजना के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित की किया गया था;

(च) यदि हां, तो प्रकाशन की तिथि, जिन समाचार पत्रों में;

(छ) यदि विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराया गया तो उसके क्या कारण है; और

(ज) टेक्नीकल एजुकेशन कम्युनिटी आउटरीच स्कीम कार्यक्रम की फाइल जिस–जिस अधिकारी के पास जितने समय तक लंबित रही उसका पूरा ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री : (क) टेक्नीकल एजूकेशन कम्युनिटी आउटरीच स्कीम के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में 4938 युवाओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया।

(ख) टेक्नीकल एजूकेशन कम्युनिटी आउटरीच स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षक का चयन संबंधित NGO द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षक के चयन के मानदंड सरकारी संस्थानों के प्रशिक्षकों से भिन्न नहीं रखे गए हैं।

(ग) और (घ) यह स्कीम अनपढ़, कम पढ़े लिखे, स्कूल ड्रॉपआउट एवं गृहणी इत्यादि को ध्यान में रखते हुए बनायी गई है। इसलिए इस स्कीम में कोई न्यूनतम योग्यता नहीं रखी गयी है। स्कीम के अंतर्गत दिए गए प्रशिक्षण के आधार पर प्रशिक्षार्थी स्वयं रोजगार एवं कुछ नौकरी पाने में समर्थ होकर अपनी जीविका चलाने में सक्षम हो जाते हैं।

(ङ) समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु पत्र सूचना एवं प्रकाशन विभाग, दिल्ली सरकार को भेजा गया था। (संलग्नक–1)

(च) और (छ) सूचना एवं प्रकाशन विभाग को लिखे गए पत्र के अनुसार प्रकाशन की तिथि तथा अन्य जानकारी इस प्रकार हैः–

* हिन्दुस्तान टाइम्स (इंग्लिश एवं हिन्दी) – दिनांक 11.08.2007
* इंडियन एक्सप्रेस (इंग्लिश), दिनांक – 12.08.2007
* नव भारत टाइम्स (हिंदी), दिनांक – 12.08.2007

(ज) संबंधित विषय में विभाग में कई फाइलें हैं। फाइल का नाम, विषय उल्लेखित होने पर यह जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है।

172. श्री सोमनाथ भारती : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्रत्येक निर्माण स्थल पर लागू होने वाले श्रम नियमों का पालन हो रहा है;

(ख) आप सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी संबंधी नियम का उल्लंघन करने के लिए कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए दिल्ली सरकार के रेस्ट हाउस हैं;

(घ) यदि हां, तो उनकी सूची प्रदान करें तथा उनको बुक कराने के लिए आवश्यक नियम, शर्तें व प्रक्रिया क्या है;

(ङ) कुशल/अर्धकुशल/अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित किए जाने की क्या प्रक्रिया है;

(च) कर्मचारियों के विवादों को छह महीने या उससे भी कम अवधि में सुलझाने के लिए क्या सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(छ) औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटान के लिए स्मार्ट कोर्ट स्थापित करने की क्या सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ज) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री : (क) जी नहीं, जब–जब श्रम प्रावधानों के उल्लंघनों संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो श्रम विभाग के जिला अधिकारियों द्वारा भिन्न–भिन्न श्रम प्रावधानों के अंतर्गत उल्लंघनकर्ता प्रबंधकों के विरूद्ध चालान/प्रोसिक्यूशन मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रेषित किये जाते हैं।

(ख) पिछले छह महीनों में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी संबंधी नियम का उल्लंघन करने से संबंधित कुल 1569 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) जी हां, यह सुविधा शिमला–हिमाचल प्रदेश, इलाहाबाद–उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है।

(घ) दिल्ली में कार्यरत औद्योगिक श्रमिकों के लिए – न्यू शिमला एवं इलाहाबाद सिविल लाईन में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित होलीडे होम हैं। औद्योगिक श्रमिक निर्धारित फार्म जो कि दिल्ली लेबर वैलफेयर बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध है, को भरकर अपने नियोक्ता से प्रमाणित करवाता है एवं बोर्ड में निर्धारित शुल्क 750/– रुपये प्रतिदिन शिमला के लिए एवं 250/– रुपये प्रतिदिन इलाहाबाद के लिए जमा करवाता है।

(ङ) कुशल/अर्धकुशल/अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अंतर्गत न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का गठन माननीय उपराज्यपाल महोदय की स्वीकृति के पश्चात् किया जाता है, ये समिति न्यूनतम वेतन संबंधित मूल मापदंडों के आधार पर वेतन बढ़ोतरी का मूल्याकंन करती है एवं सरकार को वेतन बढ़ोतरी संबंधित सिफारिशें भेजती हैं। इन सिफारिशों को माननीय उपराज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात् राजपत्र जारी करने के पश्चात् आदेश द्वारा लागू किया जाता है। इसके अतिरिक्त श्रम विभाग द्वारा महंगाई भत्ते को हर छह मासिक अवधि पर मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ाया जाता है।

(च) कर्मचारी क्षति पूर्ति अधिनियम 1923 व औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में विवाद/दावा निपटाने हेतु समय सीमा दी गयी है, सभी जिला श्रम अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वह उक्त दोनों ही अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा में ही विवादों/दावों का निपटान करें।

इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य श्रम प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त विवाद/दावे भी समयवद्ध सीमा में निपटान करने के आदेश दिये गये हैं।

(छ) श्रम विभाग के सुझाव के आधार पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा द्वारका स्थित एक श्रमिक कोर्ट को पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में जुलाई, 2017 से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत लगाये गये विवादों में विलम्बों को दूर करने के लिए एक पॉयलेअ कोर्ट/विशेष कोर्ट बनाया गया है, इस श्रम न्यायालय में श्रम विभाग के सैन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट के सभी अनसुलझे विवादों को भेजा जाता है, जिसमें समयबद्ध सीमा में श्रम न्यायालय द्वारा फैसले दिये जाते हैं।

(ज) श्रम न्यायालय कोर्ट संख्या 17, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री उमेद सिंह ग्रेवाल हैं और यह श्रम न्यायालय द्वारका में स्थित है।

173. सुश्री भावना गौड़ : क्या **रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में बेरोजगारी की दर क्या रही है;

(ख) यदि यह स्थिर है या बढ़ी है तो उसके क्या कारण है;

(ग) विगत पांच वर्षों में क्या सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाये है;

(घ) यदि हां, तो रोजगार में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

रोजगार मंत्री : (क) रोजगार निदेशालय द्वारा यह सूचना संकलित नहीं की जाती है। नियोजन विभाग दिल्ली सरकार द्वारा प्रदत सूचनानुसार (15 वर्ष एवम उससे ऊपर के व्यक्तियों) वर्ष 2011–12 में बेरोजगारी की

दर 33 प्रति हजार (लेबर ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार) है।

(ख) जी नहीं। ऊपर लिखित रिपोर्ट के अनुसार बेरोगारी दर घटी है।

(ग) रोजगार निदेशालय दिल्ली सरकार, अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु वर्ष 2015 से समय–समय पर रोजगार मेलों का आयोजन करता रहा है। इनमें निजी नियोक्ताओं ने कुल 78001 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया तथा 30380 अभ्यिर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। रोजगार मेले आयोजित करके, रोजगार निदेशालय एक स्थान पर नियोक्ताओं/संगठनों और अभ्यर्थियों के लिए एक मंच प्रदान करता है ताकि वे दोनों उपयुक्त मिलान पा सकें तथा अभ्यर्थी आवश्यक एक्सपोज़र पा सके। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों और नियोक्ताओं दोनों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए, रिक्तियों के ऑनलाइन प्रकाशन के लिए और अभ्यर्थियों द्वारा उन रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के उद्देश्य से एक समर्पित जॉब फेयर पोर्टल शुरू किया गया है।

(घ) नियोजन विभाग दिल्ली सरकार द्वारा प्रदत्त सूचनानुसार (लेबर ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित) वर्ष 2015–16 में 15 प्रति हजार घट कर 33 प्रति हजार रह गई है।

(ङ) उपरोक्त अनुसार लागू नहीं होता है।

174. श्रीमती प्रमिला टोकसः क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोसायटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना के अंतर्गत कितने युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया;

(ख) इस प्रशिक्ष के दौरान प्रशिक्षक कौन था और सोसायटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत इस प्रशिक्षक के चयन के लिए क्या मानदंड है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कितने प्रतिशत युवकों को पाठ्यक्रम समाप्ति के तीन महीनों के अंदर पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त हो गया है;

(घ) इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले जिन प्रशिक्षुओं को रोजगार मिल गया है, उनके रोजगार की प्रकृति क्या है;

(ङ) इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले जिन प्रशिक्षुओं को रोजगार मिल गया है, उनके वार्षिक पैकेज क्या है;

(च) क्या इस योजना के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन, प्रकाशित किया गया था;

(छ) यदि हां, तो प्रकाशन की तिथि, जिन समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित हुआ उनके नाम प्रकाशन के लिए भुगतान दरों व समाचार पत्रों के लिए भुगतान राशि स्वीकृत करने वाले अधिकारी के नाम का ब्यौरा क्या है;

(ज) यदि विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराया गया तो उसके क्या कारण है; और

(झ) सोसायटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कार्यक्रम की फाइल जिस–जिस अधिकारी के पास जितने समय तक लंबित रही उसका पूरा ब्यौरा क्या है?

उपमुख्यमंत्री : (क) सोसायटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में 2110 युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसका विवरण इस प्रकार हैः—

2013—14 — 307

2014—15 — 473

2015—16 — 521

2016—17 — 409

2017—18 — 400

(ख) सोसायटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में गत पांच वर्षों में निम्नलिखित प्रशिक्षक थेः—

(क) श्रीमती उषा कन्डारी, सीनियर प्रशिक्षक

(ख) श्री चमेन्द्र कुमार वर्मा, सीनियर प्रशिक्षक

(ग) श्री जे.पी. शर्मा, सीनियर प्रशिक्षक

(घ) श्री सुरेश चंद्र पराशर, सीनियर प्रशिक्षक

(ङ) श्री प्रकाश सोलोमन, सीनियर प्रशिक्षक

(च) श्री राम अवतार, सीनियर प्रशिक्षक

(छ) श्री राम नारायन, सीनियर प्रशिक्षक

(ज) श्रीमती सुमन महाजन, सीनियर प्रशिक्षक

(झ) श्रीमती राजरानी, जुनियर प्रशिक्षक

(ण) श्री सुरेन्द्र, वर्कशॉप प्रभारी

उपरोक्त प्रशिक्षकों का चयन सोसाइटी फॉर सेल्ट एम्पलायमेंट के द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों (RRs) के अनुसार किया गया था। प्रति संलग्न है। (संलग्न–1)

(ग) सोसायटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त लगभग 50 प्रतिशत युवकों को तीन महीनों के अन्दर रोजगार प्राप्त हुआ है। यह आंकड़े प्रशिक्षित युवकों का दूरभाष सर्वे के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। चूंकि पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् रोजगार प्राप्त करना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः तीन माह के पश्चात् भी शेष बच्चों को रोजगार प्राप्त हो जाता है। साथ ही, कुछ बच्चे स्व–रोजगार, उद्यमिता एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं।

(घ) इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त हुआ है, जैसे रिपेयरिंग, सर्विसिंग, मेंटेनेंस, बुटीक, टाइलिंग व प्लंबिंग आदि।

(ङ) युवकों को लगभग रुपये 60000 से 180000 तक वार्षिक पारिश्रमिक मिल रहा है। यह आंकड़े प्रशिक्षित युवकों के दूरभाष सर्वे द्वारा प्राप्त की गई सूचना के अनुसार है।

(च) जी हां।

इस योजना में प्रवेश के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था।

(छ) समाचार पत्रों में विज्ञापन की तिथि एवं समाचार पत्रों के नाम संलग्न है (संलग्न–2), समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए भुगतान DAVP भारत सरकार तथा DIP दिल्ली सरकार की प्रकाशन दरों के अनुसार किया गया। समाचार पत्रों में भुगतान राशि की स्वीकृति सोसाइटी के अध्यक्ष व महा प्रबंधक द्वारा दी जाती है।

(ज) विज्ञापन प्रकाशित किये गए हैं।

(झ) संबंधित विषय में विभाग में कई फाइलें हैं। फाइल का नाम, विषय उल्लेखित होने पर यह जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है।

Sl. No.	Designation/ Post	Pay Scale	Nature of Duties	Age Limit (Years)	Whether by Promotion of Direct recruitment	Qualification for direct recruitment	Whether the duty information applicable for promotion	Whether reservation for SC/ST applicable	Constitution of Selection Board
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Deputy Manager (Trs)/Course Co-ordinator (Irg.)	2200-4000	Imparting Technical training, Liasion with Industry and other organisations, coordination, office add stores management and general administration	40	By promotion from amongst the Senior Instructors with 4 years experience in the grade failing which by direct recruitment	Degree in Engg./ Technology with 6 year experience in teaching industry or Diploma in Engg. with 10 years in teaching/industry out of which at least on year experience in general administration.	Yes	Yes	(i) President/Chief executive officer of the Society (ii) General Manager of the Society. (iii) Officer of the level of Deputy Director and above from Deptt. of Ind./DGET Delhi Admn./Directorate of Tech. Education. (iv) Representative of SC/ST
2	Senior Instructor	1640-2900	Imparting technical training, coordination, office management, store	35	(i) 50% by promotion from amongst Instructors from the same discipline with	(i) Degree in respective branch of engg./Technology with 2 years experience in teaching industry	Yes	Yes	- do -

			management and general administration		5 years experience falling which by direct recruitment. (ii) 50% by direct recruitment * Deputation and failing both by	or (ii) Diploma in respective branch of engg. with 6 years experience in teaching/Ind. (iii) ITI/NCVT in respective branch of engg., trade with 10 years experience in teaching/Industry		
3.	+	+	+	+	+			
4.	Junion Instructor	1200-2040	-do-	30	Direct ITI/NCVT with 3 years experience in teaching/industry	N/A	Yes	-do-

Notes:

1. The existing holders of the vacancis shall be deemed to have been appointed to the posts at the initial constituency.
2. Age limits are relaxable depending upon the qualification and experience of the candidates and incase of Govt. employees and employees of Society.
3. The age limits for direct recruitment will be relaxable in case of SC/ST general orders issued from time to time
4. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for SC/ST and other social categories of persons in accordance with orders issued from time to time.
5. No male candidate who has more than one wife living or no female candidates who has married a person already having a wife living shall be eligible for appointment in case of direct recruitment provided that the administrator may after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such person from the operation of this rule.

(संलग्न–2)

समाचार पत्र का नाम	प्रकाशन की तिथि
नवभारत टाइम्स	14.04.13
हिंदुस्तान हिंदी	13.04.13
हिंदुस्तान टाइम्स	15.05.13
नवभारत टाइम्स	20.07.13
हिंदुस्तान हिंदी	20.07.13
हिंदुस्तान टाइम्स	21.07.13
नवभारत टाइम्स	25.12.13
हिंदुस्तान हिंदी	25.12.13
नवभारत टाइम्स	04.03.14
हिंदुस्तान हिंदी	05.03.14
नवभारत टाइम्स	07.06.14
हिंदुस्तान हिंदी	08.06.14
नवभारत टाइम्स	06.09.14
हिंदुस्तान हिंदी	07.09.14
नवभारत टाइम्स	06.12.14
हिंदुस्तान हिंदी	07.12.14
नवभारत टाइम्स	25.02.15

समाचार पत्र का नाम	प्रकाशन की तिथि
हिंदुस्तान हिंदी	01.03.15
दैनिक जागरण	09.03.15
मिलाप	09.03.15
हिंदुस्तान हिंदी	08.03.15
कौमी पत्रिका	08.03.15
पंजाब केशरी	30.05.15
मिलाप	30.05.15
हिंदुस्तान (हिंदी)	31.05.15
कौमी पत्रिका	31.05.15
पंजाब केशरी	06.06.15
मिलाप	06.06.15
नवभारत टाइम्स	07.06.15
कौमी पत्रिका	07.06.15
पंजाब केशरी	12.09.15
मिलाप	12.09.15
नवभारत टाइम्स	13.09.15
कौमी पत्रिका	13.09.15
पंजाब केशरी	19.12.15

समाचार पत्र का नाम	प्रकाशन की तिथि
मिलाप	19.12.15
नवभारत टाइम्स	20.12.15
कौमी पत्रिका	20.12.15
दैनिक जागरण	19.03.16
मिलाप	19.03.16
नवभारत टाइम्स	20.03.16
कौमी पत्रिका	20.03.16
पंजाब कैशरी	24.06.16
मिलाप	24.06.16
नवभारत टाइम्स	25.06.16
कौमी पत्रिका	25.06.16
पंजाब केशरी	25.09.16
मिलाप	25.09.16
नवभारत टाइम्स	16.09.16
कौमी पत्रिका	16.09.16
मिलाप	28.04.17
हिंदुस्तान टाइम्स	29.04.17
नवभारत टाइम्स	30.04.17
कौमी पत्रिका	01.05.17

175. श्री अजय दत्त : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान न्यूनतम मज़दूरी में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) यदि न्यूनतम मज़दूरी में हर वर्ष वृद्धि नहीं हुई है तो उसके कारण क्या हैं;

(घ) यदि वृद्धि हुई है तो उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले पांच वर्षों में महंगाई दर में वृद्धि व न्यूनतम मज़दूरी वृद्धि के वर्षवार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(च) यदि वर्ष 2017–18 में न्यूनतम मज़दूरी में वृद्धि हुई है तो इस संबंध में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में होने वाले फाइल मूवमेंट का तिथिवार ब्यौरा दें, और

(छ) पिछले पांच वर्षों में न्यूनतम मज़दूरी वृद्धि के संबंध में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में होने वाले फाइल मूवमेंट का तिथिवार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री : (क) अकुशल श्रेणी – 13584/– रुपये प्रति माह

अर्द्धकुशल श्रेणी – 14958/– रुपये प्रति माह

कुशल श्रेणी – 16468/– रुपये प्रति माह

(ख) वर्ष 2013 से 01.04.2017 तक अकुशल श्रेणी, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रेणी में लगभग 68 प्रतिशत वेतन वृद्धि हुई है।

(ग) जी नहीं, बल्कि हर वर्ष दो बार (माह अप्रैल एवं अक्तूबर) मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, जिससे कि वेतन में वृद्धि होती है।

(घ)

वर्ष	अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल
2013	8086 रु. प्रति माह	8918 रु. प्रति माह	9802 रु. प्रति माह
2014	8632 रु. प्रति माह	9542 रु. प्रति माह	10478 रु. प्रति माह
2015	9178 रु. प्रति माह	10140 रु. प्रति माह	11154 रु. प्रति माह
2016	9724 रु. प्रति माह	10764 रु. प्रति माह	11830 रु. प्रति माह
2017	13584 रु. प्रति माह	14958 रु. प्रति माह	16468 रु. प्रति माह

(ङ) गत पांच वर्षों में महंगाई भत्ते व न्यूनतम वेतन में वृद्धि के आंकड़ों का ब्यौरा निम्न है:

अक्तूबर, 2013 – मूल्य सूचकांक–225.50–364 रुपये की वृद्धि (अकुशल), 390 रुपये की वृद्धि (कुशल)

अक्तूबर, 2014 – मूल्य सूचकांक–241–546 रुपये की वृद्धि (अकुशल), 624 रुपये की वृद्धि (अर्द्धकुशल) एवं 676 रुपये की वृद्धि (कुशल)

अक्तूबर, 2015 – मूल्य सूचकांक–256–546 रुपये की वृद्धि (अकुशल), 598 रुपये की वृद्धि (अर्द्धकुशल) एवं 676 रुपये की वृद्धि (कुशल)

अक्तूबर, 2016 – मूल्य सूचकांक–271.17–546 रुपये की वृद्धि (अकुशल), 624 रुपये की वृद्धि (अर्द्धकुशल) एवं 676 रुपये की वृद्धि (कुशल)

अक्तूबर, 2017 –मूल्य सूचकांक–276.33–234 रुपये की वृद्धि (अकुशल), 260 रुपये की वृद्धि (अर्द्धकुशल) एवं 286 रुपये की वृद्धि (कुशल)

(च) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अंतर्गत न्यूनतम वेतन बढ़ाने हेतु, न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का गठन माननीय उपराज्यपाल महोदय की स्वीकृति के पश्चात् किया गया, समिति द्वारा वेतन बढ़ाने हेतु सिफारिशें सरकार को दी गयी, तत्पश्चात माननीय उपराज्यपाल महोदय ने इस सिफारिशों को मंजूरी दी एवं आदेश संख्या फा. अति. श्र. आ./श्रम/एमडब्ल्यू/2016/4859 दिनांक 03.03.2017 से बढ़ाये गये न्यूनतम वेतन को अधिसूचित किया गया।

(छ) गत पांच वर्षों में न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि मूल्य सूचकांक के आधार पर केवल महंगाई भत्ता ही बढ़ाया गया है, जो कि वेतन बढ़ाने की परिभाषा में नहीं आता है।

वर्ष 2017 में न्यूनतम वेतन का निर्धारण न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति के अनुमोदन पर किया गया। समिति ने दिनांक 15.02.2017 की अंतिम बैठक में न्यूनतम वेतन प्रस्तावित किया था। समिति के अनुमोदन को कैबिनेट के समक्ष रखने के लिए माननीय श्रम मंत्री ने दिनांक 17.02.2017 को और माननीय मुख्यमंत्री दिनांक 23.02.2017 को अपनी स्वीकृति दी। कैबिनेट ने अपनी बैठक दिनांक 25.02.2017 को बढ़े हुए न्यूनतम वेतन को स्वीकृति दी और माननीय उपराज्यपाल ने दिनांक 02.03.2017 को स्वीकृति दी। उसके बाद आदेश सं. फा. अति. श्र. आ. श्रम/एमडब्ल्यू/2016/4859 दिनांक 03.03.2017 से बढ़ाये गये न्यूनतम वेतन को अधिसूचित किया गया।

176. श्री राम चंद्र : क्या **सामान्य प्रशासन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित 244 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 13 शिकायतें अभी भी लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 12 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित है, यदि हां तो इसका कारण क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि 77 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कारवाई को संतोषजनक नहीं पाया गया है, यदि हां, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए;

(ङ) इन शिकायतों का समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए है;

(च) निवारण के लिए ये शिकायतें किन–किन अधिकारियों के पास और कब–कब भेजी गई, इसका विवरण प्रदान करें;

(छ) संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका विवरण प्रदान करें; और

(ज) इन शिकायतों का निवारण कितने समय में हो जाएगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री : (क) जी हां, 27.02.2018 तक 244 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 13 शिकायतें लंबित थी/लंबित 13 शिकायतों का जवाब जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा निवारण कर दिया गया है।

(ख) जी हां, कई कारण है जैसे कोर्ट केस, विभाग से असंबंधित, असंगत होना और ऐसे प्रतिवेदन जिनका पहले ही कई बार जवाब दिया जा चुका है।

(ग) सभी प्रतिवेदनों का विभागीय नियमों के तहत जवाब दिया जा चुका हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) विभाग ने सभी शिकायतों का समय पर निवारण के लिए निर्देश/आदेश जारी किए है।

(च) इसकी जानकारी जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) में उपलब्ध है।

(छ) और (ज) सभी शिकायतों का निवारण हो गया है।

177. श्री जगदीश प्रधान : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार मुख्यमंत्री, मंत्रियों व अधिकारियों की बैठक को लाइव ब्राडकास्ट करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि इसके लिए प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति ली गई है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि इससे सरकारी अधिकारियों के लिए बनाए गए सीसीएस कंडक्ट रूल्स का उल्लंघन होगा; और

(ङ) सरकार अपने सभी विभागों की योजनाओं की जानकारी वेबसाइट डालने के लिए क्या कर रही है?

उप मुख्यमंत्री : (क) से (घ) सामान्य प्रशासन विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग अपने वेबसाईट पर विभाग के योजनाओं को दर्शाते है।

178. सुश्री राखी बिड़ला : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में आये दिन फास्ट फूड, डयेरी प्रोडक्ट्स, मिठाई इत्यादि की जो दुकानें खुल रही हैं, क्या उनको संबंधित विभाग द्वारा लाईसेंस दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन लाईसेंसों का प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पाक्षिक/मासिक या निर्धारित अवधि में निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षणें की रिपोर्ट का सबूत के साथ ब्यौरा दें;

(ग) यदि लाईसेंस जारी नहीं किए गए हैं तो क्या ऐसी अनाधिकृत दुकानों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) यदि हां, तो पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें;

(च) क्या मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में खुले एवं अवैध तरीके से बिक रहे मांस की दुकानों पर अंकुश लगाने पर सरकार विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां तो इसका पूर्ण विवरण दें?

खाद्य मंत्री : (क) जी हां, खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा उपरोक्त व्यापारियों को खाद्य संरक्षा लाईसेंस जारी एवं पंजीकरण दिया जा रहा है।

(ख) खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की दुकानों एवं गोदामों में औचक निरीक्षक किया जाता है और खाद्य पदार्थों के नमूने नियमित रूप

से जांच के लिए जाते हैं। परन्तु विभाग में खाद्य संरक्षा अधिकारी एवं नामित अधिकारियों की कमी के कारण वर्तमान में जारी किए गए लाईसेंस/पंजीकरण का निरीक्षण कार्य नहीं हो पा रहा है। 17 नये खाद्य संरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। भविष्य में इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी।

(ग) वर्तमान में विभाग में अधिकारियों की कमी के कारण बिना खाद्य संरक्षा लाईसेंस/पंजीकरण वाले दुकानदारों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। परन्तु विभाग द्वारा आवेदक दुकानदारों को लाईसेंस देने की प्रक्रिया सत्त जारी है। 17 नये खाद्य संरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। भविष्य में इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ङ) मंगोलपुरी विधानसभ्ङ्मा क्षेत्र में अबतक कुल 584 दुकानदारों को विभाग द्वारा लाईसेंस/पंजीकृत किया गया है।

(च) जी हां। विभाग में खाद्य संरक्षा अधिकारियों की कमी है। वर्तमान में 17 नये खाद्य संरक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनके प्रशिक्षण उपरांत मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में खुले एवं अवैध तरीके से बिक रहे मांस की दुकानों पर अंकुश लगाने हेतु खाद्य संरक्षा अधिनियम, 2006 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(छ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

179. श्री सोमनाथ भारती : क्या **उपमुख्यमंत्री/मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जनता को अच्छी गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध कराने

हेतु लागू होने वाले कानून/उपनियम/अधिनियम/नियम मानदंड क्या हैं, व इनको लागू कराने की प्रक्रिया है;

(ख) इनके उल्लंघन के कितने मामले दर्ज किए गए हैं व उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) कच्चे फलों को रसायनों से पकाने वाले व्यापारियों पर नियंत्रण और निगाह रखने के लिए क्या व्यवस्था है;

(घ) क्या मसालों, खाद्य तेलों व अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट पर नियंत्रण करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा दें;

(च) क्या आटा मिलों पर सरकार का कोई नियंत्रण है ताकि आटा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके;

(छ) क्या दाल का भंडारण करने वालों पर सरकार का कोई नियंत्रण है व रसायनों का उपयोग करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है;

(ज) क्या यह सत्य है कि कुछ ड्राइफ्रुट विक्रेता रसायनों से साफ किए हुए ड्राइफ्रुट बेच रहे हैं;

(झ) यदि हां, तो उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है;

उपमुख्यमंत्री मंत्री : (क) दिल्ली में जनता को अच्छी गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध कराने हेतु खाद्य संरक्षा अधिनियम, 2006 नियम व विनियम, 2011 है, इसके तहत लाईसेस देना, औचक निरीक्षण, जांच के लिए खाद्य

पदार्थों के नमूने लेना, साफ–सफाई का विशेष ध्यान (अनुसूची–4) व सुधार नोटिस, कारण बताओ नोटिस देना आदि प्रक्रिया शामिल है।

(ख) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 2015 से अबतक कुल 383 केस संबंधित न्यायालय में दर्ज किए गए हैं। जिनका ब्यौरा संलग्नक 'क' पर है। अबतक 944 मुकदमें विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, जिनका ब्यौरा संलग्नक 'ख' में है।

(ग) कच्चे फलों को रसायनों से पकाने वाले व्यापारियों पर नियंत्रण और निगाह रखने के लिए विभाग द्वारा समय–समय पर औचक निरीक्षण कर फलों के नमूने जांच के लिए उठाये जाते हैं, उल्लंघन पाये जाने पर खाद्य संरक्षा अधिनियम, 2006 नियम व विनियमन 2011 के तहत् कार्रवाई की जाती है।

(घ) जी हां, विभाग द्वारा मसालों, खाद्य तेलों व अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट पर नियंत्रण के लिए नियमित रूप से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाते हैं, उल्लंघन पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध खाद्य संरक्षा अधिनियम, 2006 नियम व विनियमन 2011 के तहत कार्रवाई की जाती है।

(ङ) पिछले तीन सालों का ब्यौरा संलग्नक 'ग' संलग्न है।

(च) जी हां, विभाग द्वारा आटा मिलों पर आटे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आटे के नमूने लिए जाते हैं, उल्लंघन पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध खाद्य संरक्षा अधिनियम, 2006 नियम व विनियमन, 2011 के तहत् कार्रवाई की जाती है।

(छ) जी हां, विभाग द्वारा दाल का भंडारण करने वाले व रसायानों का उपयोग करने वाले व्यापारियों पर नियंत्रण हेतु विभाग द्वारा दालों के नमूने

लिए जाते हैं तथा उल्लंघन पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध खाद्य संरक्षा अधिनियम, 2006 नियम व विनियमन 2011 के तहत कार्रवाई की जाती है।

(ज) विभाग द्वारा विगत दो वर्षों में ड्राईफ्रुट के 30 नमुने लिए गए है, किसी भी नमूने में जांच के दौरान रसायन के इस्तेमाल का कोई भी सबूत नहीं मिला है।

(झ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता है।

संलग्नक—क

खाद्य संरक्षा विभाग दिल्ली सरकार में दाखिल अदालती मुकदमों की संख्या

क्र.सं.	न्यायालय	मुकदमें की संख्या	
1.	निचली अदालत	वर्ष	संख्या
		2015—16	24
		2016—17	9
		2017 से अबतक	12
2.	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अदालत	वर्ष	संख्या
		2015—16	128
		2016—17	100
		2017 से अबतक	110
	कुल		383

संलग्नक 'ख'

खाद्य संरक्षा विभाग दिल्ली सरकार में लंबित अदालती मुकदमों की संख्या

क्र.सं.	न्यायालय	मुकदमें की संख्या
1.	निचली अदालत	426
2.	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अदालत	262
3.	ट्रिब्यूनल एण्ड सत्र न्यायाधीश	62
4.	सत्र न्यायालय	121
5.	उच्च न्यायालय	66
6.	सर्वोच्च न्यायालय	07
	कुल	944

संलग्नक 'ग'

जांच के लिए उठाये गए नमूने

क्र. सं.	वर्ष	लिए गए कुल नमूने	शुद्ध	मिसब्रान्डेड	सबस्टैंडर्ड	असुरक्षित	उल्लंघन	
1.	01.04.2015 से 31.03.2016	1474	1235	95	40	74	30	
2.	01.04.2016 से 31.03.2017	1155	1035	54	14	33	19	
3.	01.04.2017 से 12.03.2018	1222	1019	52	17	33	11	90 लंबित

180. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक भूमि एवं भवन विभाग से संबंधित 315 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 10 शिकायतें अभी भी लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 10 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित है, यदि हां तो इसका कारण क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि 198 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्यवाही को संताषजनक नहीं पाया गया है, यदि हां, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए;

(ङ) इन शिकायतों का समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं;

(च) निवारण के लिए ये शिकायतें किन–किन अधिकारियों के पास और कब–कब भेजी गईं, इसका विवरण प्रदान करें;

(छ) संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका विवरण प्रदान करें; और

(ज) इन शिकायतों का निवारण कितने समय में हो जाएगा?

(विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

181. श्री जगदीश प्रधान : क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने करावल नगर गांव की भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू की थी;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि डीडीए द्वारा करावल नगर गांव की शमशान घाट की भूमि भी अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि यह भूमि जिस योजना के लिए अधिग्रहित की गई थी, उस योजना की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई;

(घ) यदि हां, तो उस जमीन को वापिस लेकर श्मशान घाट बनाने की कोई योजना है?

(विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

182. श्री जगदीश प्रधान : क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि 80 के दशक में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने करावल नगर गांव की भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो करावल नगर गांव की कितनी भूमि अधिग्रहित की गई थी;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि यह भूमि जिस योजना के लिए अधिग्रहित की गई थी, उस योजना की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि जिन भूमि मालिकों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, उनमें से कुछ ने मुआवजा ले लिया था तथा कुछ ने नहीं लिया था;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि कुछ भूमि मालिकों ने योजना प्रारम्भ न होने के कारण मुआवजे की राशि वापस करके अपनी जमीन पुनः वापस से ली थी; और

(च) जो अधिग्रहित जमीन शेष रह गई है, क्या सरकार उस पर कोई अस्पताल या स्कूल बनाने की मंशा रखती है, विस्तृत विवरण क्या है?

(विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

183. श्री चौ. फतेह सिंह, विधायक : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में डीएसआईआईडीसी द्वारा प्लान एवं नॉन प्लान हैड के अंतर्गत वर्ष 2015 से 2017–18 अब तक कौन–कौन से कार्य किए गए है;

(ख) संबंधित विभाग द्वारा इन कार्यो पर कितनी कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) उसका सिलसिलेवार पूरा व्योरा क्या है; और

(घ) आगामी वित्त वर्ष में गोकुलपुर विधानसभा में डीएसआईआईडीसी द्वारा प्लान एवं नॉन प्लान हैड अंतर्गत कौन–कौन से कार्य की योजना है;

उद्योग मंत्री : (क) डीएसआईआईडीसी, उक्त विभाग की योजना के तहत गोकुलपूरी ऐसी में निम्नलिखित कार्यों को जमा कार्य के रूप में कार्यान्वित कर रहा है।

1. डॉ. अंबेडकर कॉलोनी राधा विहार गोकुलपुर एसी (पंजीकरण संख्या 1245)
2. हर्ष विहार विस्तार गोकुलपुरी एसी के तहत (पंजीकरण संख्या 1118)

(ख)

1. डॉ. अंबेडकर कॉलोनी राधा विहार गोकुलपुर एसी (पंजीकरण संख्या 1245) राशि रु. 361.00 लाख
2. हर्ष विहार विस्तार गोकुलपुरी एसी के तहत (पंजीकरण संख्या 1118) राशि रु. 676.00 लाख

(ग)

1. डॉ. अंबेडकर कॉलोनी राधा विहार गोकुलपुर एसी (पंजीकरण संख्या 1245):– पानी व सीवर डालने के कार्य की वजह से रोड का कार्य पूरा नहीं हो सका है। बाकी का कार्य पानी व सीवर लाइन डालने के बाद किया जाएगा।

2. हर्ष विहार विस्तार गोकुलपुरी एसी के तहत (पंजीकरण संख्या 1118):– रोड व नालियों बनाने का कार्य जारी है इस कार्य में जल बोर्ड द्वारा सीवर का कार्य भी साथ–साथ किया जा रहा है। यह कार्य अगस्त, 2018 तक सम्पन्न करने का प्रस्तावित है।

(घ) डीएसआईआईडीसी विकास कार्य को निष्पादित करेगा जैसा कि अगले वित्तीय वर्षों में शहरी विकास विभाग द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

184. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि 23.06.1960 को राजस्व विभाग ने सीबी नारायण औद्योगिक एरिया के पास अवार्ड नं. 1024 के अंतर्गत 16.527 एकड़ भूमि का आवंटन किया था;

(ख) इस जमीन का किस कार्य में उपयोग किया गया;

(ग) इस जमीन पर कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(घ) वर्तमान में यह जमीन किसके स्वामित्व में है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

(विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

185. श्री सही राम : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग समूहों/टूट चुके फैक्टरी परिसरों की नागर–सेवाओं के उन्नयन, सुधान व हस्तान्तरण और भागीदारी परियोजनाओं के लिए उद्योग विभाग उत्तरदायी है;

(ख) यदि हां, तो कुल जितने औद्योगिक समूहों का उन्नयन किया गया उनके क्षेत्रवार तथा पूरा होने की तिथिवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2017–18 में उन्नयन के लिए निर्धारित शेष औद्योगिक समूहों के उन्नयन के संदर्भ में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है व उनके पूरा होने की अनुमानित तिथि क्या है;

(घ) इनमें पूरी हो चुकी सड़कों की क्षेत्रवार कुल लंबाई (कि.मी.) कितनी है व उनके पूरा होने की तिथि क्या है;

(ङ) इनमें वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित जितनी सड़के (कि.मी.) अभी पूरी नहीं हो सकी है उनकी अब तक की प्रगति का ब्यौरा और उनके पूरा होने की अनुमानित तिथि क्या है;

(च) इनमें पूरी हो चुकी नालियों की क्षेत्रवार कुल लम्बाई (कि.मी.) कितनी है व उनके पूरा होने की तिथि क्या है;

(छ) इनमें वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित जितनी नालियां (कि.मी.) अभी पूरी नहीं हो सकी है उनकी अब तक की प्रगति का ब्यौरा और उनके पूरा होने की अनुमानित तिथि क्या है?

(ज) मंगोलपुरी, मायापुरी व कीर्तिनगर क्षेत्रों में अब तक बन चुकी सड़कों व नालियों की क्षेत्रावार कुल लम्बाई व समापन तिथि क्या है; और

(झ) मंगोलपुरी, मायापुरी व कीर्तिनगर क्षेत्रों में शेष रही सड़कों व नालियों के कार्य की प्रगति की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा व उनके पूरा होने की अनुमानित तिथि क्षेत्रावार क्या है?

उद्योग मंत्री : (क) डिडोम एक्ट 2010 अधिसूचना के पश्चात् कुल 21 औद्योगिक समूह डीएसआईआईडीसी को स्तानानान्तरण हुए है। इन 21 औद्योगिक समूह में से केवल 9 समूहों की लीज राईट दी गयी है। इन 9 औद्योगिक समूहों/टूट चुके फैक्टरी परिसरों की नागर–सेवाओं के उन्नयन का दायित्व डीएसआईआईडीसी का है। बाकी बचे 12 औद्योगिक समूहों का अभी तक लीज राईट डीएसआईआईडीसी को डीडीए द्वारा स्थानान्तरित न होने के कारण नागर–सेवाओं के उन्नयन, सुधार कार्य नहीं कराए जाते है। केवल डीसिल्टिंग का कार्य साल में 1 बार इन 12 औद्योगिक समूहों में कराया जाता है।

(ख) कुल 18 औद्योगिक समूहों का रिडप्लमेन्ट पूर्ण किया जा चुका है। जिसकी सूची संलग्न है।

(ग) शेष बचे 3 औद्योगिक क्षेत्र समूहों के उन्नयन के लिए वर्ष 2017–18 के बजट में लगभग 137 करोड़ राशि का प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव की स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है।

(घ) विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कुल सड़कों की लम्बाई 44.62 कि.मी. वर्ष 2017–18 में पूर्ण की गई है। जिसका ब्यौरा संलग्न सूची में दर्शाया गया है।

(ङ) वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित जितनी सड़कें पूरी नहीं हो सकी है उनके रिडप्लपमेन्ट के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। फन्ड की स्वीकृती होने पश्चात् इन कार्यों को प्रारम्भ किया जाएगा।

(च) विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कुल नालियां की लम्बाई 74.11 कि. मी. वर्ष 2017–18 में पूर्ण की गई है। जिसका ब्यौरा संलग्न सूची में दर्शाया गया है।

(छ) वर्ष 2017–18 के लिए तीन औद्योगिक क्षेत्रों की 62.5 कि.मी. की नालियों का कार्य अभी आरम्भ नहीं हो सका है। क्योंकि इनकार्यों को कराने के लिए 137 करोड़ रुपया का प्रस्ताव बनाया गया था। फन्ड की स्वीकृती होने के पश्चात् इन कार्यों को प्रारम्भ किया जाएगा।

(ज) मंगोलपुरी, मायापुरी व कीर्तिनगर क्षेत्रों में अब तक बन चुकी सड़कों, नालियों की लम्बाई व समापन तिथि संलग्न सूची में दर्शायी गयी है।

(झ) मंगोलपुरी, मायापुरी व कीर्तिनगर क्षेत्रों में शेष बची सड़कों व नालियों के कार्यों के लिए 137 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजा जा चुका है। प्रस्ताव पास होने के पश्चात् लगभग 1 वर्ष के अन्तराल में कार्य पूर्ण किया जा सकता है।

ANNEXURE-I

List of Notified Plannd Industrial Area under Control of DSIIDC

Sl. No.	Name of the Industrial Area	Area	Road length	Drains length	Completion date
1	2	3	4	5	6
01	Narela Industrial Area	6-12 acres	33.17 Km	55.27 Km	2013-14
02	Bawana Industrial Area	1922 acres	136,94 Km	286.14 Km	2013-14
03	DSIIDC Sheds Nangoli	26.0 acres	2.40 Km	4.36 Km	2016-17
04	Flatted Factory Complex at Jhilmil Industrial Area	4.97 acres	0.65 Km	1.40 Km	2014-15
05	Functional Industrial Estate for Electronics, A-Block, Okhla Industrial Area	7.70 acres	0.65 Km	1.15 Km	2016-17
06	Functional Industrial Estate for Electronics, S-Block, Okhla industrial Area	13.50 acres	1.40 Km	2.10 Km	2013-14
07	Patparganj Industrial Area	125,99 acres	8.50 Km	13.48 Km	2013-14
08	Badli Industrial Area	65.0 acres	4.45 Km	8.15 Km	2016-17
09	Okhla Industrial Estate, Phase-Ill	110.73 acres	8.80 Km	17.00 Km	2013-14

1	2	3	4	5	6
10	Rajasthani Udyog Nagar Industrial Area	39.68 acres	1.87 Km	3.60 Km	2015-16
11	G.T. Karnal Road Industrial Area	92.51 acres	5.97 Km	9.67 Km	2016-17
12	Lawrence Road Industrial Area	309.0acres	8.07 Km	16.64 Km	31.3.2018
13	Wazirpur Industrial Area	210.0 acres	18.60 Km	32.46 Km	2017-18
14	Udyog Nagar industrial Area	106.91 acres	9.5 Km	14.80 Km	2017-18
15	(a) Naraina Industrial Area Phase-I	114.56 acres	8.45 Km	10.21 Km	2017-18
	(b) Naraina Industrial Area Phase-II	34.88 acres	2.36 Km	2.98 Km	2015-16
16	D.L.F. Industrial Area,	21.65 acres	0.83 Km	1.13 Km	2016-17
17.	Moti Nagar and Najafgarh Road Industrial Area				
18	Jhilmil Industrial Area	88.00 acres	6.08 Km	12.04 Km	2016-17
19	Kirti Nagar Industrial Area	220.00 acres	a) 9.00 Km b) 9.50 Km	a) 9.00 Km b) 14.50Kr	2016-17 Balance works at (b) shall be taken up after allocation

					of funds from Govt. of NCT of Delhi
20	(a) Mangolpuri Industrial Area Phase-I	212.04 acres	5.68 Km	11.29 Km	2016-17
	(b) Mangolpuri Industrial Area Phase-II	78.18 acres	6.51 Km	13.02 Km	Works shall be taken up after allocation of funds from Govt. of NCT of Delhi
21	(a) Mayapuri Industrial Area Phase-I	147,65 acres	7.12 Km	16.50 Km	Works shall be taken up after allocation of funds from Govt. of NCT of Delhi
	(b) Mayapuri Industrial Area Phase-II	166.41 acres b) 14.00 Km	a) 4.22 Km b) 18.50 Km	a) 5.30 Km	2016-17 Balance works at (b) shall be taken up after allocation of funds from Govt. of NCT of Delhi

@ The proposals of Works at (b) in each columns has already been submitted and shall be taken up only after allocation of funds from the Govt. of NCT of Delhi.

186. श्री सोमनाथ भारती : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार व केन्द्र सरकार की परिवार कल्याण संबंधी क्या योजनाएं हैं, उनसे लाभान्वित होने की प्रक्रिया तथा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में उनसे लाभान्वित होने वालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अधिकाधिक परिवारों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं;

(ग) प्रत्येक बस्ती में जच्चा–बच्च केन्द्रों वर्तमान में जारी योजनाओं के अतिरिक्त सरकार और क्या कर सकती हैं;

(घ) क्या मेरे विधानसभा क्षेत्र की हर बस्ती में और जच्च–बच्चा क्लीनिक स्थापित करने की कोई योजना है;

(ङ) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में प्राइवेट नर्सिंग होम्स का ब्यौरा प्रदान करें;

(च) दिल्ली सरकार, नगर निगम व स्वायत्तशासी संस्थाओं/गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे क्लीनिकों की सूची उपलब्ध कराए?

श्रम मंत्री : (क) मातृ स्वास्थ्य केन्द्र सरकार की योजना : जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएंः

1. **जननी सुरक्षा योजना** : अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति/गरीबी रेखा के नीचे की सभी गर्भवती महिलाओं के

संस्थागत प्रसव के लिए एवं गरीबी रेखा के नीचे की सभी गर्भवती महिलाओं गृह प्रसव के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि 600 रुपये (शहरी क्षेत्र में सस्थागत प्रसव के लिए), 700 रुपये (ग्रामिण क्षेत्र में संस्थागत प्रसव के लिए) और 500 रुपये गरीबी रेखा के नीचे की सभी गर्भवती महिलाओं गृह प्रसव के उपरान्त दिये जाते हैं।

2. **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमः**— इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं के लिए संस्थागत निःशुल्क प्रसव एवं प्रसवोंत्तर जटिलताओं के निःशुल्क इलाज की सुविधा के साथ एक साल तक के अस्वस्थ बच्चों के लिए निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही निःशुल्क आहार और परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है।

3. **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानः**— यह हर महिने की नौ दिनांक को मनाया जाता है। यदि नौ दिनांक को रविवार या छुटटी हो तो अगले कार्य दिवस पर मनाया जाऐगा। दसूरी एवं तीसरी तिमह़ी गर्भवती महिलाओं की गुणवत्ता प्रसव पूर्व देखभाल के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' चलाया गया है। यह गुणत्ता प्रसव पूर्व भारी जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को पता लगाऐगा और उन्हें बडें अस्पताल में रेफरल करेगा इससे हम उन महिलाओं में जटिल स्थिति पैदा होने से रोक सकते हैं या कम कर सकते है। इससे हमारी महिलाओं की मातृ मृत्यु दर कम कर सकते है।

इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में इन योजनाओं के अंतर्गत पंजीकरण कराये अथवा

पंडित मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल में भी उपचार के लिए जा सकते है।

(ख) लेडी हेल्थ विजिटर्स ए.एन.एम. फील्ड के कार्यकताओं, आंगनबाडी व आशा वकर्स के साथ घर–घर जाकर सुविधायें प्रदान करते हैं। अधिकाधिक परिवारों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने क लिए मोबाईल डिस्पेंसरी की सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्यवर्धक जानकारी हेल्थ कैंप, आई.ई.सी. सामग्री द्वारा प्रदान की जाती है।

(ग) जच्चा–बच्चा केन्द्रों में अन्य रोग परीक्षण सुविधायें जैसे– कैंसर व असंक्रमित रोग आदि के बचाव एवं उपचार के बारे में जनता को अवगत किया जाता है।

(घ) दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गयी नियमावली अनुसार प्रत्येक 50000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम एक मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र को स्थापित कर सकता है।

प्रत्येक वार्ड में यू.पी.एच.सी. (Urban Public Health Centre) स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ङ) सूची संलग्न है (संलग्नक–ए)*

(च) सूची संलग्न है (संलग्नक–बी)*

187. श्री रामचन्द्र : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि शाहबाद डेरी मेन स्टैंड, पुठखुर्द गांव में

* www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

तथा बवाना चौक पर यातायात की बहुत भारी जाम एवं ट्रैफिक की समस्या है; और

(ख) यदि हां, तो भारी जाम व यातायात की समस्या को दूर करने क लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विस्तृत विवरण क्या हैं?

परिवहन मंत्री : (क) और (ख) परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। जानकारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से एकत्रित की जा रही है।

माननीय उप मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं सुबह इस खबर को पढ़ा था। अखबार में... जहॉ पर एक प्राइवेट स्कूल में नौवीं क्लास की एक बच्ची ने मतलब वहॉ पढ़ने वाली, वहॉ पर नहीं, नौवीं क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची, जिनका परिवार नोएडा में रहता है उसने सुसाइड किया है। और अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक तो अकैडमिक प्रेशर और इन सब की बात आ रही थी तो मैंने क्योंकि ये भी मेरे लिए चिंता की बात है कि कोई नौवीं क्लास का बच्चा अकैडमिक प्रेशर में आके सुसाइड कर रहा है, तो ये भी एजुकेशन सिस्टम के लिए ओवरऑल मतलब समाज के लिए भी प्रॉब्लम की बात है। इसीलिए मैं खुद सुबह से इसपे लगा हुआ था और इत्तेफाक से मैं खुद भी सोच रहा था कि इसमें रखूॅ। नेता विपक्ष जी ने उठाया है ये। मैंने पता किया है ये, मेरी खुद भी वहॉ हैड ऑफ द स्कूल से बात हुई है, जो कंसंर्ड स्कूल है। डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी वहॉ पे हैं, अभी वहॉ पे अभी काफी भीड़ भी है, मीडिया भी है, पुलिस भी पहुॅची हुई है। नोएडा पुलिस, जो अभी एज ऑफ नाउ, तो बहुत पुख्ता जानकारी अभी

मतलब मैं जो बयान दे रहा हूँ वो प्राईमाफेसी इनपुट के आधार पे दे रहा हूँ, जो ऑफिसर्स ने वहॉ से दिए हैं या मेरी खुद बात हुई है। ये बच्ची और इसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी, मैं सदन में रख दूँगा, वहॉ के ऑफिसर्स की जो रिपोर्ट आएगी। ये जो बच्ची है, वहॉ पे प्राइमरी क्लास से ही पढ़ती थी और अभी वर्तमान में नौवीं क्लास में थी। इसका 16 तारीख को इनका रिपोर्ट कार्ड दिया गया था इनकी फैमिली को ही इनका रिपोर्ट कार्ड सोंपा गया था, रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक ये साइंस और सोशल साइंस में इसकी कंपार्टमेंट थी एसएसटी में। और अभी जो सूचना है, क्योंकि ये तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का मैटर है सारा, पर जो प्राइमरी सूचना मिली है कि कल शाम इस बच्ची ने अपने घर में जब उसके पेरेंट्स उसके फैमिली के लोग बाहर गए हुए थे, तो कमरा बंद करके, घर बंद करके सुसाइड किया। स्कूल के मुताबिक जो अभी सूचना दी है; 16 तारीख के बाद से बच्ची स्कूल नहीं आई है और मतलब कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं थी इसकी, पढ़ने में, पर सामान्य बच्ची थी। जो भी इसमें आगे सूचना मिलेगी, ये भी सूचना मिली है अभी पुख्ता नहीं है कि जो पेरेंट्स ने एफआईआर कराई है नोएडा में, उसमें उन्होंने ये शिकायत की है कि बच्ची का मोलस्टेशन, बच्ची के साथ कुछ छेड़छाड़ की घटना वहॉ पे हो रही थी। स्कूल से जो अभी फोन पे बात हुईं हैं, उनके हिसाब से स्कूल को, न तो बच्ची ने किसी स्कूल अथॉरिटी को, न किसी पेरेंट ने अभी तक उस तरह की कोई शिकायत की थी। लेकिन क्योंकि अभी ये मैटर ऑफ इंवेस्टिगेशन है, पुलिस को इंवेस्टिगेट करना है, तो इसपे मैं ज्यादा टिप्पणी करना भी नहीं चाहूँगा। अगर कोई फैक्चुअल रिपोर्ट आएगी तो मैं सदन के समक्ष रख दूंगा।

दूसरा, मैंने प्रिंसिपल से बात की थी कि क्योंकि अकैडमिक प्रेशर से अगर है, तो क्या है, तो पता चला था कि प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि नौवीं क्लास में करीब 250 बच्चे वहॉ हैं और इस साल उनमें से 28 बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। तो एक रेप्यूटिड पब्लिक स्कूल है उसमें कितने बच्चों की कंपार्टमेंट आ रही है, वहॉ पेरेंटस पढ़ा रहे हैं, मेरा उसमें कोई ज्यादा दखल नहीं है। लेकिन यहॉ ये थोड़ी सी चिंता की बात है और हम सबके लिए भी है क्योंकि हम सब समाज से अलग अलग हिस्सों से आ के रिप्रजैंट कर रहे हैं। इत्तेफाक है कि आज जब... जिस अखबार में ये रिपोर्ट छपी है कि नौंवी कलास की बच्ची ने सुसाईड कर लिया और ऐज पर बेसिक रिपोर्ट... ऐकेडमिक प्रेशर था। आज एक और रिपोर्ट टाइम्स आफ इंडिया में छपी है कि नौ से 11 साल के बच्चों के बीच, 11 साल से 13 साल के बच्चों के बीच, 11 से 15 साल के बच्चों के बीच, 80 परसेंट बच्चे जो हैं, वो स्लीपिंग डिसऑडर का शिकार हैं। इतनी छोटी उम्र में और ये सर्वे बहुत औथैंटिक डाक्टर्स ने कराया है, सफदरजंग हास्पिटल के डाक्टर्स द्वारा स्टडी कराई गई है, दिल्ली के बच्चों की। उसमें जो मेरे पास सर्वे नहीं है, रिपोर्ट नहीं है मेरे पास में। मेरे पास सिर्फ न्यूजपेपर रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि 80 परसेंट बच्चे 11 से 15 साल के स्लीपिंग डिसऑडर के शिकार हैं दिल्ली में और सामान्यतः छह से तेरह साल के बच्चों को जब कि रोजाना आठ से दस घंटे सोना चाहिए लेकिन वो न तो समय पर सो रहे हैं, यहॉ तक कि वीक एण्ड में भी समय पर नहीं सो रहे हैं। ऐसा ये रिपोर्ट बता रही है और रिपोर्ट ये भी बता रही है कि इसका बेसिक कारण है, ऐकेडमिक लोड और गेजेटस जो बच्चों के हाथ में गेजेटस आ रहे हैं और ऐकेडमिक लोड। अगर ये हेरेसमेंट का मसला

था तो निश्चित रूप से पुलिस भी अपनी कार्रवाई करेगी और हम भी स्कूल से अपनी रिपोर्ट ले के और स्कूल को जो भी हमारे ज्यूरिडिकशन होगा, एक्शन लेंगे, स्कूल अथॉरिटीज से बात करेंगे लेकिन ये जो दोनों चीजें हैं, ऐकेडमिक लोड और गेजेटस और पारिवारिक प्रेशर, उसमें मैंने अभी एफएम में ऐड भी जारी किया था कि सभी पेरेंटस बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी खास तौर पर एग्जाम के बीच में ऐकेडमिक प्रेशर न डालें। आपका बच्चा किस... इस बच्ची की बारे में मैं पढ रहा था अखबार में। इसकी पूरी फैमिली आर्टिस्ट फैमिली है, इनके भाई फिल्म मेकिंग में हैं, इनके पेरेंटस म्यूजिक आर्टस में हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, ये बच्ची भी कहीं न कहीं, may be legacy में उधर जाती हो। तो अगर ऐसे में कहीं स्कूल की तरफ से समाज की तरफ से या पेरेंटस की तरफ से बच्चों के ऊपर इतना ऐकेडमिक प्रेशर है कि उसको हो सकता है, वो म्यूजिक में अच्छी हो मुझे नहीं पता, लेकिन और ऐसा रिपोर्ट कह रही है, 'शी वाज ए गुड परफॉर्मर,' लेकिन अगर कोई बच्ची म्यूजिक में अच्छी है तो उस पर कौन सा ऐकेडमिक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, कौन कर रहा है, टीचरस कर रहे हैं पेरेटस कर रहे हैं, समाज कर रहा है, हम सब को ये रिस्पॉन्सिबिल्टी लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये एक घटना है, जहॉ एक लड़की सुसाइड कर रही है। अगर वो मोलेसटेशन का केस है, निश्चित रूप से मैटर आफ इन्वेस्टीगेशन है। पर अगर इससे लिंक करके देंखे, जो दूसरी रिपोर्ट है आज की कि academic load and gadgets among the reasons why kids can not sleep in the city. तो हम सब पेरेंटस को, सब सोसाइटी को, टीचर्स को, सबको मिल के इस पर सोचने की जरूरत है। कहीं न कहीं ऐजूकेशन सिस्टम की भी जिम्मेदारी है कि इस पर काम करे। इसीलिए हम लोग हैप्पीनेस केरिकुलम भी ले के आ रहे हैं सरकार में, पर आगे इसके बारे में जो भी फैक्टस होंगे, मैं सदन को अवगत कराऊँगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, उपमुख्यमंत्री जी ने जो यहॉ कहा है, इस घटना में जो अभिभावकों की तरफ से शिकायत है कि बच्ची के ऊपर शारीरिक शोषण की कई घटनाएं हुई, जो अभिभावकों ने कहा है कि बच्ची अक्सर घर पर आकर इस बात को बताती थी और अभिभावकों ने जब भी विद्यालय से संपर्क किया, विद्यालय ने उनको सही रिप्लाई नहीं किया इस बात का और कहीं न कहीं उसके परिणामों को उस मोलेस्टेशन से जोड़ कर के अभिभावकों ने शिकायत की है। अभिभावक का कहना है कि उस पर दबाव डाला जाता था और फिर उसके परिणाम भुगतने का उसको एक भय था जो रिजल्ट के रूप में सामने आया। वो फाईन आर्टस की एक अच्छी... नृत्य उसका शौक था और वो उसमें महारत हासिल करना चाहती थी और ये कहा जाता था कि ये फाईन आर्टस पर इसका ध्यान है, इसलिए इसके नंबर ठीक नहीं आ रहे हैं, इसलिये ये फेल हो रही है। लेकिन दोनों बातों में अगर वो उसके ऊपर शिक्षा का मानसिक दबाव था, जैसा उपमुख्यमंत्री जी ने यहॉ कहा, तो फिर किस तरह की शिक्षा व्यवस्था उस विद्यालय में थी जिसके कारण बच्चे के ऊपर इस तरह का मानसिक दबाव था, इसकी पूरी जॉच होनी चाहिए और दूसरा, जो पेरेंटस की शिकायत है कि नाम तक दिये गये हैं, दो अध्यापकों के बाकायदा, दो नाम सामने आये हैं। अब मैं उसकी गहराई में... मैं कोई आरोप को मैं सीधा प्रत्यक्ष रूप से यहॉ जस्टिफाई करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूँ लेकिन अगर जो कुछ अभिभावक कह रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि उपमुख्यमंत्री जी इस बात को आश्वस्त करें कि इसकी पूरी जांच और सिर्फ पुलिस जॉच करेगी, वो एक विषय है लेकिन इसकी जांच विभाग द्वारा भी स्थापित की जाये और सदन के अंदर इसकी रिपोर्ट जॉच की तीन दिन के अंदर अंदर, बजट पेश होने के बाद 23 तारीख को अगर संभव हो तो, नही तो फिर 26 तारिख को

इसकी जॉच की रिपोर्ट विभाग द्वारा सदन के पटल पर रखी जाए। ये गंभीर मामला है। एक नौंवी कक्षा की बच्ची का सुसाइड करना और अभिभावकों का इस तरह का आरोप लगाना!

उप मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय जैसे मैं बता चुका हूॅ पहले ही, इसकी जांच के आदेश पहले ही दे चुका हूॅ। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने तो यहॉ सदन में उठाया। मैं सुबह अखबार में पढ के इस बात से चिन्तित हुआ और मैंने अधिकारियों को तुरंत इसकी जॉच के लिये कह दिया था। इसीलिए आफिसर्स वहॉ हैं भी, लेकिन अभी क्योंकि वहॉ पुलिस की इन्वेस्टीगेशन और पब्लिक और मीडिया का ऐसा वो चल रहा है और निश्चित रूप से अगर ये घटना है जिसका नेता प्रतिपक्ष जिक्र कर रहे हैं, और हुई हैं तो स्कूल अथॉरिटीज भी फिर इसके लिये जिम्मेदार होगीं और उनके खिलाफकृ और अगर वो जॉच में चीजें पकड़ में आती हैं, तो निश्चित रूप से एक्शन लेंगे, सरकार भी एक्शन लेगी और अगर इस तरह की अथॉरिटीकृ मतलब स्कूल ऐजूकेशन एक्ट में तो शायद उतने प्रोविजन सख्त नहीं होंगे, सिर्फ स्कूल के खिलाफ एक्शन लेने के होंगे, लेकिन देश के कानूनों में बहुत पर्याप्त संभावनाएं हैं कि इस तरह से नेग्लीजैंस करने वाले कोई भी हो, वो चाहे किसी दफतर में हो, स्कूल में हो, घर में हो, कहीं भी हो, ऐसे आदमियों को जेल भेजने के लिए प्रर्याप्त संभावना है, अगर पुलिस ईमानदारी के काम करेगी। आप चिंता न करें, थैंक्यू।

(विशेष उल्लेख (नियम–280)

अध्यक्ष महोदय: श्री बग्गा जी 280

श्री एस. के. बग्गा: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 280 में बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूॅ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पीडब्ल्यूडी की और दिलाना चाहता हूॅ। मेरी कृष्णा नगर विधानसभा में ताज एन्कलेव, रानी गार्डन पुश्ते के बीच एक फुट ओवर ब्रिज बनवाने के लिये दो साल से रिकवेस्ट की गई है। दो साल से ज्यादा समय हो गया है लेकिन पीडब्ल्यूडी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वहॉ पर आये दिन ऐक्सीडेंट होते हैं और कई मौतें भी हो चुकी हैं। वहॉ के निवासी बहुत परेशान हैं।

दूसरा, फ्लाईओवर के नीचे ब्यूटीफिकेशन का कार्य भी नहीं हो रहा है। एसडीएम आफिस के सामने पीडब्ल्यूडी की जगह एक व्यक्ति ने घेर रखी है, वहॉ इल्लीगल धन्धा करता है तथा वहॉ से लाखों रूपया किराया खा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करता हूॅ कि पीडब्ल्यूडी से फुटओवर ब्रिज बनवाने का कष्ट करें तथा पीडब्ल्यूडी की जगह खाली करवाने का कष्ट करें। इससे वहॉ की जनता को राहत मिलेगी, आपका अति धन्यवाद होगा, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूॅ कि वह पानी तथा सीवरेज की दरों में बेतहाशा जो वृद्धि की गई है, उसको वापिस लेने का आदेश दें। एक तरफ जहॉ मुख्यमंत्री जी दिल्ली मैट्रो किराये की वृद्धि को लेकर इतने जोर शोर से शोरगुल मचाते हैं, वहॉ दूसरी और उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में पानी और सीवरेज की दरों को, बड़ी चालाकी से 20 प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकृति देने में कोई हिचकिचाहट नहीं की। अध्यक्ष जी, यह मुख्यमंत्री जी की दोगीलापंथी को

जाहिर करता है। एक तरफ आप खुद रेट बढ़ाते हैं पानी का और बीस बीस परसेंट वृद्धि लाते हैं और ऊपर से आप ये दूसरों पर दोष लगाते हैं कि मैट्रो का किराया बढ़ा दिया गया। एक एक मापदंड जो है, जो मापदंड हैं, वो बराबर रहने चाहिए, सभी के लिये बराबर रहने चाहिए। जो बाकी के लिये मापदंड हैं, वो आप पर लागू नहीं होते।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः कोई नही, आपको मेरी बात को गलत लगते ही काट देना। मेरा कोई विषय नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः चलो, कोई बात नहीं, आपको गलत लगता होगा। मैं उस बात में आना नहीं चाहता। तो दोगलापंथी क्या है, दोगलापंथी, डबल स्टैण्डर्ड।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हॉ, तो कोई बात नहीं हटा देना, कौन कह रहा है? उसको डबल स्टैण्डर्ड लिख देना। कौन मना कर रहा है आपको? दोगलापंथी, डबल स्टैण्डर्ड ही है और मैं, इसमें गलत क्या है?

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हॉ, तो क्या गलत क्या है? हॉ तो क्या गलत है इसमें मेरे को बता तो दो कौन सा वर्ड इसमें अनपार्लियामैंट्री है?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः डबल स्टैण्डर्ड।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः किसको कहते है डबल स्टैण्डर्ड? डबल स्टैण्डर्ड की हिंदी मुझे बता दो।

अध्यक्ष महोदयः चलिए, आप पढ़िए, इसको पढ़िए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः नहीं, तो मुझे डबल स्टैण्डर्ड की हिंदी बता दो।

अध्यक्ष महोदयः पढ़िए, इसको पढ़िए, फटाफट पढ़िए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं तो फिर भी आर्ग्युमेंट में नही आ रहा...

अध्यक्ष महोदयः पढ़िए, अब पढ़िए ना जी। ये आप मान रहे हैं, ये तो मान ही रहे हैं ना, इसके माध्यम से।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः कि भई ये रेट बढ़ा दिए आपने।

अध्यक्ष महोदयः नहीं–नहीं, कि ये बस, जो मैट्रो का किराया बढ़ा, डबल स्टैण्डर्ड वहॉ हो रहा है, मान रहे है ना?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः वो यहॉ आ के बोलते है...

अध्यक्ष महोदयः नहीं, बढ़ना चाहिए ना।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः तो वहॉ भी ऐसे ही बढ़ा के आए आप।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, बढ़ना चाहिए ना।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम तो कह रहे हैं, नहीं बढ़ना चाहिए। हम तो बार–बार कह रहे हैं, नहीं बढ़ना चाहिए। आपका चीफ सेक्रेटरी क्यों बढ़ा के...

अध्यक्ष महोदयः ये नहीं बढ़ना चाहिए, तो वो भी नहीं बढ़ना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः जनाब मैंने तो पूछा था विधान सभा में कि जो चीफ सेक्रेटरी बढ़ा के आया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। जो वहॉ जा के बढ़ाया के आया लेकिन आपने करी ही नहीं कार्रवाई उसके खिलाफ। बड़ा अफसोस है इस बात का। हद है कि अध्यक्ष जी,

अध्यक्ष महोदयः एल जी साहब इजाजत देते नहीं कोर्ट में जाने की।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हॉ जी।

अध्यक्ष महोदयः चलिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः तो आप तीन हजार करोड़... हम तो बजट में लाएंगे, आप प्रावधान दे दें, तीन हजार करोड़ की सब्सिडी दे दें। लोगों को मेटर से निजात मिल जाएगी। रिलायंस को और जो टाटा को आप पैसा दे रहे हैं, उसकी जगह दिल्ली मैट्रो को दे दें...

अध्यक्ष महोदयः पढ़िए, सिरसा जी, पढ़िए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः दिल्ली मैट्रो को दे दें वो पैसा।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आपने शुरू किया रिलायंस को, टाटा को देना, पहले शीला दीक्षित भी वही करती थी, अब वही आप भी कर रहे हैं। तो मुझे बोलने तो देते ही नहीं हैं ये लोग।

अध्यक्ष महोदयः आप पढ़िए ना।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मेरे खड़े होते ही चिढ़ाना शुरू कर देते है। मैं तो किसी को बोलता नहीं किसी बात में।

अध्यक्ष महोदयः चलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सौरभ जी, प्लीज। सौरभ जी, ये दूसरे में समय पूरा हो जाएगा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः देख लें, व्यक्तिगत तौर पर नहीं करना चाहिए। आप जो मर्जी मजाक में कहो, लेकिन ये सीरियस बात है।

अध्यक्ष महोदयः चलिए, लीजिए अब।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ठीक है। हमारी आवाज कान में तेजाब की तरह जाती है। मुझे पता है, सच तेजाब की तरह ही जलता है। सच जलाता है तेजाब की तरह...

अध्यक्ष महोदयः चलिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः सच सुना नहीं जाता। ...(व्यवधान) जी–जी बिल्कुल है, क्योंकि आपको सच्चाई सुनने की आदत नहीं, जब सुनने की

आदत पड़ जाएगी तो मिट्ठी लगेगी आपको, बहुत मिट्ठी लगेगी आपको ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, मुझे जवाब देना है, उनको चुप कराएं, मैं नहीं बोल रहा।

अध्यक्ष महोदयः आप बोल लीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः बोल वो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः वो नहीं बोलेंगे, आप बोलिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ठीक है। अध्यक्ष जी, दिल्लीवासियों को 2015 में 10 प्रतिशत और 2017 में 20 प्रतिशत बढ़ा बोझ डाल दिया गया, किसके रूप में? रेट बढ़ाने के रूप में। आप कह रहे हैं पानी फ्री में है। यहॉ 30–30 परसेंट और महंगा कर दिया। पानी, तो वैसे ही नहीं मिलता। चलो कोई बात नहीं, और जो मिलता नहीं है किसी को, उसमें भी 30 परसेंट आपने और लगा दिया।

अब ये देखिए, बिजली का आपने कहा, कल मंत्री जी यहॉ कह रहे थे, बताइए, कौन सी सरकार है जिसने बिजली का दाम बढ़ाया? तो हम आज बता रहे हैं आपको इसी में। आप ही की सरकार है जिसने बिजली का रेट बढ़ाया, किसी और सरकार ने नहीं बढ़ाया। अकेली सरकार है। न नई कॉलोनी बसी, न ट्रांसमिशन कॉस्ट बढ़ी, न लाइनें बढ़ी लेकिन बिजली के दाम बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? आप देखिए 3.7 परसेंट आपने सरचॉर्ज लगा दिया और 694 करोड़ रूपया दिल्ली के लोगों की जेब से जा रहा है। आप कह रहे है, अभी दाम नहीं बढ़े।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूॅ अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने कार्यकाल में बिजली तथा सीवरेज की दरों में लगभग एक तिहाई वृद्धि

कर डाली है। दिल्ली जल बोर्ड को 2017–18 में 516 करोड़ का घाटा होने जा रहा है, 516 करोड़ रुपये का! अब देखिए, कौन जिम्मेवारी लेगा? खाली उठ के चले जाने से तो कोई बात नहीं बनेगी। बड़े–बड़े भाषण देने से बात नहीं बनेगी। मैं आपसे... इससे पता चलता है कि दिल्ली जल बोर्ड की जो कार्य प्रणाली है, वो किस तरह की दरूस्त है, कितनी चुस्त है, इससे सारा समझ में आता है।

दिल्ली सरकार लीकेज पर नियंत्रण पाने के लिए पूरी तरह असफल हुई है। दिसम्बर 2016 में सरकार ने 800 जूनियर इंजीनियर–जेई और लगभग 3000 स्टाफ की फौज का 'वॉक द लाइन' पर नया ड्रामा निकाला था। लेकिन आज वॉक कल लाइन कहॉ है? आज भी इसकी सारी की सारी पोल खुल गई, पानी की लीकेज को ये बंद नहीं कर पाए। ये तॉ की तॉ इसी तरह इस तरह खड़ी है और अब जब इस असफलता का बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है, पानी की लीकेज आपके कारण हो रही है लेकिन 30 परसेंट बोझ जो है, वो आम आदमी पर पड़ रहा है, आम जनता पर पड़ने जा रहा है। सरकार ने जब 2015 में सत्ता में संभाली थी ...(व्यवधान) आने वाले पानी सीवरेज की दरों में 10 परसेंट की वर्षद्धि की थी लेकिन आपने 2016 में ये कह के वर्षद्धि को रोका था कि ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं सिरसा जी...

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: आप इस पर वर्षद्धि नहीं करेंगे परंतु 2016 में रोकी हुई वर्षद्धि अभी आपने 2017 में बहुत खूबसूरती से, और बड़ी

चालाकी से उसको लौटा दिया। और आज 20 फीसदी जो वर्षद्धि है, वो उसका हिसाब आपने बराबर कर दिया। सरकार आने के बाद 30 परसेंट पानी पर वर्षद्धि लगा चुके है औरकृ

अध्यक्ष महोदयः बैठो, हो गया अब।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः 697 करोड़ रुपया बिजली पर सरचॉर्ज लगा चुके हैं और अभी आप कह रहे हैं, पानी नहीं बढ़ायाकृ

अध्यक्ष महोदयः आप बिजली का बोल गए, जितना भी, वो इसमें कही लिखा नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः तोमर जी, भई बैठिए, अब बैठिए। मैं आगे से प्रार्थना कर रहा हूँ सभी माननीय सदस्यों से, आपने जो लिखित में देंगे, उतना ही बोलेंगे, उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः गुलाब जी, मैं आगे बहुत सख्ती से लागू करूँगा इसको। ये ढ़िलाई का लाभ उठाने से कोई औचित्य नहीं है, जिसका जितना लिखित में आया होगा, उतना ही पढ़ा जाएगा, इससे ज्यादा इजाजत नहीं दी जाएगी। तोमर जी।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 280 के अंतर्गत मेरी बात रखने का मौका दिया।

मैं डीएसआईडीसी के बारे में थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ। मेरे त्रिनगर विधान सभा में लारेंस रोड इंड्रस्ट्रियल एरिया है, जहॉ पर सन् 2015 में जब

हमारी सरकार बनी थी, उसके तीन महीने के अंदर ही एक्सपेंडिचर सैंग्शन कमिटी होती थी, उसने 30 करोड़ 97 लाख रुपए सैंक्शन किए थे। लारेंस रोड इंड्रस्ट्रियल एरिया की तमाम जो नाली, सड़कें वगैरह बनाने के लिए और उसमें जो टेंडर हुआ था, उसका एमाउंट था 22 करोड़ 49 लाख रुपए। उससे वो काम हुआ 2015, 2016, 2017, करीब–करीब 90 परसेंट काम वहॉ का पूरा हो चुका है, 95 परसेंट काम पूरा हो चुका है। अब थोड़ा सा काम बाकी है, सिर्फ एक ब्लॉक मेरा बचा है, सी ब्लॉक। और क्योंकि एक्सपेंडिचर सैंक्शन कमिटी ने ऑलरेड्डी 30 करोड़ 97 लाख रुपए सैंक्शन किए हुए हैं, इसमें कोई सरकार पर अलग से पैसे देने की बात नहीं है, कोई डिपार्टमेंट को अलग पैसे देने की बात नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूॅ कि यदि सरकार द्वारा स्वीकृत 30 करोड़ 97 लाख रुपए में से बाकी 6 करोड़ 32 लाख रुपए डीएसआईडीसी को दे दिए जाएं तो बचा हुआ काम पूरा हो सकता है, जो काम वहॉ पर बाकी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूॅ कि किसी भी तरीके से लारेंस रोड इंड्रस्ट्रियल एरिया के पूरे सी ब्लॉक के बचे हुए सड़कें और नालियॉ बनाने के काम को शीघ्र से शीघ्र पूरा करवा दिया जाए, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद, अखिलेश पति त्रिपाठी जी (अनुपस्थित)। नरेश बाल्यान जी।

श्री नरेश बाल्यान: अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान उत्तम नगर टर्मिनल से लेकर और द्वारका मोड़ तक जो टैफिक जाम है, उसमें अध्यक्ष जी, वो जो रोड, चार विधान सभा उस पर टच करती है, उत्तर नगर, जनक पुरी,

मटियाला और नजफगढ़ और उस रोड पे हालात ये है कि वो लगभग तीन किलोमीटर का एरिया है और उस तीन किलोमीटर के एरिये को क्रॉस करने में पीक ऑवर में डेढ़ से दो घंटा और नॉर्मल टाइम पर एक घंटे का समय लगता है। चारों तरफ रेहड़ी–पटरी, ई रिक्शा, आरटीवी बसिज ने एनक्रोचमेंट कर रखा है और टैफिक वाले भी कुछ लोग वहॉ मौजूद रहते हैं लेकिन स्थिति सुधर नहीं रही किसी भी तरीके से। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी उठाया था, आज मैं दुबारा आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूॅगा कि इसका कोई न कोई सॉल्यूशन जल्दी निकालें कि इस ट्रैफिक जाम से उत्तम नगर के लोगों को छुटकारा मिल सके। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। गुलाब जी।

श्री गुलाब सिंहः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जो मेरा आज 280 लगा है, उसके ऊपर पहले ही काफी बवाल मच चुका है और जो कि बस क्यूं शेल्टर को लेकर है और इसके ऊपर वैसे ही सदन में काफी चर्चा हुई है तो मैं क्या इसकी जगह कोई दूसरा रख सकता हूॅकृ क्या या इसी को रखूं?

अध्यक्ष महोदयः इसी को।

श्री गुलाब सिंहः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आज सदन के अंदर जब परिवहन विभाग को लेकर माननीय मंत्री जी से सवाल पूछे जा रहे थे, तो उस समय पूरे सदन की भावना आपके सामने दिखाई दी, ठीक वैसा ही मैं दिल्ली की ऐसी विधान सभा क्षेत्र सें आता हूॅ जहॉ करीबन 35 गॉव होते हैं और करीबन 32 किलोमीटर के दायरे में ये विधान सभा फैली हुई है और बस क्यू शेल्टर की स्थिति ये है कि अभी भयानक गर्मी शुरू

होने जा रही है और हालत ये है कि कई सारे गॉव के या कॉलोनियों के स्टैण्ड पर खड़े होने के लिए कुछ है ही नहीं। चलो टूटा फूटा तो देखा भी जाए लेकिन वहॉ पर कुछ है ही नहीं। तो आज जिस तरह से सदन के अंदर सभी सदस्यों ने इस बात को लेकर करीबन 25–30 मिनट पूरे सदन में अपनी बातों को रखा, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि इस विषय में आप या तो एक दिन चर्चा करा लीजिए, 25 तारीख को, 26 तारीख को क्योंकि तीन बार टेंडर लग रहे है और एक एमएलए फंड से...

अध्यक्ष महोदयः नहीं, माननीय मंत्री जी ने कहा, परसों इसका फाइनल उत्तर देंगे।

श्री गुलाब सिंहः नहीं सर, वो देंगे भी लेकिन सर, उत्तर से अब इसके ऊपर जवाबदेही तो तय हो सर या तो कोई कमिटी बने या प्रश्न एवं संदर्भ कमिटी को भेजा जाए या जो भी मर्जी हो सर.कृ

अध्यक्ष महोदयः गुलाब जी, इसको मैं डिसाइड करवा के छोड़ूगा, चिंता ना करें।

श्री गुलाब सिंहः 17, 18–18, 19–19 लाख रुपए...

अध्यक्ष महोदयः आप निश्चिंत रहिए, इसको डिसाइड करवाएंगे।

श्री गुलाब सिंहः एमएलए फंड से कितने लगाएं? अब जैसे सिरसा जी ने कहा एक विधान सभा में दस लगवा लो। अब दो करोड़ रुपए तो उसमें एमएलए फंड में चले जाएं, चलो, मान लिया परिवहन विभाग के फण्ड से भी हम लगवा रहे हैं तो भी मेरी जैसी विधान सभा में दस क्यू शेल्टर से होगा क्या? इसलिए बहुत जरूरी है... हमारे यहॉ पे करीबन 40–50 बस

क्यू शेल्टर लगने हैं। तो होगा क्या इन दस—दसों से? तो मेरा आपसे निवेदन है सर, कि इसको लेकर कोई न कोई गम्भीर आप स्टैप लें और इसमें एक दिन चर्चा जरूर करा लें और माननीय परिवहन मंत्री जी जो परसों वक्तव्य देंगे, उसके बाद इसमें चर्चा का जरूर लें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कोरम नहीं है।

(कोरम के लिए बैल बजाई गई।)

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी, बाहर ही बैठ जाइए, क्या जरूरत है अंदर बैठने की आप लोगों को। अपनी बात रखते हैं, हम लोग बाहर बैठ जाते हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सदन में बैठते नहीं हैं आप लोग। चर्चा में आपका इन्टरेस्ट नहीं है, सिर्फ आरोप लगाने में इन्टरेस्ट है।

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों से ये प्रार्थना भी कर रहा हूँ ,वार्निंग भी दे रहा हूँ कि सदन को गम्भीरता से ले लें। ये उचित नहीं है। ये दूसरी बार घटना घट गई और ये पूरे सदन का अपमान है। विशेषकर मैं चीफ व्हीप से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो स्वयं उपस्थित नहीं हैं, उनके मॉरल ड्यूटी बनती है कि कोरम का ध्यान रखें, वो खुद उपस्थित नहीं है। विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, हॉ टाइम नोट करिए।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, मैंने बोल दिया, जो लिखा है, वो पढ़ेंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सैक्टर–18 रोहिणी क्षेत्र जिसके बारे में मैंने कल भी विषय रखा था और बार–बार इस विषय को रखता रहूंगा क्योंकि ये विद्यालय से जुड़ा हुआ मामला है और गरीब बस्तियों के क्षेत्र में, गरीब बच्चे जहॉ रहते हैं, उस क्षेत्र में इस विद्यालय की आवश्यकता है। इसके सराउंडिंग में राजा विहार, सूरज पार्क, सूरज पार्क जेजे कॉलोनी, सैक्टर–18, सैक्टर–19 ये तमाम वो क्षेत्र हैं, जिसकी पोपुलेशन लगभग 50 हजार के करीब है और इसके अलावा ओर भी क्षेत्र से हमारे साथी बैठे हैं अजेय जी यहॉ पर, अभी नहीं हैं, वो भी जानते हैं उस क्षेत्र में, दिल्ली सरकार के पास पिछले पॉच साल से एक प्लॉट है दो एकड़ का, डीडीए द्वारा दिया गया। मैं बार–बार इस विषय को उठा रहा हूॅ लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

अभी कुछ दिन पूर्व जिस दिन सत्र शुरू हो रहा था, मैंने उप मुख्य मंत्री जी से इस बात का जिक्र किया था, सदन शुरू होने से पहले, तो उन्होंने कहा कि मैं इस काम को करवाता हूॅ उसके बावजूद, फिर डायरेक्टर एजुकेशन का फोन भी आया। लेकिन जो योजना डायरेक्टर ऑफ एजूकेशन ने बताई, उसके अनुसार तो विद्यालय अभी ओर दो–तीन साल वहॉ नहीं आ सकता है। मेरा ये अनुरोध है सदन के समक्ष आपसे और पूरे सदन से की ऐसे तीस स्थान दिल्ली में है जो सरकार के पास सालों से जगह है, जहॉ नए विद्यालय की जरूरत है उस आबादी को, उन क्षेत्रों में विद्यालय नहीं है। अगर सरकार एक इस सत्र के लिए एक टैम्परेरी व्यवस्था के तहत यहॉ पर विद्यालय स्थापित करें, चाहे वो फिर प्रिफैब स्ट्रक्चर्स के अंदर विद्यालय बनाने की जरूरत पड़े या किसी भी तरह की एकॉमोडेशन देकर के, लेकिन ये विद्यालय खोला जाए क्योंकि यहॉ पर स्कूल न होने के कारण

कितने बच्चे विद्यालय से वंचित है, विद्यालय नहीं जा रहे हैं और अगर जो जाने की कोशिश भी करते हैं तो पॉच किलोमीटर, चार किलोमीटर की दूरी पर उनको जाना पड़ता है, जो संभव नहीं है, छठी, सातवीं, आठवीं तक के बच्चों के लिए।

अध्यक्ष महोदयः हो गया, विजेन्द्र जी, अब हो गया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं साफ रूप से अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी चले गए, नहीं तो मैं चाहता था कि ये बात सदन को एडमिट करें।

अध्यक्ष महोदयः विभाग को जाएगा उत्तर देने के लिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः जी उत्तर तो आएगा लेकिन स्कूल नहीं आएगा। स्कूल आना चाहिए। मेरा बार–बार ये आग्रह है कि अभी डायरेक्टर एजुकेशन से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम प्रीफैब में। मैंने कहा प्रीफैब में करवाइए।

अध्यक्ष महोदयः चलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः लेकिन 500 नए स्कूल बनाने का वायदा करने वाली सरकार अगर एक सदन के सदस्य की गुहार... डेढ़ साल पहले मंत्री जी के साथ बैठक भी मैं कर चुका हूॅ, उसकी गुहार जो है, उस क्षेत्र के लोगों की गुहार अगर सरकार के कानों तक अगर नहीं पहुंच रही है, तो. .. मैं निराश नहीं होना चाहता, मैं उम्मीद के साथ यहॉ खड़ा हुआ हूॅं। अध्यक्ष जी, मैं बड़ी उम्मीद के साथ ये बात कह रहा हूॅ कि आपकी सरपरस्ती में जो ये सदन चलता है, आप जनता की जो तकलीफें हैं, उनको भी.

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, आप जितना मर्जी लंबा कर लीजिए, आपकी बात पूरी हो गई।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरा इतना अनुरोध है, सैक्टर–18 के इस विद्यालय को जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए, इसका निर्माण प्रारम्भ कराया जाए। बजट का प्रावधान है, नक्शे पास हो चुके हैं, उसके बाद अदल–बदल हो रहे हैं उनमें।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधानः धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से मांग करता हूँ कि टाउन वैंडिंग कमेटियॉ को अविलंब गठित करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, कुल 15 सदस्यों ने आज लगाया था। आप कल्पना कर लीजिए, 15 में लॉटरी डलेगी, ये टिप्पणी करना बहुत आसान है। कुल 15 सदस्यों ने... 15 विधायकों ने कुल आज 280 में लगाया था। जब 15 में लॉटरी डलेगी तो 10 आएंगे तो जिनके आएंगे, आएंगे। अगर 30 लगाएं, हॉ तो आए हैं। 30 लगाएंगे तो उतने में से आएंगे। हम कितने सजग हैं? ये टिप्पणी करना बहुत आसान है।

श्री जगदीश प्रधानः अरे सच्चाई की बात करते हैं इसलिए हमारे नम्बर आते हैं। हम सच बात करते हैं, तभी हमारी लॉटरी निकलती है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हम कितने सजग है? नहीं, बैठिए, बैठिए प्लीज।

श्री जगदीश प्रधानः हमारी बात सुनने में भी तकलीफ हो रही है आप लोगों को, बताओ। नहीं इतनी तकलीफ है आपको?

अध्यक्ष महोदयः नहीं, सोमनाथ जी, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप सचिव महोदय पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री सोमनाथ भारतीः आप पर लगा रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अभी नये–नये वह सचिव बने हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं आप।

अध्यक्ष महोदयः हॉ जी, प्रधान जी। नहीं, ये हम नहीं लगाते, हमारी ओर से आ ही नहीं रहे हैं।

श्री जगदीश प्रधानः अध्यक्ष महोदय, आज रहड़ी–पटरी खोमचे वालों का शोषण हो रहा है, उन्हें हर तरह से परेशानी झेलनी पड़ रही है, सरकार रेहड़ी–पटरी वालों को आसान ऋण देने पर विचार कर रही है। परन्तु असली मुद्दा उनके दुकान लगाने के स्थान का है, नियमित करने का है। यदि सरकार वाकई में ही उनकी मदद करना चाहती है और उन्हें परेशानी से, मैं जमीन का बता रहा हूँ भारती जी, सुनें आप। मैं जमीन बताऊँगा, अगर आप जमीन देंगे तो।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, उनको पढ़ लेने दो, पूरा खत्म हो जाएगा। ये दो रह जाएंगे फिर।

श्री जगदीश प्रधानः सरकार वाकई में उनको परेशानी से बचाना चाहती है तो उनकी रोजगारी को नियमित करने की व्यवस्था करें। इतने समय

में मामले को, इतने समय से मामले को लटकाया जा रहा है, अब ओर अधिक लटकाने से समस्या का हल होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले कहा था कि सरकार बनने के तीन महीने के अंदर रेहड़ी–पटरी दुकानदारों के आजीविका के लिए पूर्ण संरक्षण देने के लिए सरकार कानून बनाएगी। अभी तक कोई कानून नहीं बना, कानून बनने के बाद पुलिस, यातायात पुलिस, सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय आदि के अधिकारी–कर्मचारी, रेहड़ी–पटरी दुकानदारों को किसी भी तरह से उत्पीड़न नहीं कर पाएंगे। बताना जरूरी है कि देश भर के रेहड़ी–पटरी दुकानदारों के उत्पीड़न को देखते हुए एनडीए शासन में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में प्रदेश में ढ़ाई करोड़ रेहड़ी–पटरी दुकानदारों को सम्मानजनक आजीविका के लिए आजादी के बाद पहली बार एक सरकारी नीति बनाई गई थी। तो मैं सरकार से मॉग करता हूॅ कि इनके लिए जरूरी है और अभी जो भारती जी ने कहा कि जमीन डीडीए की, मैं बताना चाहता हूॅ भारती जी कि सारी जमीन दिल्ली में डीडीए की नहीं है, हजारों बीघे जमीन ग्रामसभा की पड़ी हुई है। हर गॉव में तालाब हैं, उन्हें आप खाली कराएं और वहॉ रेहड़ी–पटरी वालों को जगह दें। आपके फ्लड डिपार्टमेंट के कई नालें हैं, जिनपे लोगों ने इंक्रोचमैंट की हुई है। वहॉ से इंक्रोचमेंट हटवाएं और वहॉ रेहड़ी–पटरी वालों को बैठाएं ताकि वो वहॉ अपना जीवन सुधार सकें। सर, आप कराएं, खाली बात करने से नहीं, कुछ करें।

अध्यक्ष महोदयः चलिए, श्री महेन्द्र गोयल जी। सोमनाथ जी, ओरों के भी हैं, उनके क्वेश्चन आ जाने दो।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद, अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिए, करिए।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया।

मेरे यहॉ पर एक गॉव है रिठाला और रिठाला गॉव की बहुत सी जमीन ग्रामसभा की थी। आज वो गॉव अर्बनाइज हो गया। अर्बनाइज होने के बाद जो जमीन होती है, वो डीडीए को हस्तांतरित हो जाती है। लेकिन डीडीए उस जमीन को ही नहीं सम्भाल रहा। उस जमीन के ऊपर भूमाफिया कब्जे कर रहे हैं और मैं इस संदर्भ में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को, डीएम साहब को, एसडीएम को, बीडीओ को और एलजी महोदय साहब को कई बार पत्र लिख चुका हूँ। मेरे पास लिस्ट भी है कि रिठाला की कितनी जमीन ग्राम सभा की जमीन है जिसके अंदर जनहित के कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन उस जमीन के बारे में किसी भी अधिकारी ने आज तक ये बताने का कश्ट नहीं किया जी कि ये जमीन ग्राम सभा की जमीन है जिसके ऊपर जनहित के कार्य किए जाएं।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है, मैं आपके पटल पर ये प्रश्न रख रहा हूँ और एण्ड रेफरेंस कमेटी को ये प्रश्न भेजा जाए जिससे कि आकर के इस जमीन की निशानदेही जहॉ–जहॉ पर भी ये जमीन है, ये हमें पता लगना चाहिए क्योंकि जनता के हितों की रक्षा करना हमारा हक है। जनता ने बड़े विष्वास के साथ हम लोगों को चुनके भेजा है। ये समस्या एक मेरी तो है ही है, मुझे लगता है कि ये जितने भी गॉवों की जमीनें हैं, ये सभी की भी समस्या होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को एण्ड रेफरेंस कमेटी के पास में भेजकर इसकी निशानदेही जरूर करवाएंगे, धन्यवाद, जय हिन्द।

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः धन्यवाद, अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मेरे पास ये चिट्ठी आती है, कल भी आई थी। मैं इसको पढ़कर सुनाना चाहता हूॅ। अध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र अम्बेडकर नगर की एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूॅ। पिछले तीन वर्शों से, जब से मैं विधायक बना, मैंने एक बहुत गंभिर समस्या देखी कि जब भी बारिश होती है, वहॉ पर तीन बड़े नाले हैं, जिनमें से दो एमसीडी के द्वारा सफाई किए जाते हैं। उनमें हर बार मेरे क्षेत्र में पानी भर जाता है, नालों में और उनका पानी 4–4 फुट तक घरों में चला जाता है और उसे निकालने की कोई व्यवस्था नहीं होती। लोगों की जिंदगी नारकीय बन जाती है और उससे कई बीमारियॉ भी देखने में आई हैं और लोगों को कम से कम दो हफ्ते तक अपने घर की सफाई करना, कपड़े सुखाना और उसमें सारा बीत जाता है। पिछली बार भी मैंने विभागों को कहा कि भई ये बारिश से पहले आप नाले साफ कर लो। इसकी सूचना मैंने, हमारे अध्यक्ष हैं कमेटी के, सौरभ भारद्वाज जी को दी और पिछली बार सौरभ जी ने कई जगह जाकर नालों की सफाई को देखा। जिसमें उससे पहले जब अधिकारियों से बात हुई तो अधिकारियों ने बताया कि सारे नाले साफ हैं। जब इंस्पेक्शन हुआ तो पता चला कि नाले कुछ जगह से साफ करके फोटो खींच ली गई थी और जब इंस्पेक्शन देखा गया तो सारे के सारे नाले ऐसे ही गाद से भरे हुए थे और उसकी वजह से जो कच्ची कालोनियॉ हैं, जहॉ पानी निकलने की सुविधा पूरी नहीं है। वहॉ पानी भर जाता था और बहुत सारी बीमारियॉ भी देखने में आ रही थी। तो जो अधिकारी जिसकी वजह

से पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी थे, उन्होंने काम नहीं किया या एमसीडी के अधिकारी, जिन्होंने काम नहीं किया था, उनको भी साथ में घुमाया गया और लास्ट में ये पता चला कि बहुत सारे नालों की सफाई के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ, बहुत ज्यादा भ्रश्टाचार हुआ। कागजों में उन नालों को साफ दिखा दिया गया और उसके नाम पर पैसे खा लिए गए। जिसकी वजह से दिल्ली की जनता और विशेषकर मेरी विधानसभा की जनता को बहुत परेषानी हुई और लोगों में बड़ा रोश आया। कई बार जब मैंने नालों की सफाई के लिए क्योंकि वर्शा के समय जब नाले भर चुके थे, घरों में पानी गया, तो मैं खुद उस पानी में उतरा लोगों के साथ, हमने मेहनत करके नाले खुलवाए। अधि ाकारियों को बोला गया। एमसीडी के जो नंबर्स हैं, वो बंद थे, उनके अधि ाकारियों के नंबर बन्द थे। किसी तरीके से बुलवाकर उनको, काम करवाया गया।

तो अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में ये विषय इसलिए लाना चाहता हूॅ क्योंकि ये बारिश का सीजन आने वाला है और ये सही समय है जहॉ पर नालों की डि–सील्टिंग होनी चाहिए और डि–सील्टिंग होने के बाद उस मल को भी उठाना चाहिए जिससे कि लोगों को दो महीने बाद, मई और जून में जब बारिश आए तो उस समय ये गंभीर समस्या न देखनी पड़े और मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहता हूॅ कि आप स्पेशली एमसीडी के अधिकारियों को बुलाकर इंस्ट्रक्शन दें कि इस बार उनकी पहली बात तो जो नाले सफाई करने वाले अधिकारी हैं, उनकी जवाबदेही तय हो और ये कमेटी जो सौरभ भारद्वाज जी की अध्यक्षता में काम कर रही थी, उसको भी आप एंपॉवर करें कि वो जाकर देखे और इस तरीके की घटनाओं को रोका जाए।

अध्यक्ष महोदयः अजय जी, हो गया, पूरा हो गया आपका।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, बस एक मिनट और लूँगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पीडब्ल्यूडी और एमसीडी, दोनों एजेंसी एक शेड्यूल बनाकर हरेक विधानसभा में दे जिससे कि वहॉ के विधायक जाकर इंस्पेक्शन करें और देखें की सफाई टाइम से पहले हो जाए और इस तरीके से महामारी न आए और लोगों को हम बचा सकें। मेरे अम्बेडकर नगर की जनता को सहूलियत मिले, उनको नरकीय जीवन न व्यतीत करना पड़े। इसलिए मैंने एडवांस में ये लगाया था और मुझे लगता है कि दिल्ली के संदर्भ में भी ये बहुत इर्म्पोटेंट है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस पर संज्ञान ले, धन्यवाद, जय हिंद।

अध्यक्ष महोदयः करते हैं, इस पर करते हैं, ठीक है। हॉ, विजेन्द्र गुप्ता जी। नहीं, नेता जी को बोलने दीजिए, आपके नेता विपक्ष हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरा ये अनुरोध है कि परसों सदन में ओ.पी.षर्मा जी को सत्र के लिए निश्कासित किया गया। एक बार उस दिन भी हमने आपसे अनुरोध किया था, उस पर पुनः विचार किया जाए। आज फिर हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का सदन में रहना सदन की गरिमा के अनुसार भी है और सदन की परिपाठी के अनुसार भी है और सदन की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार भी बहुत आवश्यक है।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक सेकेण्ड, सुन तो लो ना आप, आप बैठिए, मुझे बात करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः देखिए, जो हमारी आपकी बात हुई थी, अगर उसको घुमा–फिरा के...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप बात तो पूरी होने दीजिए ना, फिर आप मानें या न मानें।

अध्यक्ष महोदयः कहिए, आप क्या कह रहे हैं, बताइए? हॉ, बताइए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अरे मालूम है पंकज जी, आपको अपनी लॉयल्टी पूरी करनी है कर लो आप लेकिन इस इशू पर बोलने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी, बैठिए तो सही आप।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक मिनट, आप शांति रखो थोड़ी देर। हर चीज में बोलना जरूरी नहीं है आपका। मैं बात कर रहा हूँ ना अध्यक्ष जी से।

अध्यक्ष महोदयः बोलिए–बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हालांकि वो... बैठिए, आप दो मिनट बैठिए।

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी, दो मिनट बैठ जाइए, अजय दत्त जी, बैठिए। हॉ, बताइए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः जब वो विषय उठा था, तो कैलाश गहलौत जी वाला।

अध्यक्ष महोदयः भई आप सीधी सी बात रखिए। विजेन्द्र जी, जो हमारी आपकी बैठकर बात हुई। मैंने... कल इस पर विचार व्यक्त करेंगे, लंबा हो जाएगा। आप सीधी बात रख लीजिए। आप आए थे, मिले थे, कल का मैंने समय दिया। मैंने प्रधान जी को चिट लिखकर भेजी, भई, विजेन्द्र जी हैं नहीं, क्या करना है। उन्होंने मुझे कहा कि कल करेंगे तो इसमें सीधा विषय रख लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सीधा विषय ही तो है। मैंने तो कहा था कि आप बोलो, मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था।

अध्यक्ष महोदयः विपक्ष का रहना जरूरी है, मैं समझता हूॅं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि उनको वापस सदन में बुलाया जाए, बस।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी, बैठिए प्लीज।

श्री पंकज पुष्करः अध्यक्ष महोदय अनुमति हो तो मैं इस पर कुछ बोलकर, कुछ रखना चाहता हूॅं।

अध्यक्ष महोदयः हॉ, एक मिनट में बोल लीजिए। क्योंकि फिर 54 में लगा हुआ है आपका।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से मुझको आप सबका बहुत आर्शिवाद है। इस सदन के सदस्य होने के नाते मैं व्यक्तिगत और पार्टी हित के स्तर पर नहीं, लोकतंत्र के एक सिपाही तौर पर काम

करता हूँ। व्यक्तिगत तौर से विजेन्द्र गुप्ता जी एक अच्छे संसदीय निर्वाह करने वाले व्यक्ति के तौर पर मेरे विशेष सम्मान के पात्र हमेशा रहे हैं, ओम प्रकाश शर्मा जी रहे हैं और सभी सदस्य रहे हैं और जहॉ सवाल उठाने की जरूरत हुई है, मैंने सत्तापक्ष के मामलों पर भी सवाल उठाया है। लेकिन आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, ये मेरे संसदीय जीवन में विधानसभा के पहला अवसर था जबकि मैं अपनी सीट छोड़कर दो कदम आगे बढ़ा और मैंने आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि अध्यक्ष महोदय, ये एक सीमा पार हो रही है, निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं बिल्कुल संक्षेप में बहुत तथ्यपूर्ण तरीके से आपके सामने रखूंगा कि जो मैंने अपने कानों से सुना, जो पूरे सदन में सुना। जो षब्द यहॉ पर बोले गए, मतलब वो इतने मर्यादा को इतने नीचे स्तर पर गिराने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदयः पुष्कर जी, वो संज्ञान में है मेरे। सारा, सारा संज्ञान में है।

श्री पंकज पुष्करः आपके संज्ञान में है तो। आपने हमारा पूरा मंतव्य सुने बिना आपने एक रूलिंग दे दी, हम उसका सम्मान करते हैं। नहीं तो, अगर मुझे बोलने का अवसर दिया जाता तो मैं आपसे पूरे उस सम्मानित सदस्य को पूरा सम्मान करते हुए मेरा आग्रह होता कि उनको दो सत्र के लिए, सदन से दूर रहने के लिए कहा जाए। क्योंकि मामला जब जहॉ पर मॉ–बेटियों की इज्जत पर आएगी, जहॉ पर बिल्कुल पुलिस की धमकियॉ दी जाएंगी। हम इस सदन में, मतलब जो चीजें सड़कों पर निपटाई जाती है, सदन इसलिए है?

अध्यक्ष महोदयः पुष्कर जी, बैठिए प्लीज बैठिए।

श्री पंकज पुष्करः मेरी इस प्रार्थना को बहुत गंभीरता से लें। अगर इस पर विशेष चर्चा करने की आवश्यकता... आप मुझे फिर से बोलने का अवसर दें। लेकिन मेरी प्रार्थना ये है कि संसदीय मर्यादा का सवाल है, इस विधानसभा की मर्यादा का सवाल है, इस मामले को बहुत कड़ाई से लिया जाए। आपके निर्णय का सम्मान करते हैं अन्यथा सदस्य इससे अधि ाक सजा के हकदार हैं।

अध्यक्ष महोदयः हो गया, बैठिए, प्लीज। इस पर केवल सौरभ जी,सौरभ जी। मेरी एक निगाह घड़ी तरफ है सारे समय... मेरी सीमाएं है। सौरभ जी, बहुत संक्षेप में।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, पहले भी इस तरह का मामला था, जिसमें हमारी बहन अलका लाम्बा जी से अपशब्द कहे गये थे। ऐथिक्स कमेटी के अंदर, मैं वहॉ पे था, उनको कई बार ये कहा गया कि आप इसके लिए अगर माफी मांग लेते हैं तो इसके लिए आपको... कर देंगे आप वापस आ जाइए। उन्होंने नहीं माना, एरोगेंस दिखाई। आज भी वो माफी नहीं मांग रहे हैं, तो ये जो दादागिरी है और पुलिस की धमकी, हमको पुलिस के पास करके आप जेल भेज दोगे तो क्या हो जायेगा? हमारे तो बहुत सारे भाई अभी होके आये हैं, उसमें क्या हो जायेगा? मगर ये धमकी देके अगर हमारी जुवान आप चुप करायेंगे, ये गलत है। उन्होंने... यहॉ आयें, माफी मांगे सदन उसको कंसीडर करे, वोट कराइये अगर सदन माने तो हम, मैं उनके साथ हूॅं, सदन के साथ। जैसी सदन वोट देगी वैसे मैं दूॅगा।

अध्यक्ष महोदयः मैं इस पर जो विधान सभा का नियमावली कहती है, वो जब तक मैं इजाजत नहीं दूॅगा, सदन में नहीं आ सकते। मेरा कहने

का अर्थ यह है कि सदन जब तक आप सब लोग इजाजत नहीं दे सकते, वो अंदर नहीं आ सकते एक बात। दूसरी बात विजेन्द्र गुप्ता जी, जगदीश प्रधान जी कल मुझे मिले थे, उन्होंने आग्रह किया और ये भी मुझसे कहा कि हमने बहुत कहा है उनसे, प्रयास किया है, आगे ऐसी घटना नहीं होगी। नहीं, एक सेकेंड मैं पूरी बात कर रहा हूँ, पूरी बाक कर लूॅ। मेरा इसमें सिर्फ इतना कहना है, ज्यादा लंबा समय न लेते हुए, एक अवसर नहीं है, सही राम जी, प्लीज। एक अवसर देते हुए हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं। लोकतंत्र में मर्यादाओं की रक्षा करना रूलिंग पार्टी के सदस्यों का अधिक दायित्व रहता है। विपक्ष का उतना दायित्व नहीं रहता है, लेकिन नेता विपक्ष आकर के मिले हैं, उन्होंने बात रखी है, तो मैंने इस पर जहॉ चर्चा करना चाही थी, चर्चा की और मेरा ये सिम्पली कहना है कि इस बार, इसमें ओम प्रकाश, वो नहीं, बिल्कुल... सोमनाथ जी, प्लीज। सोमनाथ जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूॅ। रिक्वेस्ट कर रहा हूॅ। नहीं, विजेन्द्र गुप्ता जी ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर आकर सदन में कहा। मैं सदस्यों की भावनाओं को समझते हुए, मैं माफी की बात नहीं कर रहा, विजेन्द्र गुप्ता जी केवल इतना आश्वासन दे दें कि... एक सेकेंड सोमनाथ जी प्लीज। सोमनाथ जी, आप अगर, मैं चेयर पर... मेरे डिसिजन को अगर चैलेंज करेंगे तो उचित नहीं रहेगा। हॉ, मैं मान रहा हूँ, उसीलिए तो उसीलिए तो बाहर किये गये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः वो भी बात मैंने, वो भी मैंने बात की थी। भई सही राम जी, अब...

श्री सहीरामः जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि आप बैठ जायें बीच में क्वेश्चन रोक के खड़े थे। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी... लेकर आया था... वही भाषा का प्रयोग करके... जवाब तो नोट करो। ये कौन सी... लेकिन मैंने आपसे कहा था कि किसी भाषा का प्रयोग... एक धमकी के साथ इस भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं ये? दूसरों को छोड़ दो। जिस भाषा का प्रयोग हमारे... अध्यक्ष के साथ करते हैं, वो कैसे माफ कर दें?

अध्यक्ष महोदयः वो सिरसा जी ने किया था।

श्री सही रामः इसे भी निकालिये।

अध्यक्ष महोदयः मैं विजेन्द्र जी से कहूंगा कि सदन को आश्वासन दे दें अपनी ओर से कि आप... देखिए, आप गारंटी... कोई गारंटी नहीं ले सकते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई अब अगर आप लोग... विशेष रवि जी, प्लीज।

श्री विशेष रविः सर, आप ही लिख के दे दें।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, मैं उनसे... उनसे आग्रह नहीं करेंगे। भई, मेरी प्रार्थना है कि एक बार अवसर हमें दे देना चाहिए, फिर आगे का निर्णय... बहुत बड़े निर्णय ले सकते हैं।

श्री सौरभ भारद्वाजः आप एक बात कर दीजिए, इस आदमी को इसका मलाल होता है तो लिख के अपोलॉजी दे दी जाये। ये आप ही का मोनोपॉली

है कि वो लिख के देने के लिए तैयार नहीं हैं, फिर आप किस बात के लिए पड़े हो? हमारे तो सत्ता तो सभी की है... पूरी जिंदगी अवसर क्रिएट करने आये थे। सत्ता तो इनके पास है, हमारे पास क्या है?

अध्यक्ष महोदयः बैठिए, सौरभ जी, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अब ये सदन में अगर धमकी देने लगें, अब वो सतरह सतरह...

अध्यक्ष महोदयः भई कमांडो जी, सभी इस विषय को ले जायेंगे तो मामला बहुत लंबा हो जायेगा, हम थोड़ा सा बड़ा दिल कर लें। थोड़ा सा बड़ा दिल करिए। सौरभ जी, आज मेरी बात स्वीकार करके बड़ा दिल करिये प्लीज। यही सदन था। देखिए अलका जी का आपने विषय उठाया, यही सदन था। हमने उनको डेढ़ साल बाहर रखा है। यही सदन था। अभी समय और है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई भगवान कृष्ण ने भी जरासंध की 100 गलतियॉ माफ की थी। सौवीं गलती पर छोड़ा नहीं था। अब बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः महेन्द्र जी। अजय जी, आप बोल चुके, आप बैठिए। पुष्कर जी, आप बोल चुके, बैठिए प्लीज। मैं खुद हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं सम्मानित सदस्यों से...

श्री अजय दत्तः इसके लिए गुप्ता जी सदन से सस्पेंड हों, यही तो कहना चाहता हूॅं।

अध्यक्ष महोदयः नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई देखिए बैठिए। मैं विजेन्द्र जी, एक प्रार्थना कर रहा हूॅं एक सेकेंड। सदस्यों की भावनाओं को आप समझिए थोड़ा सा। महेन्द्र जी, बैठिए, महेन्द्र जी। अब नहीं, अब नहीं, बैठिए प्लीज। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। मैं विजेन्द्र जी, माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझ कर ये सदन प्यार से चले, इन व्यक्तिगत शब्दों का एक सीमांकन बढ़िया कर सकते हैं। कुछ मैं इशारा नहीं कर रहा हूॅं। हम ये समझते हैं हम किसी को नीचा दिखाने, अपशब्द इस्तेमाल करके बहुत बड़े बन जाते हैं। वो बड़ा नहीं बनता, वो भाषा इनमें रिकार्ड होती है और जब कोई पढ़ता है तो पता लगता है अच्छा, वो विधायक ऐसा था, इस भाषा का शब्द इस्तेमाल करता था। किसी भी व्यक्ति के लिए स्वयं... वे अपने आप लज्जित... वो स्वयं पढ़ लें। एक बार बैठ के ईमानदारी से तो स्वयं लज्जा आने लगेगी। तो मेरा एक सिम्पली कहना है कि एक बार नेता विपक्ष ने, जगदीश प्रधान जी ने जो बात कही है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर आकर, मैं भी माननीय सदस्यों की भावनाओं को बहुत गहराई से समझ रहा हूॅं। मुझे भी बहुत परेशानी महसूस होती है, बहुत अच्छा नहीं लगता मन को कि सदस्यों पर टिप्पणी करते हैं। करते करते, मुझ पर भी करते हैं, ये सारी बातें सही हैं। मैं स्वीकार कर रहा हूॅं, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके बावजूद भी मैं एक बात कह रहा हूॅं, अटल जी ने एक बार कहा था कि हाथी से दोस्ती की है तो दिल के दरवाजे घर

के, हाथी जितना बड़े कर लीजिए। अब एक ऐसे व्यक्ति से सदन में चुनके आये हैं, तो ऐसा दिल कर लीजिए थोड़ा सा, प्लीज। मेरी प्रार्थना है, बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना है। हॉ विजेन्द्र जी, सबसे, माननीय सदस्यों से प्रार्थना है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी। मैं आपके समक्ष संक्षिप्त में एक बात कहना चाहता हूॅ।

अध्यक्ष महोदयः थोड़ा सा आश्वासन, दो लाइन में।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, मैं सर, एक मिनट। जिस तरह की बात यहॉ आ रही है, मैं थोड़ा... आप फिर निर्णय ले लीजिएगा।

अध्यक्ष महोदयः आप इसे छोड़ दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः नहीं मैंने।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, नहीं।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, फिर रहने दीजिए, छोड़ दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, नहीं, ऐसा नहीं।

अध्यक्ष महोदयः मैं माफी की बात नहीं कर रहा हूॅ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप अगर, आप...

अध्यक्ष महोदयः न मैं माफी की बात कर रहा हूॅ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः उनकी बात को रोका है मैंने, सिरसा जी, ऐसे घी में आग मत डालिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं उन्होंने... मैंने तो नहीं कहा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इसमें बात बोल देते हो आप।

अध्यक्ष महोदयः अगर आप घी में आग डालेंगे, तो डाल लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, नहीं।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, किसने कहा, आम आदमी? उन्होंने बोला है, बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैंने एक बार भी माफी की बात नहीं की।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ये आपने नहीं कहा, हम भी कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदयः फिर, फिर?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम आपकी बात कब करें?

अध्यक्ष महोदयः नहीं, सदस्य अपनी बात नहीं रखेंगे? नहीं, वो अध्यक्ष को उंगली दिखाके चला जाये... छोड़ दीजिए विजेन्द्र जी, मैं इस चर्चा नहीं कर रहा। छोड़ दीजिए इस विषय को।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, नहीं। मैं विजेन्द्र जी चर्चा नहीं कर रहा, छोड़ दीजिए इस विषय को। मैंने बड़ी शालीनता से माननीय सदस्यों से प्रार्थना की है। देखिए, हम लोग आग में घी डाल रहे हैं। हम आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वो जो मर्जी आप सदस्यों को कह दें।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अभिमान से समझौता नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदयः आपने आग में घी डाला।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये संघर्ष है और संघर्ष जारी रहेगा।

अध्यक्ष महोदयः आप आग में घी डाल रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः लेकिन...

अध्यक्ष महोदयः नहीं, उचित नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः लेकिन बहुमत...

अध्यक्ष महोदयः चलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अगर विपक्ष को दबाने की कोशिश करेगा तो संभव नहीं है, गलतफहमी में न रहें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अभी मैं विधान सभा को पॉच बजे तक के लिए... डिप्टी सीएम साहब हैं नहीं, जो विषय आपका है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में पॉच बजे तक के लिए सदन को एडजोर्न करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 5.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 5.00 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

अध्यक्ष महोदयः माननीय वित्त मंत्री जी, आउटकम बजट। इसके बाद।

आउटकम बजट 2017—18 का प्रस्तुतीकरण

वित्त मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दिल्ली सरकार के आउटकम बजट 2017—18 के अन्तर्गत दिसम्बर, 2017 तक की प्रगति और उपलब्धियां इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

पिछले साल मार्च में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करते समय मैंने दिल्ली सरकार के प्रथम आउटकम बजट की घोषणा की थी। आउटकम बजट तैयार करने का लक्ष्य सरकारी खर्च में उच्च स्तरीय जवाबदेही और पारदर्शिता लाना था। नागरिक और यहाँ तक कि चुने हुए प्रतिनिधि इस बात पर विचार करते थे पहले कि सरकार सरकार जो इतने विशाल बजट को खर्च करती है आखिर उसका अन्तिम परिणाम क्या होता है और अधिकतर मामलों में उन्हें कुछ प्राथमिक कार्यक्रमों के बारे में सरकारी बेबसाइटों पर उपलब्ध सीमित आंकड़ों या जानकारी से ही संतुष्ट रहना पड़ता था या फिर आरटीआई के जरिए जानकारी प्राप्त की जाती थी। सरकारी तंत्र में भी कई बार कार्यक्रमों के परिणामों और हासिल की गयी उपलब्धियों की बजाय ये सुनिश्चित करने का ध्यान सीमित रहता है

कि चुने हुए कार्यक्रम लागू किये जा रहे हैं या आबंटित धन खर्च किया जा रहा है। हमने पिछले वर्ष इसे बदलने का फैसला किया।

अध्यक्ष जी, हमारी सरकार का ये विश्वास है कि सरकार और नागरिकों के बीच सम्बन्ध किसी पवित्र अनुबन्ध से कम नहीं है। यह अनुबन्ध करदाताओं के द्वारा अदा किये गये धन के बदले समाज को यथासंभव सर्वोत्कृष्ट परिणाम और लाभ प्रदान करने से सम्बन्धित हैं परन्तु ये सूचित करना भी महत्वपूर्ण है कि निर्धारित खर्च के लिए कौन से परिणाम हासिल करने की योजना बनाई गई थी और अन्ततः क्या हासिल किया गया। अतः हमने पिछले साल मार्च, 2017 में एक व्यापक आउटकम बजट तैयार किया, जिसमें दिल्ली के 34 विभागों और एजेन्सियों के साथ 1900 आउटपुट व आउटकम इन्डीकेटर्स और मेजरेबल इन्डीकेटर्स शामिल किये गये। भारत में दिल्ली सरकार आउटकम बजट की ऐसी बष्हद समीक्षा करने वाली अपनी पहली तरह की सरकार बन गयी है। आज हम एक और बेन्चमार्क कायम करने जा रहे है अध्यक्ष जी। हमारी सरकार ने फेसला किया है कि यदि आउटकम बजट का प्रयोजन सरकारी खर्च में जवाबदेही तय करना है तो हम अगले वर्ष का बजट प्रस्तुत करने से पहले 2017–18 के सन्दर्भ में दिसम्बर, 2017 तक हासिल की गयी उपलब्धियों का व्यापक ब्यौरा सम्मानित सदन के समक्ष रखेंगे। अध्यक्ष जी, उपलब्धियों की स्थिति को उजागर करने से पहले मैं कुछ उदाहरण देकर ये बताना चाहूँगा कि आउटकम बजट में कौन सी बातें शामिल होनी चाहिए और ये बजट रेगुलर बजट से किस तरह से अलग है। नियमित बजट हमें ये बताता है कि मोहल्ला क्लीनिकों को निर्माण के लिए धन आबंटित किया गया है लेकिन इस बात की जानकारी हमें केवल आउटकम बजट से मिल सकती है कि कितने क्लीनिक बनाने की योजना

थी और इससे भी महत्वपूर्ण है कि दैनिक आधार पर इन क्लीनिक्स में कितने लोगों को लाभ पहुंचा। ये आउटकम बजट से ही पता चल सकता है। इसी प्रकार रेगुलर बजट हमें ये बताता है कि सरकार ने एक कार्यक्रम बनाया कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों से सम्बद्ध बच्चों को प्राईवेट स्कूलों में निःशुल्क दाखिला दिया जाए। लेकिन इस बात की जानकारी केवल आउटकम बजट से मिलेगी कि पिछले साल आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए कितने सीटें उपलब्ध थीं। इन सीटों के लिए कितनी संख्या में बच्चों ने आवेदन किया और कितने बच्चों ने दाखिला लिया। इसलिए ये आउटकम बजट महत्वपूर्ण था। इस तरह आउटकम बजट दिल्ली सरकार की प्रत्येक प्रमुख योजना और कार्यक्रम के निष्पादन के बारे में दो प्रकार के इन्डीकेटर देता है। एक है आउटपुट इन्डीकेटर और आउटकम इन्डीकेटर। आउटपुट इन्डीकेटर हमें बताते हैं कि सरकारी विभागों की किस तरह की सेवाएं या ढांचा प्रदान करना है। जैसे बनाये जाने वाले मोहल्ला क्लीनिकों की संख्या लेकिन जब आउटकम इन्डीकेटर पर हम इसी मुद्दे पर जाएंगे। इसी बात की सही जानकारी देंगे कि इन कार्यक्रमों से कितने लोगों को लाभ पहुंचा। जैसे मोहल्ला क्लीनिकों में कितने लोग पहुंचे। तो कितनी मोहल्ला क्लीनिक बनी। बनी कि नहीं बनी, आउटपुट और कितने लोग देखे। ईलाज लोगों का हुआ कि नहीं हुआ। कितने लोगों का इलाज हुआ। ये आउटकम।

अध्यक्ष जी, जब एक साल पहले मैंने इस सदन में अपनी सरकार का पहला आउटकम बजट पेश किया था तो मैंने कहा था कि ये माध्यम विभागों की तिमाही प्रगति का आधार भी बनेगा। मुझे खुशी हो रही है कि वैसे ही हुआ, जैसा हमने योजना बनाई थी। इस वर्ष समीक्षा के दो दौर पहला जुलाई, अगस्त, 2017 में और दूसरा दिसम्बर, 2017 में हुआ। इनके अध

यक्ष माननीय मुख्यमंत्री ने अथवा मैंने स्वयं की। ये समीक्षा की गयी कि आउटकम बजट में बताये गये लक्ष्यों के सन्दर्भ में सभी विभागों ने तिमाही के दौरान कितनी प्रगति की। इसके अतिरिक्त एक अन्य अभूतपूर्व कार्य ये हुआ कि हमारी सरकार ने आउटकम बजट प्रतिबद्धताओं के सन्दर्भ में प्रगति सम्बन्धी सारे ऑकड़ें पहले वर्ष की छमाही में ही जनता के सामने उजागर किये।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2017–18 के आउटकम बजट के अन्तर्गत आउटपुट और आउटकम इन्डीकेटर्स के अनुसार प्रमुख विभागवार प्रगति का सारांश प्रस्तुत करूंगा। समय की सीमा के कारण मैं केवल 14 महत्वपूर्ण विभागों का सार आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष चूंकि अभी समाप्त नहीं हुआ है, अतः मैं पहले, अतः मैं पहले वर्ष के नौ महीनों; अप्रैल से दिसम्बर तक की अवधि में हासिल की गयी उपलब्धियों की जानकारी सदन को दूँगा। इसके अतिरिक्त आउटकम बजट के लक्षणों के सन्दर्भ में प्रत्येक विभाग की प्रगति की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए योजना विभाग में प्रत्येक विभाग के इन्डीकेटर्स का ऑन ट्रैक , ये जानने के लिए कि उन्होंने दिसम्बर तक 70 प्रतिशत तक प्रगति की है या ऑफ ट्रैक है यानी कि निष्पादन 70 प्रतिशत (70 प्रतिशत को हमने ऑन ट्रैक रखा है। अगर 70 प्रतिशत काम हुआ है तो ऑन ट्रैक है। 70 प्रतिशत से नीचे हैं तो ऑफट्रैक है) से कम रहा है। कुछ इन्डीकेटर्स को इन्हें लागू करने की तिथि, वर्ष के उस अन्तिम तिमाही में आती है उन्हें नॉन एप्लीकेबल इन्डीकेट किया गया है। मैं अब आउटकम बजट 2017–18 के सन्दर्भ में प्रमुख विभागों की स्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

सबसे पहले एजूकेशन डिपार्टमेन्ट। कुल आप देखें तो इसमें 153 आउटपुट और आउटकम इन्डीकेटर सहित चालू वित्त वर्ष के आउटकम बजट में शिक्षा निदेशालय की 27 योजनाएं और कार्यक्रम शामिल किये गये थे। विभाग के आउटपुट और आउटकम इन्डीकेटर्स का विवरण इस प्रकार है। आपके सामने ये ग्राफिक्स भी है। ये भी बता रहा है कि कुल इन्डीकेटर्स 153 थे और महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स उसमें से जो इम्पार्टेन्ट इन्डीकेटर्स थे, वो हमने सॅलेक्ट किये थे 68। इसमें से ऑन ट्रैक इन्डीकेटर्स जो है 50 हैं और ऑफ ट्रैक इन्डीकेटर्स नौ हैं जो 70 प्रतिशत से नीचे हैं दिसम्बर में। और एप्लीकेबल कुछ ऐसे थे, जिनका काम ही अन्तिम तिमाही होना था। तो इसलिए वो शायद पहले नौ महीने में उन पर कोई काम नहीं होना था, तो वो लागू नहीं हैं। महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स की स्थिति, अगर मैं इसको आगे और ऑन ब्रेकेट करके बताऊँ। जैसे 156 स्कूलों के लक्ष्य की तुलना में दिल्ली सरकार के 155 स्कूलों में पहली बार नर्सरी और केजी कक्षाएं शुरू की गयीं। हमनें 156 कहा था। 155 में शुरू कर दी गयीं। इन स्कूलों में कुल 6200 सीटें उपलब्ध थीं जिनमें से 80 फीसदी के लक्ष्य के मुकाबले प्रथम वर्ष में 60 फीसदीं सीटें भरीं गयी हैं। क्योंकि नर्सरी पहली बार शुरू की गई थी। लोगों को पता चलना, आगे आना, इन सब की बातें थीं। जो भी उसके रीजन्स थे। हमने कहा था 80 परसेन्ट सीटें हम भर देंगे। 60 परसेंट सीटें नर्सरी में गवर्नमेंट स्कूल्स में, नर्सरी, के.जी. में भरी गईं। पहली बार कक्षा पुस्तकालयों की स्थापना 6300 क्लासेज के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले स्कूलों के प्राथमिक वर्गों के 4168 कक्षाओं में की गई।

हमने कहा था कि हम प्राइमरी क्लासेज में, नर्सरी क्लासेज में अलग से लाइब्रेरी बनाएंगे। थ्री–टियर लाइब्रेरी सिस्टम के तहत् कहा था कि नर्सरी, केजी की लाइब्रेरी, एक प्राइमरी सैक्शन की लाइब्रेरी और एक सीनियर सेकेंडरी की। तो इसमें 6300 में से हमने 4168 कक्षाओं में लाइब्रेरी स्थापित कर दी थी दिसंबर तक।

वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस और डिस–एडवांटेज ग्रुप के 24500 छात्रों को ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से अन–एडेड प्राइवेट स्कूल्स में भर्ती कराया गया। पिछले साल ऐसे भर्ती हुए छात्रों की संख्या 20 हजार थी तो यह इंडिकेटर, हम आगे बढ़े हैं।

हैपीनैस एक्टिविटीज के माध्यम से अतिरिक्त सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए एक विशेष पहल के रूप में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में पहली बार सरकारी स्कूलों में 'समर कैम्प्स' का आयोजन किया गया। व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए वार्षिक लक्ष्य 250 के मुकाबले इस वर्ष 359 व्यावसायिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं। हम अपने टॉरगेट से आगे चले गए हैं इसमें। हमने 250 कहा था इसमें हम 359 लैब स्टेब्लिश करने में चले गए हैं। हमारी सरकार ने शिक्षक, प्रशिक्षक को उच्च प्राथमिकता दी। पिछले वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 47000 शिक्षकों की तुलना में 1,003,00 शिक्षकों को एससीईआरटी और डीआईईटी द्वारा दिसंबर, 2017 तक प्रशिक्षित किया गया। इसमें से कुछ शिक्षकों को एक बार से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करना भी शामिल है। लेकिन पहले अगर काउंट करे तो 47 हजार होता था, इस बार टीचर्स ट्रेनिंग का हमने काफी काम किया। 1,003,00 को हमने इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स दी, अलग–अलग ट्रेनिंग्स में।

हायर एजुकेशन

अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 193 आउटपुट इंडिकेटर्स और आउटकम इंडिकेटर्स थे। 20 योजनाओं को हमने उच्च शिक्षा संस्थानों को चालू वर्ष के आउटकम बजट में शामिल किया था। बजट के आउटपुट और आउटकम इंडिकेटर्स का डिसप्ले, मैं चाहूँगा, दिखा दिया जाए। इसमें कुल मिलाकर 193 इंडिकेटर्स थे, इसमें से 59 इंडिकेटर्स हमने इंपोर्टेंट ट्रैक किए। ऑन—ट्रैक इंडिकेटर्स इसमें से 42 थे यानी कि 71 परसेंट हमारे ऑन—ट्रैक थे। ऑफ—ट्रैक 10 परसेंट थे यानी कि 17 परसेंट और जो लागू नहीं थे, वो सात इंडिकेटर्स थे 12 परसेंट। अगर मैं कुछ इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स की बात करूं तो 2016—17 में भर्ती 7392 छात्रों के मुकाबले सभी 12 हैंड्रेट परसेंट एडेड गवर्नमेंट कॉलेजज, डीयू कॉलेजेज, एनएलयू, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और दिरम (DIHRM) में कुल 8603 छात्रों ने इस बार प्रवेश लिया। पिछले साल जो था 7392 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था। इस बार 8603 यहाँ पर एडमिशन हुए, उससे बढ़ गया। पिछले साल प्रकाशित 524 रिसर्च पेपर्स की तुलना में 2017—18 में सभी महाविद्यालयों के अंतर्गत 411 रिसर्च पेपर दिसंबर तक पब्लिश हुए। 'दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना' के तहत् 410 आवेदनों के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले दिसंबर, 2017 तक 150 आवेदन हमको प्राप्त हुए थे। इस वर्ष सरकार ने 'मैरिट कम मिन्स सहायता योजना' भी शुरू की है जिसके लिए 'दिल्ली उच्च शिक्षा सहायता ट्रस्ट' के कोष का इस्तेमाल किया। शहीद सुखदेव कॉलेज बिजनेस स्टडीज का निर्माण जुलाई, 2017 में पूरा हुआ जो कि इस वर्ष के आउटकम बजट के तहत् लक्षित किया गया था। 2017—18 शैक्षणिक सत्र के दौरान महाविद्यालय में छात्रों की संख्या 964 थी जो तीन साल में अब 2000 तक पहुंचने की उम्मीद है।

टेक्नीकल ट्रेनिंग एंड टेक्नीकल एजुकेशन

कुल मिलाकर 288 आउटपुट और आउटकम इंडिकेटर्स, 24 योजनाएं और तकनीकी शिक्षा संस्थानों को चालू वर्ष के आउटकम बजट में शामिल किया गया। आउटकम और आउटपुट इंडिकेटर्स का विवरण इस तरह से है, यहाँ दिखाया गया है:

कुल इंडिकेटर्स 288 थे, इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स 186, ऑन–ट्रैक 166, 89 परसेंट ऑन ट्रैक है। ऑफ ट्रैक 7 परसेंट है यानी 13, लागू नहीं–सात, चार परसेंट है। इसमें मैन इंडिकेटर्स जो थे, 2016–17 में 6445 छात्रों के मुकाबले 2017–18 में तकनीकी कॉलेज और विश्वविद्यालयों के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 7083 छात्रों ने एडमिशन लिया। यह भी संख्या बढ़ी। 2016–17 में 2597 छात्रों के मुकाबले 2017–18 में 2332 छात्रों के लिए दिसंबर, 2017 तक कैम्पस प्लेसमेंट की पेशकश की गई। तो प्लेसमेंट भी अभी दिसंबर तक है, और बढ़ेगा। प्रायोजित/औद्योगिक परामर्श से कॉलेजों/विश्वविद्यालयों द्वारा उत्पन्न राजस्व 2017–18 में करीब 15.03 करोड़ रुपये था। 2016–17 में यह 12.39 करोड़ रुपये था। 407 संकायों ने 2017–18 दिसंबर, 2017 तक 994 रिसर्च पेपर दिए जबकि 2016–17 के दौरान, 347 संकायों ने 1273 रिसर्च पेपर दिए थे। वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर के संबंध में, 2017–18 के दौरान 764 छात्रों ने 2016–17 में 663 के मुकाबले उत्तीर्ण किया। 80 परसेंट उत्तीर्ण छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा होने के तीन महीने के अंदर पूर्णकालिक रोजगार मिला और बाकी उच्च अध्ययन या उद्यमशीलता की ओर चले गए। 2017–18 के दौरान पॉलिटेक्निक में 4068 छात्रों ने प्रवेश लिया जबकि 2016–17 में 3580 छात्रों ने प्रवेश लिया था। 2016–17 में

2500 छात्रों की तुलना में 2017–18 में 3087 स्टूडेंट्स पास हुए। यह भी अपने आप में आगे बढ़ रही हैं चीजें। दिल्ली सरकार द्वारा अपने विभिन्न उच्च एवं तकनीकी संस्थानों में स्थापित 11 इनक्यूबेशन सेंटर के लिए अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। वर्तमान छात्रों/पूर्व छात्रों और अध्यापकों के द्वारा 76 स्टार्ट अप्स शुरू किए गए हैं जबकि वार्षिक लक्ष्य 60 रखा था। इनक्यूबेशन सेंटर्स सेट अप करने का काम भी हम इंडिकेटर्स से अपने लक्ष्यों से आगे चले गए हैं।

हेल्थ डिपार्टमेंट

अध्यक्ष महोदय, 56 योजनाओं में 764 आउटपुट और 921 आउटकम इंडिकेटर्स शामिल किए गए थे। इनमें से 643 इंडिकेटर्स इम्पोर्टेंट के रूप में चुने गए। इसमें से अगर आप देखें तो कुल मिलाकर इंडिकेटर्स थे 1685, इम्पोर्टेंट थे 643, ऑन ट्रैक 643 में से 486 यानी की 76 परसेंट दिसंबर तक ऑन ट्रैक थे। ऑफ ट्रैक 157, 24 परसेंट थे। इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूँ, 1000 क्लिनिक्स के लक्ष्य की तुलना में दिसंबर, 2017 तक 160 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए गए जिनमें कुल 32 लाख रोगियों ने स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कीं। यह ऑकड़ा मुझे लगता है, बढ़ गया है, क्योंकि यह अपडेटेड नहीं था। स्कूल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 300 स्कूलों के लक्ष्य की तुलना में 298 स्कूलों में 2.76 लाख छात्र–छात्राओं की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जॉच कराई गई। इन छात्र–छात्राओं में से 1.01 लाख छात्र–छात्राओं को सामान्य स्वास्थ्य संबंधी मामलों में परामर्श/चिकित्सा सुविधा दी गई। 1218 स्कूलों के नौ लाख स्टूडेंट्स को वीकली ऑयरन टेबलेट के तहत् कवर किया गया और 1613 स्कूलों के करीब 12 लाख

स्टूडेंट्स को कीड़ों से मुक्ति के व्यापक कार्यक्रम में शामिल किया गया। 2.52 लाख बच्चों (9–11 माह के आयु वर्ग) के लक्ष्य की तुलना में, लगभग 1.90 लाख बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया। यहॉ अभी हम पीछे हैं, 2.52 लाख बच्चों के करने थे लेकिन दिसंबर तक 1.90 हजार अभी हुए हैं। 1.40 लाख इंस्टिट्यूशनल डिलिवरी प्रसव के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में आशा कार्यकर्ताओं की सहायता से एक लाख इंस्टिट्यूशनल डिलिवरी कराई जा चुकी थी। वर्ष 2016–17 तक टीबी से पीड़ित कुल 57000 रोगियों की तुलना में दिसंबर, 2017 तक 48879 टीबी से पीड़ित रोगियों का उपचार किया जा चुका था। औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा प्रतिमाह लगभग 277 दवाई बिक्री फर्मों का निरीक्षण किया गया और नियमों का उल्लंघन करने वाली औसतन 50 फर्मों का लाइसेंस कैंसल किया गया। दिल्ली के 32 सरकारी अस्पतालों में 2 करोड़ लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कीं।

सोशल वेल्फेयर डिपार्टमेंट

आउटकम बजट 2017–18 में 26 कार्यक्रमों को शामिल किया गया जिनमें से 227 आउटकम इंडिकेटर्स थे इनमें से 86 इम्पोर्टेंट यानी क्रिटिकल थे। 227 इंडिकेटर्स में से 86 इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स थे। ऑन ट्रैक 86 में से 69 यानी कि 80 परसेंट। ऑफ ट्रैक 17 यानी 20 परसेंट रहे। यह आपके सामने है। इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स का स्टेटस इस वर्ष 4.20 लाख सीनियर सिटिजन्स को आर्थिक सहायता दी गई जबकि 2016–17 में करीब 3.83 लाख वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता दी गई थी। इसमें हम काफी आगे बढ़ गये। 2016–17 में करीब 70 हजार दिव्यांगों को आर्थिक सहायता दी गई।/520/ इसकी तुलना में 2016–17 का आंकड़ा था 70 हजार।

2017–18 में 75603 दिव्यांगों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। 2016–17 में सात हजार परिवारों को एकमुश्त आर्थिक सहायता दी गई थी। इसकी तुलना में 2781 परिवारों को एकमुश्त सहायता राशि दी गई है। फाइव हाईवे हाफ्वे होम्स, लॉग स्टे होम्स का निर्माण पूरा हो चुका है और इनमें से तीन होम्स का संचालन भी शुरू हो चुका है। विभाग मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए छः होम्स का संचालन कर रहा है। इन होम्स की क्षमता 810 सदस्य है लेकिन अभी इनमें 1169 सदस्य रह रहे हैं। ये इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सारी चीजें सदन के सामने रहें। बाद में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें गवर्नमेंट की फंग्शनिंग की मीडिया के जरिए पता होती हैं। कोर्ट्स के इंटरवेंशन से पता चलती हैं तो हमारे संज्ञान में भी ये चीज है और हम इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा मैंने बताया छः होम्स का संचालन कर रहे हैं। इनमें 810 की सदस्य क्षमता है लेकिन 1169 रह रहे हैं। फाईनेंशियल इयर 2017–18 में 10 ओल्ड ऐज होम्स का निर्माण कार्य शुरू करने के लक्ष्य की अपेक्षा अभी केवल दो ओल्ड एज होम्स का निर्माण कार्य शुरू किया जा सका है। विमन एंड चाइल्ड डवलपमेंट, आउटकम बजट में 16 कार्यक्रमों को शामिल किया गया था। इनमें 164 आउटकम इंडीकेंटर्स थे। इनमें से 111 क्रिटिकल थे। तो 164 में से 111 क्रिटिकल थे। 111 में से 88 यानि की 79 परसेंट ऑन ट्रैक हैं। 23 यानि की 21 परसेंट अभी ऑफ ट्रैक हैं। इम्पार्टेंट इंडीकेटर्स का ब्यौरा इस तरह से है कि 2016–17 में 1.77,177000 निस्सहाय महिलाओं की तुलनाओं में इस वर्ष दो लाख निस्सहाय महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। 24000 नये लाभार्थी जोड़े गये जबकि 1154 लाभार्थी विभिन्न कारणों से हटाए गए।

आईसीडीएस कार्यक्रम में 10897 आंकनवाड़ी सेंटर्स के अंतर्गत लगभग 12 लाख बच्चों और गभर्वती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण, आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवा और प्री–स्कूल एजुकेशन आदि सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सौ प्रतिशत टारगेट की तुलना में दिसंबर 2012 तक 62 प्रतिशत आंगनवाड़ी सेंटर्स पर एडल्ट वेटिंग स्केल है, ये हम बढ़ा रहे हैं, इसको दिसंबर तक था। 123112 के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 113874 किशोर बालिकाओं ने पूरक आहार योजना से संबंधित जानकारी 'सबला किशोरी शक्ति योजना' के अंतर्गत प्राप्त की। लाडली योजना के अंतर्गत 75000 नामांकन के लक्ष्य की तुलना में दिसंबर 2017 तक 68627 नामांकन के प्रार्थना पत्र विभाग को मिले और इनमें से 16263 का नामांकन 2017 तक हो चुका है। ये अभी काफी लोअर परफारमिंग एरियाज में हैं। 93508 नवीनीकरण की तुलना में 50696 लाडली योजना के तहत नवीनीकरण किये गये हैं। ये भी अभी पीछे है, ट्रैक से पीछे है। 60000 वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 27216 छात्राओं को परिपक्वता राशि दी गई है। ये भी अभी पीछे है। हम इसमें दिसंबर में काफी पीछे रहे।

अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आउटकम बजट में 15 कार्यक्रमों को शामिल किया गया जिनमे से 105 आउटकम आउटपुट इंडीकेटर थे। इनके और इनमे से 82 क्रिटिकल थे। अध्यक्ष महोदय, इनमें से 105 में से 82 क्रिटिकल थे 82 में से 37 यानी कि 45 परसेंट ऑन ट्रैक हैं। 14 यानी कि 17 परसेंट अभी ऑफ ट्रैक हैं। ये डिपार्टमेंट में अभी काम उतनी तेजी से नहीं हुआ है जितनी अपेक्षा थी और 31 इनके ऐसे हैं, जो इन पर लागू नहीं थे। इनके महत्वपूर्ण इंडीकेटर्स की स्थिति है, सभी स्कालरशिप, आर्थिक सहायता और प्रतिपूर्ति

योजनाओं के प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28/2/2018 थी। विभाग ने पिछले वर्षों के लिए 41788 विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की। पिछले वर्षों के लिए 542069 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को स्टेशनरी खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी। इसी तरह अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के 1 से 12 कक्षा के विद्यार्थियों के और पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के 6 से 12 के लिए 477296 विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति दी गई। इसी तरह 13177 विद्यार्थी जो तकनीकी व्यवसायिक कालेज इंस्टीट्यूशन विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति दी गई है। इशापुर गांव में 600 कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की तुलना में 562 विद्यार्थी अभी आवासीय स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये काफी अच्छी विंग है। अनुसूचित जाति बस्ती के सुधार कार्यों के 24 टेंडर के लक्ष्य की तुलना में अभी 15 टेंडर दिये गये हैं। बस्ती के कार्यक्रम के यहॉ अभी हम पीछे चल रहे हैं। चौपाल के सामुदायिक केन्द्रों के सुधार के लिए 17 कार्यों के लक्ष्य की तुलना में 17 टेंडर दिये गये और 15 कार्य इनमे से पूर्ण हो गये हैं। ये कार्य काफी आगे चला गया।

ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट

अध्यक्ष महोदय, ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट में 10 कार्यक्रमों को शामिल किया गया था। इनके 102 इंडीकेटर्स थे। इनमे से 89 इंडीकेटर्स क्रिटिकल थे। 89 में से 53 इंडीकेटर्स यानी कि 60 परसेंट ऑन ट्रैक रहे हैं। इन पर 70 परसेंट से ज्यादा काम हुआ है। इनमे से 40 परसेंट यानी कि 36 इंडीकेटर ऑफ ट्रैक रहे हैं। इम्पोर्टेंट इंडीकेटर्स, क्लस्टर बस और डीटीसी बसों की योजना के तहत 40 लाख के लक्ष्य के मुकाबले औसत दैनिक

यात्री संख्या 41.90 लाख प्रतिदिन तक बढ़ गई है यानी डीटीसी की जो कैपिसिटी, डीटीसी की जो संख्या है, यात्रियों की, वो बढ़ी है हालांकि इसी समय में दिल्ली मेट्रो की औसतन दैनिक सवारी जो कि 2016–17 में 28 लाख थी और 2017–18 में 30 लाख पहुंचने का लक्ष्य था, वो वास्तव में घटकर 25 लाख 70 हजार रह गई है। हम बार बार इस सदन में भी कह रहे थे, बाहर भी कह रहे थे, सरकार ने विरोध भी किया था कि मेट्रो का किराया न बढ़ाया जाए। मेट्रो का किराया बढ़ने के कारण आज तो माननीय केन्द्रीय मंत्री जी ने शायद संसद में भी इसके बारे में बयान दिया है कि मेट्रो में राइडरशिप घट गई है। ये भी इंडीकेटर हमारे बता रहे हैं कि 30 लाख पहुंचने के लक्ष्य की जगह ये घटकर 25 लाख 70 हजार रह गई यानी कि मेट्रो को नुकसान हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, जिन लोगों को मेट्रो में चलना था, बसेज में उन लोगों को चलना पड़ रहा है। बसेज के ऊपर लोड बढ़ रहा है। क्लस्टर बस योजना के अंतर्गत औसत बेड़े का उपयोग 89 परसेंट के लक्ष्य के मुकाबले 97 परसेंट बढ़ गया है और औसत लोड फैक्टर 84 परसेंट तक बढ़ गया है।

2017–18 के लिए निर्धारित 55 लाख के लक्ष्य के मुकाबले जो प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए 55 लाख रुपये का लक्ष्य रखा गया था, इसमें से 37 लाख 27 हजार प्रमाणपत्र जारी किये गये। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं रखने के कारण 2016–17 में 18401 चालान काटे गये थे लेकिन इस साल दिसंबर तक 22706 चालान काटे गये। इसमें भी सख्ती बरती गई है।

वर्ष 2017–18 के लिए दो लाख 85 हजार की तुलना में दो लाख 11 हजार वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र अभी तक जारी किये जा चुके हैं।

11 बस डिपो की तुलना में सात नये बस डिपो बनाये गये। बस डिपो में बस पार्किंग क्षमता 6100 बसों से बढ़ाकर 7174 बसें हो गई हैं।

पीडब्लूडी, आउटकम बजट 24 प्रोग्राम्स में इसको शामिल किया गया था। इनके कुल मिलाकर 122 इंडीकेटर्स थे इनमें से 56 क्रिटिकल थे इन 56 में से 31 इंडीकेटर यानि की 55 परसेंट आन ट्रैक हैं। 25 इंडीकेटर्स यानी कि 45 परसेंट अभी आफट्रेक हैं। इम्पोर्टेंट इंडीकेटर्स का स्टेटस ये है। पीडब्लूडी के विभिन्न आरओडब्लू वाली 1260 किलोमीटर। पीडब्लूडी विभाग भिन्न भिन्न आरओडब्लू वाली 1260 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव कर रहा है। 2017—18 के दौरान करीब 300 किलोमीटर लंबी सड़के सुदृढ़ करने की योजना बनाई गई थी। लोक निर्माण विभाग की सड़कों के निम्नलिखित हिस्सों को सुदृढ़ किया गया। 10 किलोमीटर लक्ष्य की तुलना सात किलोमीटर राष्ट्रीय राजधानी मार्ग सुदृढ़ किया गया। 41.47 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर 37 किलोमीटर लंबी रोड को दिसंबर तक सुदृढ़ किया गया। 115 किलोमीटर के लक्ष्य की तुलना में 111 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क से जोड़ने वाली अंदरूनी सड़कों को सुदृढ़ दिसंबर तक किया जा चुका था। तो ये सब मैं मानता हूँ कि ट्रैक पर हैं। 135 किलोमीटर, ट्रैक से आगे ही हैं। 70 परसेंट को हम ट्रैक मान रहे थे। 135 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले 30 मीटर से कम आरओडब्लू वाले 122 किलोमीटर सड़कों को सुदृढ़ किया गया। बारापुला फेज—3 परियोजना का वर्ष 2017—18 के लिए 70 परसेंट लक्ष्य के मुकाबले अभी 52 परसेंट का हो सका है, ये ट्रैक से पीछे है। साकेत मेट्रो स्टेशन पर एक एफओबी का कार्य पुरा हो चुका है और चार अन्य एफओबी अभी पूरे होने के करीब हैं।

अर्बन डेवलपमेंट, इसमे सात प्रोग्राम्स में 83 इंडीकेटर्स थे। 22 में से 15 इन्डीकेटर ऑन ट्रैक हैं। पन्द्रह योजनाएं एक तरह से कह सकते हैं, ऑन ट्रैक हैं। छः यानी कि 27 परसेंट ऑफ ट्रैक हैं। ऑन ट्रैक में या ओवर ऑल इन्डीकेटर में 2017–18 के नौ कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।

इसमें से डूसिब, अब मैं डूसिब की बात कर रहा हूँ। ये तो उनका मैने बताया। आउट कम बजट 2017 में डूसिब में नौ कार्यक्रमों को शामिल किया गया जिसमें से 52 आउट पुट इन्डीकेटर हैं। आउट पुट ऑफ आउट कम इन्डीकेटर्स में से देखें डूसिब में 40 इम्पोर्टेंट थे। पैतरस यानी कि 87 परसेंट ऑन ट्रैक हैं। तीन यानि कि 8 परसेंट अभी ऑफ ट्रैक हैं और दो पर यानी कि 5 परसेंट पर ये लागू नहीं होता था। इनके, क्योंकि ये अर्बन डवलपमेंट के ही अलग–अलग हिस्से हैं। इसलिए डूसिब में इम्पोर्टेंट इन्डीकेटर स्टेटस ये है। आर्थिक रूप से पिछडे लोगों के लिए आवास, सार्वजनिक शौचालय, नाइट शेल्टर आदि में डूसिब का प्रदर्शन काफी संतोषजनक था। डूसिब द्वारा 263 नाईट शैल्टर्स का संचालन किया जा रहा है। जिनकी क्षमता 2017–18 में 20984 प्रति व्यक्ति थी। वर्ष 2017–18 में रात्रि निवासों में औसतन 13178 व्यक्तियों ने निवास किया। जबकि 2016–17 में ये 11 हजार थी। तो ये इन्डीकेटर से आगे चल रहे हैं। इसमें बढ़ गए हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आवास परियोजना का कार्यन्वयन डूसिब द्वारा किया जा रहा है। ये सूचित किया गया है कि 15020 आवास पूर्ण होने के अग्रिम चरण में है। 7620 आवास 99 प्रतिशत और 74 सौ आवास 95 प्रतिशत दिसम्बर 2017 तक पूर्ण हो चुके थे। 2016–17 में पूर्ण हो चुके आवासों की संख्या 3064 थी।

खुले में शौच मुक्त दिल्ली बनाने के लिए डूसिब में दिसम्बर 2017 तक 107 नए जन सुविधा परिसर 3755 नई टॉयलेट शीट बनाई। इसके अलावा इसके द्वारा 112650 लोगों को लाभ मिला जबकि 2016—17 में ये संख्या 55230 थी। तो ये लोगों की संख्या बैनिफिशरीज की संख्या बढ़ रही है डूसिब के।

अनाधिकृत कालोनियों में विविध एजेन्सीज द्वारा विकास कार्य लक्ष्य के अनुरूप अनुमोदित किये गए। टीवाईडी ट्रांस यमुना एरिया डवलपमेंट बोर्ड द्वारा 27 परियोजनाओं को अनुमोदित और इन परियोजनाओं में से 50 प्रतिशत फंड अनुमोदित किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालयों के निर्माण सभी प्रगति पर है और सभी 294 वार्डो को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। दिल्ली जल बोर्ड इसमें 20 प्रोग्राम्स में 127 इन्डीकेटर्स थे। पैंतालिस इसमें क्रिटिकल इन्डीकेटर थे। पैंतालिस में से 37 इन्डीकेटर ऑन ट्रैक हैं। सात ऑफ ट्रैक हैं। एक पर ये इन्डीकेटर लागू नहीं था, डीजेबी पर। इम्पोर्टेंट इन्डीकेटर की स्थिति ये है। बारह सौ नौ अनऑथोराईज्ड कालोनियों को पानी की पाईप लाईन से 2017—18 में जोडा गया था। अब की बार जोडा गया है। जबकि 2016—17 तक 1144 अनाधिकृत कालोनियों को पानी की पाइप लाईन से जोड़ा गया है। अनऑथोराईज्ड कालोनी में जलापूर्ति के लिए दिसम्बर 2017 तक 3923 किलोमीटर लम्बी नई पानी की पाइप लाईन डाली गई। जबकि वर्ष 2016—17 तक 3703 किलोमीटर ये थी। रिसाव के कारण जल क्षति को रोकने के लिए 2064 किलोमीटर की पुरानी क्षीण पाइप लाईनों को दिसम्बर 2017 तक बदला गया। जबकि पिछले साल 1912 किलोमीटर पाइप लाईन को बदला गया था। इसके फलस्वरूप चार एमजीडी पानी बचाया

गया है। ये आउट कम है। 2017–18 के दौरान 38 और टयूबवैल जोड़े गए। इक्यावन टयूबवैल को रिडवलैप किया गया। जलापूर्ति को बढाने के लिए टयूबवैल और रैनीवैल का पुनर्वास किया गया। जिसके फलस्वरूप आठ एमजीडी पानी अधिक जोड़ा गया। 2017–18 में प्रति महीने 20 किलोलीटर की मुफ्त जीवन रेखा जल देने वालों की देने की योजना जारी है और लगभग साढ़े चार लाख उपभोक्ताओं को 31 करोड रुपए प्रतिमाह की सब्सिडी प्रदान की गई।

दिसम्बर 2017 तक 265 अनाधिकृत कालोनियों को सीवर प्रणाली से जोड़ा गया। जबकि वर्ष 2016–17 में 241 कालोनियों को सीवर प्रणाली से जोड़ा गया था। अनऑथोराईज्ड कालोनिज में सीवर प्रणाली के लिए दिसम्बर 2017 तक 1738 किलोमीटर की नई सीवर लाइन डाली गई। जबकि वर्ष 2016–17 में ये 16 सौ किलोमीटर थी। दिल्ली में कुल 22 लाख 36 हजार चालू कनैक्शन हैं। वर्ष 2017–18 में पुरानी क्षीण सीवर लाईनों को बदलने के लिए 873 किलोमीटर की सीवर लाइन नियमित अनाधिकृत कालोनियों में डाली गई। जबकि 2016–17 में ये 845 थी।

अध्यक्ष महोदय, पावर डिपार्टमेंट में 10 प्रोग्राम्स में 59 इन्डीकेटर्स थे और उसमें से 30 क्रिटिकल थे। तीस में से 18 इन्डीकेटर ऑन ट्रैक हैं। दस इन्डीकेटर यानी कि 33 परसेंट ऑफ ट्रैक हैं। इम्पोर्टेंट इन्डीकेटर्स में से दिल्ली में 2016 में 6261 मैगावाट की तुलना में 2017 में 6526 मैगावाट की हाइएस्ट डिमांड पूरी की गई। 2017 में बिजली व्यवस्था की नियमित समीक्षा की और सख्त निगरानी के कारण दिल्ली में लोड शेडिंग प्वाईंट जीरो सिक्स परसेंट (0.06 परसेंट) के स्तर पर रही। जो कि दिल्ली के इतिहास

में सबसे कम दर्ज की गई। वर्ष 2016 में ये प्वाइंट वन थी और 2015 में प्वाइंट वन फोर थी। तो ये प्वांइट वन फोर लोड शेडिंग से पहले साल में जब सरकार आई, प्वाइंट वन पर आए और अब प्वाइंट जीरो सिक्स के स्तर पर आ गई है। ट्रांसमिशन कम्पनी ने दिल्ली की बढती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अपने नेटवर्क में सफलतापूर्वक 220 केवी के दो नए सब स्टेशन और 820 एमवीए ट्रांसफोर्मेशन क्षमता की वृद्धि की गई। 2016 में ट्रांसमिशन सिस्टम की उपलब्धता 98.01 परसेंट से बढाकर 2017 में 99.43 परसेंट हो गई। दिल्ली में कुल सोलर एनर्जी की स्थापित क्षमता 28 फरवरी 2018 को 81.13 इक्यासी दसमलव तीन मैगावाट पहुंच गई। 2016—17 में ये केवल 49 मैगावाट थी। तीन वेस्ट एनर्जी प्लॉट तिमारपुर, ओखला 16 मैगावाट, गाजीपुर में 12 मैगावाट नरेला बवाना में 24 मैगावाट का दिल्ली में संचालन कुल 52 मैगावाट के साथ हो रहा है। उर्जा विभाग ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को जो कि 400 यूनिट तक प्रतिमाह उपभोग करते हैं, उन्हें 50 परसेंट उर्जा शुल्क का अनुदान दिया है। इससे 37.28 लाख उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है। जो कुल 45 लाख घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं का 82.84 परसेंट है।

अध्यक्ष महोदय, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में कुल मिलाकर 79 इन्डीकेटर थे। इनमें से 64 इन्डीकेटर्स को क्रिटिकल माना गया। चौसठ में से 46 इन्डीकेटर ऑन ट्रैक हैं। अट्ठारह इन्डीकेटर ऑफ ट्रैक हैं। इम्पोर्टेंट इन्डीकेटर्स में से 20 नए परवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन को कार्यान्वन करने का लक्ष्य था। सोलह इसमें से कार्यान्वित किये जा चुके हैं। ग्यारह हजार पांच सौ छियालिस (11546) ई रिक्शा मालिको को सब्सिडी के रूप

में 30.86 करोड़ रुपए अनुदान दिये गए। जबकि पिछले साल 11546 के मुकाबले 34 सौ लाभार्थियों को दिये। सात दशमलव दो (7.20) लाख की सब्सिडी दी गई थी। सब्सिडी भी काफी आगे बढ गई। करोड़— करोड़ की सब्सिडी दी गई थी। आठ सौ आठ लाभार्थियों को बैटरी संचालित वाहनों के लिए सब्सिडी के रूप में 1.90 करोड़ रुपए दिये गए। जबकि 2016—17 में 626 लाभार्थियों को सब्सिडी दी गई थी।

ईको क्लब के तहत 1491 स्कूल और कॉलेजों का अनुदान दिया जा चुका है। जबकि 16 सौ स्कूलों और कॉलेजों का है। पार्क एंड गार्डन सोसाईटी के द्वारा एक हजार पचास आरडब्ल्यूए को पार्क्स के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। जबकि पिछले साल 1350 आरडब्ल्यूए को लक्ष्य रखा गया था।

फोरेस्ट डिपार्टमेंट

चार कार्यक्रम को इसमें शामिल किया गया है। इसमें से 30 इन्डीकेटर थे। सभी 30 इम्पोर्टेंट माने गए थे। इन इम्पोर्टेंट 30 में से 18 आन ट्रैक है यानी कि 60 परसेंट। बारह ऑफ ट्रैक हैं यानी कि 40 परसेंट। इम्पोर्टेंट इन्डीकेटर का स्टेटस ये है। फोरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई विशाल रक्षा रूपण ड्राईव के चलते दिल्ली में कुल वन क्षेत्र 2015 में 299 वर्ग किलोमीटर से बढ़ कर 2017 में 305 किलोमीटर हो गया है। ये ग्रीनरी बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इकोलोजिकल टास्क फोर्स द्वारा, प्लांटेशन के द्वारा हरियाली क्षेत्र डेढ़ सौ हैक्टेयर से बढ़कर 31 दिसम्बर 2107 तक 200 हैक्टेयर हो गया है। जिससे वर्ष 2017—18 के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। पॉच लाख पौधो के पौधारोपण के लक्ष्य के मुकाबले

दिसम्बर 2017 तक 45 वृक्षारोपण ड्राइव के जरिए साढ़े पॉच लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। जबकि पिछले साल ऐसी 14 ड्राइव चलाई गई थी। दिसम्बर 2017 तक फॉरेस्ट सिटी फॉरेस्ट का निर्माण ओर मैनेटेनेंस योजना के तहत 12 ईको हट्स तैयार की गई। जबकि 2016–17 के दौरान केवल चार ईको हट्स बनाई गई थी। 2017–18 के लिए तीन बटर फ्लाई उद्यानों के लक्ष्य के अन्तर्गत दिसम्बर तक दो बटर फ्लाई उद्योग विकसित कर लिए गए हैं। 2017–18 के लिए पांच शहरी वनों को सिटी फॉरेस्ट को स्थानीय लोगों की समितियॉ बनाने का लक्ष्य था। जबकि दिसम्बर तक छः ऐसी समितियॉ बनाई जा चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने उन चौदह महत्वपूर्ण विभागों का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिनका सरकार द्वारा इस वर्ष व्यापक आउट कम बजट मूल्याकंन किया गया। आउट कम बजट मूल्याकंन अन्तर्गत कवर किये गए दिल्ली सरकार के मुख्य विभागों का प्रथम नौ महीने का ब्यौरा आज योजना विभाग की वेबसाईट पर भी दे दिया जाएगा।

अब मैं, अध्यक्ष महोदय, अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहूँगा, जिससे पता चलता है कि आउट कम बजट प्रक्रिया ने दिल्ली सरकार और उसके विभागों द्वारा दिल्ली के लोगों को दी जा रही सेवाओं की कार्य प्रणाली में किस तरह सुधार किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि आउट कम बजट से विभागों को ये बात फिर से प्रभाषित करने में मदद मिली है कि वो अपनी रिस्पोंसिबिल्टी की लिमिटस के बारे में क्या सोचते हैं। मैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। दिल्ली में विभिन्न औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए बनाए

गए पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज के परिवर्तन का दायित्व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी का है। अगर डीपीसीसी द्वारा किसी निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान को प्रदूषित करने के लिए दोषी पाया जाता है तो डीपीसीसी द्वारा सख्त दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। पर्यावरण विभाग के आउटकम बजट की पहली तिमाही की समीक्षा के दौरान हमारे संज्ञान में ये बात आई कि वर्ष के पहले 3 महीनों में डीपीसीसी ने प्रदूषण फैलाने वाले कुल 56 उद्योगों के लिए 56 यूनिट्स को बंद करने के संबंध में निर्देश जारी किये गए। पहले तीन महीने में ही जब सरकार ने, क्योंकि रिव्यू चल रहा था, रिव्यू में ये पूछा गया कि इन 56 में से अंततः बंद कितने किये गये, तो हमें पता चला कि डीपीसीसी ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखती है और ये जिला मैजिस्ट्रेट के जरिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट का दायित्व है जिनसे उम्मीद की जाती है कि वह इन प्रतिष्ठानों का बंद होना सुनिश्चित करेंगे। इस तरह डीपीसीसी का काम व्यवहारिक रूप में ईकाइयों को बंद करने संबंधी दिशा निर्देश जारी करने के साथ समाप्त हो जाता था। हमने निर्णय किया कि डीपीसीसी अंतिम परिणाम के लिए भी आवश्यक रूप से जिम्मेदार बनाई जानी चाहिए। क्योंकि आपका काम सिर्फ इतना नहीं है, आपने नोटिस दे दिया, ईकाई बंद हुई कि नहीं हुई, आप सिर्फ नोटिस गिना दें कि हमने तो इतने नोटिस जारी किये। यही आउटकम का इंपोर्टेंस है। तो हमने निर्णय लिया कि डीपीसीसी अंतिम परिणाम के लिए भी जिम्मेदार बनाई जाए। ये भी उसको करना चाहिए कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग अंततः बंद किये गये और ऐसा करते समय राजस्व विभाग के समन्वय के साथ वो काम करे।

इसी तरह दूसरी बात ये है कि आउटकम बजट की समीक्षा से हमें ऐसे कार्यक्रमों को पहचान करने में मदद मिलती है जो वांछित परिणाम नहीं दे रहे होते हैं। उन्हें नया रूप देने की जरूरत होती है ऐसे परिणामों को हम को आईडेंटिफाई करने में हम को मदद मिलती है। एग्जाम्पल के लिए हैल्थ डिपार्टमेंट की समीक्षा के दौरान एक स्कूल हैल्थ कार्यक्रम की समीक्षा करते समय पता चला कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के बीच कुपोषण की दर बहुत उंची करीब 35 परसेंट थी। अब ये स्वीकार नहीं हो सकता कि अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के दौरान हमने पाया कि स्कूल मतलब ये जो 35 परसेंट थी, ये एक्सेप्टेबल तो है नहीं। सरकार को, इतने सारे बच्चे अगर कुपोषण के शिकार हैं तो हम साल के अंत में देखें कि हमने मैलन्यूट्रिशन का, फीडिंग सर्विस का सारा पैसा खर्च कर दिया और इससे खुश हो जाएं तो इसलिए हमने ये पाया विचार विमर्श के दौरान कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत तैनात किए गए स्टॉफ केवल तीन साल में एक बार स्कूल के विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जॉच कर पाने में सफल है। इसके बाद हमने ये निर्णय लिया कि एक बेहत्तर कार्यनीति अपनाई जाए जिसमें स्कूल स्तर के करीब 350 ऐसे जिसमें हरेक स्कूल में क्लीनिक हों लेकिन अभी 350 स्कूल में ऐसे क्लिनिक होने चाहिए जो न केवल दिल्ली में सभी स्कूली विद्यार्थियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जॉच करेंगे बल्कि ये भी सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर नियमित और भरोसेमंद चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके। तो ये जो स्कूल में हम मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं कि हरेक स्कूल में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और अभी स्टॉर्टिंग के लिए 350 स्कूल करीब इसके लिए आईडेंटिफाई भी कर लिये गये हैं। 300 उसकी फिगर अभी मेरे पास नहीं है रफ, फाईनल। तो ये

आउटकम डिस्कशन के दौरान आया कि 35 परसेंट बच्चे अगर हमारे कुपोषण के शिकार हैं और हम सिर्फ डेटा देख रहे हैं कि हमने मिड डे मील ठीक से बॉट दिया कि नहीं बॉट दिया, हमने पंजीरी ठीक से बॉट दी कि नहीं बॉट दी, तो फिर फायदा क्या है? अगर हमें डेटा नहीं पता चल रहा और डेटा पे एनलसिस नहीं हो रहा। वहॉ से ये निकल के आया, नयी योजना निकल के आयी स्कूल क्लिनिक की। आउटकम बजट से एक और प्रमुख परिवर्तन महोदय, ये हुआ कि सेवाओं के वितरण के बारे में भरोसेमंद ऑकड़े जुटाने की आवश्यकता उजागर हुई। उदाहरण के लिए दिल्ली में पाइप लाइन नेटवर्क में पानी की बर्बादी और रिसाव बहुत बड़ी मात्रा में होता है लेकिन उनके पास ये जानकारी कालोनी के स्तर पर, वार्ड स्तर पर, जिला स्तर पर उपलब्ध ही नहीं है। इस तरह अगर आपको ये पता ही नहीं है कि किस कालोनी में, किस वार्ड में, कहॉ कहॉ पानी रिस रहा है तो एक्शन क्या लेंगे? मैनेजमेंट कैसे करेंगे वाटर का? तो दिल्ली जल बोर्ड के मूल्यांकन से, दिल्ली जल बोर्ड के समूचे पाइप लाइन नेटवर्क में डिस्ट्रिक्ट मीटर एरिया, वाटर फलो मीटर लगाने, वाटर सप्लाई की ऑडिट और लॉस के मूल्यांकन के लिए आई टी उपकरणों का आधुनिकीकरण करने से ऐसे प्रस्ताव सामने आए। आउटकम आधारित बजट से सरकार के कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, सभी विभाग कार्यक्रमों के, परियोजनाओं के मॉनिटरिंग और विश्लेषण की महत्वता को समझ रहे हैं। ये पहला साल था। पिछले साल जल आउटकम बजट के इंडीकेटर्स हम तैयार कर रहे थे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को आइडिया भी नहीं था, बहुत सारे ऑफिसर्स को बार बार समझाने पे भी क्लियर नहीं हुआ था कि इसका ये पूरा प्रोसेस कैसे रहेगा। तो ये पहला साल है, मैं मान के चलता हूॅ इससे काफी आगे बढ़े

हैं। नियमित डाटा क्लेक्शन और रिपोर्टिंग का एक हम पूरा मैकेनिज्म बना रहे हैं, जहॉ आवश्यक होगी, इसको मजबूत किया जा रहा है। मुझे इस बात का दृढ़ विश्वास है कि आउटकम बजट का प्रयोग समय के साथ और बेहत्तर होगा और जवाबदेही और शासन को बेहत्तर बनाने में मदद मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं इसका कुछ आगे का रास्ता आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मेरे प्रस्तुतीकरण से यही निष्कर्ष निकलता है कि आउटकम बजट हमारी सरकार का एक बड़ा बजट सुधार रहा है, एक बड़ा रिफॉर्म रहा है और मैं इस कवायद को सफलतापूर्वक करने के लिए योजना विभाग को बधाई देता हूँ और अन्य सभी विभागों के अधिकारी जिन्होंने इस प्रक्रिया में रचनात्मक योगदान किया, उनको भी बधाई देता हूँ। लेकिन ये केवल एक शुरूआत है और मात्र आउटकम बजट से ही लाभ हमें तब मिलेंगे, जब हमें सरकार के रोजमर्रा के कामकाज में इस उपाय को संस्थागत रूप दे सकेंगे। आगामी वर्ष में ये सुनिश्चित करने के लिए हमने दो उपाय किए हैं; पहला तो ये कि योजना विभाग एक आईटी एप्लीकेशन विकसित कर रहा है जो बड़ी मात्रा में सर्जित होने वाली आंकड़ों के संग्रह और विश्लेषण की समूची प्रक्रिया को सुचारू बनायेगा। इससे हमें योजना और कार्यक्रमों के निष्पादन की लगभग वास्तविक निगरानी हमारे लिए संभव हो सकेगी। हालांकि हम ने 14 डिपार्टमेंट चुने। यहॉ प्रेजेंटेशन के लिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन प्लानिंग डिपार्टमेंट इस पूरे आउटकम बजट का मदर डिपार्टमेंट है और ये हमारे प्लान में था, प्लानिंग में और मुझे एसेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट जो इस पूरे आउटकम बजट का मदर डिपार्टमेंट है, हम प्लानिंग डिपार्टमेंट में इसको

अपने एचीवमेंट को हासिल करने में पीछे रहे हैं, ये जो एप बनाने की मैं बात कर रहा हूॅ ऐप्लीकेशन विकसित करने की, ये हमें पिछले साल में कर लेनी चाहिए थी पर अभी हो रही है। मैंने कहा सभी विभागों के लिए पहली बार नई एक्सरसाइज है, बहुत सारी इसमें योजनाएं बननी थी, योजना विभाग में। हमें एक डेडीकेटिड मॉनिटरिंग और इवैल्यूशन यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया था। इससे पूरे का पूरा सिस्टम हम ऑनलाइन कर सकते हैं कि ये कौन डिपार्टमेंट कहॉ डाल रहा है और हमें रिव्यू करने में आसानी होगी हमें हर साल। इसमें भी ये भी यूनिट हमारी पिछले साल स्थापित होनी थी क्योंकि मैं 14 डिपार्टमेंट का आउटकम बताऊॅगा और प्लानिंग डिपार्टमेंट का जिसके तहत आउटकम बजट बनता है, उसका आउटकम नहीं बताऊॅगा तो ये पीछे रह जाएगा। ये ठीक नहीं रहेगा। मॉनिटरिंग इवैल्यूशन यूनिट की फाईल भी; सर्विसिस डिपार्टमेंट हमारे पास है कि नहीं है, अधिकारी देखेंगे अधिकारी तय करेंगे कि नहीं करेंगे, मंत्री फाईल देखेंगे कि नहीं देखेंगे, एलजी साहब ने उसमें... काफी एलजी साहब से मेरी कई बार खतो किताबत हुई इस बारे में, फाइनली मंजूर हो के आ गयी और अब मुझे लगता है कुछ महीने के अंदर अंदर हमारा मॉनिटरिंग यूनिट भी सैट हो जायेगा। ये इसलिए रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम आउटकम तय कर रहे हैं, उसमें अधिकारियों का आउटकम तय हो रहा है, मंत्रियों से तो जनता लगातार पूछती है लेकिन उस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक पद एलजी का भी है, उनका कहीं जिक्र नहीं आता कि उन्होंने फाइल कितनी बार दौड़ाई, कितनी बार रिजेक्ट की, कितनी बार फिक्टिशियस ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर कर के भेजी। तो ये इसलिए भी जरूरी है कि कोई योजना अगर देर हो रही है, उसमें कहॉ देर हुई, तो सिर्फ मतलब

अधिकारियों ने अगर कुछ गलत किया, अधिकारियों को होना चाहिए, मंत्रियों ने गलत किया, मंत्रियों के ऊपर रिस्पांसिबिल्टी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन एलजी साहब भी डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं, उनका भी कहीं रिकॉर्ड में आना चाहिए कि भई इस दफतर में सरकारी तनख्वाह से, जनता के टैक्स से चल रहा है। ये एक दफतर है वो अगर मॉनिटरिंग इवैल्यूशन जैसे कार्यक्रमों को अगर सिर्फ अपने ह्विम्स एण्ड फैंसिज पे डिले करेगा तो उसका फायदा क्या है? गवर्नेंस को ढीला करने का काम कर रहा है, इसलिए मैंने ये रिकार्ड पे रखा है। मुझे लगा, ये सदन के समक्ष ये जानकारी होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जो मॉनिटरिंग इवैल्यूशन यूनिट बनेगी उससे दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली में आउटकम बजट की प्रक्रिया को हम संस्थागत रूप से एस्टेब्लिश कर सकेंगे। अब मुझे पूरा यकीन है कि पूरी सरकार सरकारी मशीनरी द्वारा परिणाम प्रदान किए जाने पर ध्यान केंद्रित करने की जो शुरूआत हमने दिल्ली में की है, उसका अनुकरण आने वाले समय में पूरा देश करेगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सरकार ने आउटकम बजट पेश किया और एक साल बाद विधानसभा में आके हम अपने इंडीकेटर्स पे इंडीकेटर वाइज रिपोर्ट दे रहे हैं; हम को क्या करना था, हम कितना कर पाए, हमने जितनी योजनाएं बनाई थी हर विभाग में उनमें से कितनी योजनाओं पर ऑन ट्रैक हैं, कितनी में ऑफ ट्रैक हैं, कितनी योजनाओं में हमें लगता है, लागू नहीं हुईं। ये पहली बार हो रहा है कि किसी भी विभाग, किसी देश में किसी भी विधानसभा में इस तरह का प्रेजेंटेशन पहली बार हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में पूरा देश इसका अनुकरण करेगा, डेमोक्रेसी में एकांउटेबिलिटी सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर है, वो

चाहे सरकारी कर्मचारी हों, मंत्री हों, अफसर हों, एलजी हों, नेता हों, कोई भी हों, सबकी एकांउटेबिल्टी फिक्स होनी जरूरी है। आउटकम बजट, मुझे लगता है पूरे देश में एकांउटेबिलिटी फिक्स करने की दिशा में और कांस्टेंट एकांउटेबिल्टी फिक्स करने के प्रोसेस एस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मैं जानता हूँ बहुत थोड़ा डेटा आरिएंटेड प्रेजेंटेशन होता है विध ाायकों के लिए, माननीय सदस्यों के लिए भी लग सकता है कि इतना सारा डेटा लेके क्या करेंगे, इसमें लच्छेदार बात करने की गुंजाइश नहीं होती। विजेन्द्र गुप्ता जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको लग रहा है कि किस चीज में मैं कहूँ ये पहली सरकार है जो अपने आप बता रही है जी, हम इतना कर पाए और इतना तो कर ही नहीं पाए। अब इसमें गुंजाइश ही नहीं है, जो सरकार ही कह रही है कि हम अपने 14 चीजों में से 12 कर पाए, दो नहीं कर पाए। तो ये थोड़ा सा इसमें विरोध का जूस भी संभव नहीं है, संभावना नहीं है इसमें विरोध की, जूस निकलने की कम संभावना है। लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूँकि ये सेल्फ एकांउटेबिलिटी का प्रोसेस है।

.....(व्यवधान)

उप मुख्य मंत्री : कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सबके पास आ जायेगी। बड़ी अच्छी बुकलेट बनाई है, हमारे टीम ने। अध्यक्ष महोदय, योजना विभाग द्वारा 2018—19 के लिये आउट कम बजट भी तैयार किया जा रहा है जिसकी प्रति सभी माननीय सदस्यों को अप्रैल 2018 के अंत तक भेज दी जायेगी। 2018—19 के आउट कम बजट की एक प्रति योजना विभाग की वेब साइट पर भी रहेगी जिसमें वर्ष 2018—19 के लिए नियमित निगरानी

के वास्ते इंडीकेटरस और टारगेट के अलावा वर्ष 2017–18 की कोशिश, हम ये करेंगे कि पूरी उपलब्धियॉ क्योंकि अभी तक मैंने दिसंबर तक की रखी हैं, मार्च में हम हैं, तो कोशिश करेंगे मार्च तक की उपलब्धियों को उसमें प्रस्तुत किया जा सके। धन्यवाद, मैं आभार करता हूॅ अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदयः बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्री पंकज पुष्कर जी कथित रूप से प्रश्न पत्रों के लीक होने तथा कर्मचारी चयन आयोग के कुप्रबंधन और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के विद्यार्थियों द्वारा उत्पीड़न का सामना करने के संबंध में माननीय उपमुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेगें नियम 54 के अंतर्गत इनका ध्यानाकर्षण है ये पुष्कर जी।

ध्यानाकर्षण (नियम–54)

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही गंभीर विषय पर क्योंकि देश के युवाओं का मामला है और दिल्ली देश भर के युवाओं की उम्मीदों का शहर है और खास तौर से मेरा तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र जहॉ दिल्ली विश्वविद्यालय और लाखों छात्रों की तैयारी का है, तो मैं पिछले दस दिन से इतना गहरा दबाव महसूस कर रहा हूॅ,मुझे हर रोज एक घेराव का जन सुनवाई का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है, तो मामला बहुत गंभीर है मैं माननीय सदन के सभी सदस्यों से; सत्ता पक्ष, विपक्ष सभी सदस्यों से पूरे देश का युवा तड़प रहा है और वो चाहता है कि कोई उसका हाथ थाम ले। ये वो विधानसभा है जिसमें कि आपने सरदार भगत सिंह की मूर्ति लगाई है, शहीदों की तस्वीर लगाई है। इस विधानसभा का विशेष कर्त्तव्य बनता है कि वो देश के युवाओं को निराश न करें। माननीय महोदय, मैं बिल्कुल ये बात, मैं किसी दलगत भावना से

नहीं कह रहा लेकिन ये याद दिलाना जरूरी है कि हमारे केन्द्र में एक ऐसी सरकार है जो कि दो करोड़ रोजगार देने के वादे के साथ आई लेकिन आज बेरोजगार युवा बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा हैं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में देख रहा हूँ कि युवा धीमी मौत की तरफ धकेले जा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत निवेदन करूँगा, मेरे सम्मानित नेता विपक्ष अगर... विजेन्द्र गुप्ता जी, बहुत संगीन मामला है, अगर आप रोक सकें तो आपकी गंभीरता का ये परिचायक होगा। काश! वो युवाओं की पीड़ा में साथ खड़े हो पाते। मेरी प्रार्थना है महोदय, ये थोड़ी बहुत गंभीरता की बात है। मैं सभी सत्ता पक्ष के सदस्यों से कहूंगा कि इस पीड़ा को अगर आप अपने हृदय से स्वीकार सकें, समझ सकें तो कुछ उपकार हो जायेगा, देश बहुत बड़े संकंट से बच जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में हर साल डेढ़ करोड़ युवा किसी रोजगार, किसी नौकरी की तलाश में शामिल हो जाता है। हम गर्व से कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा युवा देश हैं; सत्तर प्रतिशत आबादी युवाओं की है लेकिन उस युवा के साथ क्या हो रहा है, उस युवा के सपनों का क्या हाल है, ये देखना जरूरी है। मैं बहुत संक्षेप में, बड़ी लंबी बाते हैं, बड़ी गहरी बाते हैं लेकिन कुछ बहुत संक्षेप में कहने की कोशिश करूँगा।

महोदय, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र का जन प्रतिनिधि हूँ आपकी विध ानसभा में। मैं कहना ये चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र और अध्यापक, दोनों एसएससी की तैयारी करने वाले छात्र, बीए, एमए, बीएससी करने वाले छात्र, उनको पढ़ाने वाले शिक्षक, सब के सब एक साथ आज सड़कों पर हैं। ये अभूतपूर्व है कि शिक्षक भी तकलीफ में है, छात्र भी तकलीफ में है, एसएससी की तैयारी करने वाला भी तकलीफ में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला भी तकलीफ में है, पढ़ाने वाला भी तकलीफ में

है। और जैसे लगता ये है कि दिल्ली में देश में कोई सरकार नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई दरवाजा नहीं बचा कि जहॉ अपना जा के दुखड़ा रोया जाए। उन्होंने मुझको, वो जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विधानसभा के निर्देश से नहीं चलती, एसएससी दिल्ली विधानसभा के निर्देश पर नहीं चलती है लेकिन उनका विश्वास है दिल्ली विधानसभा पर। क्योंकि मैं गवाह हूॅ, हमारे मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली के नौजवानों की आशाओं के प्रतीक हैं। हम उन लोगों के संघर्षों की वजह से आज यहॉ खड़े हैं। मैं उस धर्म से बंधा हुआ हूॅ, संविधान के प्रति शपथ से बंधा हुआ हूॅ कि उनकी तकलीफ को यहॉ रखा जाये। मैं बिल्कुल ठोस सूचना के आधार पर आपसे कह रहा हूॅ और माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसकी कोई व्यवस्था निकालें कि आज नौजवानों की मानसिक दशा क्या है। देखें, जैसे कि हमने सुबह देखा था, कक्षा नौ की बच्ची को सुसाईड का सामना करना पड़ा। बहुत बड़ी संख्या में छात्र और युवा बहुत गहरे तनाव अवसाद की स्थिति में हैं। ऐसा क्यों है, देखने की जरूरत है। दिल्ली विश्वविद्यालय में माननीय महोदय एसएससी की तैयारी करने वाले नोजवान हैं और अपनी ऐकेडमिक की तैयारी करने वाले नौजवान हैं। एक अभी यूजीसी का नोटिफिकेशन आया है, बहुत ध्यान चाहूॅगा सम्मानित सदस्यों का ध्यान चाहूॅगा मैं, कि वहॉ एक नोटिफिकेशन आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, का संज्ञान चाहिए, उस नोटिफिकेशन के बाद जो सत्तर वर्ष की साधना है, भारत के संविधान का आदेश है कि हम एक विशेष अवसर का सिद्वांत देंगे एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग फिजीकली हैंडीकैप बाबा साहब अंबेडकर का सपना है कि हम उनको बराबरी का दर्जा देंगे, उनको भागीदारी देंगे एक

झटके में यूजीसी ने एक ऐसा नोटिफिकेशन लाया है जिससे कि ये सत्तर साल का सपना कुचल जाता है खत्म हो जाता है कालिजिस में उनके अध्यापक बनने के सपनों को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया गया हे मेरी आंखों के सामने 40–40 पैतालींस 45 वर्ष की महिलाएं और युवा लड़के मेरे सामने आये हैं जो कि 15 पंद्रह साल से पढाते हैं, इस उम्मीद में हैं किसी दिन दिल्ली विश्वविद्यालय में या एसएससी में उनको नौकरी मिलेगी उनको कुचल दिया गया है नोटिफिकेशन क्या आया है, वो विस्तार में है, अलग से चर्चा की आवश्यकता होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एक आरक्षण का सिद्वांत है, बराबरी का सिद्वांत है, समान अवसर देने का सिद्वांत है, भागीदारी का सिद्वांत है, उसको कुचलते हुए किसी कालेज में, किसी वर्ग को एक नौकरी करने की संभावना समाप्त हो गई है। ये एक स्थिति सामने आई है। मैं सीधे सीधे आपको जो एक बिल्कुल करैकस का मामला है बिल्कुल बहुत संगीन मामला है एसएससी से जुड़ा मामला है उसके मामले में कुछ तथ्य केवल आपके सामने रखूगा क्योंकि सब लोग बहुत जागरूक हैं तथ्यों से बात समझ में आ जायेगी। सर, एसएससी एक ऐसा इम्तहान है जिससे कि पूरे देश के एक बार में एक एक करोड़ छात्र 70 लाख, 80 लााख, 90 लाख लोग आवेदन करते हैं उसका केवल दो हजार तीन हजार चार हजार पदों के लिए और उसके लिए क्या करते हैं, दिल्ली में आ आ के, दिल्ली की तिमारपुर विधानसभा में माननीय अध्यक्ष महोदय, डेढ़ लाख से ज्यादा नौजवान आकर पढता है। वो दिल्ली की इकॉनोमी को चलाता है, किराये पर कमरा लेकर पढता है, कोचिंग में फीस देता है। उसके बाद वो सपना देखता है कि उसको एक छोटी सी नौकरी इनकम टैक्स में, कहीं क्लर्क की नौकरी, इंसपेक्टर की नौकरी, कहीं कुछ मिल जायेगी। चार, चार

साल, पॉच, पॉच साल वो तपस्या करते हैं। उनके माता पिता, किसान देश के किसी और प्रदेश में अपने खून पसीने की कमाई दस हजार 15 हजार महीना उनको भेजते हैं। उसके बाद हुआ क्या? आश्चर्य की बात है! ये नौजवान ये छात्र अपने हाथों में सबूत लिये घूम रहे हैं। मैं आपके सामने अभी सबूत पेश करूॅगा कि खुल्लम खुल्ला 101–10 लाख, 20, 30–40 चालीस लाख रूपया देकर नौकरियॉ बिक रही हैं। एसएससी में पद बिक रहे हैं। माननीय महोदय, मैं एक बिल्कुल आपके सामने ठोस एक तथ्य रखना चाहूॅगा। ये दिल्ली विधानसभा, संवेदनशील विधानसभा है। ये सदन पटल में रखना चाहूॅगा। ये अध्यक्ष महोदय तक पहुंचायें दस्तावेज। एक छात्र; संदीप नाम के एक छात्र के 700 ऐडमिट कार्ड पाये गये हैं और ये एसएससी न खाऊॅगा, न खाने दूॅगा का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं देता, सड़क पर चलते नौजवान ये सबूत निकालकर लाते हैं। माननीय महोदय ये इतिहास में दर्ज हो, दिल्ली विधानसभा के दस्तावेजों में शामिल हो, 700 ऐडमिट कार्ड एक व्यक्ति के, उसकी जन्मतिथि अलग अलग, उसके पते अलग अलग लेकिन उसका ऐग्जामिनेशन सैन्टर है एक, उसका ऐग्जामिनेशन सैन्टर एक है। ऐग्जामिन सैन्टर कैसा है! एक और ये दस्तावेज आपके सामने रखूॅगा, दिल्ली विधानसभा क्योंकि शहीदों की परंपरा का पालन करने वाली विधानसभा है, तो ये दस्तावेज उसके सामने आने चाहिए, ये एक ऐग्जामिनेशन सैंटर का फोटो है माननीय महोदय, ये ऐग्जामिशन सैन्टर का जो फोटो है, इसमें एक निर्माणाधीन इमारत है, खंडहर ईमारत है। वहॉ न कोई सैन्टर चलता है, न कुछ है। इसके अंदर 700 जो ऐडमिट कार्ड एक छात्र के हैं, उन 700 ऐडमिट कार्ड का ऐग्जामिनेशन सेन्टर ये है। माननीय अध्यक्ष महोदय को ये दस्तावेज पहॅुचाया जाये। दिल्ली विधानसभा देश भर के

नौजवान, दिल्ली के युवाओं के सपनों में संघर्षो में भागीदार बनें, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है जो कि देश की सीबीआई को दिखाई नहीं देता, विजिलेंस को दिखाई नहीं देता, चीफ विजिलेंस आफिसर को दिखाई नहीं देता। दिल्ली की संसद, देश की संसद उसके लिये खड़ी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। दिल्ली की विधानसभा इसको दर्ज करे खुल्लम खुल्ला उन सारे सबूतों के साथ नौजवान ढूंढ रहे हैं, नौजवानों की मांग क्या है?

अध्यक्ष महोदयः पुष्कर जी कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री पंकज पुष्करः माननीय महोदय, मुझे आज आप तीन मिनट का समय दे दीजियेगा। मैं मुॅह दिखाने के काबिल हो जाऊॅगा अपने क्षेत्र के नौजवानों को, नहीं तो मैं सौगंध के साथ आपसे कहता हॅू मेरी दो दो तीन तीन बजे नींद खुल जाती है, मुझे नींद नहीं आती। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मैं आपसे अपने हृ्दय की गहराई से अध्यक्ष महादय मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना मांग रहा हॅू देश का नौजवान तड़प रहा है। जब उनकी आत्महत्याएं होगीं, तब हम जागेंगे? हम किस दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं? मेरी आखों के सामने रोती हुई लड़कियॉ हैं, जो लड़कियां ये कह रही हैं कि उनके जानती हुई लड़कियॉ दस दस लाख रुपए देकर पोस्टिंग पा चुकी हैं। अगर वो उनका नाम लेते हैं तो उनका जीवन बर्बाद होता है। कोई उनकी सुनवाई नहीं करता है, तो उनका जीवन बर्बाद होता है। किसी तरीके से उन लड़कियों ने अपने माता पिता से शादी नहीं करो, हमें पढ़ने का मौका दे दो, ये कह के उन्होंने इस देश में हिस्सेदारी करने का एक सपना मांगा और उसको कुचला जा रहा है। दिल्ली विधान सभा उनके संघर्षों में भागीदार बने। मेरी बहुत लम्बी बात... मैं क्या कहूं, मेरा मन तो बहुत भरा

हुआ है लेकिन मैं आपकी भी, आपके आदेश को सर आंखों पर रखता हूँ, आपके आदेश को मानते हुए मैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी बात को पूरी करने से कहना चाहता हूँ कि मामला केवल दिल्ली विश्वविद्यालय का नहीं है, मामला केवल एसएससी का नहीं है, पूरे देश का नौजवान तड़प रहा है, उसको कहा जा रहा है कि पकौड़े बनाओ, तो दो मैं प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर एक संबंधित संकल्प प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः करिए, करिए।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस संकल्प को पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदयः अब श्री पंकज पुष्कर द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें;
(सदस्यों के हॉ कहने पर)
हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता,
प्रस्ताव पारित हुआ।

अध्यक्ष महोदयः सदन द्वारा माननीय सदस्य को संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः हॉ, पुष्कर जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इस पर बोलने का तो मौका दीजिए।

श्री पंकज पुष्करः माननीय महोदय, मैं...

अध्यक्ष महोदयः मेरे पास स्लिप तो आनी चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री पंकज पुष्करः दिल्ली विधान सभा में मैं प्रस्ताव रखता हूॅ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अभी हो रहा है इस पर। उन्होंने अभी...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अभी उन्होंने प्रस्ताव रखा है। एक सैकेंड मेरी बात सुन लीजिए। अभी इसको, मंत्री जी इसका उत्तर देंगे, सदन से, अभी प्रस्ताव रखने की अनुमति ली है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः रूल में है।

अध्यक्ष महोदयः हॉ, वो तो...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपको पूरा बीच में ध्यान नहीं था, मिस हो गए ...(व्यवधान)

श्री पंकज पुष्कर: माननीय महोदय, 2016 से लेकर अभी तक एसएससी द्वारा कराई गई सभी परीक्षाओं एवं कार्यप्रणाली की सीबीआई द्वारा समयबद्ध जांच सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग बैंच की निगरानी में करवाई जाए, ये प्रस्ताव मैं प्रस्तुत करता हूॅ और दूसरा प्रस्ताव इसी में समाहित कि संघीय सरकार देश में बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति और रोजगार उपलब्ध करवाने की स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करे, मैं दिल्ली विधान सभा में ये प्रस्ताव रखता हूॅ।

अध्यक्ष महोदय: कुछ कहना है आपको इसमें? माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर दें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, मैं पुष्कर जी की भावनाओं को पूरी तरह से आदर और सम्मान देते हुए कि इस पूरे गम्भीर मसले पर सीबीआई ने भी संज्ञान लिया है। सीबीआई इसकी जॉच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद और सीबीआई के द्वारा जॉच प्रारंभ करने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि 'दूध का दूध' और 'पानी का पानी' होगा और लोगों को न्याय मिलेगा और इस विश्वास के साथ हम इस पूरे मामले में पूरे तन्मयता से इसकी जॉच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और इस प्रकार की कोई भी अगर परिस्थिति है, तो वो समाप्त होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय उप मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सौरभ जी, हां।

श्री सौरभ भारद्वाजः सर, इससे जुड़े हुए एक और मामले के विषय में भी पुष्कर जी ने अपना निवेदन दिया था और वो भी युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है।

अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर ही जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी है और काफी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। आज सुबह–सुबह जब विजेन्द्र गुप्ता जी ने एक नौवी क्लास की बच्ची का मामला उठाया और कहा कि नौंवी क्लास की बच्ची ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसके अध्यापक ने, ऐसा कि उसके मॉ बाप ने एफआईआर में लिखवाया है कि उसका एक अध्यापक जो था, वो उनका शारीरिक शोषण कर रहा था। तो मुझे लगा कि विजेन्द्र गुप्ता जी शायद जेएनयू की छात्राओं की भी बात करेंगे या शायद ये इंतजार कर रहे हैं कि जब वो आत्महत्या करेंगी, तब वो यहॉ पर सदन में उसको उठाएंगे। जेएनयू के अंदर अध्यक्ष जी, पीएचडी की छात्राएं हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कोई बरगला सकता है या कोई पैसे दे के कोई बयान करवा सकता है और पीएचडी एक ऐसा विषय होता है अध्यक्ष जी, जिसके अंदर... जो आपका गाइड होता है, उसका पूरा पूरा आपके ऊपर कंट्रोल होता है। क्योंकि वो जब गाइड, आपकी वो जो थिसिस हैं, उनको अनुमति देता है, तभी आपको वो पीएचडी की जो डॉक्टरेट है, उसकी प्रति आपका एक कदम आगे बढ़ता है, तभी आपको मिल सकता है।

एक छात्रा ने नहीं, दो छात्राओं ने नहीं, आठ–आठ छात्राओं ने, पीएचडी की छात्राओं ने जेएनयू के एक प्रोफेसर श्री अतुल जौहरी, उनके खिलाफ कम्पलेंट लिखाई। ये कम्पलेंट लिखाई कि ये उनको गलत तरीके से... उनके साथ व्यवहार करते है। अभद्र व्यवहार करते हैं। बातों बातों में अलग–अलग

तरीके से उनके शरीर को छूने की कोशिश करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी डिटेल्स उन्होंने एफआईआर के अंदर दर्ज कराई और ये बहुत बड़ी मुझे लगता है अध्यक्ष जी, बहुत शर्म की बात है कि इतने सारे कानूनों के बनने के बावजूद भी जब निर्भया का ये जो मामला आया था, उसके बाद देश के अंदर आवाज उठी थी कि कानून जो हैं, वो सख्त होने चाहिए। ताकि अगर कोई भी महिला इस तरीके की कम्पलेंट करती है तो उसकी गिरफ्तारी हो, सख्त कानूनों के कारण उसको बेल ना मिल पाए और इसके अंदर अलग—अलग प्रावधान किए गए और उन सख्त कानूनों का जो फायदा है, वो उन महिलाओं को मिले जिनके साथ इस तरीके की घटना हो रही है।

मगर अध्यक्ष जी, मेरा ये मानना है और मैं समझूंगा कि हाउस भी इस बात से सहमत हो कि जो इंवेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, जो पुलिस होती है, उसके ऊपर सारी की सारी बात आकर रूक जाती है क्योंकि किस आदमी को गिरफ्तार करना है, किस आदमी को गिरफ्तार नहीं करना, किस आदमी को बेल दिलानी है किस आदमी की बेल अपोज करनी है, ये सारी की सारी चीजें पुलिस के हाथ में होती हैं। इस मामले में भी पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। जेएनयू की स्टूडेंट यूनियन को, जेएनयू के सैकड़ों छात्रों को थाने को घेरना पड़ा, रात—भर थाने का घेराव किया, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। प्रोफेसर को पुलिस ने नोटिस दिया, पूछताछ के लिए प्रोफेसर, नोटिस देने के बावजूद आया नहीं, दबाव और बढ़ाया गया और अगले दिन जब प्रोफेसर को गिरफ्तार किया, मात्र सवा घंटे के अंदर आठ—आठ मुकदमों के अंदर उसको आठ बेल मिल गई, एक साथ अध्यक्ष जी। हमारे बीच में विधायक बैठे हैं, अमानतुल्लाह खान बैठे है... ठीक है,

23 दिन ये रहे हैं जेल के अंदर तथाकथित कि चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हमला किया गया, तथाकथित है, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है और यहाँ पर आठ–आठ पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ मॉलेस्टेशन के बावजूद सवा घंटे के अंदर आठ बेल मिल गई, उस आदमी के पास आठ श्योरिटी नहीं थे कोर्ट के अंदर, तीन रिश्तेदार थे उसके पास। पॉच वकीलों को इकट्ठा करके उसकी बेल दिलाई गई। शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को और शर्म आनी चाहिए इस दिल्ली पुसिल के आकाओं को! हालांकि ये जो सरकार है, इसका महिला के साथ जो छेड़छाड़ है, इसका एक पुराना हिस्ट्रोरिक्ल रेलवेंस भी है। केंद्र की जो सरकार है मगर फिर भी हमें ये आशा थी कि इस तरीके के मामले के अंदर सरकार को गम्भीर रहना चाहिए और ये जो घड़ियाली ऑसू ये जो बहाते हैं, ये घड़ियाली ऑसू इनको बहाना बंद करना चाहिए, ये बात जेएनयू स्टूडेंट यूनियन कहती है कि ये जो प्रोफेसर है, ये राइट विंग के है, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मगर मुझे लगता है कि इन सब चीजों के अंदर हमको ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए, कौन आरएसएस का है, कौन आम आदमी पार्टी का है, कौन लेफ्ट का है, इन सब चीजों के अंदर, मेरी गुप्ता जी से विशेष ये निवेदन है कि इन सब चीजों के अंदर, इन चीजों को नहीं लाना चाहिए। ऐसे आदमी को जेएनयू ने अब तक सस्पेंड भी नहीं किया है। इससे ये बात भी साबित होती है कि जेएनयू का जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है, जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, उसकी खास सहानुभूति है उस आरोपी के प्रति, वरना अभी तक उनको सस्पेंड कर दिया गया होता।

अध्यक्ष जी, मैं भी इस विषय के अंदर एक रेजॅलूशन पेश करना चाहता हॅू और आपके माध्यम से सदन से अनुमति चाहता हॅू कि मैं सदन के पटल पर इसको रखॅू।

अध्यक्ष महोदयः अब श्री सौरभ भारद्वाज जी द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हॉ कहने पर)

हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

सदन द्वारा माननीय सदस्य को संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई अब श्री सौरभ भारद्वाज जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री सौरभ भारद्वाजः जी, अध्यक्ष जी, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के पास है, तो हम नहीं चाहते थे कि फिलहाल इस रेजल्यूशन के अंदर ऐसी चीज मॉगें जो केंद्र सरकार के पास है, हमने वो चीजों का जिक्र किया जो दिल्ली सरकार के तौर पे हम इनकी मदद कर सकते हैं, इसके अंदर हम ये मॉग कर रहे हैं कि एक तो दिल्ली सरकार इन विक्टिम्स को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एप्वाएंट करके इनकी लीगल मदद करे, दूसरा दिल्ली सरकार का वूमैन एंड चाइल्ड वैल्फेयर डिर्पार्टमेंट और दिल्ली कमिशन ऑफ वूमैन इन बच्चियों की कांउसलिंग करने के अंदर इनकी मदद करे, मै रैजल्यूशन पढ़ देता हूँ:

"The Legislative Assembly in its sitting held on 21 March 2018 resolves that :

Whereas, students of the Jawahar Lal Nehru University have filed complaints of sexual harassment and molestation against JNU Professor Mr.Atul Johri;

This House, therefore, condemns the lethargic attitude of Delhi Police in not taking prompt action on the complaints of the students as a result of which the students had to resort to protest and gherao the Police Station to get their complaints heard & acted upon by the Delhi Police;and

This House also resolves that the Government of Delhi should extend all possible assistance to the victims including legal assistance by appointment of Special Public Prosecutors and counselling through its Women & Child Welfare Department and Delhi Commission for Women."

अध्यक्ष महोदयः अब माननीय उप मुख्य मंत्री जी इस संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य देंगे।

उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं अपने दोनों विधान सभा सदस्य साथियों को भी बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषयों को इस सदन के समक्ष रखा। मैं समझता हूँ, उन्होंने खुद ही इस बारे में जिक्र किया है कि जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेशन सैंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है तो डायरेक्ट हम उस दिशा में दिल्ली सरकार अपने स्तर पे, दिल्ली सरकार का उच्च शिक्षा निदेशालय इस स्तर पर कोई कदम नहीं उठा सकता, इसी तरह एसएससी के ऊपर भी ज्यूरिस्डिक्शन दिल्ली सरकार का नहीं है, दोनों सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया है, इसलिए संदर्भ वो है ही नहीं, लेकिन संदर्भ ये है कि मैंने कल भी जिक्र किया था कि ये जो सरकार है, केंद्र में और अप्रोच है, वो कॉंग्रेस भी उसी उसको लेके चलती थी, इनका सबका एप्रोच ये रहता है कि टोकेनिज्म की गवर्नेंस चला लो। पॉच परसेंट लोगों के लिए कोई ढंग का काम कर दो और 95 परसेंट जाए भाड़ में, ये रहता है। तो ये जो युवा है, जिनकी बात पंकज पुष्कर ने की या जिनका जिक्र सौरभ भारद्वाज अपने वक्तव्य में कर रहे थे, ये उन 95 परसेंट लोगों

में से हैं । ये उन पॉच परसेंट लोगों में से नहीं हैं जो गवर्नमेंट के इन्फलुएंस्ड ब्लू आई बायज एण्ड गर्ल्स होते हैं, ये तो उन लोगों में से हैं जिनके लिए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और हमसे इनको प्रॉब्लम ही इस बात पे है कि हम कहते हैं 95 परसेंट की सुनो। हमसे ये इसीलिए दुखी हैं। बोले, कानून तोड़ रहे हो, सारे कानून इन्होंने इसी हिसाब से बना रखे हैं। सारी व्यवस्थाएं इन्होंने ऐसी बना रखी हैं कि पॉच परसेंट से आगे जैसे ही गवर्नेंस को ले जाने की कोशिश होती है, इनके कानून टूटने लगते है, इनकी व्यवस्थाएं चरमराने लगती हैं, इनके ढ़ॉचे बिगड़ने लगते हैं। क्योंकि इनपे बनाना ही नहीं आता। आज जब पंकज जी बोल रहे थे, मुझे लग रहा था कि पंकज भाई अब पकोड़ा सरकार से, पकोड़ा रोजगार सरकार से क्या अपेक्षा रख रहे हो? इस देश में बड़े षड़यंत्र के तहत ये कोई ऐसा नहीं है, कोई जुमला नहीं है, बहुत सोचा–समझा शब्द निकाला गया था, बाकायदा साजिश रची जा रही है पिछले चार साल से कि नौजवान को, लड़के–लड़कियों को ढ़ंग की एजुकेशन न मिल पाए, यूनिवर्सिटीज को, इन्सीटयूशंस को, कोलेजेज को बर्बाद किया जा रहा है। आप देखिए पिछले चार साल में हमारा कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी इसलिए अंतर्राष्ट्रीय फलक पे छाया हो, किसी की इंटरनेशनल रेटिंग बढ़ी हो, ऐसा तो हुआ नहीं, किसलिए कि महामहिम मंत्री जी से फलांने डॉयरेक्टर का झगड़ा हुआ, उन्होंने डॉयरेक्टर हो हटा दिया, उनकी अवमानना में, मतलब हमारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेज या तो छात्रों के उत्पीड़न के लिए चर्चा में आए हैं या किसी मंत्री से झगड़े के लिए चर्चा में आए हैं। वहॉ ये बात ही नहीं हुई, इसलिए कोई चर्चा ही नहीं हुई पिछले चार साल से देश में कि यूनिवर्सिटीज और इंस्टीटयूशंस को इंटरनैशनल रैंकिंग पे कहीं लेके जाना है। और फिर भी

मैं कह रहा हूँ पहले तो पढ़ने मत दो, और गलती से, मेहनत से, इनके तमाम विरोध के बावजूद, इनके तमाम कुचक्रों और षडयंत्रों के बावजूद अगर हिन्दुस्तान का युवा अपने आप कोई पढ़ लेता है, पराकर्मी युवा पढ़ लेता है, डिग्री हासिल कर लेता है, कोई योग्यता हासिल कर लेता है, तो उसको नौकरी मत करने दो। क्योंकि अगर पढ़ गया या ढंग की नौकरी मिल गई, ईमानदारी से नौकरी मिल गई तो तुम्हारे कहने पे ये जुमलेबाजी, तुम्हारे कहने पे पागल कौन बनता घूमेगा? मॉब लिंचिंग कौन करेगा? तुम्हारे कहने पे पड़ोसियों के घर में जाके फ्रिज कौन चैक करेगा कि इसमें मीट रखा है कि काउ मीट रखा है कि क्या रखा है! कौन चैक करेगा? इसलिए अध यक्ष महोदय, ये साजिश रची जा रही है, ये तो सोची–समझी साजिश है, इंस्टीट्यूशंस को, कोलेजेज को बर्बाद करो, पढ़ने मत दो, अगर कोई फिर भी पढ़ जाए अपने पराकक्रम से तो उसको ठीक से ईमानदारी से नौकरी मत करने दो, ये उस सोची–समझी साजिश का हिस्सा रहता है। ये बहुत वैलस्ट्रक्ट ऐसा देश चाहते हैं ये, क्योंकि ये 95 परसेंट देश से इनको सिर्फ ये अपेक्षा है कि जब हम चुनाव लड़ने जाएं, जब हम तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहें, धर्म की अफीम पी के, जाति की अफीम पी के हमारे जुमलों की अफीम पी के बस ताता थईया करने लगना, हमारे सामने क्वेश्चन मत खड़े करना, अगर तुम सक्षम हो गए, तुम तो सवाल करोगे हमसे। इसलिए पढ़ने मत दो, इसीलिए वो पकोड़ा रोजगार का आया, बस पकोड़ा तलो और जिंदगी चलाओ। वो कहता है नौकरी दो, बोले, 'पकोड़ा तलो,' इनका सारा स्किल प्रोग्राम फ्रॉड है, स्किल डेवलपमेंट के नाम पे, कोई उसमें कार्यक्रम नहीं चल रहा है। पकोड़ा स्किल चल रहा है।

तो अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने, हमारी सरकार जब बनी–बनी थी तो एक इतेफाक ऐसा हुआ था; डीएसएसएसबी का एक घोटाले का मसला सामने आया था। उस वक्त सर्विसेज डिपार्टमेंट अपने पास था, मैंने पर्सनली नौजवानों ने... जब पहले दिन आए सचिवालय के सामने, मैंने पर्सनली उनको अपने दफ्तर में बुला के, उनसे सारे केस को समझा और मुझे आज भी याद है, इसलिए, क्योंकि पर्सनली समझा था उन्होंने मुझे फैक्टस दिए कि किस तरह से षड्यंत्र रचा गया, थ्री टियर या शायद कुछ मल्टी टियर एग्जामनेशन था। थ्री टियर एग्जामनेशन सिस्टम में या टू टीयर एग्जामनेशन सिस्टम में, बच्चों को, उन्होंने शिकायत की कि देखा साहब, ये रोल नम्बर्स हैं और ये नाम हैं, किस तरह से एक ही सैंटर में आगे पीछे ही बैठने का मौका मिलता रहा है तीनों के तीनों टियर्स में। ये संयोग नहीं हो सकता ये किसी तरह का कुचक्र है। तुरंत उस वक्त, एसीबी भी हमारे पास थी 24 घंटे नहीं लगाए, एसीबी के सक्षम अधिकारी को बुलाके मैंने कहा कि इसकी इनफैक्टस पे और तुरंत और बाकी सारे फैक्टस पे जो–जो, वो तो ज्यादा एक्सपर्ट हैं जॉच करने में, सारी की जॉच करके लाओ। वो जॉच करके लाये, हमने एग्जामनेशन कैंसिल किया। इन द मीन टाईम एसीबी और सर्विसेज, क्योंकि वहॉ धंधे बंद हो रहे थे ना, ये धंधे जो सब पुष्कर जी ने जो, हमसे एसीबी क्यों छिनी गई, हम भी कह देते, जिन लोगों ने पैसा खाया, वो हमें भी दे जाओ चंदा और जहॉ दिया था, वहॉ भी दे दो। एसीबी हमारे पास रहती, कोई झंझट नहीं था, सर्विस डिपार्टमेंट भी हमारे पास रहता। लेकिन यूॅ ही छिनी गई क्योंकि वो सारे धंधे बंद किए गए। ये डीएसएसएसबी में, एसएससी में, ये इतना बड़ा 700 एडमिट कार्ड किसी एक सैंटर पे कैसे हो सकते हैं, एक व्यक्ति के हाथ में कैसे हो सकते है! सारी प्राथमिकताएं

एक तरफ और ये प्राथमिकता एक तरफ। दो वजह से; एक तो युवाओं का इशू है, दूसरा आप जिन लोगों को सरकार में काम करने के लिए ले रहे हो, कल को वो किसी डिस्ट्रिक्ट मैजेस्ट्रेट के दफ्तर में क्लर्क बनके बैठा होगा, किसी फाइनेंस मिनिस्टर के दफ्तर में यूडीसी, एलडीसी या कोई सीनियर सुपरिटेंडैंट बनके बैठा होगा। अगर आप 10–10 लाख रुपए लेके उनको ले रहे हो, तो देश में दीमक की तरह से काम करेंगे वो, फिर कोई मंत्री वहॉ से रो रहा होगा कि काम नहीं करना आता इनको, नोट–चिट्ठी तक बनानी नहीं आती, क्या करें हम! यही चाहते हैं, तो ये देश के साथ भी गद्दारी है, सिर्फ युवाओं के साथ गद्दारी नहीं है, पूरे के पूरे सरकारी सिस्टम के साथ। अपने ही सिस्टम को कमजोर लोगों से भरने की साजिश रची जा रही है।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूॅ कि दोनों प्रस्ताव और जो सौरभ भाई ने जिक्र किया, इसी दिल्ली में इतना बड़ा खुले आम गुंडागिरी, यूनिवर्सिटी में, मैंने इसीलिए कहा कि आजकल यूनिवर्सिटीज इसलिए जिक्र में नहीं आती हैं कि वहॉ से कितने बड़े रिसर्चर्स, कितने बड़ो फिलोस्फर्स निकले, कितने बड़े अचीवर्स निकले, इसलिए आती हैं कि वहॉ किसी धारा का, कौन सा प्रोफेसर या कौन सा व्यक्ति कहॉ इन्फ्लुैंस कर रहा है, कहॉ बच्चों को दुखी कर रहा है, कहॉ स्टुडैंटस का कैरियर बर्बाद कर रहा है; जेएनयू उसका उदाहरण बन गई है। सारी दुनियॉ में नाम कमाने वाली जेएनयू आज इनके कुचक्रों के चलते, इनकी साजिशों के चलते, आज इस तरह की हरकतें झेल रही है इनकी।

मैं दोनों माननीय विधायकों के प्रस्तावों का समर्थन करता हूॅ और इसमें लिखी गई बातों का समर्थन करता हूॅ, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदयः अब श्री पंकज पुष्कर जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हॉ कहने पर)
हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता
संकल्प पारित हुआ।

अध्यक्ष महोदयः अब श्री सौरभ भारद्वाज जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हॉ कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हॉ कहने पर)
हॉ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता
संकल्प पारित हुआ।

मैंने पहले भी सूचना दी थी, फिर आज दोहरा रहा हूॅं, सभी सदस्य ध्यान देंगे। कल दिनॉक 22 मार्च, 2018 को बजट प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि कल दोपहर ठीक 12:00 बजे सदन में उपस्थित रहेंगे।

अब सदन की कार्यवाही 22 मार्च 2018 को दोपहर 12:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही 22 मार्च 2018 को दोपहर 12:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।